पंचदश माला, खंड 20, अंक 2

बुधवार, 23 नवम्बर, 2011
2 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 20 May 2014

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्मदत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं मे दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 20, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 2, बुधवार, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी में आग लगने से हुई दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121	2-11
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 40	11-87
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	87-553
सभा पटल पर रखे गए पत्र	553-556
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	556-557
सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक 2011	557-558
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) देश में विशेष रूप से पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए एक प्रभावकारी रोजगार योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रताप सिंह बाजवा	558-559
(दो) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत और अधिक निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पन्ना लाल पुनिया	559-560
(तीन) केरल में सबरीमाला श्री धर्मसंस्था मंदिर के निकट एक अस्पताल स्थापित करने तथा इस मंदिर को एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. धनपालन	560

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(चार) केरल सरकार को राज्य में गरीबों के लिए दवाइयों की बिक्री हेतु उचित दर की दुकानें खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा देश में जीवनरक्षक दवाइयों के अधिक मूल्यों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 561

(पांच) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा की जाने वाली क्षति से फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

राजकुमारी रत्ना सिंह 561-562

(छह) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में तेल के उत्पादन के लिए शेल टेक्नालॉजी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश चौधरी 562

(सात) हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली नदियों में अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अवतार सिंह भडाना 562-563

(आठ) महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील 563-564

(नौ) देश में आदिवासियों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 564

(दस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 564-565

(ग्यारह) गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 565

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में मुगलसराय रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए सीधी रेलगाड़ियां चनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन 565-566

(तेरह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ से होने वाले विनाश से गांवों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 566

(चौदह) बिहार के बाल्मिकी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरि पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो 566-567

(पन्द्रह) आंध्र प्रदेश में सूखा प्रभावित किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 567-568

(सोलह) निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण देने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 568-570

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 571-572

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 572-580

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों को मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 581-582

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 583-584

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 23 नवम्बर, 2011/2 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

हावड़ा - देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी में आग लगने से हुई दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, 22 नवंबर, 2011 को झारखंड के गिरीडीह जिले में निमियाघाट और पारसनाथ स्टेशनों के बीच हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस से दो सबारी डिब्बों में आग लगने से दो बच्चों सहित सात लोग मारे गए।

सभा इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, जिससे मृतकों और जख्मी लोगों के परिजनों को गहरा दु:ख और तकलीफ पहुंची है, पर गहरा दु:ख व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगतों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल

प्रश्न संख्या 021 – डॉ. भोला सिंह।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, मैंने सूचना दी है...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होने जा रहा है। कृपया वापस जाइए।

*(व्यवधान)...**

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री आधि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य उठकर आगे आए और सभा पटल के निकट जाकर खड़े हो गए।

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

इस समय श्री नरहरि महतो और कुछ अन्य माननीय सदस्य उठकर आगे आए और सभापटल के निकट जाकर खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदया : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। डॉ. भोला सिंह।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तब श्री आधि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।

अध्यक्ष महोदया : कृपया तख्ती नीचे रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : डॉ. भोला सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अवैध खनन

*21. + **डॉ. भोला सिंह :**
श्री के.डी. देशमुख :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में अवैध खनन, कालाबाजारी, चोरी और कोयले की ढुलाई में अनियमितताओं के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि का वर्ष-वार, सहायक कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ मामलों में विभिन्न कोयला कंपनियों के कुछ सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी सहायक कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अवैध खनन, कालाबाजारी, चोरी उठाईगिरी और कोयले की ढुलाई में अनियमितता आदि, पैचों, खनित क्षेत्रों तथा जो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों के लीजहोल्ड क्षेत्र में नहीं हैं, उनमें चोरी-छिपे छिपे और गुप्त रूप से की जाती है। अतः उठाए गए अथवा चोरी किए गए कोयले की वास्तविक मात्रा और अवैध खनन, कालाबाजारी, चोरी, उठाईगिरी और कोयले की ढुलाई में अनियमितता के कारण हुई हानि का पता लगा पाना संभव नहीं है। कानून और व्यवस्था का मुद्दा होने के कारण अवैध खनन के इस कार्यकलाप को रोकने/समाप्त करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करना राज्य/जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है।

तथापि, सुरक्षा कार्मिकों और संबंधित राज्य सरकारों के कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मारे गए छापों के दौरान पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बरामद की गयी कोयले की मात्रा तथा उसका लगभग मूल्य निम्नानुसार है:—

कोयले की चोरी/उठाईगिरी

कंपनी	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (जुलाई, 2011 तक) (अनंतिम)	
		बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	7606.00	76.060	3702.00	43.940	1863.00	37.260	678.00	13.560
	झारखंड	1546.00	15.460	435.00	4.520	437.00	8.740	199.00	3.980
	उप-जोड़	9152.00	91.520	4137.00	48.460	2300.00	46.000	877.00	17.540
बीसीसीएल	झारखंड	9575.84	187.365	7633.30	163.267	9643.18	191.470	2282.72	51.228
	पश्चिम बंगाल	138.70	2.294	28.70	0.432	2.00	0.028	0.00	0.000
	उप-जोड़	9714.54	189.659	7662.00	163.699	9645.18	191.498	2282.72	51.228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सीसीएल	झारखंड	2524.00	27.595	393.75	4.424	8477.85	86.011	91.00	1.177
एनसीएल	मध्य प्रदेश	9.00	0.180	3.00	0.060	0.00	0.000	0.00	0.000
	उत्तर प्रदेश	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	उप-जोड़	9.00	0.180	3.00	0.060	0	0	0	0
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	241.29	4.654	251.48	4.154	169.63	2.719	56.75	1.085
	मध्य प्रदेश	111.86	1.334	24.00	0.500	0.00	0.000	6.16	0.112
	उप-जोड़	353.15	5.988	275.48	4.654	169.63	2.719	62.91	1.197
एसईसीएल	मध्य प्रदेश	22.30	0.491	31.45	0.570	6.00	0.103	0.00	0.000
	छत्तीसगढ़	821.68	14.552	347.22	5.031	2.50	0.055	21.87	0.574
	उप-जोड़	843.98	15.043	378.67	5.601	8.50	0.158	21.87	0.574
एमसीएल	ओडिशा	607.10	4.420	1562.70	12.571	36.50	0.365	14.30	0.143
एनईसी	असम	2.80	0.080	15.00	0.330	22.38	0.946	0.00	0.000
कोल इंडिया		23206.57	334.486	14427.60	239.799	20660.04	327.696	3349.80	71.859

अवैध खनन

कंपनी	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (जुलाई, 2011 तक) (अनंतिम)	
		बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु.)	बरामद की गई मात्रा (टन में)	लगभग मूल्य (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	4203.00	42.030	5763.00	67.880	5650.00	113.000	486.00	9.720
	झारखंड	2326	23.260	2398.00	28.42	1401	26.02	20	0.4
	उप-जोड़	6529.00	65.290	8161.00	96.300	7051.00	139.020	506.00	10.120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बीसीसीएल	झारखंड	1986.15	34.630	2127.18	35.932	1309.39	25.031	231.77	4.763
	पश्चिम बंगाल	64.81	1.290	4.00	0.080	10.97	0.219	0.00	0.000
	उप-जोड़	2050.96	35.920	2131.18	36.012	1320.36	25.250	231.77	4.763
सीसीएल	झारखंड	93.00	0.855	30.00	0.300	15.00	0.150	0.00	0.000
एनसीएल	उत्तर प्रदेश/ मध्य प्रदेश	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	मध्य प्रदेश	11.00	0.110	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	उप-जोड़	11.00	0.110	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
एसईसीएल	मध्य प्रदेश	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	छत्तीसगढ़	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
	उप-जोड़	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
एमसीएल	ओडिशा	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
एनईसी	असम	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000
कोल इंडिया		8683.96	102.175	10322.18	132.612	8386.36	164.420	737.77	14.883

(ग) और (घ) सीआईएल द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उपर्युक्त गतिविधियों में अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) चूँकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए अवैध खनन को रोकने के लिए अनिवार्य निवारक कार्रवाई करने तथा ऐसे अवैध कार्यकलाप के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना संबंधित राज्य/जिला प्रशासन की प्रथम जिम्मेवारी है। तथापि, अवैध खनन को रोकने के लिए सरकारी कोयला कंपनियों द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:—

(i) जहां भी संभव होता है, अवैध खनन से बने रैट होलों को पत्थर और मलबे से डोज-ऑफ और भरा जाता है।

(ii) परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंकरीट की दीवारें बनायी गयी हैं ताकि इन क्षेत्रों में पहुंचने और अवैध कार्यकलापों को रोका जा सके।

(iii) सुरक्षा कार्मिकों द्वारा नियमित रूप से छापे मारे जा रहे हैं/जांच की जा रही है तथा पिटहेड डिपों पर रात में सशस्त्र गार्डों सहित राज्य सुरक्षा पिकेट की तैनाती की जा रही है।

(iv) सुरक्षा कार्मिक और संबंधित राज्य सरकारों के कानून एवं व्यवस्था प्रधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से नियमित तथा औचक छापे मारे जा रहे हैं।

(v) विभिन्न अवैध खनन स्थलों पर चार दिवारी बनायी जाती है एवं "खतरनाक तथा निषिद्ध स्थान" उल्लेख वाला साइन-बोर्ड प्रदर्शित किया जाता है।

(vi) खनित क्षेत्रों पर ओवर बर्डेन डम्प किया जाता है जिनका खनन किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

(vii) अवैध कोयला डिपो और कोयले की अवैध ढुलाई के बारे में आसूचना रिपोर्टों का संग्रह करना और निवारक कार्रवाई करने के लिए उक्त के बारे में जिला प्राधिकारियों को सूचित करना।

(viii) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील बिन्दुओं पर चेक-पोस्ट स्थापित करना।

(ix) सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण, सीआईएसएफ कार्मिकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा विभाग में नए भर्ती किए गए लोगों को मौलिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

(x) कोयला कंपनियां राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क बनाए रखती हैं।

(xi) अवैध खनन के विभिन्न पहलुओं को मॉनीटर करने के लिए सीआईएल की कुछ सहायक कंपनियों में विभिन्न स्तर पर (ब्लॉक स्तर, सब-डिवीजनल स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर) समिति/कार्य बल का गठन किया गया है।

कोयला कंपनियों द्वारा चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(1) संवेदनशील स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित कर दिए गए हैं।

(2) कोयला डम्पिग यार्ड के इर्द-गिर्द चाहर दीवारी, रोशनी की व्यवस्था तथा हथियारबंद गार्डो की तैनाती चौबीसों घंटे कर दी गई हैं।

(3) ओबी डम्पों सहित खान के इर्द-गिर्द नियमित चौकसी बरती जाती है।

(4) रेलवे साइडों पर सशस्त्र गार्डों की तैनाती की गई है।

(5) नियमिंत अन्तरालों पर जिला अधिकारियों के साथ बातचीत एवं सम्पर्क किया जाता है और प्रत्येक महीने जिला कलक्टर तथा जिला प्रशासन के साथ बैठके आयोजित की जाती हैं।

(6) होलोग्राम निर्धारित करके एवं उठाई गिरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ के अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद जिले के बाहर ट्रकों द्वारा कोयले के परिवहन के चालान जारी किए जा रहे हैं।

(7) कोयले की चोरी के विरुद्ध कोलियरियों के प्रबंधन और सीआईएसएफ द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज करायी जाती हैं। सीआईएसएफ द्वारा आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही हैं।

(8) प्रबंधन पुरानी/परित्यक्त खुली कोयला मुहानों को भरने/डोजिंग/सीलिंग/विस्फोटन के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. भोला सिंह : कोयला जो प्राकृतिक औद्योगिक...*(व्यवधान)* कार्यक्रम है,...*(व्यवधान)* कोयला जो देश की प्राकृतिक औद्योगिकी धड़कन है,...*(व्यवधान)* उस धड़कन की अनुशंसाएं स्थायी समिति के चेयरमैन श्री कल्याण बनर्जी के माध्यम से की गई है।...*(व्यवधान)* वे 17 अनुशंसाएं हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इन अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* हम कुछ दिनों बाद माननीय सदस्यों को यह सूचित कर देंगे कि स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस पर सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है।

डॉ. भोला सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोयले के अवैध खनन के मामले में पुलिस, माफिया और दलालों का जो सहयोग है, उसे रोकने के लिए, सरकार कहती है कि यह मामला राज्य सरकार, जिला प्रशासन का है। हम जानना चाहते हैं कि जब राज्य सरकार इस काम को करना चाहती है तो कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदया, इल्लिगल माइनिंग बहुत सारे क्षेत्रों से हो रही है,...*(व्यवधान)* लेकिन पूरे तरीके से लॉ एंड आर्डर का कार्य राज्य सरकारों को ही करना पड़ता है।...*(व्यवधान)* हम लोग बराबर राज्य सरकारों के काँटैक्ट में रहते हैं और राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में बात करते रहते हैं।...*(व्यवधान)* खास तौर से पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 4-5 महीनों में इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाये हैं और इससे इल्लीगल माइनिंग कम भी हुई है।...*(व्यवधान)* झारखंड सरकार से भी हमने बराबर अनुरोध किया कि इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए कदम उठाये जायें।...*(व्यवधान)* हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें इसमें सहयोग देंगी, ताकि इल्लीगल माइनिंग को रोका जा सके।...*(व्यवधान)* क्योंकि, लॉ एण्ड ऑर्डर स्टेट सबजैक्ट है, इसलिए राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठाएंगी और इल्लीगल माइनिंग को रोकने का काम करेंगी।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आदर्श विद्यालय

***22. श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत आदर्श विद्यालयों/राष्ट्रीय आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में तैयार की गई कार्यविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आदर्श विद्यालयों की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) देश में राज्य-वार ऐसे कितने आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जाएगी तथा उनके स्थानों का चयन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना नवम्बर, 2008 में प्रारंभ की गई थी। इनमें से 3500 विद्यालयों की स्थापना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में की जानी है और शेष 2500 विद्यालयों की स्थापना उन ब्लॉकों जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, में सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के तहत किए जाने का प्रस्ताव है। ब्लॉकों तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के तहत ऐसे आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधित कार्यविधियों को अनुमोदित करने की प्रक्रिया चल रही है। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	ब्लॉकों की संख्या की संख्या	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों की सख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	1128	737
3.	अरुणाचल प्रदेश	79	38
4.	असम	145	81
5.	बिहार	533	530
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	20	0
7.	छत्तीसगढ़	146	75

1	2	3	4
8.	दादरा और नगर हवेली	1	1
9.	दमन और दीव	2	0
10.	दिल्ली	28	0
11.	गोवा	11	0
12.	गुजरात	230	85
13.	हरियाणा	119	37
14.	हिमाचल प्रदेश	118	5
15.	जम्मू और कश्मीर	200	97
16.	झारखंड	212	203
17.	कर्नाटक	180	74
18.	केरल	165	1
19.	लक्षद्वीप	8	0
20.	मध्य प्रदेश	316	201
21.	महाराष्ट्र	378	43
22.	मणिपुर	35	5
23.	मेघालय	44	9
24.	मिजोरम	36	1
25.	नागालैंड	49	11
26.	ओडिशा	418	173
27.	पुदुचेरी	6	0
28.	पंजाब	142	21
29.	राजस्थान	340	186
30.	सिक्किम	9	0
31.	तमिलनाडु	412	44
32.	त्रिपुरा	45	9
33.	उत्तर प्रदेश	966	702
34.	उत्तराखंड	102	23
35.	पश्चिम बंगाल	483	87
	कुल	7115	3479

ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्टिविटी

***23. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे गांवों, ग्राम पंचायतों और जिलों का राज्य-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी बेसिक और मोबाइल सुविधाओं के लिए टेलीफोन सुविधाओं से जोड़ा जाना है;

(ख) इन गांवों/जिलों में टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण/पिछड़े/दूरस्थ/वन क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्टिविटी के लिए कोई उपयुक्त विकल्प/नई प्रौद्योगिकी शुरू की है या शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त प्रौद्योगिकी की संस्थापना द्वारा अब तक कितने क्षेत्रों/गांवों को शामिल किया गया है; और

(ङ) देश के सभी गांवों में टेलीफोन कनेक्टिविटी कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) उन गांवों, जिन्हें अभी बुनियादी और मोबाइल टेलीफोन सुविधाओं के साथ जोड़ा जाना है, का ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं विवरण-II में दिया गया है।

(ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से इन गांवों में टेलीफोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं:—

(क) ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन

दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार, लगभग 5,59,775 गांवों, यानि 2001 की जनगणना के अनुसार आवासित राजस्व गांवों में से 97.67% गांवों, को ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) से कवर किया गया है। यूएसओएफ की जारी तथा नीचे (i) और (ii) में दी गई स्कीमों के तहत शेष आवासित राजस्व गांवों में वीपीटी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(i) भारत निर्माण के तहत वीपीटी

100 से कम जनसंख्या वाले, गहन वनों में अवस्थित और विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित गांवों को छोड़कर, देश में कवर नहीं किए गए 62302 गांवों (66822 से संशोधित) में वीपीटी के प्रावधान के लिए राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स बीएसएनएल के साथ नवम्बर, 2004 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन गांवों में वीपीटी के प्रावधान को भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत निर्धारित कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप के रूप में शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत, दिनांक 31.10.2011 तक 62032 यानि 99.56% वीपीटी उपलब्ध कराए गए हैं।

(ii) नए पहचाने गए वीपीटी

मौजूदा ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) और भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आवासित गांवों में कार्यरत ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) का समाशोधन किया गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दिनांक 01.10.2007 को शेष बचे सभी 62443 आवासित गांवों को, इस स्कीम के तहत यूएसओ निधि की राजसहायता से जनसंख्या, दुर्गमता, पहुंच और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के मानकों पर ध्यान दिए बिना, वीपीटी के प्रावधान हेतु शामिल कर लिया गया है। बीएसएनएल के साथ इस संबंध में दिनांक 27.02.2009 को समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझोते की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, दिनांक 01.10.2007 से दिनांक 26.02.2009 तक की अवधि के बीच स्थापित किए गए वीपीटी भी राजसहायता के पात्र हैं। इस स्कीम के तहत दिनांक 31.10.2011 तक 62443 में से 52047 यानि 83.35% वीपीटी उपलब्ध कराए गए हैं।

(iii) एमएआरआर आधारित ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) का प्रतिस्थापन (एमएआरआर-क और एमएआरआर-ख)

1,85,121 ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी), जो पहले मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य कर रहे थे तथा जिन्हें 01.04.2002 से पहले संस्थापित किया गया था, के विश्वसनीय प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रतिस्थापन हेतु मैसर्स बीएसएनएल के साथ वर्ष 2003 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें 30.06.2003 से पहले प्रतिस्थापित किए जा चुके 47075 एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-क) और 01.07.2003 से आगे प्रतिस्थापित किए जाने वाले 138046 एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-ख) शामिल थे। दिनांक 31.10.2011 तक कुल 1,84,741 एमएआरआर वीपीटी (99.79%) को प्रतिस्थापित किया जा चुका है। बीएसएनएल ने सूचित किया है कि शेष लगभग 380 एमएआरआर वीपीटी को डीएसपीटी के आधार पर प्रतिस्थापित किया जाना है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए यूएसओएफ की विभिन्न स्कीमों हेतु 1650 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जिनमें से दिनांक 30.09.2011 तक 1430 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) शेष सुदूर, घने वनों में अवस्थित, नक्सल प्रभावित/अशांत, दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थित गांवों को टेलीफोन सुविधाओं से कवर करने के लिए अपने सीडीएमए (कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस)/जीएसएम (मोबाइल कम्यूनिकेशन हेतु ग्लोबल सिस्टम) नेटवर्कों का लगातार विस्तार कर रहा है। साथ ही, उन गांवों, जहां कोई अन्य नेटवर्क मौजूद नहीं है, को कवर करने के लिए डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) का प्रयोग किया जा रहा है।

(ङ) सभी शेष गांवों में मई, 2012 तक टेलीफोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

विवरण-I

बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं के साथ जोड़े जाने के लिए शेष गांवों का ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार आवासित गांवों की संख्या	बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं के साथ जोड़े जाने के लिए शेष गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	151
2.	आंध्र प्रदेश	26,613	1,772
3.	असम	25,124	832
4.	बिहार	39,032	106
5.	झारखंड	29,354	547
6.	गुजरात	18,159	97
7.	हरियाणा	6,764	86
8.	हिमाचल प्रदेश	17,495	89
9.	जम्मू और कश्मीर	6,417	64
10.	कर्नाटक	27,481	33
11.	केरल	1,372	0
12.	मध्य प्रदेश	52,117	131,574
13.	छत्तीसगढ़	19,744	1574
14.	महाराष्ट्र	41,442	821
15.	पूर्वोत्तर-I		
	मेघालय	5,782	900
	मिजोरम	707	3
	त्रिपुरा	858	0
16.	पूर्वोत्तर-II		
	अरुणाचल प्रदेश	3,863	1,268
	नागालैंड	1,278	15
	मणिपुर	2,315	172
17.	ओडिशा	47,529	2,671
18.	पंजाब	12,301	236
19.	राजस्थान	39,753	343
20.	तमिलनाडु		
	तमिलनाडु	13,837	0
	चेन्नै	1,655	0
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	74,161	40
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23,781	152
23.	उत्तरखंड	15,761	396
24.	पश्चिम बंगाल		
	पश्चिम बंगाल	37062	980
	सिक्किम	450	21
	कोलकाता टीडी	893	326
	कुल	5,93,601	13,826

विवरण-II

बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं के साथ जोड़े जाने के लिए शेष गांवों का ब्यौरा

राज्य	बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं के साथ जोड़े जाने के लिए शेष गांवों का ब्यौरा
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	140
आंध्र प्रदेश	1061
अरुणाचल प्रदेश	2215
असम	1318
बिहार	185
छत्तीसगढ़	3302
दादरा और नगर हवेली	6
गोवा	3
गुजरात	458
हिमाचल प्रदेश	4141
जम्मू और कश्मीर	666
झारखंड	3316
कर्नाटक	226
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	5843
महाराष्ट्र	1978
मणिपुर	201
मेघालय	1252
मिजोरम	127
नागालैंड	145
ओडिशा	7573
पंजाब	7
राजस्थान	1133
सिक्किम	9
तमिलनाडु	38
त्रिपुरा	19
उत्तर प्रदेश	377
उत्तराखंड	1115
पश्चिम बंगाल	329
कुल	37184

विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

***24. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :**
श्री जगदीश शर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों, पेयजल, खेल के मैदान आदि सहित पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में सभी विद्यालयों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितने विद्यालयों में उपर्युक्त सुविधाएं प्रदान की गई थीं और इन पर कितना व्यय हुआ;

(च) क्या सरकार का विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2009-10 के अंतर्गत राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 92.60 प्रतिशत स्कूलों में पेयजल सुविधाएं, 54.31 प्रतिशत स्कूलों में कॉमन शौचालय और 66.25 प्रतिशत स्कूलों में खेल के मैदान हैं। बिना बुनियादी सुविधाओं वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में समुचित सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पड़ोस के ऐसे यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा सीमाओं में स्कूल स्थापित करें जहां स्कूल नहीं हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार समुचित सरकारों के लिए प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल अवसंरचना प्रदान करना भी आवश्यक है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य समय-सीमा के अनुसार राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सभी स्कूलों में ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पेयजल और शौचालयों के संबंध में अनुमोदित, पूर्ण और प्रगतिशील संचयी लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान किया गया वित्तीय आबंटन और वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान किए गए व्यय को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) और (छ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्मित सभी नए स्कूलों में पेयजल और शौचालयों का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान शहरी क्षेत्रों के मौजूदा स्कूलों में पेयजल और शौचालयों का भी प्रावधान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में पेयजल सुविधाओं का प्रावधान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ मिल कर किया जाता है।

विवरण-I

राज्य का नाम	कुल स्कूल		बिना पेयजल के		बिना कॉमन शौचालय के		बालिकाओं के शौचालयों के बिना		बिना खेल के मैदान के	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	233	161	29	5	6	0	42	2	105	46
आंध्र प्रदेश	68926	33871	7058	1337	15637	4414	27721	6136	36275	8441
अरुणाचल प्रदेश	3481	1160	630	47	2149	204	2523	356	2906	459
असम	38910	14428	7050	2908	16513	5628	25658	7282	19499	4900
बिहार	43677	23953	4611	370	19646	6510	29718	12406	33731	12911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़	17	159	0	0	0	5	3	2	1	2
छत्तीसगढ़	33442	17395	1660	1205	14720	5915	23438	9460	20765	8170
दादरा और नगर हवेली	172	124	11	0	77	16	116	27	132	57
दमन और दीव	48	59	0	0	2	8	16	10	22	15
दिल्ली	2580	2409	0	0	477	243	537	313	638	322
गोवा	1007	436	10	0	201	27	490	72	592	121
गुजरात	11062	28876	671	631	2755	4605	6923	9663	4117	7062
हरियाणा	9772	8803	28	64	982	745	1574	769	1832	1027
हिमाचल प्रदेश	11403	6005	250	161	3839	1419	5890	1699	4388	1311
जम्मू और कश्मीर	14719	11375	2687	882	10541	4101	13146	6588	11369	4886
झारखंड	26149	15725	5220	876	11027	5090	14192	7053	20197	9952
कर्नाटक	26256	31977	10138	7412	4282	2607	12062	6439	14144	9808
केरल	6683	5731	97	18	683	489	2195	720	2612	1137
लक्षद्वीप	20	24	0	0	0	1	9	4	20	13
मध्य प्रदेश	91199	43753	5896	2143	26251	8629	63376	20033	40576	13380
महाराष्ट्र	47050	47038	4592	1276	6873	3725	20828	7738	19897	10545
मणिपुर	2389	1537	238	74	1385	358	2215	801	1164	551
मेघालय	8243	3496	3276	1289	4121	1562	5860	2156	5568	1859
मिजोरम	1526	1386	229	184	175	87	724	542	1275	1040
नागालैंड	1681	1026	307	127	146	39	188	69	1006	382
ओडिशा	35265	21508	4806	1402	5578	3594	25057	10229	29324	14003
पुदुचेरी	299	393	0	0	20	34	44	31	155	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंजाब	14160	9101	78	200	149	236	125	138	4836	1989
राजस्थान	50274	55487	2775	981	28731	16134	8404	2851	32057	21185
सिक्किम	768	412	32	7	7	2	262	36	358	79
तमिलनाडु	33836	20520	0	0	4330	2669	13546	3125	7498	3271
त्रिपुरा	2390	1913	632	254	1009	406	1869	613	1232	549
उत्तर प्रदेश	132297	62764	962	2563	24842	11273	38866	16027	47367	19011
उत्तराखंड	15344	6783	1576	723	1936	1179	7011	2213	5871	2368
पश्चिम बंगाल	74678	13865	3178	337	10386	1550	41804	3122	50259	5688
भारत	809956	493653	68727	27476	219476	93504	396432	138725	421788	166630

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	पेयजल			शौचालय		
		लक्ष्य	प्रगतिशील	पूर्ण	लक्ष्य	प्रगतिशील	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9041	54	8851	34902	3367	19293
2.	अरुणाचल प्रदेश	1891	42	1849	1997	584	1371
3.	असम	788	0	788	25325	3020	19365
4.	बिहार	21606	1105	19559	62759	3354	42833
5.	छत्तीसगढ़	3288	190	2438	40314	5016	10028
6.	गोवा	529	4	237	1039	295	515
7.	गुजरात	6576	0	7453	10756	833	8757
8.	हरियाणा	5512	60	5170	16233	540	15203
9.	हिमाचल प्रदेश	2417	72	2344	14267	3639	8948

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	2745	0	1827	11903	0	2028
11.	झारखंड	6811	0	6095	17130	3175	11096
12.	कर्नाटक	22709	341	21445	49251	6166	40103
13.	केरल	10100	0	10100	17350	150	16605
14.	मध्य प्रदेश	17530	161	17369	62094	4238	56268
15.	महाराष्ट्र	8603	116	6919	13231	1466	8595
16.	मणिपुर	566	0	566	5001	0	1043
17.	मेघालय	2619	0	2971	850	0	850
18.	मिजोरम	1763	0	1763	5973	0	5973
19.	नागालैंड	1474	295	1179	3653	465	3267
20.	ओडिशा	6974	14	5528	14515	1227	7721
21.	पंजाब	17730	7	18350	21806	821	19631
22.	राजस्थान	23156	738	22273	43262	1884	40202
23.	सिक्किम	544	0	512	1232	0	1071
24.	तमिलनाडु	15527	171	15356	39062	6529	32533
25.	त्रिपुरा	1191	3	1184	4434	173	2263
26.	उत्तर प्रदेश	10322	463	9759	9049	0	8876
27.	उत्तराखंड	6719	345	5768	18276	4363	10610
28.	पश्चिम बंगाल	11551	1083	8679	36913	8639	20708
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	83	4	78	91	5	73
30.	चंडीगढ़	0	0	0	17	5	12
31.	दादरा और नगर हवेली	91	58	33	225	161	64

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन और दीव	80	0	59	66	13	47
33.	दिल्ली	68	0	68	866	161	610
34.	लक्षद्वीप	30	20	0	40	20	0
35.	पुदुचेरी	319	0	317	442	27	365
	कुल एसएसए	220953	5346	206887	584324	60336	416927

विवरण-III

राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1013.870	795.720	709.770	365.460	353.815	240.810	1167.040
आंध्र प्रदेश	64368.740	41680.360	34132.981	27123.430	69412.941	53643.890	141115.704
अरुणाचल प्रदेश	6240.205	6240.230	5089.110	2286.320	7407.760	5713.970	9396.529
असम	27040.942	26989.160	20099.060	17421.110	40030.584	21351.740	77644.532
बिहार	156346.114	71955.870	187824.538	73320.780	302353.471	137794.730	558067.668
चंडीगढ़	325.990	42.920	759.150	750.750	1318.840	1054.730	1523.250
छत्तीसगढ़	32293.365	32056.370	34147.181	26862.160	74895.190	37907.650	107850.977
दादरा और नगर हवेली	471.980	180.550	522.130	239.220	617.310	247.460	674.860
दमन और दीव	23.010	17.120	133.940	128.800	138.140	79.200	113.440
दिल्ली	1584.620	1084.800	1256.400	717.600	3547.850	1426.110	5874.490
गोवा	245.010	83.250	341.060	209.500	418.460	236.170	661.360
गुजरात	17304.830	14003.440	17634.440	13489.890	47622.720	41310.500	88358.500
हरियाणा	14357.662	7470.580	16457.731	11433.530	30636.451	16159.260	46571.841

1	2	3	4	5	6	7	8
हिमाचल प्रदेश	3277.896	2494.014	5075.421	3257.860	8506.510	6863.570	8293.112
जम्मू और कश्मीर	14367.985	4340.000	24957.890	17196.280	32799.628	10942.550	36687.805
झारखंड	75830.058	63775.680	64703.065	47997.650	100924.930	78870.010	67210.095
कर्नाटक	30239.443	30247.640	19877.150	19186.750	48664.329	41174.090	38619.256
केरल	2596.540	2169.950	4350.040	3548.630	11625.685	7119.640	6043.170
लक्षद्वीप	160.200	80.900	81.100	64.960	162.760	104.320	121.040
मध्य प्रदेश	70885.322	52460.680	73641.875	42847.950	160576.288	96499.070	113402.369
महाराष्ट्र	34730.116	28688.790	35091.080	29422.780	62940.077	4017.630	83884.857
मणिपुर	568.500	91.500	1924.520	508.130	8243.410	3836.180	16520.853
मेघालय	8335.960	4263.930	10694.520	4970.040	12443.140	6174.700	25197.033
मिजोरम	2145.400	699.679	3467.650	3455.520	4100.780	2818.900	5410.640
नागालैंड	1827.800	1313.310	2180.300	2082.040	10333.960	3609.090	11093.094
ओडिशा	41404.164	34010.550	51334.525	44671.810	69808.288	59800.250	73891.352
पुदुचेरी	478.700	477.300	371.000	371.000	441.701	397.460	640.461
पंजाब	6404.877	5912.430	10843.140	10529.880	21984.903	20500.020	34242.074
राजस्थान	32176.360	26244.180	22556.844	19097.430	59390.807	44965.709	55920.438
सिक्किम	726.705	585.830	796.330	578.630	1796.385	1073.270	1586.886
तमिलनाडु	29868.588	28239.700	15259.800	15010.680	44830.445	32687.045	44115.747
त्रिपुरा	2386.745	2386.740	3214.900	2315.930	6321.300	3906.770	6770.702
उत्तर प्रदेश	75667.247	72307.410	34566.934	33525.780	134354.610	64152.980	192418.641
उत्तराखंड	7229.677	6354.020	6457.600	4618.390	5341.690	4792.100	10495.384
पश्चिम बंगाल	44568.050	29725.400	63030.760	37924.740	152586.088	93144.280	164221.007
कुल	807492.671	599470.003	773583.934	517531.410	1536931.247	944615.854	2035806.205

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर

***25. श्री पी. विश्वनाथन :**

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अल्पसंख्यक समुदायों के स्कूली छात्रों के स्कूल में दाखिले और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर राज्य-वार और समुदाय-वार कितनी रही है;

(ख) उक्त समुदायों के छात्रों की बीच में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने ग्रामीण स्कूलों में एक-चौथाई अध्यापकों के अभाव तथा विशेषकर अल्पसंख्यक और गरीब बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर पर चिंता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार, 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग के नामांकन में मुस्लिम बच्चों की भागीदारी प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007-08 में 10.49 प्रतिशत थी जो बढ़कर वर्ष 2009-10 में 13.48 प्रतिशत की गई है और उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007-08 में 8.4 प्रतिशत हो जो बढ़कर वर्ष 2009-10 में 11.89 प्रतिशत हो गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या 13.43 प्रतिशत थी। मुस्लिम बच्चों के संबंध में आंकड़े केवल वर्ष 2007-08 से एकत्र किए जा रहे हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ने की सामूहिक दर प्राथमिक शिक्षा स्तर के पंचवर्षीय नामांकन आंकड़ों और उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के आठ वर्षीय नामांकन आंकड़ों पर आधारित है। अतः मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर केवल तभी निकाली जा सकती है जब अपेक्षित वर्षों की संख्या के नामांकन आंकड़े उपलब्ध हों। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर मुस्लिम बच्चों के नामांकन आंकड़े और प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(ख) बच्चों के पढ़ाई छोड़ देने के कारणों में स्कूल से दूरी, बालिका शिक्षा में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना, शिक्षकों की रिक्ति, शिक्षकों का अनुपस्थित रहना, शिक्षकों की विषमतापूर्ण तैनाती, कतिपय क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता का अभाव शामिल हैं।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी सामान्य कार्यकलाप जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलना, स्कूल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूल-बाह्य बच्चों का नामांकन, बालिका शिक्षा का संवर्द्धन, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, शिक्षक अनुदान और शिक्षक प्रशिक्षण, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और वर्दी शामिल हैं, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए लागू है। सर्व शिक्षा अभियान राज्य मदरसा बोर्डों से संबद्ध मदरसों और मकतबों के बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, स्कूल अनुदान, शिक्षक अनुदान, शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्रदान करता है। बजट आबंटन में बढ़ोत्तरी करके सबसे ज्यादा स्कूल-बाह्य बच्चों वाले जिलों को बेहतर ढंग से लक्ष्य बनाना सुनिश्चित किया गया है।

सरकार दो अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित करती है, अर्थात– (i) परंपरागत संस्थाओं को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी और अंग्रेजी जैसी आधुनिक पाठ्यचर्या और विषय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा के संवर्द्धन की योजना, और (ii) अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसंरचना की अभिवृद्धि और सुदृढ़ीकरण के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं की अवसंरचना का विकास। अल्पसंख्यक संस्थाओं के अवसंरचना विकास की योजना शैक्षिक अवसंरचनाओं और भौतिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का प्रावधान करती है। जिनमें (क) अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष, विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधाएं, (ख) बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन शामिल हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने शिक्षक अनुपस्थिति और अल्पसंख्यक बच्चों की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की उच्च दर के बारे में औपचारिक रूप से कोई चिंता व्यक्त नहीं की है।

सूचना का अधिकार का अधिनियम

***26. श्रीमती जयाप्रदा :**
श्री नीरज शेखर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न पक्षों से सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि निजी बैंकों, कॉरपोरेट्स, सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) निजी बैंकों, निजी निगमों, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं, मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

इन अनुरोधों की जांच की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकरणों, जिनमें सरकार के स्वामित्व वाले, उसके नियंत्रणाधीन, या मूलतः उसके द्वारा वित्त पोषित निकायों और गैर-सरकारी संगठनों, जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हैं, सम्मिलित हैं। साथ ही अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार, किसी निजी निकाय से संबंधित सूचना, जो उस समय पर लागू किसी अन्य कानून द्वारा लोक प्राधिकारी को उपलब्ध हो सकती है, पहले से ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्षेत्राधिकार में आती है।

[हिन्दी]

लाभप्रद मार्गों पर सेवाएं बंद किया जाना

***27. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**
श्री उदय सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया ने कुछ लाभप्रद मार्गों सहित अनके मार्गों पर अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मार्ग-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जहां एक ओर एयर इंडिया ने वर्ष 2000 और 2005 के बीच अनेक विमानों को 'ड्राई लीज' पर लिया है वहीं दूसरी ओर उसके पास इन विमानों को उड़ाने के लिए पायलट नहीं हैं;

(घ) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण/औचित्य क्या हैं;

(ङ) क्या देश में अन्य विमान कंपनियों की तुलना में एयर इंडिया में कर्मचारी-विमान का औसत अनुपात अधिक है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने 14 मार्गों से अपनी सेवाएं हटा ली हैं। इनमें से कोई भी सेवा लाभप्रद नहीं थी।

ये मार्ग हैं:—

(i) मुम्बई-शारजाह (ii) कालीकट-दोहा-बहरीन (iii) मुम्बई-वडोदरा (iv) कोलकाता-अहमदाबाद/जयपुर-कोलकाता (v) हैदराबाद-मुम्बई (vi) चेन्नै-कालीकट (vii) चेन्नै-मुम्बई-कुवैत (viii) हैदराबाद-कोचीन-कोयम्बतूर-हैदराबाद (ix) कोलकाता-हैदराबाद-कोलकाता (x) बंगलौर-सिंगापुर (xi) चेन्नै-कोयम्बतूर (xii) कोची-अगाती (इसे बाद में बहाल कर दिया गया) मुम्बई-नैरोबी (i) चेन्नै-दम्मम

(ग) और (घ) किसी भी विमान को पायलटों की कमी की वजह से ग्राउंड नहीं किया गया।

(ङ) और (च) एयरलाइन कर्मचारी अनुपात इन-हाउस निष्पादित कार्यों की प्रकृति और सीमा के साथ-साथ एयरलाइन के प्रचालनिक नेटवर्क के आधार पर एयरलाइन से एयरलाइन घटता बढ़ता रहता

है। 1 अक्तूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, एयर इंडिया में विमान कर्मचारी अनुपात लगभग 228 है।

भ्रष्टाचार को समाप्त करना

*28. **श्रीमती भावना पाटील गवली :**
श्री महेश जोशी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मंत्रालयों/विभागों को कार्रवाइ करने की सलाह दी थी;

(ख) कितने मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह को स्वीकार किया गया था;

(ग) कितने मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शासन प्रणाली से भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मंत्रालयों/विभागों को कार्रवाई करने की सलाह दी है, निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	मामलों की संख्या
2008	4238
2009	5317
2010	5522

(ख) और (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सन्तुष्टि व्यक्त की है कि अधिकतर मामलों में संबंधित प्राधिकरणों ने आयोग की सलाह को स्वीकार किया है तथा तदनुसार कार्रवाई की है। चूंकि अनुशासनात्मक/सतर्कता मामलों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में विभिन्न प्राधिकरणों से बहुत से परामर्श लेने अपेक्षित हैं, परामर्श स्वीकार करने के आंकड़े केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, इसके परामर्श को स्वीकार न करने के आंकड़ों का रख-रखाव करता है तथा ऐसी अस्वीकार्यता का उल्लेख अपनी वार्षिक रिपोर्ट में करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलें जिनमें आयोग के परामर्श स्वीकार नहीं किए गए हैं, निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	मामलों की संख्या
2008	20
2009	29
2010	16

(घ) सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अधीन, राजपत्रित अधिकारी जिनके नियोक्ता प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति हैं, से संबंधित सभी मामलों, जिनमें मंत्रालयों/विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा से भिन्नता रखते हैं/स्वीकार नहीं करते हैं, को अन्तिम निर्णय के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजना अपेक्षित है। साथ ही उपर्युक्त दिए गए आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चल जाएगा कि ऐसे मामलों की संख्या, जहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से अन्तर हुआ है, नगण्य हैं।

[अनुवाद]

असंतोषजनक मोबाइल नेटवर्क

*29. **श्री एस. पक्कीरप्पा :**
श्री पी. कुमार :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुपात में मोबाइल कनेक्शन जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन

निगम लिमिटेड, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गुणवत्तापरक सेवा महादंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) दोनों कंपनियों के मोबाइल नेटवर्क में वृद्धि करने और इनके सिगनल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) मोबाइल नेटवर्क की अनुपातिक संवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन जारी कर रहे हैं। इनका कंपनी-वार और सर्किल-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) बीएसएलएन और एमटीएनएल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मोबाइल दूरसंचार सेवाएं अपने लाइसेंससीकृत सेवा क्षेत्रों में संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं और सामान्य तौर पर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा विनिर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) संबंधी मानदंडों को पूरा कर रही है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित, ट्राई की निष्पादन निगरानी रिपोर्ट क्रमशः विवरण II और III पर संलग्न है।

(ङ) ये कंपनियां अपने मोबाइल नेटवर्क को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ा रही हैं ताकि कवरेज एवं क्षमता में बढ़ोत्तरी की जा सके और तकनीकी-वाणिज्यिक' मानकों के आधार पर सेवा की गुणवत्ता को और सुधारा जा सके। ये कंपनी कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए अपने मोबाइल नेटवर्क का सतत् रूप से इष्टतम स्तरोन्नयन करती है।

विवरण-I

दिनांक 30.09.2011 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल के सर्किल-वार मोबाइल कनेक्शन

क्र. सं.	कंपनी	सर्किल का नाम	प्रति उपभोक्ता 50 मिलिरलैंग @ मोबाइल क्षमता (मिलियन में)	प्रति उपभोक्ता 50 मिलिरलैंग @ मोबाइल क्षमता (मिलियन में)	कार्यरत मोबाइल कनेक्शन* (मिलियन में)
1	2	3	4	5	6
1.	बीएसएनएल	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.12	0.20	0.19
2.		आंध्र प्रदेश	5.07	8.45	8.63
3.		असम	1.31	2.18	1.41
4.		बिहार	2.25	3.75	4.11
5.		छत्तीसगढ़	1.68	2.80	1.25
6.		गुजरात	4.30	7.17	3.82
7.		हरियाणा	2.10	3.50	2.94
8.		हिमाचल प्रदेश	1.05	1.75	1.65
9.		जम्मू और कश्मीर	1.28	2.13	0.87
10.		झारखंड	1.66	2.77	1.58

1	2	3	4	5	6
11.		कर्नाटक	4.97	8.28	5.87
12.		केरल	5.10	8.50	6.09
13.		मध्य प्रदेश	3.05	5.08	3.05
14.		महाराष्ट्र	6.23	10.38	5.88
15.		पूर्वोत्तर-I	0.57	0.95	0.64
16.		पूर्वोत्तर-II	0.57	0.95	0.82
17.		ओडिशा	2.14	3.57	3.84
18.		पंजाब	3.19	5.32	4.63
19.		राजस्थान	3.91	6.52	5.28
20.		तमिलनाडु	6.92	11.53	7.16
21.		उत्तराखंड	0.94	1.57	1.30
22.		उत्तर प्रदेश (पूर्व)	6.40	10.67	9.74
23.		उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2.50	4.17	3.18
24.		पश्चिम बंगाल	2.86	4.77	3.13
25.		कोलकाता टीडी	1.54	2.57	2.32
26.		चैन्ने टीडी	2.00	3.33	1.55
		कुल	73.71	122.85	90.91
27.	एमटीएनएल	दिल्ली		3.025	2.59
28.		मुम्बई		3.025	2.73
		कुल		6.05	5.32

*औसत अनुपात प्रति उपभोक्ता लगभग 30 मिलिरलैंग है

(मिलिरलैंग टेलीफोन वॉयर अनुपात को मापने की इकाई है)

विवरण-II

जून, 2011 को समाप्त तिमाही के लिए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालकों की सेवा की गुणवत्ता संबंधी निष्पादन निगरानी रिपोर्ट

			नेटवर्क से संबंधित मानदंड								उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता संबंधी मानदंड								
			नेटवर्क उपलब्धता		कनेक्शन संस्थापना (अभिगम्यता)			कनेक्शन अनुरक्षण (बनाए रखने योग्य)			पीओआई	मीटरिंग और बिलिंग				सहायता हेतु उपभोक्ता को जबाव देने का समय		सेवा समाप्त/बंद किया जाना	
	सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता का नाम	बीटीएस का संचित डाउन टाइम (सेवा हेतु उपलब्ध नहीं) (प्रतिशतता)	डाउनटाइम के कारण सर्वाधिक दुष्प्रभावित बीटीएस (प्रतिशतता)	काल सेट-अप सफलता दर (लाइसेंसधारक के अपने नेटवर्क के भीतर)	एसडीसीसीएच/पेजिंग चैनल संकुलन (प्रतिशतता)	टीसीएच संकुलन (प्रतिशतता)	काल ड्रॉप दर (प्रतिशतता)	3% से अधिक टीसीएच ड्राप (कॉल ड्राप) दर वाली सर्वाधिक दुष्प्रभावित कालें (प्रतिशतता)	अच्छी वायस की क्वालिटी वाले कनेक्शन	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) संकुलन बैंचमार्क पूरा नहीं करने वाले (पीओआई) (तिमाही की अवधि का औसत)	मीटरिंग और बिलिंग विश्वसनीयता – पोस्ट पेड	मीटरिंग और बिलिंग विश्वसनीयता – प्री-पेड	बिलिंग/चार्जिंग वैधता संबंधी शिकायतों का समाधान	शिकायतों के समाधान की तारीख से क्रेडिट/प्रभार माफ करने का आवेदन करने/उपभोक्ता के खाते में समायोजन करने की अवधि	कॉल सेंटर/उपभोक्ता सेवा की अभिगम्यता	60 सैकेंड के भीतर प्रचालक द्वारा (वायस टू वायस) जिन कालों का उत्तर दिया गया उसका प्रतिशत	7 दिन के भीतर सेवा समाप्त करने/बंद करने के अनुरोधों के अनुपालन की प्रतिशतता	सेवा बंद करने के बाद जमा राशि वापस लौटाने हेतु लिया गयासमय
			≤2%	≤2%	≥95%	≤1%	≤2%	≤2%	≤3%	≥95%	≤0.5%	≤0.1%	≤0.1%	4 सप्ताह के भीतर 100%	शिकायत के समाधान के 1 सप्ताह के भीतर	≥95%	≥90%	7 दिन के भीतर 100%	60 दिन के भीतर 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	आंध्र प्रदेश	बीएसएनएल	1.23	0.00	98%	0.67	1.76	1.07	4.11	98%	0.00	0.10	0.00	100	100	97	53	100	100
14	असम	बीएसएनएल	1.37	13.93	97%	0.97	1.98	1.97	4.97	97%	0.00	0.01	0.00	100	100	100	95	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	बिहार	बीएसएनएल	1.06	1.83	97%	0.51	1.24	1.40	4.90	97%	0.01	0.07	0.27	100	100	100	91	100	100
37	चंडीगढ़	बीएसएनएल	0.30	0.63	100%	0.20	0.20	0.70	2.03	100%	0.00	0.00	0.10	100	100	99	97	100	100
53	गुजरात	बीएसएनएल	0.54	1.46	98%	0.26	1.38	1.58	3.50	100%	0.01	0.04	0.02	100	100	99	91	100	100
64	हिमाचल प्रदेश	बीएसएनएल	1.87	1.83	95%	0.70	1.87	1.90	4.87	96%	0.02	0.10	0.10	100	100	100	96	100	100
75	हरियाणा	बीएसएनएल	1.38	1.95	96%	0.27	0.68	1.91	4.63	97%	0.00	0.10	0.06	100	100	100	95	0	0
90	जम्मू और कश्मीर	बीएसएनएल	1.90	1.74	98%	0.90	1.90	2.00	4.80	98%	0.00	0.05	0.06	100	100	100	95	100	100
93	कोलकाता	बीएसएनएल	1.01	4.85	99%	0.60	0.76	0.72	4.43	100%	0.01	0.00	0.22	100	100	100	95	100	100
112	केरल	बीएसएनएल	0.81	1.87	99%	0.32	1.45	0.62	1.96	100%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	45	100	100
115	कर्नाटक	बीएसएनएल	1.35	1.79	99%	0.33	0.87	1.08	4.69	99%	0.00	0.02	0.04	100	100	98	90	100	100
134	महाराष्ट्र	बीएसएनएल	0.991	1.54	0%	0.82	1.77	1.75	4.83	98%	0.00	0.00	0.04	100	100	100	89	100	100
148	मध्य प्रदेश	बीएसएनएल	1.44	2.11	96%	0.98	2.57	1.76	5.05	98%	0.00	0.02	0.04	100	100	100	82	100	100
160	पूर्वोत्तर	बीएसएनएल	2.06	7.14	96%	2.09	2.83	2.51	8.08	97%	0.00	0.05	0.05	100	100	98	88	100	100
169	ओडिशा	बीएसएनएल	0.69	1.04	97%	0.87	1.76	1.95	4.49	98%	0.00	0.04	0.03	100	100	95	92	100	100
182	पंजाब	बीएसएनएल	10.48	1.97	99%	0.76	0.55	1.53	8.57	95%	0.00	0.01	0.01	100	100	100	96	100	100
193	राजस्थान	बीएसएनएल	1.81	2.00	99%	0.15	0.71	1.35	4.98	98%	0.00	0.08	0.08	98	100	100	91	100	100
204	तमिलनाडु	बीएसएनएल	0.43	1.53	99%	0.19	0.59	0.71	2.43	99%	0.00	0.02	0.01	100	100	100	93	100	100
215	उत्तर प्रदेश पूर्व	बीएसएनएल	0.65	2.70	96%	0.67	1.67	1.67	4.50	96%	0.00	0.07	0.06	100	100	98	94	100	100
226	उत्तर प्रदेश पश्चिम	बीएसएनएल	1.44	10.21	96%	1.01	1.75	2.67	14.51	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	100	92	100	100
237	पश्चिम बंगाल	बीएसएनएल	0.95	2.29	98%	0.58	0.99	0.80	6.42	98%	0.00	0.07	0.08	100	100	100	93	100	100

विवरण-III

जून, 2011 को समाप्त तिमाही के लिए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालकों की सेवा की गुणवत्ता संबंधी निष्पादन निगरानी रिपोर्ट

			नेटवर्क से संबंधित मानदंड									उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता संबंधी मानदंड							
			नेटवर्क उपलब्धता		कनेक्शन संस्थापना (अभिगम्यता)			कनेक्शन अनुरक्षण (बनाए रखने योग्य)			पीओआई	मीटरिंग और बिलिंग				सहायता हेतु उपभोक्ता को जबाव देने का समय		सेवा समाप्त/बंद किया जाना	
	सेवा क्षेत्र का नाम	सेवा प्रदाता का नाम	बीटीएस कासंचित डाउन टाइम (सेवा हेतु उपलब्ध नहीं) (प्रतिशतता)	डाउनटाइम के कारण सर्वाधिक दुष्प्रभावित बीटीएस (प्रतिशतता)	काल सेट-अप सफलता दर (लाइसेंसधारक के अपने नेटवर्क के भीतर)	एसडीसीसीएच/पेजिंग चैनल संकुलन (प्रतिशतता)	टीसीएच संकुलन (प्रतिशतता)	काल ड्रॉप दर (प्रतिशतता)	3% से अधिक टीसीएच ड्राप (कॉल ड्राप) दर वाली सर्वाधिक दुष्प्रभावित कालें (प्रतिशतता)	अच्छी वायस की क्वालिटी वाले कनेक्शन	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) संकुलन बेंचमार्क पूरा नहीं करने वाले (पीओआई) (तिमाही की अवधि का औसत)	मीटरिंग और बलिंग विश्वसनीयता – पोस्ट पेड	मीटरिंग और बलिंग विश्वसनीयता – प्री-पेड	बिलिंग/चार्जिंग वैधता संबंधी शिकायतों का समाधान	शिकायतों के समाधान की तारीख से क्रेडिट/प्रभार माफ करने का आवेदन करने/उपभोक्ता के खाते में समायोजन करने की तारीख	कॉल सेंटर/उपभोक्ता सेवा की अभिगम्यता	60 सेकेंड के भीतर प्रचालक द्वारा (वायस टू वायस) जिन कालों का उत्तर दिया गया उसका प्रतिशत	7 दिन के भीतर सेवा करने/बंद करने के अनुरोधों के अनुपालन की प्रतिशतता	सेवा बंद करने के बाद जमा राशि वापस लौटने हेतु लिया गयासमय
			≤2%	≤2%	≥95%	≤1%	≤2%	≤2%	≤3%	≥95%	≤0.5%	≤0.1%	≤0.1%	4 सप्ताह के भीतर 100%	शिकायत के समाधान के 1 सप्ताह के भीतर	≥95%	≥90%	7 दिन के भीतर 100%	60 दिन के भीतर 100%
45	दिल्ली	एमटीएनएल	0.00	0.00	97%	0.00	0.00	0.02	0.05	98%	0.00	0.00	0.01	100	100	100	100	100	100
46		एमटीएनएल-सीडीएमए	1.62	1.20	99%	0.32	0.36	1.64	1.20	98%	0.00	0.01	0.00	100	100	97	0	100	100
129	मुंबई	एमटीएनएल	0.00	0.00	99%	0.00	0.01	0.02	0.03	97%	0.00	0.00	0.00	100	100	96	92	100	20
130		एमटीएनएल-सीडीएमए	0.41	0.05	98%	0.51	0.01	1.10	0.83	98%	0.21	0.08	0.02	100	100	96	94	100	200

निजी भूमि पर गारा

*30. **डॉ. बलीराम : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग लिमिटेड की कोयला खानों से बड़ी मात्रा में निकली स्लरी अनेक वर्षों से निजी भूमि/किसानों की भूमि पर पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2008 में झारखंड उच्च न्यायालय ने उक्त स्लरी को उठाने के आदेश जारी किए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत को कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा स्लरी को उठाने और इसके पड़े रहने तक की अवधि के लिए किसानों/निजी भूमि मालिकों को मुआवजा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। दुग्दा कोयला वाशरी और बरोरा वाशरी में जमा स्लरी की मात्रा क्रमशः 53896.60 टन और 36882.73 टन है।

(ग) जी, हां।

(घ) माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची ने 21.08.2008 के आदेश के तहत WP©944/2003 में निजी भूमि, जिस पर दुग्दा के स्लरी तालाब और बीसीसीएल की बरोरा वाशरियों से स्लरी बह रही है के याचिकाकर्त्ता सहित भू-स्वामी को अधिसूचित मूल्य पर स्लरी की बिक्री करने की पेशकश करके स्लरी की बिक्री करने के उपाय करने के लिए बीसीसीएल के प्रबंधन के लिए एक आदेश पारित किया है। दस्तावेजों से संतुष्ट यह हो जाने पर कि दावेदार भू-स्वामी हैं, बीसीसीएल उनको स्लरी बेच सकता है। तथापि, यदि भू-स्वामी अधिसूचित मूल्य पर स्लरी लेने के लिए आगे नहीं आते हैं तो प्रबंधन स्कीम के अनुसार अन्य विकल्पों के लिए कार्रवाई कर सकता है।

(ङ) जब पेशकश की गयी थी, तब स्वयं को भूमि के लीजधारी होने का दावा करने वाले कई व्यक्तियों ने स्लरी लेने के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया था किन्तु उनकी हकदारी का पता नहीं चल सका और कानून एवं व्यवस्था की समस्या भी बनी रही। जब प्रबंधन ने फील्ड से स्लरी का संग्रह अपने परिसरों में करने का प्रयास किया तो कई ग्रामवासियों ने बाधा उत्पन्न की जिसके कारण : री का संग्रह नहीं किया जा सका, संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी और इसके अलावा, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष बीसीसीएल के प्रबंधन द्वारा सीएमपी याचिका सं. 302/2010 दायर की गयी है जिसमें भूमि के पात्र धारकों की पहचान करने में सहायता करने के लिए झारखंड राज्य को निर्देश देने को अनुरोध किया गया है। सीएमपी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है। इसके अलावा मामले के शीघ्र निपटान के लिए एक आई.ए.सं. 3318/10 भी दायर किया गया है।

पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय भू-क्षेत्र पर कब्जा

*31. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांग्लादेश सहित किन-किन देशों द्वारा भारतीय भू-क्षेत्र पर कब्जा किया गया है या कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है;

(ख) कितने भू-क्षेत्र पर कब्जा किया गया है और उक्त कब्जा किन-किन तारीखों को किया गया था;

(ग) क्या पाकिस्तान ने कब्जा किए गए उक्त भारतीय भू-क्षेत्र का कुछ भाग चीन को दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पड़ोसी देशों के अवैध कब्जे से कितने भारतीय भू-क्षेत्र को मुक्त कराया गया है;

(च) क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का इस मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ङ) वर्ष 1948 से जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग 78,000 वर्ग कि.मी. भारतीय भू-भाग पाकिस्तान के अवैध और बलात कब्जे में है। जम्मू और कश्मीर का लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. भारतीय भू-भाग वर्ष 1962 से चीने के कब्जे में है। वर्ष 1963 को तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अवैध रूप से 5180 वर्ग कि.मी. का भारतीय भू-भाग चीन को सौंप दिया। जहां तक बंगलादेश का संबंध है भारत का कोई भी

भारतीय भू-भाग उसके अवैध कब्जे में नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत-बंगलादेश सीमा से क्षेत्रों में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिन पर पारम्परिक रूप से एक देश के लोगों का दूसरे देश के भू-भाग पर कब्जा रहा है। इन्हें "प्रतिकूल कब्जे" के रूप में जाना जाता है।

(च) और (छ) सरकार सीमा मसलों को भारत और संबंधित देश के बीच विशुद्धत: द्विपक्षीय मामला मानती है। इन सीमा मामलों का समाधान करने के लिए संबंधित देशों के साथ भारत सरकार द्वारा स्थापित तंत्र विद्यमान है। किसी तीसरे पक्षकार की भूमिका की न तो परिकल्पना की जा सकती है और न ही इसकी आवश्यकता है। सरकार किसी तीसरे देश के साथ या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इन मसलों पर चर्चा कराए जाने को प्रोत्साहित नहीं करती है।

[अनुवाद]

यात्रा संबंधी सलाह

***32. श्री एस.एस. रामासुब्बू :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष त्योहारों के दौरान कुछ देशों ने भारत की यात्रा न करने की सलाह जारी की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त देशों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने संबंधित देशों से इस संबंध में अपना विरोध दर्ज कराया है और उन देशों को उक्त यात्रा सलाह को तत्काल वापिस लेने हेतु राजी कराने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, हां।

(ख) आस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, यूनाईटेड किंगडम तथा अमरीका ने इस वर्ष त्योहारों के समय के दौरान भारत के विरुद्ध परामर्शी जारी की थी। तथापि, यह भी देखा गया कि ऐसी परामर्शियों का सीमित प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) सरकार ने सभी देशों के साथ विभिन्न स्तरों पर इस मामले को उठाया था। मैंने स्वयं भी आस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के अपने समकक्षियों के साथ इस मामले को उठाया था। इन सभी सात देशों ने हमें जानकारी दी थी कि यात्रा परामर्शियां किसी खुफिया सूचना पर आधारित नहीं थी तथा उनके राष्ट्रिकों को खतरे की जैसी आशंका महसूस हो रही है, यह उतनी गंभीर नहीं है।

जाली जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्तियां

***33. श्री मनोहर तिरकी :**
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में जाली जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों के मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों से विवरण एकत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (च) केन्द्र सरकार ने दिनांक 28.01.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36017/2/2009-स्था. (आरक्षण) द्वारा जाली/झूठे जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध किया था। मंत्रालयों/विभागों आदि से प्राप्त सूचना के अनुसार जाली/झूठे जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर कथित रूप से 1832 नौकरियां प्राप्त की गई थीं जिनका विवरण उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकारी अनुदेशों में प्रावधान है कि एक नियोक्ता प्राधिकरण को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की

जाति की स्थिति की जांच नियुक्ति की शुरूआत में ही करनी चाहिए। उनमें यह प्रावधान भी है कि यदि कोई व्यक्ति जाली/झूठे प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करता है तो उसको सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार ऐसे किसी व्यक्ति पर अभियोजन भी चला सकती है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/जिला उपायुक्तों को इस आशय के अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है कि जब उनसे जाति प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की जांच करने को कहा जाए तो वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि जिला प्राधिकारियों को सन्दर्भित जाति/समुदाय प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की जांच एवं नियोक्ता प्राधिकरण को इसकी सूचना ऐसे प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर कर ली जाए। जाली/झूठे प्रमाणपत्र धारण करने वाले अभ्यर्थियों तथा जिला स्तर या उप जिला स्तर पर कर्मचारियों के बीच मिलीभगत समाप्त करने के लिए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो ऐसे मामलों में जाति की स्थिति की समय से जांच नहीं करते हैं या जाली प्रमाणपत्र जारी करते हैं।

विवरण

आज की तारीख के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जाली/झूठे प्रमाणपत्रों के मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	जाली/झूठे प्रमाणपत्रों के मामलों की कुल संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें विभागीय कार्यवाही शुरू की जा चुकी है	न्यायालय में लंबित जाली/झूठे प्रमाणपत्रों के मामलों की संख्या	सेवा से लंबित/हटाए गए/सेवा समाप्त अथवा मृत हो गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	—	—	—	—
2.	उर्वरक विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय)	4	3	1	—
3.	जल संसाधन मंत्रालय	—	—	—	—
4.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	11	3	8	—
5.	-वही-	1	—	1	—
6.	परामर्श विकास केन्द्र (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	—	—	—	—
7.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	—	—	—	—
8.	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1	1	—	—
9.	शहरी विकास मंत्रालय	4	1	2	1
10.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (खान मंत्रालय)	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
11.	भारतीय खान ब्यूरो, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि., ओडिशा	2	—	—	2 (एक निलम्बित किया गया और एक सेवा से हटाया गया)
12.	नागर विमानन महानिदेशालय, सफदरजंग हवाईअड्डा	—	—	—	—
13.	प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक	—	—	—	—
14.	आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय)	—	—	—	—
15.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	—	—	—	—
16.	मंत्रिमंडल सचिवालय	—	—	—	—
17.	इस्पात मंत्रालय	—	—	—	—
18.	पंचायती राज मंत्रालय	—	—	—	—
19.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	—	—	—	—
20.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	—	—	—	—
21.	उर्वरक विभाग	2	—	—	2
22.	अनुसंधान और विकास विभाग	—	—	—	—
23.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	—	—	—	—
24.	भारी उद्योग विभाग (बीएचईएल)	57	21	35	1
25.	दूरसंचार विभाग	2	2	—	—
26.	भारतीय दूरभाष उद्योग, बंगलौर	3	2	1	—
27.	भारत संचार निगम लिमिटेड	49	38	10	1
28.	टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड	—	—	—	—
29.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2	1	—	1
30.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
31.	भारतीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	2	—	2	—
32.	भारतीय खाद्य निगम	35	1	17	17
33.	व्यय विभाग	—	—	—	—
34.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	—	—	—	—
35.	अंतरिक्ष विभाग	16	14	2	—
36.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस	38	4	—	34
37.	वित्तीय सेवाएं विभाग:				
	(i) इलाहाबाद बैंक	1	1	—	—
	(ii) आंध्र बैंक	36	30	6	—
	(iii) बैंक ऑफ बड़ौदा	38	33	5	—
	(iv) बैंक ऑफ इंडिया	14	5	9	—
	(v) बैंक ऑफ महाराष्ट्र	14	1	13	—
	(vi) केनरा बैंक	44	8	36	—
	(vii) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	135	63	54	18
	(viii) कॉर्पोरेशन बैंक	1	—	1	—
	(ix) देना बैंक	15	11	4	—
	(x) इंडियन बैंक	79	59	20	—
	(xi) इंडियन ओवरसीज़ बैंक	112	112	—	—
	(xii) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	6	3	3	—
	(xiii) पंजाब नेशनल बैंक	7	2	—	3
	(xiv) पंजाब एंड सिंध बैंक	—	—	—	—
	(xv) सिंडिकेट बैंक	103	62	41	—
	(xvi) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14	3	9	2

1	2	3	4	5	6
	(xvii) यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	—	—	—	—
	(xviii) यूको बैंक	27	7	20	—
	(xix) विजया बैंक	1	—	1	—
	(xx) भारतीय स्टेट बैंक	157	142	13	2
	(xxi) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	—	—	—	—
	(xxii) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	—	—	—	—
	(xxiii) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	21	17	4	—
	(xxiv) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	15	7	8	—
	(xxv) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	17	3	14	—
	(xxvi) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	4	2	2	—
	(xxvii) भारतीय रिजर्व बैंक	39	37	2	—
	(xxviii) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई	93	51	42	—
	(xxix) आईडीबीआई	—	—	—	—
	(xxx) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई	145	114	31	—
	(xxxi) साधारण जीवन बीमा निगम, मुंबई	—	—	—	—
	(xxxii) न्यू इंडिया एश्योरेंस	41	34	3	4
	(xxxiii) नेशनल इंश्योरेंस	13	2	8	3
	(xxxiv) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी	41	32	9	—
	(xxxv) यूनाईटेड इंडिया एश्योरेंसिस	16	3	13	—
	(xxxvi) एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया	—	—	—	—
	(xxxvii) सिंडिकेट बैंक	4	2	2	—
	(xxxviii) बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्सट्रक्शन	—	—	—	—
38.	परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई	48	21	20	7
39.	कर्मचारी चयन आयोग	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6
40.	संसदीय कार्य मंत्रालय	—	—	—	—
41.	वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)	13	7	6	—
42.	अनुसंधान एवं विकास संगठन (रक्षा मंत्रालय)	14	9	1	4
43	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	—	—	—	—
44.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	5	1	4	—
45.	सीमा सुरक्षा बल	91	6	2	83
46.	अंतर्राज्यीय परिषद् सचिवालय (गृह मंत्रालय)	—	—	—	—
47.	विद्युत मंत्रालय (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	15	3	3	9
48.	कृषि और सहकारिता विभाग	2	—	1	1
49.	रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग)				46 (23 निरस्त/ हटाए गए/ समाप्त हो गए) 18 (जाति को आरक्षित श्रेणी से सामान्य किया गया इनमें से 2 ने ऐच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली) (2 ने ऐच्छिक सेवा निवृत्ति ली) (2 मामले कर्मचारियों के पक्ष में नियत हुए) (एक को पुनः नौकरी पर लिया गया)
50.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग				1 को हटाया गया

1	2	3	4	5	6
51.	रक्षा उत्पादन विभागः				
	(i) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लमिटेड (एचएएल)	3	—	3	—
	(ii) बीईएमएल लिमिटेड	5	—	2	3
	(iii) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	5	3	2	—
	(iv) मिश्र धातु निगम लिमिटेड	6	3	—	3
	(v) भारत इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड	1	—	—	1
	(vi) भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड	3	2	1	—
	(vii) महानिदेशक गुणवत्ता ऐसयूरेंस (डीजीक्यूए)	18	14	1	3
	(viii) आर्डनैन्स फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी)	30	6	10	14
52.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (डब्ल्यू एवं पीजी अनुभाग)	17	13	3	1
	कुल	1822	1033	519	270

मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताएं

***34. श्री एस. अलागिरी :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितताओं के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार भ्रष्टाचार के कितने मामले ध्यान में आए हैं/का पता चला है;

(घ) इस संबंध में कितने लोगों को दोषी पाया गया है;

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बिल) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में 106 शिकायतें प्राप्त हुई हैं: भ्रष्टाचार/निधियों के दुर्विनियोजन (35), खाद्यान्न की खराब गुणवत्ता (28), मध्याह्न भोजन की अनियमित रूप से परोसे जाने/मध्याह्न भोजन को मेन्यू के अनुसार न परोसे जाने (43)।

(ग) से (ङ) भ्रष्टाचार/दुर्विनियोजन से संबंधित 35 शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन्हें संबधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया था जिन्होंने इनमें से 29 शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की है। 19 मामलों में शिकायतों पर आरोप साबित नहीं हुए थे; चार मामलों में राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि आवश्यक जांच/कार्रवाई प्रक्रियाधीन है; दस साबित मामलों में राज्य सरकारों ने 19 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है जैसे जवाबदेही निर्धारित

करना, जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज कराना, दोषी कर्मचारियों को निलंबित करना, आपूर्तिकर्त्ताओं की संविदा को निरस्त करना, जहां आवश्यक हो वहां रसोइयों को बदलना, तथा ग्राम प्रधान से वसूली आदि। 2 मामलों में, राज्य सरकारों से रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

(च) प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना के दिशानिर्देशों में स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर विस्तृत अनुवीक्षण तंत्र का प्रावधान है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से खाद्यान्न को उठाने से पहले जिला प्राधिकारियों एवं भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किए जाते हैं। खाद्यान्न की चोरी से बचने के लिए रसोई व भंडारगृह संस्वीकृत किए गए हैं ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित और स्वच्छता से स्कूल में ही भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों, राष्ट्र स्तरीय जांच एवं अनुवीक्षण समिति की बैठकों, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों तथा इसके साथ-साथ समीक्षा मिशनों के माध्यम से योजना का लगातार अनुवीक्षण किया जाता है। जून, 2010 में टोल फ्री नंबर/विशेष टेलीफोन नबंर या पत्रों के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने हेतु शिकायत सुधार तंत्र स्थापित करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 40 स्वतंत्र अनुवीक्षण संस्थान नियमित अंतराल पर योजना का मूल्यांकन करते हैं।

विवरण

मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार/निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में शिकायतें

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	कुल
1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	4	6	1	2	13
असम	–	–	1	–	1
मध्य प्रदेश	–	1	1	1	3
बिहार	–	2	1	–	3
मेघालय	1	–	–	–	1
महाराष्ट्र	1	–	–	–	1
राजस्थान	2	1	1	1	5
छत्तीसगढ़	–	3	–	–	3
हरियाणा	–	1	–	–	1
पंजाब	–	1	–	1	2
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	1	1
अरुणाचल प्रदेश	–	–	1	–	1
कुल	8	15	6	6	35

1	2	3	4	5	6
साबित शिकायतें	1	7	1	1	10
लिप्त पाए गए व्यक्तियों की संख्या	5	14	1	2	19
शिकायतें जो साबित नहीं हुईं	7	6	3	3	19
शिकायतें जिन पर जांच चल रही है	–	1	2	1	4
उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		1		1	2

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

*35. **योगी आदित्यनाथ :**
डॉ. के.एस. राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के क्या परिणाम रहे;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की वास्तविक साक्षरता दर कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसके संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश शत-प्रतिशत साक्षरता दर का लक्ष्य प्राप्त करने से बहुत पीछे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सितंबर, 2009 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 'साक्षर भारत' के नए स्वरूप में शुरू किए जाने से लेकर अब तक इस मिशन को 372 जिलों में संस्वीकृत किया गया है और इसके कार्यकरण की नियमित रूप से समीक्षा की जाती हैं। हाल ही में अक्तूबर, 2011 में हुई समीक्षा के अनुसार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्कम, असम, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा तथा जम्मू और कश्मीर में इस कार्यक्रम का कार्यकरण स्तरीय नहीं पाया गया।

(ग) जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार साक्षरता दर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग द्वारा गठित प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता संबंधी कार्यदल ने सिफारिश की है कि मौजूदा संरचनाओं, जिनमें शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर लोक शिक्षा समितियां, और संसाधन सहायता निकाय शामिल हैं, के मॉडल के प्रौढ़ शिक्षा की नई संभावनाओं के अनुसार पुनः तैयार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। उनमें शिक्षा प्रदाताओं और प्रबंधकों के समर्पित व्यावसायिक संवर्ग को शामिल करके उनकी कार्यात्मक स्वायत्तता, अर्हता प्राप्त जनशक्ति तथा अवसंरचना को पुनः डिजाइन करने और उन्हें बल प्रदान करने की आवश्यकता है।

(च) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत (2012) तक 80 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है। जनगणना 2011 से देश में 74.04 प्रतिशत साक्षरता की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(छ) साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु समूह के प्रौढ़ों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, लाभवंचित समूहों और किशोरों में बकाया निरक्षरों की संख्या संचित होकर काफी बढ़ गई है। साक्षरता के उच्चतर स्तरों को चरणबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए योजना-वार लक्ष्य तय किए जा रहे हैं।

विवरण

जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार साक्षरता दर

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य	साक्षरता दर (पुरुष)			साक्षरता दर (महिला)		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	75.56	70.24	85.99	59.74	52.05	75.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.69	68.79	89.45	59.57	53.78	79.04
3.	असम	78.81	76.51	91.84	67.27	64.09	85.71
4.	बिहार	73.39	71.90	84.42	53.33	50.82	72.36
5.	छत्तीसगढ़	81.45	78.20	91.63	60.59	55.40	77.65
6.	गोवा	92.81	91.71	93.47	81.84	76.84	84.96
7.	गुजरात	87.23	83.10	92.44	70.73	62.41	82.08
8.	हरियाणा	85.38	83.20	89.37	66.77	60.97	77.51
9.	हिमाचल प्रदेश	90.83	90.48	93.72	76.60	75.33	88.66
10.	जम्मू और कश्मीर	78.26	75.51	84.90	58.01	53.36	70.19
11.	झारखंड	78.45	74.57	89.78	56.21	49.75	76.17
12.	कर्नाटक	82.85	77.92	90.54	68.13	59.60	81.71
13.	केरल	96.02	95.29	96.83	91.98	90.74	93.33
14.	मध्य प्रदेश	80.53	76.64	90.24	60.02	53.20	77.39
15.	महाराष्ट्र	89.82	86.39	93.79	75.48	67.38	85.44
16.	मणिपुर	86.49	84.14	92.05	73.17	69.95	80.21
17.	मेघालय	77.17	72.83	93.17	73.78	69.45	89.49
18.	मिजोरम	93.72	88.35	98.67	89.40	80.04	97.54

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	83.29	79.49	92.11	76.69	72.01	88.10
20.	ओडिशा	82.40	80.41	91.83	64.36	61.10	80.70
21.	पंजाब	81.48	77.92	87.28	71.34	66.47	79.62
22.	राजस्थान	80.51	77.49	89.16	52.66	46.25	71.53
23.	सिक्किम	87.29	85.42	92.94	76.43	73.42	85.19
24.	तमिलनाडु	86.81	82.08	91.82	73.86	65.52	82.67
25.	त्रिपुरा	92.18	90.86	95.80	83.15	80.06	91.38
26.	उत्तराखंड	79.24	78.48	81.75	59.26	55.61	71.68
27.	उत्तर प्रदेश	88.33	87.63	89.78	70.70	66.79	80.02
28.	पश्चिम बंगाल	82.67	79.51	89.15	71.16	66.08	81.70
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	90.11	88.53	92.96	81.84	79.58	85.79
30.	चंडीगढ़	90.54	86.68	90.65	81.38	74.17	81.55
31.	दादरा और नगर हवेली	86.46	78.18	94.81	65.93	51.36	84.86
32.	दमन और दीव	91.48	89.71	91.95	79.59	71.97	82.94
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	91.03	90.04	91.05	80.93	74.03	81.10
34.	पुदुचेरी	92.12	88.49	93.80	81.22	73.82	84.60
35.	लक्षद्वीप	96.11	95.06	96.40	88.25	88.66	88.13

[अनुवाद]

मोबाइल टॉवरों की अधिष्ठापना

***36. श्री के.पी. धनपालन :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मोबाइल सिगनलों के पारेषण के लिए आवासीय भवनों पर टॉवरों को अधिष्ठापित किए जाने के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली सहित देश में राज्य-वार आवासीय भवनों पर कितने मोबाइल टॉवर अधिष्ठापित किए गए हैं;

(ग) क्या इन टॉवरों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके अधिष्ठापित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/मानदंडों का उल्लंघन करने वाले दूरसंचार प्रचालकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा आवासीय क्षेत्रों से हटाए गए मोबाइल टावरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) आवासीय भवनों पर टॉवरों को संस्थापित करने के संबंध में अलग से कोई दिशा-निर्देश नहीं है। टॉवर संस्थापित करने के संबंध में मौजूदा नीति के अनुसार दूरसंचार विभाग का बेतार आयोजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) स्कंध अन्य वायरलेस प्रयोक्ताओं के साथ व्यतिकरण, हवाई खतरों तथा किसी अन्य विद्यमान माइक्रोवेव लिंकों को किसी अवरोध को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्थल के लिए मोबाइल टॉवरों के संस्थापन हेतु स्थल संबंधी क्लियरेंस जारी करता है।

तथापि, दूरसंचार विभाग द्वारा स्थल संबंधी क्लियरेंस स्थानीय निकायों जैसेकि नगर निगमों, ग्राम पंचायतों आदि के अन्य प्रयोज्य उप नियमों, नियमों तथा विनियमों को प्रभावित किए बिना जारी की जाती है। इसलिए टॉवरों की संस्थापना से पहले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संबंधित स्थानीय प्राधिकरण/राज्य सरकार के निकायों आदि से आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त करनी होती है। विभिन्न स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों ने मोबाइल टॉवरों की संस्थापना हेतु ऐसी अनुमति प्रदान कने के संबंध में अपनी स्वयं की नीति तैयार की है। तथापि, स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों द्वारा इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने से संबंधित सूचना दूरसंचार विभाग को संसूचित नहीं की जाती है।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार देश में संस्थापित मोबाइल टॉवरों की कुल संख्या 5,27,655 है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आवासीय भवनों पर संस्थापित मोबाइल टॉवरों की संख्या से संबंधित ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) डब्ल्यूपीसी स्कंध से स्थल संबंधी क्लियरेंस प्राप्त किए बिना टॉवर संस्थापित किए जाने से संबंधित कोई मामला अभी तक दूरसंचार विभाग के नोटिस में नहीं आया है। स्थानीय प्राधिकरणों/राज्य सरकार द्वारा टॉवर की संस्थापना के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों/राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इस संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।

विवरण

देश में मोबाइल टावरों की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्यों के नाम	मोबाइल टॉवरों की कुल संख्या
1.	राजस्थान	30940
2.	गुजरात और दमन और दीव	30824
3.	महाराष्ट्र और गोवा	54715
4.	कर्नाटक	34694
5.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	29022
6.	पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, और अंडमान और निकोबार	49379
7.	असम और अरुणाचल प्रदेश	12609
8.	दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़	28805
9.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	71717
10.	आंध्र प्रदेश	41844
11.	पंजाब और हिमाचल प्रदेश	25249
12.	जम्मू और कश्मीर	8548
13.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	47158
14.	बिहार और झारखंड	30017
15.	नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा	7375
16.	केरल और लक्षद्वीप	24759
	देश में मोबाइल टॉवरों की कुल संख्या	527655

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सुरक्षा जांचों को सुदृढ़ करना

*37. **श्री रूद्रमाधव राय :**

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने हाल ही में देश में विमानों में सुरक्षा जांचों की बारम्बारता में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान सुरक्षा चूकों के मामलों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दोषी विमान कम्पनियों के विरुद्ध विमान कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) देश में विभिन्न विमान कंपनियों द्वारा विमान सुरक्षा जांचों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा देश में विमान संरक्षा जांचों की आवृत्ति में वृद्धि की गई है। सर्टीफिकेट होल्डर पर डीजीसीए के प्रत्येक निदेशालय द्वारा सभी सर्विलांस/संरक्षा/ऑडिट/निरीक्षण जांचों को करने के लिए डीजीसीए में वार्षिक सर्विलांस कार्यक्रम बनाता है। इसे डीजीसीए की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित भी किया गया है। सर्विलांस जांचों में पाई गई खामियों को गंभीरता के स्तर के आधार पर स्तर-1 तथा 2 कमियों के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। डीजीसीए द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रमाणपत्र धारकों द्वारा सभी निष्कर्षों को ठीक किया जाना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्ष 2009 के दौरान 10 संरक्षा चूकें हुई थीं। वर्ष 2010 में ये कम हो कर तीन हो गईं। वर्ष 2011 से आज की तारीख तक केवल एक सुरक्षा चूक हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एयरलाइनों के खिलाफ डीजीसीए द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(ङ) सभी एयरलाइनें आंतरिक सुरक्षा ऑडिट तथा मासिक सर्विलांस जांचें करती हैं। ऐसे ऑडिट तथा सर्विलांस जांचों की रिपोर्ट डीजीसीए को, संगठन द्वारा की गई कार्रवाई सहित, प्रस्तुत की जाती है। डीजीसीए अधिकारियों द्वारा संरक्षा जांचों के दौरान प्रचालक द्वारा की गई संरक्षा निरीक्षणों की भी जांच पड़ताल की जाती है।

विवरण

कलैंडर वर्ष 2009 के दौरान अनुसूचित प्रचालकों के विरुद्ध नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस तथा की गई कार्रवाई

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	कारण बताओ नोटिस जारी करने का कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	जैगसन एयरलाइंस	24.4.2009	अनुसूची की अनुमोदन के बिना आरएसओपी पर पृष्ठांकित हेलीकॉप्टर द्वारा प्रचालन	आरएसओपी पर पृष्ठांकन सहित 18.5.2009 को जारी चेतावनी।
2.	एमडीएलआर एयरलाइंस	24.4.2009	अनुमोदित अनुसूची के अधिकार क्षेत्र से बाहर गैर-अनुसूचित उड़ानों का प्रचालन	आरएसओपी पर पृष्ठांकन सहित 18.5.2009 को जारी चेतावनी।

1	2	3	4	5
3.	एमडीएलआर एयरलाइंस	22.9.2009	विभिन्न नागर विमानन अपेक्षा प्रावधानों का उल्लंघन	एमडीएलआर ने अक्तूबर, 2009 के प्रथम सप्ताह से अपने प्रचालनों को लंबित कर दिया था।
4.	जेटलाइट (इंडिया) लिमिटेड	22.9.2009	विभिन्न नागर विमानन अपेक्षा प्रावधानों का उल्लंघन	प्राप्त उत्तर की संविक्षा डीजीसीए द्वारा की गई है जो जेटलाइट का निरीक्षण करेगा।
5.	नेसिल (इंडियन एयरलाइंस)	17.11.2009	वैट-रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निर्देशों का गैर-अनुपालन	स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया। कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।
6.	किंगफिशर एयरलाइंस	17.11.2009	वैट-रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निर्देशों का गैर-अनुपालन	स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया। कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।
7.	गो एयरलाइंस	17.11.2009	वैट-रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निर्देशों का गैर-अनुपालन	स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया। कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।
8.	जेटलाइट (आई) लिमिटेड	19.11.2009	वैट-रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निर्देशों का गैर-अनुपालन	स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया। कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।
9.	जेट एयरवेज	19.11.2009	वैट-रनवे पर प्रचालन के लिए डीजीसीए द्वारा जारी निर्देशों का गैर-अनुपालन	स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया। कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।

31.11.2010 को प्रचालकों के विरुद्ध नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कारण बताओं नोटिसों तथा की गई कार्रवाई

क्र. सं.	प्रचालक का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	कारण बताओ नोटिस जारी करने का कारण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	पैरामाउंट एयरवेज	22.9.2009 तथा 06.04.2010	विभिन्न नागर विमानन अपेक्षाओं का उल्लंघन	19 अप्रैल, 2010 से अनुसूचित प्रचालकों के परमिट को लंबित रखा गया था। बहरहाल, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित इंजक्शन आदेश के कारण 30.4.2010 से इस लंबन आदेश को वापस ले लिया गया था और दिनांक 2 जुलाई, 2010 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा रिट याचिका के निपटान के पश्चात् इस लंबन को पुन: स्थापित किया गया था। पुन: प्रचालक को लंबन आदेश के प्रति स्टे मिल गया था जिसे पुन: माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था और 2 जुलाई, 2010 को नागर विमानन महानिदेशालय के

1	2	3	4	5
				आदेश द्वारा पारित आदेश को लागू रखा गया। इसके अतिरिक्त डीजीसीए द्वारा दो विमानों को विपंजीकृत भी किया गया है। आज की तारीख को मैसर्स पैरामाउंट एयरवेज के अनुसूचित प्रचालक परमिट के संबंध में 2 जुलाई, 2010 के लंबन आदेश को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से प्राप्त 22 अक्तूबर, 2010 के आदेश के अनुसार स्थगित रखा गया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि एयरलाइंस अपने उड़ान प्राचालनों को आरंभ नहीं करेगा।
2.	स्पाईश जेट	22.9.2010	विमान सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर विमान का ओवर लोडिंग	चेतावनी जारी की गई।
3.	इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)	21.10.2010	मार्ग संविरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने हेतु	चेतावनी जारी की गई।

नागर विमानन महानिदेशालय प्रवर्तन कार्रवाई

2011 (31.10.2011 तक)

कार्मिक/ पदधारक का नाम	कार्रवाई की तारीख	वर्ष	की गई कार्रवाई	प्रवर्तन का प्रकार
श्री जे.पी. गुप्ता, सीएमडी	13.4.2011	2011	सभी पदधारकों का त्यागपत्र — मैसर्स जैगसन एयरलाइंस लिमिटेड। सभी प्रमुख 4 पदधारक यथा जबावदेह प्रबंध, निरंतरता उड्न योग्यता प्रबंधक, गुणवत्ता प्रबंधक तथा अनुरक्षक प्रबंधकों ने पहले ही 4 अप्रैल, 2011 को त्यागपत्र दे दिया है। इन परिस्थितियों में नागर विमानन अपेक्षा 145 के अंतर्गत जैगसन एयरलाइन को प्रदान की गई स्वीकृति 4 अप्रैल, 2011 यथा त्यागपत्र की तारीख को वैध नहीं है। संदर्भ संख्या 5-378/10 एआई(2) दिनांक 13.4.2011	अनुरक्षण संगठन स्वीकृति रोक ली गई (वैध नहीं)।

[हिन्दी]

राज्यों को विशेष दर्जा देना

*38. **श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राज्यों को विशेष दर्जा देने के लिए कोई मापदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक कितने राज्यों को उक्त दर्जा दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों को उक्त दर्जा प्रदान करने के संबंध में सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा विगत में कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है जिन्हें विशेष विचार हेतु आवश्यक कई विशेषताओं से वर्गीकृत किया गया है। ये विशेषताएं हैं (i) पर्वतीय व दुर्गम भू-भाग (ii) कम आबादी घनत्व और/अथवा पर्याप्त जनजातीय आबादी (iii) पड़ोसी देशों की सीमा से लगे रणनीतिक स्थान (iv) आर्थिक व अवसंरचनात्मक पिछड़ापन और (v) राज्य वित्त की अव्यावहारिक प्रकृति। इस श्रेणी में आने वाले राज्यों का निम्न संसाधन आधार होता है तथा अपनी विकासात्मक आवश्यकताओं हेतु संसाधनों का जुटाव करने की स्थिति में नहीं होते हैं यद्यपि इनमें से कुछ राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है। इसके अतिरिक्त, इनमें से कई राज्यों का गठन पूर्व के छोटे संघ राज्य क्षेत्रों अथवा कुछ अन्य राज्यों के जिलों से किया गया था जहां उपरिव्यय और प्रशासनिक अवसंरचना का सृजन आवश्यक था जो उनके संसाधन आधार के अनुपात से अधिक था।

(ग) वर्तमान में 11 विशेष श्रेणी राज्य है नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा व उत्तराखंड। विशेष श्रेणी के दर्जे (एससीएस) का मुद्दा सर्वप्रथम राष्ट्रीय विाकस परिषद् की अप्रैल, 1969 में हुई बैठक में गाडगिल फार्मूला के अनुमोदन के समय लाया गया जहां असम, जम्मू व कश्मीर तथा नागालैंड को विशेष महत्व दिया गया था। विभिन्न अन्य राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा उनके राज्य बनने पर दिया गया अर्थात् 1970-71 में हिमाचल प्रदेश, 1971-72 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 1975-76 में सिक्किम 1986-87 में अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम तथा 2001-02 में उत्तराखंड।

(घ) और (ङ) विशेष श्रेणी दर्जा का अनुरोध पूर्व में ओडिशा, राजस्थान, गोवा और बिहार राज्य सरकारों से प्राप्त हुआ है। ओडिशा, गोवा व राजस्थान के मामले में इन अनुरोधों पर विचार करना संभाव्य नहीं पाया गया। बिहार के एक दल ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के संबंध में प्रधानमंत्री को जुलाई, 2011 में एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन पर विचार करने हेतु 8 सितम्बर, 2011 को एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

*39. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां ताप विद्युत संयंत्रों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से तैयार करारों/वार्षिक अनुबंधों में निश्चित मात्रा के अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के उपभोक्ताओं को कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य-वार कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है एवं इन उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला कंपनियां ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के माध्यम से विद्युत उपयोगिताओं तथा अन्य विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति कर रही हैं। केवल कुछ

विद्युत गृहों के संबंध में, जो 01.04.2009 के पश्चात् आरंभ की गई है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार, वार्षिक आधार पर अल्पावधि समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति की जा रही है।

सीआईएल के स्रोतों से विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति कुल मिलाकर एफएसए/एमओयू के अंतर्गत प्रतिबद्ध मात्रा का लगभग 90% है जिसे नीचे दिए गए ब्यौरों से देखा जा सकता है:—

(आंकड़े मिलियन टन)

वर्ष	विद्युत उपयोगिताएं			विद्युत उपयोगिताओं के अलावा क्षेत्र		
	एफएसए/एमओयू के अंतर्गत प्रतिबद्ध मात्रा	प्रेषण	उत्पादन	एफएसए/एमओयू के अंतर्गत प्रतिबद्ध मात्रा	प्रेषण	उत्पादन
2009-10	315.37	298.32	95%	84.18	72.22	86%
2010-11	338.82	304.30	90%	86.69	71.97	83%
(अप्रैल-अक्तूबर, 2011 अनंतिम)	187.07	165.43	88%	53.80	40.26	75%

आपूर्ति बेहतर हो सकती थीं यदि समय-समय पर, विशेषकर झारखंड और ओडिशा में कानून और व्यवस्था की समस्याएं कोयले की ढुलाई और वैगनों के लदान को प्रभावित न करतीं तथा अधिकतम उत्पादन के महीनों (नवम्बर से मार्च) के दौरान कुछ कोयला क्षेत्रों में वैगनों की उपलब्धि में बाधाएं न आतीं। चालू वर्ष के दौरान भारी वर्षा के कारण आपूर्तियां गंभीर रूप से प्रभावित हुईं जिससे वर्ष की दूसरी तिमाही में ढुलाई और वैगनों का लदान प्रभावित हुआ। कुछ विद्युत गृहों पर कोयला उतारने की बाधाओं तथा महाजेनको पावर स्टेशनों द्वारा निजी वाशरियों के माध्यम से उठाना रोके जाने के कारण भी प्रेषण बाधित हुआ।

(ग) और (घ) कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसी कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य में स्थित विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का अनुरोध किया है। कोयला मंत्रालय का अंतर-मंत्रालयी उप समूह पूरे देश में सभी विद्युत संयंत्रों के कोयला स्टॉक की स्थिति की समीक्षा करता है और जहां स्टॉक 7 दिन से कम होता है अपने कोयला स्टॉक में सुधार करने के लिए सुझाव देता है/उपायों को मॉनीटर करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला प्रेषणों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

सीआईएल स्रोतों से कोयले का राज्य-वार प्रेषण

(आंकड़े मिलियन टन)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	16.27	12.42	13.05
असम	0.24	0.28	0.24
बिहार	8.99	11.60	12.35
छत्तीसगढ़	45.66	52.20	53.56
दिल्ली	7.31	5.22	3.93
गुजरात	20.02	19.41	19.76
हरियाणा	9.92	11.35	13.55
हिमाचल प्रदेश	0.69	0.66	0.65
जम्मू और कश्मीर	0.12	0.16	0.13

1	2	3	4
झारखंड	18.10	20.50	22.66
कर्नाटक	4.87	3.68	3.57
मध्य प्रदेश	41.01	41.15	40.18
महाराष्ट्र	43.27	42.85	41.49
ओडिशा	45.56	57.83	60.18
पंजाब	7.96	7.37	6.33
राजस्थान	16.96	16.82	17.65
तमिलनाडु	13.84	13.24	12.68
उत्तर प्रदेश	0.47	0.68	0.75
उत्तराखंड	0.47	0.68	0.75
पश्चिम बंगाल	36.22	34.14	35.52
अन्य	0.61	0.70	
कुल	400.73	415.22	423.79

(ङ) सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा वैगन की आवश्यकता के अनुरूप ढुलाई क्षमता में वृद्धि की गयी है। सीआईएल ने रेल-कोल इंटरफेस के फोरम के माध्यम से वर्ष 2011-12 को "उठान" वर्ष होने का निर्णय लिया है और रेलवे सीआईएल के स्टॉक परिसमापन के सुचारू बनाने हेतु के वैगनों की आपूर्ति करने के वास्ते सहमत हो गया है ताकि कोयला उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

परमाणु विद्युत केन्द्रों की जीवनावधि

***40. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन परमाणु विद्युत केन्द्रों की जीवनावधि समाप्त होने वाली है;

(ख) इन विद्युत केन्द्रों से उत्पन्न होने वाली रेडियोधर्मिता के खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरन किन-किन परमाणु विद्युत केन्द्रों में रेडियोधर्मिता के रिसाव की घटनाएं हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के समीप रहने वाले परिवारों पर रेडियोधर्मिता के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई ध्ययन कराया है या कराने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) राजस्थान में रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 नामक केवल एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर है जिसे नियामक संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विस्तारित अवधि के अंतर्गत शट-डाउन किया हुआ है। अन्य सभी 19 प्रचालन रिएक्टरों का कार्यकाल उनकी अपनी-अपनी निर्धारित अवधि तक है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के निरंतर प्रचालन के लिए प्राधिकार की पुनरीक्षा आवधिक रूप से करता है और निर्धारित अवधि के लिए प्रचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करता है।

(ख) प्रचालनरत किसी नाभिकीय विद्युत संयंत्र से विकिरणसक्रियता के फैलने का कोई खतरा नहीं है। इन संयंत्रों में, विकिरणसक्रियता की किसी बड़ी मात्रा के उन्मुक्त होने की स्थिति में, इनके डिजायन की विशिष्टताओं, प्रचालन प्रक्रियाओं और नियामक नियंत्रक के रूप में पर्याप्त सुरक्षोपाय किए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, रिसाव की कोई घटना नहीं हुई है और विकिरणसक्रियता की मात्रा कभी भी परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक विसर्जित नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निकट रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जानपदिक-रोगविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किए गए हैं। ख्याति प्राप्त मेडिकल कॉलेजों द्वारा उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है जहां ये संयंत्र अवस्थित है और इनका विश्लेषण टाटा स्मारक केंद्र जोकि भारत में कैंसर का एक अग्रणी

अनुसंधान संस्थान है, द्वारा किया गया है। इन सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के प्रचालन से, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निकट रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।

यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि संयंत्र की सीमा के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति को पृष्ठभूमि विकिरण की मात्रा के अतिरिक्त विकिरण की जितनी मात्रा मिलती है, वह 0.42 –39.60 μSv/प्रतिवर्ष (2010) के बीच है जबकि इसकी तुलना में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् द्वारा निर्धारित सीमा 100 μSv/प्रतिवर्ष है। यह मात्रा उस सीमा के भीतर ही है जोकि अंतर्राष्ट्रीय विकिरणकीय संरक्षा आयोग (आईसीआरपी) द्वारा निर्धारित की गई है। तुलना के लिए, प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण के कारण जन-सामान्य के किसी सदस्य को मिलने वाली औसतन मात्रा 2400 μSv/प्रतिवर्ष है।

(च) पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्रों में विकिरणसक्रियता का मॉनीटरन करने और निकटवर्ती जलाशयों, भौम-जल, आहार-शृंखला जिसमें दूध, पशु-उत्पाद, फल, सब्जियां और मछली शामिल हैं, का विकिरणकीय सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि विकिरणसक्रियता का स्तर परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

पेंशन में संशोधन

231. **श्री सी.आर. पाटिल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संशोधित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है; और

(घ) पेंशन संशोधन हेतु नियत मानदंडों का ब्यौरा क्या है और इससे प्रत्येक पेंशन धारक को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) जी, हां, केन्द्र सरकार के 2006 से पूर्व के सिविल पेंशनभोगियों की पेंशन को 01.01.2006 से संशोधित करने हेतु अनुदेश, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 01.09.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2008-पी एण्ड पीडब्ल्यू(ए) के तहत जारी किए गए थे। इन आदेशों में, संशोधित पेंशन और पेंशन वितरण प्राधिकारियों द्वारा पिछली बकाया राशि के 40 प्रतिशत की प्रथम किश्त का भुगतान 30 सितंबर, 2008 तक किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस तारीख को बाद में दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2008 पी एण्ड पीडब्ल्यू(ए) के तहत 30 नवंबर, 2008 तक बढ़ा दिया गया था। पेंशन की शेष 60 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान, 30 सितंबर, 2009 तक किए जाने के संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 25.08.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28.37.2008 पी एण्ड पीडब्ल्यू (ए) के तहत आदेश दिया गया था।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित आदेशों में यह प्रावधान किया गया था कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन निम्नलिखित को एक साथ जोड़कर 1 जनवरी, 2006 से समेकित की जाए:—

(i) दिनांक 31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार पेंशन/कुटुम्ब पेंशन

(ii) महंगाई पेंशन, जहां कहीं लागू हो

(iii) एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) औसत सूचकांक 536 (आधार वर्ष 1982 = 100) तक महंगाई राहत अर्थात् मूल पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के 24 प्रतिशत की दर से तथा अनुज्ञेय मंहगाई पेंशन।

(iv) मौजूदा पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के 40 प्रतिशत की दर से फिटमेंट वेटेज।

इन आदेशों में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि संशोधित पेंशन किसी भी मामले में उस पूर्व संशोधित वेतनमान जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है, के तदनुरूपी वेतन बैंड और ग्रेडवेतन के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एचएजी और उससे ऊपर के वेतनमानों के मामले में यह संशोधित वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी।

[अनुवाद]

कर्मचारियों के लिए सेवान्त लाभ

232. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा के दौरान शारीरिक रूप से अशक्त होने वाला सरकारी कर्मचारी सेवान्त लाभ पाने का हकदार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धाराओं के तहत मानसिक बीमारी अथवा विलम्बन 'अशक्तता' शब्द के अंतर्गत आते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) कोई सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 38 के अंतर्गत उस स्थिति में 'इनवैलिड पेंशन' का पात्र होता है, जब वह सेवा से किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक अपंगता के कारण सेवानिवृत्त होता है जिससे वह सेवा करने के लिए स्थायी तौर पर अक्षम हो गया हो। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में उस स्थिति में सरकारी कर्मचारी को पदमुक्त किए जाने पर मासिक पेंशन के रूप में अवार्ड प्रदान किएजाने का प्रावधान है जब सरकारी सेवक की अपंगता, सरकारी सेवा के कारण हुई स्वीकार की जाती है और यदि सरकारी सेवा और अपंगता के बीच एक आकस्मिक संबंध है।

(ग) और (घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 29(i) के अनुसार अपंगता में 'मदंबुद्धि' और मानसिक अस्वस्थंता शामिल है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वीजा क्षेत्र को उदार बनाना

233. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चैक गणराज्य बिजनेस वीजा रैजीम को उदार बनाने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) चैक गणराज्य के साथ व्यापार वीजा व्यवस्था के उदारीकरण के लिए कोई विशेषकरार नहीं किया गया है।

समाज कल्याण योजना का विलय

234. **श्री एल. राजगोपाल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को समाज कल्याण संबंधी कुछ उन योजनाओं को मिलाने की योजना है जिनका उद्देश्य एक जैसा है और क्या इस बारे में एक समिति गठित की जा चुकी है।

(ख) यदि हां, तो मिलाने हेतु प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विलय से इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) योजना आयोगने श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की ताकि सीएसएस के लचीलेपन, स्केल और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए इसके पुनर्गठन की जांच की जा सके। उप-समिति ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उप-समिति ने 147 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को 59 स्कीमों में मिलाकर तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है। उप-समिति द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे-वार युक्तिकरण को संलग्न विवरण में दिया गया है। उपसमिति ने नोट किया कि अत्यधिक लचीलेपन और कुछ मामलों में स्कीमों के आमेलन के कारण परिष्कृत अभिसरण के प्रावधान से अधिक प्रभावी कार्यान्वयन होगा। इस रिपोर्ट को सभी मुख्यमंत्रियों को उनकी राय हेतु परिचालित कर दिया गया है और सुझाव हेतु योजना आयोग की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

विवरण

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का प्रस्तावित पुनर्गठन

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	मौजूदा स्कीमों की संख्या	सीएसएस समिति द्वारा प्रस्तावित स्कीम (आमेलन/पुन:डिजाइन)
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	13	6
2.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	15	3
3.	वाणिज्य विभाग	1	1
4.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	1	1
5.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	8	4
6.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	11	5
7.	आयुष विभाग	3	1
8.	एड्स नियंत्रण विभाग	1	1
9.	गृह मंत्रालय	4	1
10.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2	2
11.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	17	6
12.	उच्च शिक्षा विभाग	2	1
13.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	13	2
14.	कानून और न्याय मंत्रालय	1	1
15.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	4	1
16.	पंचायती राज मंत्रालय	2	1
17.	ग्रामीण विकास विभाग	6	4
18.	भूमि संसाधन विभाग	3	2
19.	पेयजल आपूर्ति विभाग	2	2

1	2	3	4
20.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	2	1
21.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	13	5
22.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2	1
23.	टेक्सटाइल मंत्रालय	2	2
24.	पर्यटन मंत्रालय	1	केंद्रीय क्षेत्रक को हस्तांरित
25.	जनजातीय मामले मंत्रालय	4	1
26.	शहरी विकास मंत्रालय	2	जेएनएनयूआरएन में आमेलित
27.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	9	3
28.	युवा मामले विभाग	1	केंद्रीय क्षेत्रक को हस्तांरित
29.	खेलकूद विभाग	1	1
	कुल	147	59

अपराधियों का प्रत्यर्पण

235. **श्री के. सुगुमार : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विभिन्न सरकारों से उन व्यक्तियों के प्रत्यर्पण हेतु अनेक अनुरोध किए हैं जिन्होंने विगत तीन वर्षों में कथित रूप से भारत में अपराध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उक्त देशों ने इस बारे में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) भारत ने अभी तक किन-किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में कथित रूप से अपराध करने वाले व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन के लिए वर्ष 2009, 2010 और 2011 में विभिन्न देशों को क्रमशः 01(एक), 05(पांच) और 09(नौ) मांग पत्र भेजे गए थे।

(ग) भारत की निम्नलिखित देशों के साथ प्रत्यावर्तन संधि लागू है:—

बेलजियम, नेपाल, कनाडा, द नीदरलैण्ड, यूनाईटेड किंगडम, स्विट्रलैंड, भूटान, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, उजबेकिस्तान, स्पेन, टर्की, मंगोलिया, जर्मनी, ट्यूनिशिया, कोरिया गणराज्य, ओमान, फ्रांस दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, पोलैण्ड, युक्रेन, बुलगारिया, कुवैत, बेलारूस, मॉरिशस, पुर्तगाल, मैक्सिको, तजाकिस्तान, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, सऊदी अरब और मिस्र।

जनजातीय क्षेत्रों में अध्यापकों की नियुक्ति

236. **श्री बिभू प्रसाद तराई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध होने, और उनके द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन भेजने के बावजूद जनजातीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लगभग सभी अध्यापक गैर-जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों मे जनजातीय अध्यापकों की संख्या बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संस्वीकृत अध्यापकों के पदों के संबंध में अध्यापकों की भर्ती संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस संबंध में उनके नियमों, विनियमों और नीति के अनुसार की जाती है।

केन्द्रीय विद्यालयों तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति अधिसूचित भर्ती नियमों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार संपूर्ण देश से की जाती है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में प्रति स्कूल एक अतिरिक्त भाषा अध्यापक (जनजातीय भाषा) प्रदान करने का भी प्रावधान है।

किरणन प्रौद्योगिकी

237. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किरणन प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य संरक्षण के क्षेत्र में किरणन से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का पता लगाने हेतु कोई अनुसंधान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष देश में राज्य-वार सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में कितने विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए; और

(च) देश में इस सुविधा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, विकिरण की सहायता से खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने और उन्हें स्वास्थ्यकर बनाने की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले 50 से अधिक वर्षों से अनुसंधान और विकास कार्यों में लगा हुआ है। इस प्रौद्योगिकी के सुरक्षित होने और स्वास्थ्यकर होने की पुष्टि वर्ष 1981 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य तथा कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसे विश्व स्तर के संगठनों और वर्ष 1983 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जोकि खाद्य पदार्थों के लिए विश्व स्तरीय मानक निर्धारित करता है, द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने, भारत में खाद्य पदार्थों के किरणन के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का निरीक्षण करने के लिए वर्ष 1987 में एक राष्ट्रीय मॉनीटरिंग एजेंसी का गठन किया था। बाद में, वर्ष 1991 में, परमाणु ऊर्जा अधिनियम को संशोधित किया गया था और परमाणु ऊर्जा (खाद्य पदार्थों के किरणन का नियंत्रण) नियम, 1991 स्थापित किए गए थे। बाद में इन नियमों को वर्ष 1996 में संशोधित किया गया था। वर्ष 1994 में, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने, प्याज, आलू तथा मसालों का विकिरण द्वारा संसाधन करने को अनुमोदित करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम के नियमों को संशोधित किया था। अतिरिक्त खाद्य पदों को अनुमोदित करने के लिए वर्ष 1998 और 2001 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के नियमों को और आगे संशोधित किया गया था। विकिरण संसाधन के लिए व्यापक आनुवंशिक/श्रेणी-वार आधार पर खाद्य तथा कृषि उत्पादों के संबंध में अनुमोदन के लिए विभाग द्वारा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्पर्क किया गया, ताकि, विकिरण संसाधन संयंत्र और अधिक कृषि उत्पादों को संसाधित कर सकें तथा बेहतर आर्थिक लाभ के लिए उनका प्रचालन पूरे वर्ष किया जा सके। श्रेणी आधार पर आनुवंशिक अनुमोदन के लिए मसौदा अधिसूचना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मई, 2007 में जनता द्वारा पुनरीक्षा के लिए प्रकाशित किया गया था। परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अधीन परमाणु ऊर्जा (खाद्य पदार्थ किरणन नियंत्रण) नियम, 1996 की वर्तमान में इसी मंशा से पुनरीक्षा की जा रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग ने भी,

चिकित्सीय बूटियों और सूत्रणों के रोगाणुक विसंदूषण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दे दी है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के पास विकिरण संसाधन संयंत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और जानकारी है। विभाग ने दो प्रौद्योगिकी प्रदर्श यूनिटों की स्थापना की है, एक को मुख्यत: मसालों के स्वास्थ्यकरण के लिए उच्च मात्राके किरणन हेतु वाशी, नवी मुंबई में, वर्ष 2000 में कमीशन किया गया था, और दूसरे को, वर्ष 2002 में आलू तथा प्याज के भंडारण के दौरान अंकुरण को रोकने के तथा कृषि उत्पादों के विग्रसन के लिए नासिक के निकट लासल गाँव में एक निम्न मात्रा किरणन सुविधा, 'कृषक' के रूप में चालू किया गया था। इन सुविधाओं का प्रचालन विकिरण तथा आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2004 में विभाग के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के कृषि तथा सहकार मंत्रालय ने, पादप संपर्क रोध विनियमनों, पादप संपर्क रोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश 2003 को संशोधित किया था ताकि किरणन को पादपस्वच्छता उपचार के रूप में शामिल किया जा सके। वर्ष 2006 में संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग और भारत के कृषि तथा सहकार विभाग ने, संयुक्त राज्य अमरीका को आम का निर्यात करने के लिए किरणन को एक पादपस्वच्छता उपाय के रूप में उपयोग में लाने हेतु एक फ्रेमवर्क इक्विवेंलेंसी वर्क-प्लान पर हस्ताक्षर किए थे, और यूएसडीए-एपीएचआईएस अंतिम नियम 'भारत से आमों का आयात' 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित किया गया था। आमों की 157 टन से अधिक विभिन्न किस्मों को 'कृषक' में संसाधित किया गया था और उन्हें 18 वर्ष के अंतराल के बाद संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किया गया था। इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे संपर्क रोध प्रतिबंध को हटाने और बाजार तक पहुंच हासिल करने के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी की वाणिज्यिक संभाव्यता को प्रमाणित करने के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई थी। वर्ष 2008 में, संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाने वाले आमों के निर्यात की मात्रा लगभग दो गुणा अर्थात् 275 टन हो गई थी। वर्ष 2009 में, लगभग 130 टन आमों को संसाधित किया गया था और उन्हें संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किया गया था। आमों को जहाज द्वारा भेजने की संभाव्यता का परीक्षण करने के लिए किरणित आमों की 14.5 टन की एक परीक्षण खेप संयुक्त राज्य अमरीका को समुद्र मार्ग से भेजी गई है ताकि भाड़ा लागत को कम किया जा सके और भारतीय आम की लागत को संयुक्त राज्य अमरीका के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। इस 'कृषक' सुविधा का वाणिज्यिक रूप से उपयोग महाराष्ट्र राज्य विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी) द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र/विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड और महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बीच किएगए एक त्रि-पक्षीय समझौता-ज्ञापन के अधीन किया जा रहा है, और इसे संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किए जाने वाले आम के किरणन के लिए अनुमोदित किया गया है। इस सुविधा को, अपने उत्पादों की रेंज बढ़ाने के लिए हाल ही में अपग्रेड किया गया है। महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पिछले दो वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका को करीब 200 टन आमों का निर्यात किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसाकि भाग (ख) में बताया गया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में खाद्य प्रौद्योगिकी प्रभाग (एफटीडी), वर्ष 1950 से लेकर विकिरण की सहायता से खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों के परिरक्षण और उन्हें स्वास्थ्यकर बनाने की प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान तथा विकास कार्य में लगा हुआ है। प्रारंभ के दो दशक विकिरण प्रौद्योगिकी को काम में लाकर प्राथमिक कृषि तथा बागवानी संबंधी उत्पादों का परिरक्षण करने के संबंध में प्रयोगशाला अनुसंधान पर लगाए गए। इसके बाद भारतीय खाद्यनिगम और नेफेड (अब एनएचआरडीएफ) जैसी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर अध्ययन किए गए। बीच की अवधि में, किरणित खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्यकर होने और उसकी पौष्टिक उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए उल्लेखनीय अनुसंधान कार्य किया गया था ताकि किरणित खाद्य पदार्थों के उपभोग से संबद्ध सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधन किया जा सके। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और विश्वभरा में किए गए सभी अध्ययनों में किरणित खाद्य पदार्थों के उपभोग के कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखे गए। इन सभी अध्ययनों जिनमें भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन भी शामिल हैं, के परिणामस्वरूप इस प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर अनुमोदन प्राप्त हुआ।

यह विभाग इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करने में निरंतर लगा हुआ है। पिछले दशक में, खाद्य पदार्थों की निधानी आयु को बढ़ाने, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को बेहतर बनाने, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संगरोध प्रतिबंधों से निपटने के लिए कई नए उत्पाद और प्रक्रियाएं विकसित किए गए हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में किसी विकिरण संसाधन संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है। विभाग ने दो प्रौद्योगिकी प्रदर्श संयंत्रों की स्थापना की है, एक मसालों और सूखे पदार्थों के रोगाणुक विसंदूषण जैसे उच्च मात्रा अनुप्रयोगों के लिए वाशी, नवी मुंबई में वर्ष 2000 में शुरू किया गया था, और दूसरा प्याजों तथा आलुओं में अंकुरण को रोकने, खाद्यान्नों के विग्रसन

और संगरोध उपचार जैसे निम्न मात्रा के अनुप्रयोगों के लिए वर्ष 2002 में महाराष्ट्र में नासिक के निकट लासल गाँव में चालू किया गया था। तब से विभाग ने निजी उद्यमियों को ऐसी सुविधाओं की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए विकिरण संसाधन संयंत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

महाराष्ट्र : 2

हिन्दुस्तान एग्रो कोऑपरेटिव लिमिटेड, राहुड़ी, अहमदनगर (2011)

एग्रो सर्ज इरेडिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (2009)

कर्नाटक : 2

इनोवा एग्री बॉयोपार्क लिमिटेड, बेंगुलुरु (2011)

माइक्रोट्रॉल स्टरलाइजेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगुलुरु (2009)

राजस्थान : 1

झुंसन्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी, राजस्थान (2010)

(च) परमाणु ऊर्जा विभाग के पास विकिरण संसाधन संयंत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और जानकारी है। विभाग विकिरण संसाधन सुविधाओं को स्थापित करने में रुचि रखने वाले उद्यमियों को, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी संबंधी पहलुओं के बारे में परामर्श देकर सहायता कर रहा है। जबकि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता प्रदान करता है, विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड कोबाल्ट-60 स्रोत की आपूर्ति करता है और अभियांत्रिकी, मात्रामिति और नियामक पहलुओं के संबंध में परामर्श देता है। उद्यमियों को इस प्रयोजन के लिए विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। वित्तीय सहायता सरकार की, योजना तथा कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय (एमओपीपीआई) और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) जैसी अन्य एजेंसियों से उपलब्ध होती है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

238. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक केन्द्रीय विद्यालय विभिन्न कक्षाओं में पर्याप्त संख्या में छात्रों को दाखिल नहीं कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ केन्द्रीय विद्यालयों को उनकी क्षमता से अधिक संख्या में दाखिले के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) सूचना केन्द्रीय विद्यालय संगठन से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रायपुर हवाईअड्डे के नाम में परिवर्तन

239. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रायपुर के माना हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके "स्वामी विवेकानन्दजी" हवाईअड्डा रखने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) रायपुर में माना हवाईअड्डे को पुनर्नामकरण करके "स्वामी विवेकानन्द जी" हवाईअड्डा किए जाने पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श चल रहा है।

पॉलिटैक्निक्स स्थापित करना

240. श्री जगदीश ठाकोर :
श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखंड और गुजरात राज्यों सहित देश में स्थापित अथवा स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित पॉलिटैक्निक्स की संख्या क्या है;

(ख) उक्त पॉलिटैक्निक्स किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे;

(ग) इस प्रयोजनार्थ विगत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में कितनी राशि संस्वीकृत और जारी की गई;

(घ) उक्त पॉलिटैक्निक्स की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) राज्यों के पिछड़े जिलों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु विशेष बल देने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाए किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) (क) से (ङ) "कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलीटेक्नीकों से संबंधित उप-मिशन" योजना के अंतर्गत इस मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने और 100 प्रतिशत आवर्ती व्यय को वहन करने के अध्यधीन उत्तराखंड राज्य में एक तथा गुजरात राज्य में पांच सहित देश के 277 असेवित तथा अल्पसेवित जिलों में नए पॉलीटेक्नीकों की स्थापना हेतु राज्य/संघ राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन 277 जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए जारी वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:—

वर्ष	जारी निधि (रुपए करोड़ में)
2008-09	105.99
2009-10	451.00
2010-11	510.00
2011-12	426.00

ये पॉलीटेक्नीक निर्माण और भूमि के प्रावधान के विभिन्न चरणों में हैं। इस योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऐसे जिलों, जिनमें न तो कोई सरकारी पॉलीटेक्नीक है अथवा जहां जनसंख्या के प्रति लाख पर डिप्लोमा सीटों की उपलब्धता 10 सीट से कम है, में नए पॉलीटैक्नीकों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

अब तक शामिल 277 असेवित तथा अल्पसेवित जिले

क्र.सं.	जिले
1	2
	जम्मू और कश्मीर
1.	कुपवाड़ा
2.	बारामुला
3.	बड़गाम
4.	पुलवामा
5.	अनंतनाग
6.	डोडा
7.	उधमपुर
8.	पुंछ
9.	राजौरी
10.	कठुआ
11.	बंदीपोरा
12.	गंदरबल
13.	कुलगाम
14.	शोपियन
15.	रामबन
16.	किश्तवाड़
17.	रेसी
18.	सांबा
	हिमाचल प्रदेश
19.	लाहौर और स्पीति
20.	कुल्लू
21.	बिलासपुर
22.	कन्नौर
23.	सिरमौर

1	2
	उत्तर प्रदेश
24.	कन्नौज
25.	औरय्या
26.	कौशांबी
27.	श्रावस्ती
28.	बलरामपुर
29.	सिद्धार्थनगर
30.	संत कबीर नगर
31.	महाराजगंज
32.	कुशीनगर
33.	संत रविदास नगर (भदोही)
34.	कानपुर देहात
35.	एटा
36.	सोनभद्र
37.	ज्योतिबा फुले नगर
38.	हमीरपुर
39.	चित्रकूट
40.	बिजनौर
41.	मुरादाबाद
42.	रामपुर
43.	आगरा
44.	फिरोजाबाद
45.	मेनपुरी
46.	बदायूं

1	2
47.	पीलीभीत
48.	शाहजहांपुर
49.	खीरी
50.	हरदोई
51.	उन्नाव
52.	फतेहपुर
53.	प्रतापगढ़
54.	बाराबंकी
55.	अम्बेडकर नगर
56.	बहराइच
57.	बस्ती
58.	देवरिया
59.	गाजीपुर
60.	वाराणसी
61.	मिर्जापुर
62.	गोंडा
63.	आजमगढ़
64.	बलिया
	बिहार
65.	पश्चिम चंपारण
66.	पूर्वी चंपारण
67.	सिहौर
68.	सीतामढ़ी
69.	मधुबनी

1	2
70.	सुपौल
71.	अरेरिया
72.	कटिहार
73.	मधेपुरा
74.	सीवान
75.	वैशाली
76.	समस्तीपुर
77.	खगडिया
78.	बांका
79.	मुंगेर
80.	लखीसराय
81.	शेखपुरा
82.	नालंदा
83.	भोजपुर
84.	बक्सर
85.	केमपुर (भाभुआ)
86.	रोहतास
87.	जहानाबाद
88.	औरंगाबाद
89.	नवादा
90.	जमुई
91.	अरवल
92.	किशनगंज
93.	दरभंगा

1	2
94.	गोपालगंज
95.	सारन
96.	बेगुसराय
97.	भागलपुर
98.	गया
	सिक्किम
99.	उत्तरी जिला
100.	पश्चिमी जिला
	अरुणाचल प्रदेश
101.	पश्चिम कामेंग
102.	लोअर सुबानसिरी
103.	पूर्वी सियांग
104.	लोहित
105.	कुरंग कुमे
106.	अनजाव
107.	लोअर दिबांग वैली
	नागालैंड
108.	मोन
109.	तुएनसंग
110.	वोखा
111.	दीमापुर
112.	फेक
	मिजोरम
113.	मामित

1	2
114.	कोलासिब
115.	चंफई
116.	सरछिप
117.	लौंगतलाई
118.	सैहा
	मणिपुर
119.	सेनापति
120.	बिष्णुपुर
	त्रिपुरा
121.	दक्षिणी त्रिपुरा
122.	धलाई
123.	उत्तरी त्रिपुरा
	मेघालय
124.	पूर्वी गारो हिल्स
125.	दक्षिणी गारो हिल्स
126.	पश्चिमी खासी हिल्स
127.	री भोई
	असम
128.	धुबरी
129.	गोलपारा
130.	बारपेटा
131.	नालबाडी
132.	दरांग
133.	मारीगांव
134.	सोनितपुर
135.	लखीमपुर
136.	धेमाजी
137.	तिनसुकिया
138.	सिबसागर
139.	नॉर्थ कछार हिल्स
140.	करीमगंज
141.	हैलाकंडी
142.	उदलगिरी
143.	चिरांग
144.	बस्का
145.	कामरूप रूरल
146.	नागांव
147.	गोलाघाट
148.	कारबी अंगलोंग
	पश्चिम बंगाल
149.	दक्षिण दीनाजपुर
150.	जलपाईगुड़ी
151.	उत्तर दीनाजपुर
152.	मालदा
153.	बीरभूम
154.	नादिया
155.	नार्थ चौबीस परगना
156.	बांकुरा

1	2
157.	पुरूलिया
158.	मेदिनीपुर
159.	साऊथ चौबीस परगना
	झारखंड
160.	गढ़वा
161.	हजारीबाग
162.	गिरीडीह
163.	देवघर
164.	गोड्डा
165.	साहिबगंज
166.	पाकौर
167.	लोहारदागा
168.	गुमला
169.	पश्चिमी सिंहभूम
170.	चतरा
171.	पलामू
172.	जमतारा
173.	खूंटी
174.	रामगढ़
175.	सिमडेगा
176.	दुमका
	ओडिशा
177.	संबलपुर
178.	देबगढ़

1	2
179.	केन्द्रापाड़ा
180.	जगतसिंहपुर
181.	जाज़पुर
182.	नयागढ़
183.	पुरी
184.	गजपति
185.	बौद्ध
186.	सोनपुर
187.	नुआपाड़ा
188.	कालाहांडी
189.	नवरंगपुर
190.	मल्कानगिरी
191.	अंगुल
192.	मयूरभंज
193.	बोलनगीर
194.	बारागढ़
195.	कोरापुट
196.	भद्रक
197.	बालासौर
198.	कंधमाल
	छत्तीसगढ़
199.	कोरिया
200.	जशपुर
201.	कांकेर

1	2
202.	दांतेवाड़ा
203.	नारायणपुर
204.	बीजापुर
205.	सरगुजा
206.	जांजगीर-चंपा
207.	बिलासपुर
208.	रायपुर
209.	बस्तर
	मध्य प्रदेश
210.	शियोपुर
211.	दतिया
212.	शिवपुरी
213.	रेवा
214.	उमरिया
215.	मंदसौर
216.	शाजापुर
217.	देवास
218.	रायसेन
219.	कटनी
220.	डिंडोरी
221.	अनूपुर
222.	अलीराजपुर
223.	सिधी
224.	विदिशा
225.	टीकमगढ़
226.	पन्ना
227.	बारवानी
228.	राजगढ़
229.	शिहोर
230.	होशंगाबांद
	गुजरात
231.	नर्मदा
232.	तापी
233.	जूनागढ़
234.	खेड़ा
235.	नवसारी
	दमन और दीव
236.	दीव
	हरियाणा
237.	यमुना नगर
238.	कुरूक्षेत्र
239.	फतेहाबाद
240.	पंचकुला
241.	कैथल
242.	पानीपत
243.	रेवाड़ी
	पंजाब
244.	कपूरथला

1	2
245.	नवांशहर
246.	बरनाला
247.	फतेहगढ़ साहिब
248.	मानसा
249.	फरीदकोट
250.	मुक्तसर
	राजस्थान
251.	प्रतापगढ़
252.	नागौर
253.	जालौर
254.	बारन
255.	भीलवाड़ा
256.	बूंदी
257.	दौसा
258.	धौलपुर
259.	डूंगरपुर
260.	हनुमानगढ़
261.	जैसलमेर
262.	झुनझुनू
263.	करौली
264.	टोंक
265.	बांसवाड़ा
	तमिलनाडु
266.	थेनी
267.	तिरूवरूर
268.	विल्लुपुरम
269.	थिरूवन्ननामलाई
270.	धर्मपुरी
271.	कारूर
272.	पेरम्बलूर
	आंध्र प्रदेश
273.	रंगारेड्डी
	लक्षद्वीप
274.	लक्षद्वीप
	उत्तराखंड
275.	पिथौरागढ़
	महाराष्ट्र
276.	अकोला
277.	हिंगोली

[अनुवाद]

राज्य सूचना आयोग का वित्त पोषण करना

241. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सूचना आयोगों के वित्त पोषण हेतु कोई प्रस्ताव अथवा स्कीम तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव/स्कीम सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार चुनाव आयोग की तर्ज पर सूचना आयोगों को वित्तीय स्वायत्तता और स्वतंत्र बजट प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) जी, हां। एक योजनागत स्कीम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी दृष्टि से समर्थ बनाने और जागरूकता सृजन हेतु राज्य सूचना आयोगों (एसआईसीएस) को निधियां प्रदान की गई हैं। फिर भी, एसआईसी भवनों के निर्माण हेतु आंशिक सहायता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसका प्रावधान किया जाना अपेक्षित हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) ने आयोग को और अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

एक समान शुल्क

242. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा स्तर पर एक समान शुल्क लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में एक समान फीस पद्धति लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' में छह से चौदह वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करे। शिक्षा समवर्ती सूची में है और केन्द्र सरकार सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए एक समान फीस पद्धति हेतु जोर नहीं दे सकती है। भारत में विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं और उन्हें प्रदत्त पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए फीस ढांचा निर्धारित करने का अधिकार है। तकनीकी तथा व्यवसायिक कार्यक्रमों के लिए, राज्य फीस निर्धारण समितियों का गठन किया जाता है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए फीस अवसंरचना का निर्धारण करती है।

[हिन्दी]

नगर निगमों/कमिशनरियों (मंडलों) से राज्यों की राजधानियों को जोड़ना

243. **श्री जगदीश सिंह राणा : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और अन्य नगर निगमों/कमिशनरियों (मंडलों) को हवाई मार्ग से राज्य की राजधानियों और राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नगर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि इस समय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्टेशनों से विमान सेवाएं उपलब्ध हैं:—

— आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ तथा वाराणसी।

संबंधित एयरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर घरेलू सैक्टर में प्रचालनों को डि-रेगुलेट और उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खाने की बर्बादी को एक विषय के रूप में स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना

244. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छात्रों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से खाने की बर्बादी को एक विषय के रूप में स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा 2005 में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए सभी विषयों के नए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं। कक्षा III-V के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल छः साझा विषयों में से खाद्य पद्धार्थ भी एक विषय है। 'खाद्य पद्धार्थ' विषय कक्षा VI-X के विज्ञान विषय में भी शामिल है। "खाद्य पद्धार्थ की बर्बादी" से संबंधित विषय सामग्री को स्कूल

शिक्षा के माध्यमिक स्तर (कक्षा I-X) तक एक अनिवार्य विषय के रूप में और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एक ऐच्छिक विषय के रूप में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम में पहले ही शामिल कर लिया गया है और खाद्य पद्धार्थों की बर्बादी से बचने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के लिए दिशानिर्देश तथा दिशा निर्धारित करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा 2005 के आधार पर एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विषयों पर नए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं।

2जी और 3जी आबंटन से राजस्व

245. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में, सर्किल-वार, 2जी और 3जी स्पैक्ट्रम के आबंटन नीलामी से कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) उक्त आबंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार स्पैक्ट्रम खाली कराकर 3जी और 4जी सेवा हेतु इसकी नीलामी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) 2जी स्पैक्ट्रम का आबंटन सेवा लाइसेंस करार के उपबंधों के अनुरूप किया जाता है। 2जी स्पैक्ट्रम के आबंटन हेतु किसी प्रकार का पृथक अपफ्रंट प्रभार नहीं लगाया जा रहा है। तथापि, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के आधार पर स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार संग्रहित किया गया है तथा 2जी (जीएसएम एवं सीडीएमए) हेतु अर्जित स्पैक्ट्रम प्रभारों के संदर्भ में सर्किल-वार एवं वर्ष-वार संग्रहण संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

3जी स्पैक्ट्रम की नीलामी एककालिक आरोही ई-नीलामी के माध्यम से की गई तथा सफल बोलीदाताओं को 3जी स्पैक्ट्रम आबंटित कर दिया गया है। 3जी नीलामी के माध्यम से अर्जित राजस्व का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) मौजूदा प्रयोक्ताओं हेतु 698-806 मेगाहर्ट्ज 2300-2400 मेगाहर्ट्ज तथा 2500-2690 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में स्पैक्ट्रम पुनर्निर्धारण/निर्मुक्ति का कार्य आरंभ किया जा रहा है। यह मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ बातचीत कर रहा है ताकि 4जी जैसी नई सेवाओं की अपेक्षा को पूरा करने के लिए उन्हें वर्तमान में आबंटित स्पैक्ट्रम में परिवर्तन किया जा सके अथवा किसी अन्य माध्यम का उपयोग किया जा सके।

दूरसंचार विभाग 3जी स्पैक्ट्रम की निर्मुक्ति हेतु मौजूदा प्रयोक्ताओं के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहा है।

विवरण-I

स्पैक्ट्रम प्रभार (जीएसएम) का सर्किल-वार एवं वर्ष-वार संग्रहण

सर्किल	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	31,99,83,027	69,95,42,038	1,24,04,55,380	1,88,36,54,256	2,47,27,34,473	2,74,86,60,470	2,65,03,42,833
असम	1,53,06,669	5,77,30,211	20,40,36,762	42,92,38,692	44,91,20,951	52,30,75,110	53,69,41,296
बिहार	5,79,85,499	11,27,30,636	49,87,36,642	86,90,50,154	1,15,15,32,166	1,46,43,63,587	1,72,89,47,900
चेन्नै	16,12,67,869	28,59,85,563	66,17,22,773	75,26,26,411	52,08,18,278	50,28,55,058	32,27,32,014
दिल्ली	87,57,24,015	1,11,32,58,512	1,46,56,62,598	2,22,78,48,953	2,34,53,73,836	2,30,57,90,869	93,13,20,411

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	42,70,40,458	66,13,66,351	98,92,79,017	1,43,63,47,851	1,76,72,69,744	1,83,92,93,854	1,66,87,45,677
हरियाणा	6,12,56,459	18,92,61,975	40,21,04,965	32,65,16,175	56,23,90,297	53,80,79,411	46,87,04,839
हिमाचल प्रदेश	2,11,46,394	6,64,71,685	13,75,56,707	15,29,55,922	20,07,40,109	20,26,10,380	21,35,14,992
जम्मू और कश्मीर	56,73,272	8,09,78,394	19,10,79,886	28,49,65,890	29,87,87,929	31,79,67,310	27,39,89,868
कर्नाटक	37,33,17,696	96,69,12,266	1,23,91,73,780	2,11,70,07,899	2,32,51,93,021	2,40,59,53,550	1,93,18,41,586
केरल	14,65,21,661	34,97,96,700	70,09,79,423	92,55,57,337	1,21,59,77,671	1,29,68,68,755	1,26,08,96,786
कोलकाता	20,57,55,460	34,03,44,599	62,40,21,444	50,99,18,397	74,19,32,708	73,74,00,111	43,20,03,839
महाराष्ट्र	38,21,78,877	74,70,04,257	1,21,42,49,148	1,63,83,89,401	2,19,58,45,342	2,33,26,34,288	2,26,15,18,217
मध्य प्रदेश	10,33,20,209	25,03,77,651	45,47,41,986	85,38,92,745	1,34,60,54,262	1,29,55,47,588	1,34,01,71,426
मुंबई	79,63,54,447	1,06,16,41,995	1,43,35,73,534	2,13,78,99,386	2,07,69,65,064	2,33,84,18,767	1,05,77,97,200
पूर्वोत्तर	14,62,236	4,18,22,323	10,63,19,290	26,05,15,062	27,31,76,356	28,80,29,101	32,72,46,689
ओडिशा	2,06,05,510	7,06,25,384	25,02,66,975,	43,52,56,985	53,73,89,476	67,17,13,125	72,01,42,898
पंजाब	44,61,30,633	57,65,39,508	77,07,69,180	1,28,73,99,967	1,22,43,18,245	1,24,22,30,015	80,27,10,913
राजस्थान	9,25,56,545	22,49,90,433	60,91,52,892	94,11,95,358	1,25,12,05,135	1,47,20,46,660	1,30,20,83,652
तमिलनाडु	18,84,11,130	46,67,23,239	69,61,66,287	1,74,11,05,881	2,52,19,41,099	2,87,52,15,550	2,46,68,62,060
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9,77,38,014	31,96,07,084	96,73,18,583	1,30,43,80,807	1,68,39,34,615	1,25,57,78,581	1,87,11,95,946
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	11,62,33,207	32,33,62,581	78,96,40,385	85,36,10,498	1,13,81,24,996	2,10,22,47,707	95,39,05,951
पश्चिमी बंगाल	1,48,62,879	12,05,42,962	27,53,19,103	50,86,43,255	74,96,19,007	84,36,34,138	91,50,42,666
पीएओ (दूरसंचार विभाग) बीएसएनएल*	0	65,78,00,000	0	0	0	0	0
पीएओ (दूरसंचार विभाग) एमटीएनएल*	0	1,01,85,581	0	0	0	0	0
कुल (रुपए में)	4,93,08,32,166	9,79,56,01,928	15,92,23,26,740	23,87,79,77,282	29,05,04,44,780	31,60,04,13,985	26,43,86,59,659
कुल (करोड़ में)	493,08	979,56	1,592,23	2,387,80	2,905,04	3,160,04	2,643,87

नोट: एमटीएनएल/बीएसएनएल द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान धनराशि जमा कराई गई। इन धनराशियों का सेवा क्षेत्र-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

स्पेक्ट्रम प्रभार (सीडीएमए) का सर्किल-वार एवं वर्ष-वार संग्रहण

सर्किल	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	18,67,08,786	30,17,05,940	566051306	36,60,40,225	36,74,29,132	38,24,26,137
असम	77,03,340	55,53,570	15,16,075	9,89,579	42,98,313	1,25,87,403
बिहार/झारखंड	4,81,35,684	10,81,65,000	19,26,12,757	16,17,05,604	17,18,44,007	15,32,25,702
चेन्नै	7,83,61,848	9,89,55,794	11,60,98,621	2,17,45,699	71,27,481	28,75,446
दिल्ली	22,26,77,950	32,72,79,813	37,32,56,739	34,74,94,864	44,15,80,701	43,62,57,173
गुजरात	16,51,76,674	21,43,12,532	27,09,74,525	17,46,30,194	16,73,78,972	17,68,61,553
हरियाणा	7,34,13,104	10,59,41,281	9,00,94,906	8,36,46,465	8,86,23,436	7,23,81,398
हिमाचल प्रदेश	96,80,442	1,94,03,140	11,37,59,556	2,28,57,295	2,86,22,933	1,76,36,871
जम्मू और कश्मीर	5,65,808	36,18,798	1,01,21,230	45,96,656	79,68,097	1,36,62,103
कर्नाटक	14,24,82,029	20,76,96,049	31,07,02,154	20,19,03,737	23,24,27,574	22,44,36,658
केरल	13,64,89,831	19,15,12,488	18,55,34,566	16,65,17,742	14,03,74,163	13,02,35,893
कोलकाता	7,29,23,967	11,87,36,338	13,34,83,759	11,46,10,541	13,52,29,902	12,69,30,871
महाराष्ट्र	19,26,91,138	32,12,69,014	34,68,73,421	32,65,36,983	26,79,50,851	45,03,31,197
मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़	9,12,36,516	14,97,44,285	34,62,12,598	15,68,66,508	14,76,64,887	14,26,26,008
मुम्बई	24,92,98,175	36,40,91,533	51,32,94,905	45,91,38,490	41,79,74,937	76,56,04,301
पूर्वोत्तर	1,13,346	12,92,837	20,20,875	22,71,919	53,36,185	1,68,94,843
ओडिशा	3,96,67,476	8,17,12,493	8,08,46,639	5,61,42,752	5,45,64,367	4,00,41,673
पंजाब	11,39,14,338	15,59,04,859	17,97,46,998	9,86,86,379	9,93,90,690	9,80,38,056
राजस्थान	11,39,47,604	25,04,83,826	39,59,71,865	17,07,87,969	16,89,11,695	16,23,56,906
तमिलनाडु	11,36,76,973	18,94,61,045	24,12,63,220	22,05,08,637	22,02,32,428	23,46,51,287

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	10,36,06,062	14,10,65,421	18,67,68,253	21,02,84,444	16,39,85,949	17,02,76,550
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)/ उत्तराखंड	8,36,88,530	18,21,74,042	21,60,83,611	19,04,83,508	17,42,36,549	15,36,40,661
पश्चिम बंगाल	31435680	97133697	13,37,82,925	7,88,45,343	8,33,57,537	8,39,57,117
कुल (रुपये में)	2,27,75,95,301	3,63,72,13,795	5,00,70,71,504	3,63,72,91,533	3,59,65,10,786	4,06,79,35,807
कुल (करोड़ रुपये में)	227.76	363.72	500.71	363.73	359.65	406.79

विवरण-III

3जी स्पैक्ट्रम की सर्किल-वार ई-नीलामी के माध्यम से अर्जित राजस्व

सर्किल	अर्जित राजस्व (करोड़ रु. में)	सफल बोलीदाता
1	2	3
दिल्ली	3,316.93	वोडाफोन एस्सार लि.
	3,316.93	भारती एयरटेल लि.
	3,316.93	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	3,316.93	एमटीएनएल
मुंबई	3,247.07	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	3,247.07	वोडाफोन एस्सार लि.
	3,247.07	भारती एयरटेल लि.
	3,247.07	एमटीएनएल
महाराष्ट्र	1,257.82	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
	1,257.82	आइडिया सेल्यूलर लि.
	1,257.82	वोडाफोन एस्सार लि.
	1,257.82	बीएसएनएल
गुजरात	1,076.06	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
	1,076.06	वोडाफोन एस्सार लि.
	1,076.06	आईडिया सेल्यूलर लि.
	1,076.06	बीएसएनएल
आंध्र प्रदेश	1,373.14	भारती एयरटेल लि.
	1,373.14	आईडिया सेल्यूलर लि.
	1,373.14	एयरसेल लि.
	1,373.14	बीएसएनएल
कर्नाटक	1,579.91	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
	1,579.91	एयरसेल लि.
	1,579.91	भारती एयरटेल लि.
	1,579.91	बीएसएनएल
तमिलनाडु	1,464.94	भारती एयरटेल लि.
	1,464.94	वोडाफोन एस्सार लि.

1	2	3
	1,464.94	एयरसेल लि.
	1,464.94	बीएसएनएल
कोलकाता	544.26	वोडाफोन एस्सार लि.
	544.26	एयरसेल लि.
	544.26	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	544.26	बीएसएनएल
केरल	312.48	आईडिया सेल्यूलर लि.
	312.48	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
	312.48	एयरसेल लि.
	312.48	बीएसएनएल
पंजाब	322.01	आईडिया सेल्यूलर लि.
	322.01	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	322.01	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
	322.01	एयरसेल लि.
	322.01	बीएसएनएल
हरियाणा	222.58	आईडिया सेल्यूलर लि.
	222.58	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
	222.58	एयरसेल लि.
	222.58	बीएसएनएल
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	364.57	एयरसेल लि.
	364.57	आईडिया सेल्यूलर लि.
	364.57	वोडाफोन एस्सार लि.
	364.57	बीएसएनएल
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	514.04	भारती एयरटेल लि.
	514.04	आईडिया सेल्यूलर लि.
	514.04	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
	514.04	बीएसएनएल
राजस्थान	321.03	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	321.03	भारती एयरटेल लि.
	321.03	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
	321.03	बीएसएनएल
मध्य प्रदेश	258.36	आईडिया सेल्यूलर लि.
	258.36	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	258.36	टाटा टेलीसर्विसेज लि.
	258.36	बीएसएनएल
पश्चिम बंगाल	123.63	भारती एयरटेल लि.
	123.63	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	123.63	वोडाफोन एस्सार लि.
	123.63	एयरसेल लि.
	123.63	बीएसएनएल
हिमाचल प्रदेश	37.23	भारती एयरटेल लि.
	37.23	एस टेल प्रा. लि.
	37.23	आईडिया सेल्यूलर लि.
	37.23	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	37.23	बीएसएनएल
बिहार	203.46	एस टेल प्रा. लि.

1	2	3
	203.46	भारती एयरटेल लि.
	203.46	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	203.46	एयरसेल लि.
	203.46	बीएसएनएल
ओडिशा	96.98	एस टेल प्रा. लि.
	96.98	एयरसेल लि.
	96.98	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	96.98	बीएसएनएल
असम	41.48	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	41.48	भारती एयरटेल लि.
	41.48	एयरसेल लि.
	41.48	बीएसएनएल
पूर्वोत्तर	42.30	एयरसेल लि.
	42.30	भारती एयरटेल लि.
	42.30	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	42.30	बीएसएनएल
जम्मू और कश्मीर	30.30	आईडिया सेल्यूलर लि.
	30.30	एयरसेल लि.
	30.30	रिलायंस टेलीकॉम लि.
	30.30	भारती एयरटेल लि.
	30.30	बीएसएनएल
कुल राजस्व	67,718.95	

कोयला और लिग्नाइट परियोजनाओं को स्वीकृति

246. **श्री ए. सम्पत :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विगत तीन वर्षों में कितनी कोयला और लिग्नाइट परियोजनाएं स्वीकृत की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार ने उक्त परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की; और

(ग) उक्त अवधि में सरकार ने उक्त परियोजनाओं से कितना राजस्व अर्जित किया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	स्वीकृति परियोजनाओं की संख्या		
	सीआईएल	एनएलसी	एससीसीएल
2009-10	1	—	1
2010-11	—	—	—
2011-12	—	1	—

(ख) समग्र निधि की आवश्यकता को इन कंपनियों के आंतरिक संसाधनों को पूरा किया जाता है।

(ग) ये परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है और राजस्व परियोजनाओं के आरंभ होने पर उपार्जित होगा।

तीर्थस्थलों पर एनआरआई को सुविधाएं

247. **श्री नारनभाई कछाड़िया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का देश के विभिन्न तीर्थस्थलों पर अनिवासी भारतीयों को बेहतर सुविधाएं/कार्यक्रम उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में तीर्थस्थलों पर अनिवासी भारतीयों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का कोई भी प्रस्ताव एवं योजना विदेश मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग

248. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतरिक्ष विज्ञान में देश की प्रगति के किन-किन क्षेत्रों में देशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसी आत्मनिर्भरता से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में मदद मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) स्वदेशी प्रौद्योगिकी का नोदन प्रणाली, नोदक, सामरिक नीति एवं विशेष सामग्री, वायुगतिक संरचना, नौवहन तथा मार्गनिर्देशन प्रणाली, वायुयानिकी, अंतरिक्ष यंत्रीकरण, उड़ान, कम्प्यूटर, निर्माण प्रौद्योगिकी, तापीय नियंत्रण प्रणाली, अंतरिक्ष श्रेणी की विद्युत प्रणाली आदि के क्षेत्रों में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उपयोग में भारत की प्रगति में उपयोग किया गया है। भारत ने अत्याधुनिक उपग्रह, प्रमोचक राकेट तथा संबंधित भू प्रणालियों के डिजाइन, विकास तथा प्राप्ति में स्वदेशी क्षमता का विकास भी कर लिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भरता ने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पीएसएलवी), भू तुल्यकाली प्रमोचक राकेट (जीएसएलवी), भारतीय सुदूर संवेदन (आईआरएस) उपग्रह, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सैट/जीसैट), भारत के प्रथम चन्द्र मिशन – चन्द्रयान-1, अंतरिक्ष पुन:प्राप्ति परीक्षण (एसआरई) तथा अंतरिक्ष उपयोगों के विकास में सहायता की है।

[हिन्दी]

महिला स्व-सहायता समूह

249. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला सशक्तिकरण योजनाओं के अंतर्गत, विशेषकर महाराष्ट्र में तथा राज्य-वार कितने महिला स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन समूहों की राज्य-वार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार एवं राज्य-वार अब तक कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) महिला स्व-सहायता समूहों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कोई योजना नहीं है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि 'स्वयंसिद्धा योजना' नामक एक योजना, जो 31 मार्च, 2008 को समाप्त हो गई थी, के अंतर्गत 69,803 महिला स्व-सहायता समूह गठित किए गए थे जिनमें 10,02,279 लाभार्थी शामिल थीं। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2008 तक महाराष्ट्र में कुल 3,922 महिला स्व-सहायता समूह गठित किए गए थे जिनमें 49,002 लाभार्थी शामिल थीं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट (आईएफएडी) की सहायता से एक प्रमुख परियोजना के रूप में 'प्रियदर्शिनी योजना' (अर्थात् गंगा के मध्यवर्ती मैदानों में महिला सशक्तीकरण एवं आजीविका कार्यक्रम) नामक एक अन्य योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष से शुरू की गई है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पांच जिलों के नौ विकास खंडों तथा बिहार के दो जिलों के चार विकास खंडों को शामिल करके गरीब महिलाओं और किशोरियों का सशक्तीकरण करना है और अब तक 773 स्व-सहायता समूह गठित किए गए हैं।

महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता की योजना के अंतर्गत, ग्रमीण क्षेत्रों की गरीब, विपन्न और उपेक्षित महिलाओं का विभिन्न परंपरागत क्षेत्रों में कौशल स्तरोन्नयन के माध्यम से सशक्तीकरण किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमश: कुल 200, 375 और 2900 लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह एक बड़ा स्वरोजगार कार्यक्रम 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' गरीबों को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करके उन स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण पर बल देती है। स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित करके उन स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण पर बल देती है। स्व-सहायता समूहों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है और इस कार्यक्रम की राजसहायता को बैंक ऋण से जोड़ा गया है ताकि लाभार्थी अपनी पसंद के ऐसे आय सर्जक सूक्ष्म उद्यम शुरू कर सकें जिनके लिए वे अपेक्षित कौशल रखते हों और जिनके लिए उनके क्षेत्र में आगे-पीछे के संपर्क उपलब्ध हों। राज्य-वार सूचियां संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है।

विवरण-I

31 मार्च 2008 तक 'स्वयंसिद्धा' के अंतर्गत राज्य-वार वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	ब्लॉक	लक्षित एसएचजी	गठित एसएचजी	शामिल गांवों की संख्या	एसएचजी सदस्यों की संख्या	बचतकर्त्ता एसएचजी की संख्या	बचत की गई राशि	आंतरिक ऋण देने वाले एसएचजी की संख्या	आंतरिक ऋण की राशि	बैंक खाते वाले समूहों की संख्या	जमा राशि	बैंकों से ऋण लेने वाले एसएचजी	ऋण की राशि	आईजीए करने वाले एसएचजी की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	38	3800	3874	2454	53598	3874	722.57	3874	453.53	3874	444.24	2448	872.43	3874
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	600	600	300	3000	138	9.31	40	7.5	125	7.81	17	7.2	181
3.	असम	24	2400	2400	1200	50000	2400	42	3000	25	2400	89	150	36.54	2400
4.	बिहार	63	6300	6340	2132	86007	6340	731.48	6340	109.25	5916	586.52	2236	806.02	3255
5.	छत्तीसगढ़	17	1700	1620	813	20806	1620	241.87	1572	182.36	1620	126.41	1268	200.99	1412
6.	गुजरात	27	2700	2772	1730	43200	2700	412.49	1505	148.73	2745	287.83	932	106.33	2922
7.	हिमाचल प्रदेश	8	800	969	1099	10994	800	167.78	800	206.91	800	111.43	775	513.82	738
8.	हरियाणा	13	1300	1300	668	18837	1300	526.48	1300	442.24	1300	314.89	603	183.69	1279
9.	जम्मू और कश्मीर	13	1300	1300	900	22000	936	12.67	431	5.75	1185	11	34	23.55	590
10.	झारखंड	24	2400	2427	2148	41395	2427	209.52	2427	95.93	2427	117.12	800	216.5	1505
11.	कर्नाटक	20	2000	2992	1494	47096	2992	1846.55	2992	2332.9	2992	1037.39	2705	1290.66	2589
12.	केरल	16	1800	2246	122	39376	2246	1104.65	2246	1901.6	2246	736.85	1367	1385.45	1782
13.	मध्य प्रदेश	36	3600	3667	1491	41096	3667	216.46	3008	124.33	3667	238.16	1535	454.81	2164
14.	महाराष्ट्र	36	3600	3922	1261	4900	3922	730.84	3758	1621.68	3922	730.84	2657	971.43	2616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	मणिपुर	3	300	300	264	4924	300	28.72	300	21.87	252	4.3	67	15	50
16.	मेघालय	5	500	534	342	6921	534	47.13	407	24.66	476	24	85	33.02	390
17.	मिजोरम	3	300	300	97	3897	280	29.7	288	18.9	268	10.57	73	12.47	289
18.	नागालैंड	6	600	600	148	8506	593	54.39	430	15.41	560	53.79	289	8.1	598
19.	ओडिशा	36	3600	3600	1697	54000	3600	822.38	3600	961.65	3600	866.31	2688	1745.9	3600
20.	पंजाब	15	1500	2059	1059	29066	2059	645.7	1693	1567.07	1749	235.54	961	459.25	1186
21.	राजस्थान	30	3000	3000	1023	36788	3000	3583.58	3000	954.46	3000	1292.4	5036	3873.11	3000
22.	सिक्किम	5	500	576	456	6910	576	91.72	576	96.74	576	48.98	212	50.6	576
23.	तमिलनाडु	44	4400	5452	2255	87738	5452	2698.67	5452	2698.67	5452	2618.67	5452	2639.85	4851
24.	त्रिपुरा	3	300	327	207	3810	327	43.04	327	12.71	327	41.84	153	18.03	324
25.	उत्तर प्रदेश	94	9400	9268	2517	133600	9268	693.7	9268	363.45	8325	481.5	1475	86.48	7935
26.	उत्तराखंड	11	1100	1100	849	12505	1007	388.63	625	109.22	1007	234.71	424	106.62	617
27.	पश्चिम बंगाल	39	3900	5184	4257	63548	4968	538.46	4118	248.21	4906	285.5	1641	133.82	4334
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	300	225	182	2516	202	10.2	99	0.6	202	10.2	0	0	26
29.	दिल्ली	4	400	276	30	3456	200	20.81	115	14.44	150	13.71	30	1.3	30
30.	लक्षद्वीप	3	300	273	9	2460	192	0	0	0	0	0	192	0	226
31.	पुदुचेरी	3	300	300	75	5227	300	212.87	300	804.71	300	259.4	300	507.74	300
	कुल	650	65000	69808	33279	1002279	68220	16884.37	63891	15590.48	66369	11320.91	36605	16760.71	55639
								168.84 करोड़ रु.		155.90 करोड़ रु.		113.21 करोड़ रु.		167.61 करोड़ रु.	

विवरण-II

गत तीन वर्ष के दौरान एसटीईपी योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा

राज्य का नाम	शामिल लाभार्थियों की संख्या		
	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
असम	3635	—	11148
अरुणाचल प्रदेश	125	375	238
आंध्र प्रदेश	950	450	2450
दिल्ली	125	—	—
गुजरात	—	—	225
हिमाचल प्रदेश	—	—	125
हरियाणा	500	750	600
जम्मू और कश्मीर	1000	830	200
केरल	7371	512	368
कर्नाटक	6191	4570	8400
मणिपुर	1100	—	1275
मिजोरम	500	—	—
महाराष्ट्र	200	375	2900
मध्य प्रदेश	607	1195	635
नागालैंड	1978	1810	1653
ओडिशा	—	685	500
पंजाब	4820	1525	2050
राजस्थान	—	200	200
तमिलनाडु	1500	—	—
उत्तराखंड	858	2181	650
उत्तर प्रदेश	405	5015	3135
पश्चिम बंगाल	—	190	300
कुल	31865	20663	37052

विवरण-II

एसजीएसवाई के अंतर्गत इसकी शुरूआत से अब तक (2010-11 अक्तूबर, 10) की वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठित महिला एसएचजी कुल संख्या	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	810029	2134946	1905956
2.	अरुणाचल प्रदेश	354	18005	7413
3.	असम	118358	796125	478968
4.	बिहार	103598	1424679	528124
5.	छत्तीसगढ़	31707	357658	151132
6.	गोवा	798	7250	4492
7.	गुजरात	35321	359286	138941
8.	हरियाणा	14356	201663	131550
9.	हिमाचल प्रदेश	6505	103456	60968
10.	जम्मू और कश्मीर	4452	91919	37926
11.	झारखंड	47226	793304	412532
12.	कर्नाटक	58299	643064	527317

1	2	3	4	5
13.	केरल	60863	345569	246825
14.	मध्य प्रदेश	143763	834589	335951
15.	महाराष्ट्र	203090	1092005	760812
16.	मणिपुर	4878	16083	12845
17.	मेघालय	6217	39723	18431
18.	मिजोरम	1432	47928	30888
19.	नागालैंड	1729	36085	16319
20.	ओडिशा	177250	906074	618910
21.	पंजाब	6275	104593	57155
22.	राजस्थान	116046	472226	250361
23.	सिक्किम	1691	18385	8644
24.	तमिलनाडु	355331	939081	867482
25.	त्रिपुरा	21244	175118	99348
26.	उत्तर प्रदेश	108202	2458875	870490
27.	उत्तराखंड	14681	136930	73537
28.	पश्चिम बंगाल	251029	517883	295989
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	221	5440	2255
30.	दमन और दीव	0	113	5
31.	दादरा और नगर हवेली	2	297	147
32.	लक्षद्वीप	31	280	96
33.	पुदुचेरी	2011	12584	11918
	कुल	2706989	15091216	8963727

[अनुवाद]

असैन्य परमाणुवीय सहयोग

250. श्री प्रदीप माझी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच हुए असैन्य परमाणुवीय सहयोग समझौते के तहत अब तक संचालित की गई परमाणुवीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : वर्तमान में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) फ्रांस के साथ तकनीकी सहकार करते हुए जैतापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के तकनीकी-आर्थिक ब्यौरों के बारे में विचार कर रहा है। इस परियोजना का कार्य सरकार का प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

बेनामी शिकायतों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग का आदेश

251. श्री अशोक अर्गल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग के आदेश के अनुसार, मंत्रालय द्वारा बेनामी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 29 जून, 1999 के अपने परिपत्र संख्या 3(वी)/99/2 के तहत यह आदेश दिया है कि किसी भी बेनामी या छद्मनामी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जायेगी और उन्हें केवल फाइल किया जायेगा। ये आदेश, आयोग द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2002 के अपने परिपत्र संख्या 98/डी.एस.पी./9 के तहत दोहराए गए थे। इसके दिनांक 11 अक्तूबर, 2002 के उत्तरवर्ती परिपत्र संख्या 98/डी.एस.पी./9 में, पूववर्ती आदेशों को दोहराते हुए आयोग ने आगे यह निदेश दिया है कि यदि कोई विभाग/संगठन ऐसी शिकायतों में किसी अभिकथित सत्यापित तथ्य की जांच का प्रस्ताव रखता है तो वह केन्दीय सतर्कता अधिकारी अथवा संगठन के प्रमुख के माध्यम से आयोग की सहमति प्राप्त

करने हेतु इसमें लिप्त कर्मचारियों के स्तर की परवाह न करते हुए आयोग को मामला भिजवा सकता है।

[अनुवाद]

शिक्षा में मुस्लिमों को आरक्षण

252. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की तर्ज पर केंद्र सरकार का भी शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार उल्लेख है:—

15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध—

(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर — (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या (ख) पूर्णत: या भागत: राज्य-विधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(5) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश संबंधित हैं।

एकीकृत व्यापार एवं विमानन केन्द्र

253. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा सरकार के सहयोग से भिवानी में एकीकृत व्यापार एवं विमानन केन्द्र बनाने का विचार किया है जिसमें विमान-अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरऑल संविधाएं (एमआरओ) तथा फिक्सड बेस-संचालन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रोत्साहन

254. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, आज की स्थिति के अनुसार, राज्य-वार कितनी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कंपनियां हैं;

(ख) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है/करने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन

वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस हेतु राज्य-वार कितना अनुदान जारी किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार 31.10.2011 तक पंजीकृत आईटी कंपनियों की संख्या 52577 है। पंजीकृत आईटी कंपनियों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं जिनमें सॉफ्टवेयर निर्यात गतिविधियां संचालित करने के लिए बिना शुल्क के आवश्यक माल का आयात करने की अनुमति देना, उत्पाद शुल्क में छूट, सीएसटी की प्रतिपूर्ति/रिआयत, आयकर में छूट तथा विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में विभिन्न वित्तीय रिआयतें देना शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा कंपनी-वार (सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) कोई भी क्षेत्र विशेष का डेटा तैयार नहीं किया जाता है। अतः राज्य-वार डेटा उपलब्ध कराना भी व्यवहार्य नहीं है।

विवरण

आज की तारीख तक सक्रिय कंपनियों की सूची, 72 से प्रारंभ तथा 31.10.2011 तक पंजीकृत औद्योगिक गतिविधि

राज्य	कंपनियों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
आंध्र प्रदेश	7504
असम	143
बिहार	309
चंडीगढ़	494
छत्तीसगढ़	148
दादरा और नगर हवेली	3
दमन और दीव	4
दिल्ली	10822
गोवा	99
गुजरात	1960
हरियाणा	759
हिमाचल प्रदेश	56
जम्मू और कश्मीर	77
झारखंड	167
कर्नाटक	6512
केरल	1771
मध्य प्रदेश	718
महाराष्ट्र	9237
मणिपुर	3
मेघालय	7
मिजोरम	1
नागालैंड	6
ओडिशा	534
पुदुचेरी	104
पंजाब	421
राजस्थान	1060
तमिलनाडु	5889
त्रिपुरा	7
उत्तर प्रदेश	1215
उत्तराखंड	123
पश्चिम बंगाल	2423
कुल	52577

रिपोर्ट की तारीख : 21 नवम्बर, 2011

डेटा तारीख : 20 नवम्बर, 2011

कोयला आबंटन संबंधी कृतक बल की रिपोर्ट

255. **श्री रामसिंह राठवा : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों को उनके निकटतम स्थित कोयला खानों से कोयला आबंटित करने के संबंध में कृतक बल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृतक बल की सिफारिशों से राज्यों को किस प्रकार लाभ होगा; और

(घ) इस रिपोर्ट पर कब तक अमल किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) विद्युत सीमेंट और स्पांज आयरन ईकाइयों के लिए कोयले की आपूर्तियों के मोजूदा स्रोतों के यौक्तिकीकरण के लिए व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अंतर्मंत्रालयी कार्यबल की रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को 24.08.2011 को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) और (ग) कार्यबल ने 9 कैप्टिव विद्युत संयंत्रों/स्पांज आयरन संयंत्रों/सीमेंट संयंत्रों के संबंध में मौजूदा स्रोतों के यौक्तिकीकरण और मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि. (एमपीपीजीसीएल), गुजरात राज्य विद्युत निगम लि. (जीएसईसीएल), हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लि. (एचपीजीसीएल), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि. (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) और तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) के 12 विद्युत संयंत्रों के संबंध में कोयले की आपूर्ति के स्रोतों के यौक्तिकीकरण की भी सिफारिश की है। जब लागू किया जाएगा, तब इन सिफारिशों के फलस्वरूप, संभवत ढुलाई लागतों के कारण संबंधित विद्युत उपभोक्ता कंपनियों को बचत होगी।

(घ) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को इन सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। जिन्हें स्टेक-होल्डरों के साथ उचित-विचार-विमर्श के बाद कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

छात्राओं को वित्तीय सहायता

256. **श्री पन्नालाल पुनिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत दलित एवं सामान्य वर्गों की प्रत्येक छात्रा के लिए कोई वजीफा घोषित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटन कब तक किए जाने की संभावना है और इससे कितनी छात्राएं लाभान्वित होंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 में "माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना" नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है जिसके तहत अ.जा./अ.ज.जा. बालिकाओं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली उन सभी बालिकाओं जिन्होंने कक्षा VIII की शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो और सरकारी, सरकारी-सहायताप्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा IX में दाखिला लिया हो, को शामिल किया गया है। दाखिला लेते समय इन बालिकाओं को अविवाहित होना चाहिए तथा उनकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन पात्र बालिकाओं के नाम से सावधिक जमा के रूप में रुपए 3000/- की राशि रखी जाती है जो 18 वर्ष की होने पर तथा कक्षा X की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ब्याज सहित इस राशि को आहरित करने की पात्र होती है। इस योजना की शुरूआत से अब तक इसके तहत 780618 बालिकाओं के पक्ष में 234.18 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादक राज्यों की संयुक्त बैठक

257. **श्रीमती जे. शान्ता : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को कोयला उत्पादक राज्यों के साथ सामान्यत: क्या-क्या समस्याएं पेश आती हैं;

(ख) क्या उक्त समस्याओं के निपटान के लिए सभी कोयला उत्पादक राज्यों की कोई संयुक्त बैठक बुलाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) सरकार कुछ कोयलाधारक राज्यों के साथ भूमि अधिग्रहण में वन

तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने में कानून व्यवस्था आदि समस्याओं का सामना कर रही है।

(ख) और (ग) नवम्बर, 2011 के महीने में झारखंड, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों के साथ खनन परियोजनाओं के लिए लम्बित वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, समस्याओं से निपटने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा रही है:—

(1) अधिग्रहण की कार्यवाही को गति प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकारों के भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई करना।

(2) स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्य प्राधिकारियों अर्थात् भू-राजस्व आयुक्त, भू-राजस्व सचिव के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

(3) वन अधिकारियों के साथ उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने तथा प्रश्नों का जबाव देने के लिए नियमित रूप से जिला स्तर पर संपर्क किया जाता है। मामलों के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षाएं की जा रही हैं।

(4) भू स्वामियों/ग्रामीणों के साथ पुनर्स्थापन स्थल का चयन करने तथा उन्हें शीघ्र वहां जाने के लिए राजी करने के संबंध में विचार-विमर्श किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृत भाषा का संवर्धन

258. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** : क्या **मानव संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संस्कृत शिक्षा के प्रति रुचि शनैः शनैः कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए क्या सुधामूलक उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को आर्थिक या अन्य प्रकार से मदद दी है; और

(घ) यदि हां, तो संस्कृत शिक्षा के संवर्धन हेतु विभिन्न राज्यों को विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त सहायता का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सरकारी संस्थाओं में संस्कृत विषय में दाखिले की संख्या स्थिर है। भारत सरकार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति और महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालयों जिनका वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर रहा है, ये सम्बद्ध 944 संस्कृत कॉलेज/केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्कृत भाषा में शिक्षण एवं शोध कार्य हेतु निधियां प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के तहत संस्कृत भाषा में उच्चतर शिक्षा एवं शोध कार्य के विकास हेतु चुनिंदा विश्वविद्यालय को अनुदान भी देता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को सीधे अनुदान नहीं देती है। हालांकि, भारत सरकार अपने विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों के जरिए अलग-अलग राज्यों में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए सहायता देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों के जरिए दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार:—

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (मा.सं.वि.मं. द्वारा)	7012.55	8862.62	8962.35
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ले (यूजीसी)	1858.53	372.53	1996.73

1	2	3	4	5
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति, आंध्र प्रदेश (यूजीसी)	1694.45	1709.56	2608.18
4.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार (यूजीसी)	122.37	5.40	शून्य
5.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी, केरल (यूजीसी)	122.61	75.00	433.05
6.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी, ओडिशा (यूजीसी)	144.22	316.20	109.76
7.	संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (यूजीसी)	134.64	283.20	161.58
8.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, मध्य प्रदेश (मा.सं.वि.मं. द्वारा)	1100.00	1200.00	1200.00

विमानपत्तनों के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को धनराशि

259. श्री जयराम पांगी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास विमानपत्तनों के विकास, पुराने और खतरनाक हो चुके विमानपत्तनों के रख-रखाव तथा बीजू पटनायक विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन में बदलने हेतु धन का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनों के लिए कितनी धनराशि मांगी गई और कितनी प्रदान की गई?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्रीय संपर्कता के लिए तथा अलाभप्रद हवाईअड्डों के संबंध में हवाईअड्डा अवसंरचना के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भारत सरकार से निधियों की आवश्यकता है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में भुवनेश्वर में बीजू पटनायक हवाईअड्डे के विकास के लिए सरकार से निधियों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के हवाईअड्डों के लिए बजटीय सहायता तथा अनुदान सहायता की आवश्यकता है। वर्ष, निधियों की मांग (संशोधित अनुमान) (करोड़ रुपये में) तथा प्राप्ति राशि (करोड़ रुपये में) के संबंध में अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है:—

(2008-09, 100.25 100.25)

(2009-10, 99.15, 99.15)

(2010-11 214.50 145.05)

(2011-12, 158.65, 9.54) (अक्तूबर, 2011 तक)

मुंबई विमानपत्तन को खतरा

260. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई विमानपत्तन के समीप स्थिति झुग्गी बस्तियों के कारण यहां से विमान संचालन में खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विमानपत्तन के समीप झुग्गी बस्तियों के फैलाव के बारे में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में

तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, हां। हवाईअड्डा प्रचालनिक क्षेत्र की चारदीवारी के आस-पास के क्षेत्र में लगभग 85000 झुग्गी-झोपड़ियां हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने पुनर्वासयन तथा अतिक्रमणों को हटाने के लिए हवाईअड्डा भूमि पर झुग्गियों का पात्रता सर्वेक्षण कार्य किया है।

(घ) झुग्गियों के पुनर्वासन के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए है।

अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र

261. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान व्यय धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का और नए अंतरिक्ष्ज्ञ अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या सरकार का अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्रों को दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाने का भी विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) भारत में स्थित स्थानवार अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्रों/यूनिटों की संख्या निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	स्थान	अनुसंधान केन्द्रों की संख्या
1	2	3
01.	अहमदाबाद	03
02.	बेंगलूर	05
03.	भोपाल	01
04.	चंडीगढ़	01
05.	देहरादून	01
06.	गादन्की (तिरुपति के समीप)	01
07.	हासन	01
08.	हैदराबाद	01
09.	जोधपुर	01
10.	कोलकाता	01
11.	महेन्द्रगिरी	01
12.	नागपुर	01
13.	शिलांग	01
14.	श्रीहरिकोटा	01
15.	तिरूवनंतपुरम	04

(ख) पिछले तीन वर्ष में अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा, जिसमें प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी, उपग्रह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपयोग, अंतरिक्ष विज्ञान, इन्सैट/जीसैट प्रणाली तथा निर्देश/प्रशासन शामिल है को वर्ष-वार नीचे दर्शाया गया है:—

वित्तीय वर्ष	वास्तविक खर्च (रु.)
2008-09	3,493.57 करोड़
2009-10	4,162.96 करोड़
2010-11	4,482.20 करोड़

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कार्यक्रमपरक आधार पर बजट दिया जाता है। आगामी वर्षों में उन्नत संचार उपग्रहों का विकास, उन्नत प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी का विकास, उच्च विभेदन प्रतिबिंबित्र प्रणाली, उपग्रह नौवहन प्रणाली, अंतरिक्ष विज्ञान एवं ग्रहीय अन्वेषण, आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम इत्यादि से बजट में वृद्धि होने का प्रस्ताव है।

कोयला ब्लॉकों का विकास

262. **श्री भूपेन्द्र सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला ब्लॉकों के त्वरित विकास हेतु राज्य स्तरीय समितियां बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यस्तरीय समितियों के गठन की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) कोयला मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के खनन एवं भू-वैज्ञानिक विभागों के प्रभारी राज्य मंत्रियों की 10 अगस्त, 2009 को आयोजित बैठक में, यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकारें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति गठित करें जो आवंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों तथा अपने अलग-अलग राज्यों में आने वाले संबंधित अन्त्य उपयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी तथा अंतर-विभागीय समन्वय संबंधी समस्याओं से भी निपटेगी। हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त नहीं हुए हैं।

केंद्रीय विद्यालयों की स्कूल विकास निधि

263. **श्री अशोक कुमार रावत :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों से स्कूल विकास निधि के बतौर शुल्क एकत्र करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में किए गए उन कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिन पर केंद्रीय विद्यालयों ने स्कूल विकास निधि की संगृहीत राशि खर्च की;

(ग) क्या सरकार को इस धनराशि के कथित दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त धनराशि संग्रह की निगरानी के लिए सरकार का कोई कदम उठाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) छात्रों से शुल्क एकत्र करने के निर्धारित मानदंड विस्तार से संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) उन मदों जिन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्यालय विकास निधि में से व्यय किया गया था, का यथाप्रमाणित लेखापरीक्षा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) विद्यालय विकास निधि में से किए जाने वाले व्यय की निकट से निगरानी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मासिक लेखा विवरणों, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से की जा रही है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) की जब कभी अपेक्षित हो विशेष लेखापरीक्षा के माध्यम से विद्यालय विकास निधि से किए जाने वाले खर्च की निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जा रही है।

विवरण-I

विद्यालय विकास निधि (वीवीएन) का सृजन विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और उपयोगी सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों को प्रोन्नत करने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों को प्रोन्नत करने हेतु किया गया था। इस निधि के लिए फीस एकत्र करने का मानदंड इस प्रकार है:—

क्र. सं.	कक्षा	विद्यालय विकास निधि के लिए शुल्क (प्रतिमाह)
1	2	3
01	I-X	240/- रु.

1	2	3
02	XI-XII (गैर-विज्ञान)	240/- रु.
03	XI-XII (विज्ञान)	300/- रु.

2. निम्न मामलों को छोड़कर विद्यालय विकास निधि शुल्क एकत्र करने के मामले में कोई रियायत या छूट प्रदान नहीं की जा सकती है:—

(क) वर्ष 1962, 1965, 1971 और 1999 में युद्ध के दौरान विकलांग हुए या मारे गए अर्धसैनिक कार्मिक और सशस्त्र सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे तथा श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) के सुरक्षा कार्मिकों के बच्चे और कारगिल में 'आपरेशन विजय' तथा सियाचिन क्षेत्र में 'आपरेशन मेघदूत' में विकलांग हुए या मारे गए सशस्त्र सेना के रक्षा कार्मिकों के बच्चे इनके अतिरिक्त जिनके अभिभावक भारत और विदेश में किसी काउन्टर विद्रोह आपरेशन के दौरान स्थायी रूप से विकलांग या लापता घोषित/मारे गए हों, वे संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद, विद्यालय विकास निधि के भुगतान से छूट प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) विद्यालय विकास निधि के भुगतान से उन अभिभावकों के बच्चों को छूट का प्रावधान है यदि राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों से इस आशय का बीपीएल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

(ग) एकल बालिका (कक्षा VI से) को भी विद्यालय विकास के भुगतान से छूट का प्रावधान है।

विवरण-II

विद्यालय विकास निधि (विविनि) स्रोत के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई राशि

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आवर्ती व्यय			
	(i) अंशकालिक/संविदात्मक कर्मचारी	22,69,78,505	28,84,94,384	32,10,95,564
	(ii) लघु निर्माण कार्य	3,13,85,251	4,20,22,444	6,53,60,349
	(iii) मरम्मत एवं रखरखाव			
	(क) स्कूल भवन	20,93,09,418	24,74,75,842	32,84,72,312
	(ख) फर्नीचर एवं उपस्कर	2,03,46,868	2,18,84,862	2,89,63,952
	(ग) प्रयोगशाला उपकरण	26,92,949	34,10,906	36,91,383
	(घ) दृश्य श्रव्य एवं संगीत वाद्ययंत्र	37,85,899	55,32,358	60,76,842
	(iv) प्रयोगशाला उपकरण — उपभोज्य	1,79,60,835	2,15,99,842	2,26,86,465
	(v) दृश्य श्रव्य सहायक — उपभोज्य	59,29,679	55,15,340	81,79,834
	(vi) खेल सामग्री — उपभोज्य	10,46,32,813	12,36,50,193	18,13,31,327

1	2	3	4	5
(vii)	शिष्य संस्थाएं	22,81,26,176	24,03,33,621	27,58,71,305
(viii)	स्कूल भ्रमाण	1,64,30,316	2,99,62,490	4,27,64,961
(ix)	परीक्षाएं	17,87,57,246	19,59,42,134	19,10,57,832
(x)	प्रासंगिक व्यय	1,22,08,252	1,11,17,512	1,13,83,534
(xi)	सौंदर्यीकरण एवं बागवानी	4,86,22,757	5,82,07,036	7,87,82,736
(xii)	पुस्तकालय पुस्तकें-उपभोज्य	3,10,66,511	3,92,06,097	5,52,48,373
(xiii)	कम्प्यूटर उपभोज्य	6,14,60,559	9,81,59,871	16,60,14२780
(xiv)	चिकित्सा सुविधाएं	1,29,84,193	1,55,79,232	2,23,50,965
(xv)	स्कूल की सुरक्षा	12,99,78,486	15,73,48,692	21,40,45,317
(xvi)	विविध व्यय			
	(ग) कर एवं अन्य ऐसे खर्चे	2,12,17,976	2,58,81,442	2,56,86,854
	(ख) बिजली एवं जल प्रभार	12,53,93,440	14,92,29,268	16,51,41,433
	(ग) अन्य विविध व्यय	8,73,52,470	9,60,08,894	11,51,68,753
(xvii)	भारत स्काउट एवं गाइड की गतिविधियां			
	(क) विद्यालय के खर्चे	3,26,82,205	4,18,09,232	5,49,72,983
	(ख) आरओ बीएसएंडजी को दिया गया अंशदान	57,39,471	55,15,749	56,79,411
	(ग) केवीएस बीएसएंडजी को दिया गया अंशदान	20,21,994	26,66,267	26,84,708
(xviii)	आरओ खेल नियंत्रण बोर्ड को दिया गया 3% का अंशदान	5,41,49,884	6,37,97,397	8,11,23,623
(xix)	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण बोर्ड को दिया गया 2% का अंशदान	3,17,74,214	3,83,15,659	4,93,69,078
(xx)	शुल्क एवं जुर्मानों की वापसी	32,18,798	95,07,290	1,53,26,978
(xxi)	पूर्व प्राथमिक कक्षा पर व्यय	82,52,841	64,25,055	67,60,581
(xxii)	विद्यार्थियों को पुरस्कार		—	1,01,75,000

1	2	3	4	5
2.	अनावर्ती व्यय			
(i)	भूमि			
(ii)	भवन	39,39,571	61,04,447	80,05,657
(iii)	फर्नीचर, उपस्कर	12,86,54,612	15,88,64,997	18,75,28,403
(iv)	पुस्तकालय की पुस्तकें	3,43,09,987	3,85,28,486	4,52,67,938
(v)	कार्यालय उपकरण	1,64,73,672	1,44,50,302	1,49,81,273
(vi)	कम्प्यूटर/सामग्री	15,00,63,767	9,09,70,655	36,97,02,439
(vii)	अन्य स्थाई संपत्तियां			
	(क) प्रयोगशाला के उपकरण	6,12,21,149	4,22,93,326	4,62,58,598
	(ख) दृश्य श्रव्य एवं संगीत उपकरण	7,31,13,209	5,10,83,875	7,11,12,263
	(ग) खेल सामग्री	2,47,75,084	2,02,95,684	3,35,07,584
कुल योग-वर्तमान वर्ष		220,70,11,057	246,71,90,881	333,18,31,388

विवरण-III

वर्ष	प्राप्त की गई कुल शिकायतों की संख्या	प्रथम दृष्टया प्रमाणित शिकायतों की संख्या	दोषी अधिकारी के विरुद्ध आरंभ की गई कार्रवाई	पूरी की गई कार्यवाही	शेष
2008	18	17	17	13	04
2009	06	05	05	—	05
2010	02	02	02	02	—
2011-आज तक	06	—	—	—	—

डाक विभाग के लिये भवनों का निर्माण

264. **श्री पी.आर. नटराजन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में, विशेषकर तमिलनाडु में डाक विभाग के उपयोग हेतु उपलब्ध रिक्त स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर तमिलनाडु में ग्रामीण डाकघरों सहित डाकघरों की कुल संख्या कितनी है जो निजी भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ग) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेषकर तमिलनाडु में किराये पर लिये गये इन भवनों पर किराये का भुगतान करने हेतु किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषकर तमिलनाडु में डाकघरों के अपने निजी भवनों का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु सहित देशभर में डाक विभाग के उपयोग हेतु उपलब्ध खाली भूखंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) निजी भवनों में कार्यरत ग्रामीण डाकघरों सहित डाकघरों की संख्या तमिलनाडु सहित 20570 है, जिनमें से 2319 डाकघर तमिलनाडु में हैं।

(ग) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशेषकर तमिलनाडु में किराये पर लिये गये इन भवनों पर किराये का भुगतान करने हेतु किये गये व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(हजार रुपये में)

क्र. सं.	मद	2008-09	2009-10	2010-11	अप्रैल, 2011 से अक्तूबर, 2011 तक
1.	तमिलनाडु सहित देश भर में किराए पर हुआ व्यय	546075	693948	746566	393380
2.	विशेषकर तमिलनाडु में किराए पर हुआ व्यय	61660	180463	122873	40952

(घ) तमिलनाडु सहित देश में विभागीय डाकघर भवनों का निर्माण, आबंटित निधि के अनुसार, नियमित रूप से किया जा रहा है। निर्माण के मामले में ऐसे डाकघरों को वरीयता दी जाती है। (i) जहां 15 से अधिक कार्यबल हैं (ii) जो बहुत अधिक किराए वाले भवनों में स्थित हैं और (iii) जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं।

विवरण

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार देश भर में उपलब्ध खाली भूखंडों की सर्किल-वार संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	उपलब्ध कुल भूखंडों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	218
2.	असम	30
3.	बिहार	92
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	दिल्ली	18
6.	गुजरात	109
7.	हरियाणा	15
8.	हिमाचल प्रदेश	23
9.	जम्मू और कश्मीर	8
10.	झारखंड	63
11.	कर्नाटक	332
12.	केरल	143
13.	महाराष्ट्र	92
14.	मध्य प्रदेश	36

1	2	3
15.	पूर्वोत्तर	25
16.	ओडिशा	46
17.	पंजाब	19
18.	राजस्थान	196
19.	तमिलनाडु	155
20.	उत्तराखंड	19
21.	उत्तर प्रदेश	67
22.	पश्चिम बंगाल	91
	सकल योग	1802

[हिन्दी]

हवाई मार्गों को अलग-अलग करना

265. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुंबई मार्ग पर प्रचालित उड़ानें बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली-इंदौर-मुंबई वायु मार्ग तथा भोपाल-इंदौर मुंबई वायु मार्ग अलग-अलग बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) दिल्ली-इंदौर-मुंबई तथा भोपाल-इंदौर मुम्बई सेक्टर पर उड़ान प्रचालनों की मौजूदा तथा अनुमोदित आवृत्ति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) संबंधित एयरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर घरेलू सेक्टर में प्रचालनों को विनियमित तथा उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के दृष्टिगत सरकार द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वह मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात की मांग एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराएं।

विवरण

उड़ान प्रचालनों की मौजूदा और अनुमोदित आवृत्ति

एयरलाइन्स	सेक्टर	आवृत्ति	
		मौजूदा	अनुमोदित
1	2	3	4
एयर इंडिया	मुंबई-इंदौर-भोपाल-दिल्ली	07 उड़ानें/सप्ताह	07 उड़ानें/सप्ताह
	दिल्ली-भोपाल-इंदौर-मुंबई	07 उड़ानें/सप्ताह	07 उड़ानें/सप्ताह
जेट एयरवेज़	दिल्ली-इंदौर	07 उड़ानें/सप्ताह	07 उड़ानें/सप्ताह
	इंदौर-मुंबई	07 उड़ानें/सप्ताह	07 उड़ानें/सप्ताह

1	2	3	4
जेट लाइट	दिल्ली-इंदौर-दिल्ली	14 उड़ानें/सप्ताह	14 उड़ानें/सप्ताह
	मुंबई-इंदौर-मुंबई	13 उड़ानें/सप्ताह	13 उड़ानें/सप्ताह
किंगफिशर	मुंबई-इंदौर-मुंबई	07 उड़ानें/सप्ताह	14 उड़ानें/सप्ताह
स्पाइस जेट	दिल्ली-इंदौर-भोपाल-दिल्ली	03 उड़ानें/सप्ताह	03 उड़ानें/सप्ताह
	दिल्ली-भोपाल-इंदौरा-दिल्ली	04 उड़ानें/सप्ताह	04 उड़ानें/सप्ताह
	हैदराबाद-भोपाल-इंदौर-हैदराबाद	03 उड़ानें/सप्ताह	03 उड़ानें/सप्ताह
	हैदराबाद-भोपाल-इंदौर-हैदराबाद	04 उड़ानें/सप्ताह	04 उड़ानें/सप्ताह
इंडिगो	दिल्ली-इंदौर	07 उड़ानें/सप्ताह	07 उड़ानें/सप्ताह
	इंदौर-दिल्ली	07 उड़ानें/सप्ताह	07 उड़ानें/सप्ताह

बीएसएनएल कार्यालयों को बंद करना

266. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अनेक कार्यालय बंद कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कार्यालयों को बंद करने/दूसरे स्थान पर ले जाने/विलय करने हेतु स्वीकृत दिशा-निर्देशों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं जिससे उनके स्थान बदले जाने/उन्हें बंद करने से जनता को असुविधा नहीं हो?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), तकनीकी-वाणिज्यिक आधार पर अपने कार्यालयों को बंद करने/दूसरे स्थान पर ले जाने/उनका विलय करने का निर्णय यह ध्यान में रखकर लेता है कि ऐसा करने से जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

शिकायत निवारण विधेयक

267. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कार्यालयों में निचले स्तर की नौकरशाही द्वारा सेवा नहीं प्रदान करने संबंधी शिकायत को दूर करने के लिए शिकायत निवारण नागरिक अधिकार प्रारूप विधेयक तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह विधेयक सभी राज्यों में लागू होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी राज्यों से विचार मांगे गये हैं या प्राप्त हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस विधेयक का अधिनियमन कब तक किये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा "शिकायत निवारण नागरिक अधिकार विधेयक, 2011" प्रारूप का प्रस्ताव किया गया है और इसको सुझाव/विचारों/टिप्पणियों के लिए लोक क्षेत्र में रख दिया गया है। यह ग्राम पंचायत, विकास खंड, जिला, राज्य से केन्द्रीय स्तर तक के सार्वजनिक प्राधिकरणों के नागरिक चार्टर में विनिर्दिष्ट सेवाओं और वस्तुओं की समय पर प्राप्ति के लिए संवैधानिक सहायता प्रदान करने के लिए देश के नागरिकों के लिए एक व्यापक अधिकार आधारित विधेयक है। नागरिक चार्टरों के किसी भी उल्लंघन को एक शिकायत के रूप में समझा जाएगा और समयबद्ध शिका निवारण के लिए एक बहु-श्रेणी संस्थागत तंत्र की व्यवस्था की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इसका अनुपालन न करने और दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई के लिए "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम" के अंतर्गत शास्ति/अनुशासनिक कार्रवाई/कार्रवाई भी की जाएगी।

(ग) यह विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होगा।

(घ) और (ङ) प्रारूप विधेयक पर राज्य सरकारों के मत मांगे गए हैं। इस प्रारूप विधेयक के अधिनियमन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर शीघ्रता से किया जा रहा है।

चीन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का खोला जाना

268. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चीन से अपना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र खोले जाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीन की इए पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) जी, नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन के साथ कोई जी2जी द्विपक्षीय सहयोग नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

269. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लगभग 165 भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 300 से अधिक मामलों में सरकारी अधिकारी जांच के बाद दोषी पाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अभियोजन चलाने के लिये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अनुमति नहीं देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) नौकरशाही को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों के संबंध में सरकारी सेवकों के अभियोजन के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत मंजूरी मांगता है। 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार, अभियोजन चलाने की मंजूरी संबंधी 189 अनुरोध केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के पास लम्बित हैं। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2011 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 मामलों में 782 लोक सेवकों के विरुद्ध चार्जशीट दायर की है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2011 के दौरान 85 लोक सेवकों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा अभियोजन चलाने की मंजूरी से इंकार किया गया है।

ऐसी मंजूरियों के इंकार करने के कारणों को दर्शाने वाले कोई भी केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं हैं। ऐसी अस्वीकृति सामान्यतया संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत मामलों की मैरिट पर आधारित होती है।

(ङ) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकार की कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) भंडाफोड़ करने वालों से संबंधित संकल्प, 2004 का जारी किया जाना और लोकहित प्रकटन तथा प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2011 को संसद में प्रस्तुत किया जाना;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) सतर्कता पर, वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की निवारक उपाय के रूप में पूर्वसक्रिय भागीदारी;

(iv) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(v) मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने के संबंध में संगठनों से कहते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना। मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देते हुए दिनांक 16.06.2009 को केन्द्र सरकार ने इसी तरह के अनुदेश जारी कर दिए हैं;

(vi) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(vii) नागरिक चार्टर जारी करना।

(viii) उन उपायों जो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को निबटने के लिए किए जा सकते हैं, पर विचार-विमर्श के लिए मंत्रिदल की प्रथम रिपोर्ट का स्वीकार किया जाना।

(ix) लोक सभा में लोकपाल विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन।

(x) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन।

(xi) विदेशी लोक पदाधिकारियों और लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011 का लोकसभा में पुरःस्थापन।

(xii) न्यायिक मानक और जबावदेही विधेयक, 2010 का संसद में पुरःस्थापन।

(xiii) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरणी को जनव्यापी बनाया जाना।

विवरण

सोमवार, 31 अक्तूबर, 2011 के अनुसार अभियोजन चलाने की मंजूरी के लिए लंबित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों में अनुरोधों की मंत्रालय-वार संख्या

मंत्रालय	अनुरोधों की संख्या
1	2
भारतीय विधिज्ञ परिषद्	2
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण	2
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	1
नागर विमानन मंत्रालय	1
कोयला और खान मंत्रालय	6
संचार मंत्रालय	2
रक्षा मंत्रालय	7
विदेश मंत्रालय	3
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	2
वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)	29
विधि न्याय एवं कंपनी मामले मंत्रालय	1
वित्त मंत्रालय (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)	25
वित्त मंत्रालय (आयकर)	9
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	12
गृह मंत्रालय	5

1	2
मानव संसाधन और विकास मंत्रालय	9
पर्यावरण और वन मंत्रालय	1
श्रम मंत्रालय	6
विधि और न्याय मंत्रालय	1
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	2
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4
रेल मंत्रालय	10
पोत परिवहन मंत्रालय	2
इस्पात मंत्रालय	1
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय	1
संघ शासित क्षेत्र	8
आंध्र प्रदेश सरकार	2
असम सरकार	16
दिल्ली सरकार	1
पंजाब सरकार	9
राजस्थान सरकार	8
तिमलनाडु सरकार	1
कुल	189*

*केन्द्रीय/राज्य सरकार/विभागों/प्राधिकरणों के पास लंबित 96 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों में अभियोजन चलाने की मंजूरी के लिए 189 पृथक अनुरोध किए गए हैं क्योंकि कुछ मामलों में एक से अधिक आरोपी संलिप्त हैं।

मानित विश्वविद्यालयों में अनियमितताएं

270. **श्रीमती ऊषा वर्मा :**
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टण्डन समिति ने ऐसे कितने मानित विश्वविद्यालयों की पहचान की है जो विहित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) इन मानित विश्वविद्यालयों में कितने छात्र नामांकित हैं;

(ग) सरकार ने उन मानित विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है जो विहित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) इन विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के ऊपर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मानित विश्वविद्यालय का दर्जा स्वीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित किया गया था कि ये विश्वविद्यालय निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा गठित पुनरीक्षा समिति ने 44 सम विश्वविद्यालय-वार संस्थानों को ऐसी संस्थाओं के रूप में पाया जो न तो अपने पिछले निष्पादन और न ही भावी प्रतिबद्धता के संबंध में सम-विश्वविद्यालय-वार संस्था के दर्जे को बनाए रखने के गुण रखती हों।

(ख) पुनरीक्षा प्रक्रिया के दौरान संस्थाओं द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार इन 44 संस्थाओं में छात्रों की संख्या 1,95,020 थी।

(ग) यह मामला अभी निर्णयाधीन है क्योंकि माननीय शीर्ष न्यायालय ने सरकार को निदेश दिया है कि इन 44 संस्थाओं की यथा स्थिति को बनाए रखा जाए अर्थात् ये 44 संस्थाएं सम-विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं के रूप में कार्य करना जारी रखेंगी।

(घ) सरकार ने पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी कार्य योजना के संबंध में सरकार को परामर्श देने हेतु एक कार्य बल का गठन किया है। विचारार्थ विषयों में छात्रों के हितों की संरक्षा के लिए कार्य योजना के सुझाव देना शामिल हैं। इन सम-विश्वविद्यालयों का दर्जा समाप्त करने संबंधी घोषणा होने पर छात्रों के हितों की संरक्षा के संबंध में सुझाव देकर कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार ने कार्यबल की रिपोर्ट को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा विश्वविद्यालय के अलावा किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर "सम-विश्वविद्यालयवत्" संस्थाओं का दर्जा प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग ने संस्थाओं को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में दर्जा प्रदान करने के लिए संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वर्ष 2006 में दिशानिर्देश निर्धारित किए थे। इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्तावों की जांच की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने संस्थाओं को "सम-विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं" के रूप में घोषित किया था।

[अनुवाद]

चेन्नई एयरपोर्ट की विस्तार परियोजना

271. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई एयरपोर्ट की विस्तार परियोजना जिसको अब तक पूरा किया जाना था, में विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इसका प्रचालन शुरू किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या बहुउद्देशीय भवन की स्थापना करने हेतु रक्षा भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को चेन्नई के नजदीक श्रीपेरूम्बदूर में किसी नये विमानपत्तन की स्थापना किये जाने संबंधी संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी, हां। मौजूदा चेन्नई हवाईअड्डे के विस्तार और विकास का कार्य मौजूदा प्रचालनों के साथ-साथ समांतर रूप से किया जा रहा है और इस प्रकार, कार्यों को आरंभ करने के लिए कार्यवाही/संविदाकारी एजेंसियों को चरणबद्ध तरीके से ही साइट सौंपी जा सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप विलंब (ओवरन) हुआ। कार्य दिसंबर, 2011 तक पूरा होना निर्धारित है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 21 एकड़ रक्षा भूमि सौंपी गई थी। इसमें से 18 एकड़ पहले उपलब्ध कराई गई थी और उपयोगिता भवन (यूटिलिटी बिल्डिंग) और अन्य अवसंरचना का निर्माण कार्य आरंभ करने केलिए फरवरी, 2011 में शेष 3 एकड़ भूमि के लिए कार्यानुमति प्रदान की गई थी।

(ङ) और (च) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) को चेन्नई के निकट श्रीपेरम्बदूर में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था, जिसमें चेन्नई के मौजूदा हवाईअड्डे के साथ-साथ प्रस्तावित हवाईअड्डे से दोहरे प्रचालन करना शामिल था। तद्नुसार, इकाओ ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और एएआई द्वारा समीक्षा के बाद, इसे तमिलनाडु सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी

272. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री संजय भोई :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीकॉम आपरेटरों तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) से इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी बढ़ाने के लिए स्वदेशी निगरानी उपकरण की स्थापना करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में टेलीकॉम ऑपरेटरों तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ये निगरानी उपकरण कब तक लगाये जाएंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (घ) दूरसंचार प्रचालक और इंटरनेट सेवा प्रदाता,

सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकता और संबंधित लाइसेंस समझौतों की शर्तों के अनुसार, इंटरनेट ट्रैफिक की देखरेख हेतु निगरानी उपकरणों की तैनाती कर रहे हैं। फिलहाल, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में स्वदेशी इंटरनेट प्रणालियों की तैनाती की जा रही है।

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और ट्रैफिक प्रक्षेपणों के आधार पर, सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकता के अनुसार, इंटरनेट निगरानी प्रणाली को सतत् रूप से उन्नत किया जाता है और तैनात किया जाता है।

अनुशासनात्मक आरोप

273. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अधिकारियों के लिये केन्द्रीय सरकार कार्यालयों में नियुक्ति प्राप्त करने से पहले उनके विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों या अनुशासनात्क आरोपों, यदि कोई हों, की घोषणा को अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें सिविल सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध शुरू किये गये या लंबित आपराधिक या अनुशासनात्मक मामलों की सूचना नहीं देती है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्ख्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु या उच्च जिम्मेदारी दिये जाने के लिए विचार किये जाने वाले अधिकारियों का निष्कलंक रिकॉर्ड रहा हो?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत, विभिन्न सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को अधिकारियों के विरुद्ध चल रहे सतर्कता/अनुशासनात्मक आरोपों और लंबित अपराधिक कार्यवाहियों का विस्तृत ब्यौरा प्रदान करना है।

(ग) और (घ) मौजूदा नीति के अनुसार, राज्य सरकारों के लिए, हर तीन माह में केन्द्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध लंबित सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। कभी-कभी, कुछ राज्य सरकारों में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने में विलंब होता है। फिर भी, संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के नामिकायन पर सरकारी नीति के संदर्भ में सतर्कता अनापत्ति अनिवार्य है जिसके लिए इस बारे में निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं।

सहकारी समिति के उत्तरदायित्व

274. **श्री पूर्णमासी राम : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे सरकारी समितियां जिनमें सरकार का स्वामित्व 51 प्रतिशत से अधिक है सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करने के लिये उत्तरदायी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार का विचार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने का है कि ये समितियां भारतीय संविधान और अपने भर्ती नियमों का मनमाने तरीके से उल्लंघन नहीं करते हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन नियुक्तियों को समाप्त करने हेतु की गई कार्रवाही का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन समितियों द्वारा अधिकार का दुरुपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) बहुराज्यीय सहकारी समितियां एमएससीएस एक्ट, 2002,इसके तहत बनाएगए नियमों और समिति के उपनियमों के तहत शासित होती हैं और इसीलिए उनमें निहित प्रावधानों का पालन करना उनके लिए आवश्यक है।

(ग) एमएससीएस एक्ट, 2002 की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार बहुराज्यीय सहकारी समिति का निदेशक मंडल मुख्य कार्यकारी और अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने और उसे पद से हटाने के लिए सक्षम है, अन्य स्टाफ की नियुक्ति मुख्य कार्यकारी द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। बहुराज्यीय सहकारी समिति का निदेशक मंडल बहुराज्यीय सहकारी समिति के ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई सहित कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके

वेतनमान, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करने के लिए भी सक्षम है। तथापि, बहुराज्यीय सहकारी समिति नियमावली, 2002 के नियम 21 के अनुसार, जहां बहुराज्यीय सहकारी समिति में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का 51 प्रतिशत का पूंजी निवेश है, मुख्य कार्यकारी पद के लिए योग्यताएं और पात्रत शर्तें, निलम्बन, पद से हटाना, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि सहित वेतन और भत्ते, सेवा के अन्य निबंधन व शर्ते केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएंगी।

(घ) और (ङ) बहुराज्यीय सहकारी समितियों में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में यदि कोई शिकायत प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाती है तो इसे उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु संबंधित सहकारी समिति को अग्रेषित कर दी जाती है, क्योंकि ऐसे मामलों में सहकारी समिति का निदेशक मंडल सक्षम प्राधिकारी होता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को कुछ नियुक्तियों के संबंध में संसद सदस्यों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं, ये नियुक्तियां कथित रूप से केन्द्रीय भंडार के भर्ती नियमों का उल्लंघन करने की गई थीं। इस मामले की जांच की गई और केन्द्रीय भंडार को निर्देश जारी किए गए कि सभी नियुक्तियों में भर्ती नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। ऐसी नियुक्तियों को रद्द करने अथवा कोई कदम उठाने संबंधी कार्रवाई निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी जो सक्षम प्राधिकारी है।

(च) चूंकि बहुराज्यीय सहकारी समितियां स्वायत्त सहकारी संगठन हैं, सदस्यगण इन मुद्दों को निदेशक मंडल और समिति के सामान्य निकाय के समक्ष उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

देश में मोबाइल टॉवर

275. **श्री ए.टी. नाना पाटील :**
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कंपनी-वार और राज्य-वार कुल कितने मोबाइल टॉवर कार्यरत हैं;

(ख) क्या ये टॉवर मोबाइलों की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार करने हेतु और मोबाइल टॉवरों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित विभिन्न मोबाइल आपरेटरों द्वारा राज्य-वार और कंपनी-वार कुल कितने टॉवर निर्माणाधीन हैं;

(ङ) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल के कुछ स्थापित टॉवर उपकरणों और अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन टॉवरों का कार्यकरण शुरू करने तथा इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) आज की तिथि के अनुसार, देश में मोबाइल टॉवरों के माध्यम से कार्य कर रहे बेस परेषण केन्द्रों (बीटीएस) की संख्या 6,80,465 है। इनका कंपनी-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं II के रूप में दिया गया है।

(ख) से (घ) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयोक्ताओं, स्पैक्ट्रम और रेडियो आवृत्ति योजना की उपलब्धता के अनुसार मोबाइल टॉवरों और बीटीएस की संस्थापना की जा रही है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। दिनांक 30.09.2011 की स्थिति के अनुसार, मोबाइल उपभोक्ताओं को सेवा उपलब्ध कराने वाले 6,80,465 बीटीएस कार्य कर रहे हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता उत्तरोत्तर रूप से अपने मोबाइल नेटवर्क का स्तरोन्नयन कर रहे हैं ताकि उनकी कवरेज एवं क्षमता में वृद्धि की जा सके और सेवा की गुणवत्ता में और सुधार किया जा सके।

(ङ) और (च) बीएसएनएल और एमटीएनएल का कोई ऐसा मोबाइल टॉवर नहीं है, जो कार्य न कर रहा हो। सबसे पहले मोबाइल टॉवर की स्थापना की जाती है और इसके बाद उसमें उपस्करों को संस्थापित किया जाता है तथा इसके बाद ही प्रचालन कार्य आरंभ किया जाता है। इस तरह, टॉवर को स्थापित करने के बाद प्रणालियों

से प्रचालन कार्य आरंभ करने में कुछ समय लग सकता है। तथापि दिन-प्रतिदिन के दोष, जिनका तत्काल समाधान कर दिया जाता है, को छोड़कर ऐसी कोई शिकायत लम्बित नहीं है जिसमें मोबाइल टावरों के काफी समय से कार्य न करने का उल्लेख किया गया हो।

विवरण-I

कंपनी-वार बीटीएस (मोबाइल टॉवर)
(30.09.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	बीटीएस की संख्या
1.	डिशनेट वायरलैस लि. (एयरसेल)	53489
2.	भारती एयरटेल लि.	127096
3.	भारत संचार निगम लि.	93401
4.	एटीस्लाट डीबी प्रा. लि. (एलायंज)	2764
5.	आईडिया सेल्यूलर (एबीटीएल)	79509
6.	लूप टेलीकॉम लि.	2094
7.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	2724
8.	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लि. (एचएफसीएल)	1651
9.	रिलायंस कम्यूनिकेशंस	88319
10.	स्पाइस टेलीकॉम	5069
11.	सिस्टिमा श्याम टेलीकॉम लि. (एमटीएस)	10809
12.	एस-टेल प्रा. लि.	3597
13.	टाटा टेलीसर्विसेज लि. (टीटीएमएल)	65273
14.	यूनिटेक वायरलेस (यूनिनॉर)	27440
15.	वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस लि.	9700
16.	वोडाफोन एस्सार लि.	107530
	कुल जोड़	680465

विवरण-II

राज्य-वार (दूरसंचार सर्किल-वार) बीटीएस (मोबाइल टॉवर)
(30.09.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	लाइसेंसिंग सेवा क्षेत्र का नाम (एलएसए)	बीटीएस की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	55304
2.	असम	12104
3.	बिहार	40786
4.	चेन्नै	18812
5.	दिल्ली	20225
6.	गुजरात	41768
7.	हरियाणा	16452
8.	हिमाचल प्रदेश	6877
9.	जम्मू और कश्मीर	9464
10.	कर्नाटक	49125
11.	केरल	34117
12.	कोलकाता	17388
13.	मध्य प्रदेश	40879
14.	महाराष्ट्र	52622
15.	मुंबई	26983
16.	पूर्वोत्तर	6203
17.	ओडिशा	20954
18.	पंजाब	24720
19.	राजस्थान	32430

1	2	3
20.	तमिलनाडु (चेन्नै सहित)	44116
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	43729
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	37217
23.	पश्चिम बंगाल	28190
	जोड़	680465

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर शिकायतें

276. श्री बालकुमार पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सतर्कता उपयोग (सीवीसी) की रिपोर्टों पर जांच के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इन शिकायतों की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या जांच एवं सीवीसी को रिपोर्ट देने में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार एक समयबद्ध तरीके से जांच और सीवीसी की रिपोर्ट देने के कार्य में तेजी लाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को जांच करने और रिपोर्ट भिजवाने के लिए शिकायतें अग्रेषित करता है। पिछले पांच वर्ष के दौरान आयोग द्वारा जांच और रिपोर्ट के लिए भिजवाई गई शिकायतों की कुल संख्या निम्नलिखित अनुसार है:—

वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010
भिजवाई गई शिकायतें	762	727	1147	1714	945

पिछले पांच वर्ष के दौरान, लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के अंतर्गत जांच और रिपोर्ट केलिए भिजवाई गई शिकायतों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है:—

वर्ष	2006	2007	2008	2009	2010
भिजवाई गई शिकायतें	85	80	83	140	155

ये शिकायतें, संविदा में अनियमितताएं, सरकारी पद का दुरुपयोग, निधियों के दुर्विनियोजन इत्यादि सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों से संबंधित थीं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.12.2010 तक की स्थिति के अनुसार कुल 1132 शिकायतों में से, अभी 187 संगठनों को आयोग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों इत्यादि द्वारा आयोग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में होने वाले विलम्ब के कारणों के बारे में केन्द्रीकृत रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत, संगठनों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को, आयोग द्वारा जांच और रिपोर्ट के लिए भिजवाई गई शिकायतों पर जांच रिपोर्ट, ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर भिजवानी होती है। लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के मामले में यह समय-सीमा एक माह है। इन अनुदेशों के अनुसार, यदि विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जांच-पड़ताल पूरी करना संभव नहीं हो तो संबंधित संगठनों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी, प्रत्येक मामलों में जांच की प्रगति और विलम्ब के कारण दर्शाते हुए, समय-सीमा में बढ़ोत्तरी मांगते हुए आयोग को अंतरिम उत्तर/रिपोर्ट हर हाल में भिजवाएंगे। मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कार्य-निष्पादन और सभी मंत्रालयों/विभागों के सतर्कता ढांचों की निगरानी, भ्रष्टाचार निरोधी उपाय संबंधी कार्यवाई योजना की तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मुख्य सतर्कता अधिकारियों की अपनी जोनल/क्षेत्रीय बैठकों में भी संगठनों/विभागों द्वारा निपटाई गई शिकायतों की समीक्षा भी करता है। आयोग उन संगठनों के ब्यौरे भी उपलब्ध कर.ता है जो आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भिजवाई गई शिकयतों पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते।

ग्राहकों का सत्यापन

277. **श्री अधीर चौधरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीकॉम आपरेटरों को ग्राहकों द्वारा दिये गये दस्तावेजों की पहचान कार्य का कड़ाई से अनुपालन किये जाने संबंधी निदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से सत्यापन मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि कोई टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने से पहले उपभोक्ता का उसके फोटोग्राफ से सत्यापन किया जाए और संबंधित मूल दस्तावेजों से उसके पते के प्रमाण (पीओए) और पहचान के प्रमाण (पीओआई) का सत्यापन किया जाए।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय से समय-समय पर पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें प्री-पेड तथा पोस्ट-पेड कनेक्शन प्रदान करने के लिए पूर्णत: सुरक्षित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि सिम कार्डों को उपभोक्ता और उसके दस्तावेजों का समुचित सत्यापन करके जारी किया जाए।

(ङ) दूरसंचार विभाग ने टीएसपी को यह अनुदेश जारी किए हैं कि कोई टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने से पहले उपभोक्ता का उसके फोटोग्राम से सत्यापन किया जाए और संबंधित मूल दस्तावेजों से उसके पते के प्रमाण (पीओए) और पहचान के प्रमाण (पीओआई) का सत्यापन किया जाए। दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन और अनुश्रवण (टर्म) प्रकोष्ठ (दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयां) इन अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए मासिक आधार पर उपभोक्ता आवेदन प्रपत्रों (सीएएफ) के नमूना सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। अनुपालन नहीं किए जाने के मामलों में टीएसपी पर दंड अधिरोपित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

'ग्रामसेट' योजना पर व्यय

278. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :**
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले विशेषकर जनजातीय जिलों में 'ग्रामसेट' योजना के लिये निर्धारित निधियों तथा इस पर व्यय की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : ग्रामसैट योजना पर व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का योगदान ग्रामसैट परियोजना के लिए आवश्यक बैण्ड-विस्तार प्रदान करना है। इस बैण्ड-विस्तार का अनुमानित मूल्य 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। ग्रामसैट योजना में मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार तथा बारवाली जिला; ओडिशा का कालहण्डी-बोलंगिर- कोटापुट (केबीके) क्षेत्र; गुजरात के पंचमहल, तंग, सबरकान्ता तथा बानसकान्ता जिले जैसे जनजाति के क्षेत्र शामिल हैं। फिलहाल ग्रामसैट योजना के उद्देश्य एडुसैट कार्यक्रम में पूरे किये जा रहे हैं।

महंगी विमान यात्रा

279. **श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान यात्रा महंगी होने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त वृद्धि को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) घरेलू यात्रियों के लिए विमान किराया बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है न कि सरकार द्वारा तय किया जाता है। वायुयान नियम 1937 के नियम 135 द्वारा देश में घरेलू

विमान किराया के विनियमन का ढांचा तय होता है, जो कि एयरलाइनों द्वारा टैरिफ प्रकाशन में पादर्शिता बनाए रखने के लिए व्यापक सिद्धांत तय करता है। टैरिफ प्रकाशन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नागर मिवानन महानिदेश्यालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

— अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपनी वेबसाइटों में स्थापित टैरिफों को रूट के अनुसार तथा किराए को श्रेणी-वार प्रतिमाह प्रदर्शित करें तथा किसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय परिवर्तन को नागर विमानन महानिदेशालय को 24 घंटों के भीतर सूचित करें।

— नियमित आधार पर टैरिफ मॉनीटर करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय में एक टैरिफ विश्लेषण एकक की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

दक्षिण भारत में विमान सेवायें

280. श्री ए.के.एस. विजयन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दक्षिणी राज्यों में अच्छी खासी संख्या में विश्व दाय केन्द्र स्थित होने के मद्देनज़र सरकार द्वारा इन राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में सस्ती विमान सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है;

(ख) निजी विमान कंपनियों से मिल रही प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए विमानन क्षेत्र द्वारा दक्षता में सुधार हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) फिलहाल तमिलनाडु के इन स्टेशनों से हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं:—

चेन्नै, कोयम्बतूर, मदुरै, सेलम, त्रिची, तूतिकोरिन। इसके अतिरिक्त, दक्षिणी क्षेत्र के निम्नलिखित स्टेशन भी हवाई मार्ग से जुड़े हैं:—

हैदराबाद, राजमुंद्री, तिरूपति, विजयवाड़ा, विजाग, बंगलौर, बेलगांव, हुबली, मंगलौर, मैसूर, कालीकट, कोचीन और त्रिवेंद्रम।

सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में अनुसूचित हवाई परिवहन क्षेत्रीय सेवाएं प्रचालित करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों को प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किए हैं:—

(1) मैसर्स फ्रीडम एविएशन

(2) मैसर्स एयर पेगसस

(ख) घरेलू सेक्टर में प्रचालनों को अविनियमित किया जा चुका है और उड़ानों का प्रचालन संबंधित एयरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जा रहा है। सरकार ने पूर्वात्तर क्षेत्र समेत देशके विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं का बेहतर विनियम हासिल करने के दृष्टिगत मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना एयरलाइनों पर है।

(ग) सरकार बदलते परिदृश्य के प्रति लगातार प्रतिक्रियाशील रही है और सेक्टर की वृद्धि को सुगम और सक्षम बनाने और वैश्विक मानकों को पूरा करने और प्रतिस्पर्धा का सामना करने के उद्देश्य से सेक्टर-विशिष्ट नीतियां तैयार कर रही है।

सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार है:—

(i) हवाईअड्डों के लिए अपेक्षाकृत आसान एफडीआई नीति बनाई गई है, जिसके तहत ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों में स्वचालित मार्ग द्वारा 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। (ii) नागर विमानन के हवाई परिवहन पहलू की एफडीआई संबंधी आवश्यकताओं को संशोधित किया गया है और विभिन्न सेक्टरों जैसे अनुसूचित कार्गो प्रचालकों, गैर-अनुसूचित प्रचालकों, एमआरओ आदि के संबंध में पृथक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। (iii) निजी इस्तेमाल के लिए निजी हवाईअड्डों की संस्थापना के लिए शिथित क्रियाविधियां घोषित की गई हैं। (iv) निजी घरेलू एयरलाइनों का विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अध्यधीन विदेशी मार्गों पर उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता को सक्षम बनाने के उद्देश्य से अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करारों को धीरे-धीरे उदार बनाया गया है। (v) गोंदिया, महाराष्ट्र में एक नए उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की पुनर्संरचना की गई है। इन उपायों से विमानन सेक्टर

में कुशल जनशक्ति के लिए बेहतर प्रशिक्षण अवसंरचना तैयार करने में मदद मिलेगी। (vi) एयरलाइनों की भावी मांग को पूरा करने के लिए हवाईअड्डों पर अवसंरचना, हवाई यातायात नियंत्रण और दिक्चालन का निरंतर स्तरोन्नयन किया जा रहा है। (vii) विश्व स्तरीय हवाईअड्डा अवसंरचना के सृजन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वयं के साथ-साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से अनेक मैट्रो और गैर-मैट्रो हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य हाथ में लिया गया है। (viii) एएआई ने समयबद्ध तरीके से देश में 35 गैर-महानगरीय हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण कार्य हाथ में लिया है। इसके अतिरिक्त 13 अन्य हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन भी हाथ में लिया गया है। (ix) एएआई ने चेन्नै और कोलकाता के मैट्रो हवाईअड्डों का विस्तार और आधुनिकीकरण कार्य भी हाथ में लिया गया है। (x) डीजीसीए समय-समयपर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और देश के विमानन आवश्यकताओं के मुताबिक अपने विनियमों की समीक्षा और संशोधन करता रहता है। (xi) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वयं डीजीसीए का सुदृढ़ीकरण किया गया है। (xii) सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत विनिर्दिष्ट हवाईअड्डों का सिटी साइड विकास हाथ में लिया गया है। (xiii) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए नई नीति। (xiv) 12.5.2009 को ऐरा नामक एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसके प्रमुख उद्देश्य हैं– सभी प्रमुख हवाईअड्डों (सरकारी, पीपीपी-आधारित, निजी) के बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सृजन, वैमानिकी सेवाओं के टैरिफों का विनियमन, प्रयोक्ताओं के औचित्यपूर्ण हित की रक्षा।

यूआईडीएआई का प्रशासनिक ढांचा

281. **श्री संजय दिना पाटील :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री संजय भोई :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रशासनिक ढांचे के बारे में शंका व्यक्त की है, जैसा कि मीडिया में रिपोर्टें आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने इस परियोजना के वित्तपोषण के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यूआईडीएआई के वित्त तथा लेन-देन की निगरानी के लिए तथा इसके प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन पर विचार हेतु एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यूआईडीएआई द्वारा निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। यूआईडीएआई, योजना आयोग का संबद्ध कार्यालय है। योजना आयोगने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग केसाथ इस मुद्दे को उठाया था, जिससे कि योजना आयोग में फाइलों की देख-रेख की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, जो यूआईडीएआई से एक संबंद्ध कार्यालय के रूप में आती है। योजना आयोग ने यह भी कहा कि यूआईडीएआई में वित्तीय सलाहकार को वित्तीय सलाहकार के रूप में उनके कार्य के साथ-साथ अनेक प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं। यह इंगित किया गया है कि इस व्यवस्था से प्रस्तावों की स्वतंत्र संवीक्षा का लाभ खत्म हो जाएगा, जिसमें वहीं निकटस्थ कार्यरत वित्तीय सलाहकार द्वारा सार्वजनिक निधियों का उपयोग शामिल है। इन मामलों का समाधान हो चुका है और मौजूदा सरकारी कार्यप्रणालियों के अनुसार प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

(ग) जी, नहीं। चरण-I और चरण-II के क्रमशः आईएनआर 147.31 करोड़ और आईएनआर 3023.01 हेतु निधियन प्रस्तावों को स्थायी/व्यय वित्तीय समितियों की सिफारिश के अनुसार अनुमोदित कर दिया गया है। व्यय वित्त समिति ने चरण-III के लिए आईएनआर 8814.75 करोड़ रुपये की सिफारिश की है, जिसमें चरण-III के लिए 3023.01 करोड़ रुपये शामिल है। इस प्रस्ताव को उचित समय पर यूआईडीएआई (सीसी, यूआईडीएआई) संबिंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) यूआईडीएआई के पास पहले ही एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार है जिसे व्यय विभाग द्वारा दिसंबर, 2009 में नियुक्त किया गया था। तथापि वित्तीय सलाहकार को कई अन्य उत्तरदायित्व भी आबंटित किए गए। मामले को व्यय विभाग के संज्ञान में लाने के पश्चात् यूआईडीएआई ने वित्तीय सलाहकार को वे कार्य सौंपे गए हैं जो वित्तीय सलाहकार कार्यालय के मुख्य कार्य होते हैं।

(छ) निधियों के उपयोग का मॉनीटरण यूआईडीएआई में मौजूदा सरकारी निदेशों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है।

विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना

282. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :
श्री संजय भोई :

क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व-स्तरीय सुविधाओं के साथ एक विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य के लिए किन स्थानों को चिह्नित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में कितना व्यय होगा; और

(ङ) इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) सरकार के समक्ष देश में एक एविएशन विश्वविद्यालय खोलकर भारतीय एविएशन सेक्टर में मानव संसाधन की आवर्धन का एक प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) लागू नहीं होता।

एयर इंडिया द्वारा समय-पालन

283. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया अपनी उड़ानों के समय-पालन में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) एयर इंडिया ने अक्तूबर, 2011 में दिल्ली के टर्मिनल 3 में आईओसीसी (इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर) और एचसीसी (हब कंट्रोल सेंटर) कार्यान्वित किया है। एयर इंडिया के समूचे नेटवर्क का प्रबंधन और नियंत्रण आईओसीसी को शिफ्ट कर दिया गया है, आईओसीसी ऑन टाइम परफार्मेंस से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए सभी स्टेशनों के साथ दैनिक समीक्षा करता है।

ऑन टाइम परफार्मेंस (ओटीपी) में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:—

(i) चैक इन काउंटरों को समय पर बंद किए जाने और प्रस्थान की निगरानी किया जाना और सुनिश्चित किया जाना।

(ii) उड़ान विलम्बों को न्यूनतम करने के लिए डीजीसीए के 21 अक्तूबर, 2009 के परिपत्र सं. 23-11/2004-आरडी में इंगित क्रियाविधि का कठोर अनुपालन।

(iii) मध्यवर्ती बिन्दुओं पर परिणामी/विलम्बों से बचने के लिए पूरे नेटवर्क पर उड़ानों के लिए ब्लॉक टाइम/टर्न अराउंड टाइम में वृद्धि।

(iv) विमानों, कर्मीदल, इंजीनियरिंग और अतिमहत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता की कठोर निगरानी।

इन उपायों से, एयर इंडिया अक्तूबर, 2011 में 80% से अधिक समयनिष्ठा हासिल करने में सक्षम रही है।

बुद्ध का भिक्षा पात्र

284. **डॉ. रघुवंश प्रसाद** सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में ही यह सूचना मिली है कि बुद्ध द्वारा वैशाली के लोगों को दिया गया भिक्षा पात्र काबुल के संग्रहालय में मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने उक्त पात्र की एक फोटो सरकार को भेजी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त पात्र को वापस लाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या चीनी तीर्थयात्री फॉ-हियान के यात्रा-वृत्तांतों तथा डॉ. कुनिनघाम तथा श्री एस.वी. साहनी के लेखों में भी इस यात्रा का उल्लेख किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ज) काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने इस मामले की पड़ताल की है। यह पता चला है कि जिस मद को महात्मा बुद्ध का भीख मांगने का कटोरा होना का दावा किया है, वह पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्ला के शासनकाल तक निश्चित रूप से कंधार में था। बाद में इसे काबुल लाया गया और इस समय यह काबुल संग्रहालय में है। यह इंगित किया गया है कि भीख मांगने का कटोरा, जिसका एक चित्र/फोटो हमारे दूतावास ने प्राप्त किया है, उसमें अरबी और फारसी में (कुछ) खुदा हुआ है और वह बड़ा भी है, जो इसके उद्गम स्थान पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुरोध किया गया है कि वह इस समय काबुल के संग्रहालय में रखे कटोरे के उद्गम स्थान के संबंध में, यदि उसके पास कोई सूचना या सलाह हो तो बताए।

[हिन्दी]

"आधार" की धीमी गति

285. **श्री रामकिशुन : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधार योजना की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ख) क्या आधार कार्ड तैयार करने में शामिल विभिन्न एजेंसियां धीमी गति से कार्य कर रही हैं जिससे उक्त कार्डों के बनाने और उनके वितरण में काफी विलंब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का देश में सभी नागरिकों को आधार कार्ड कब तक जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रक्रिया में विलंब के कारण क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) अब तक की स्थिति के अनुसार, यूआईडीएआई के नामांकन लक्ष्य समय-सारणी के अनुरूप हैं।

(ख) जी, नहीं। दिनांक 15.11.2011 तक 6.73 करोड़ आधार संखाएं सृजित की जा चुकी हैं। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि पत्रों के मुद्रण और निवासियों को इनके वितरण में कोई विलंब न हों। यूआईडीएआई आधार कार्ड जारी नहीं करता है।

(ग) फिलहाल, यूआईडीएआई ने 2014 तक 60 करोड़ नामांकनों का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें से 20 करोड़ नामांकन मार्च, 2012 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

286. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :**
श्रीमती रमा देवी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दूरसंचार कंपनियों ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में अपना हिस्सा जमा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार को निधियों के उपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) भारतीय तार संशोधन अधिनियम, 2003

के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों को सीधे तौर पर सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) में अपना शेयर जमा कराना अपेक्षित नहीं है। इसे कुल लाइसेंस शुल्क के भाग के रूप में संग्रहित किया जाता है।

(ग) और (घ) यूएसओएफ निधि के उपयोग के संबंध में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उनसे संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i) यूएसओएफ से मैसर्स टाटा टेलीसर्विसे तथा मैसर्स रिलायंस को स्व-प्रमाणित एवं अधिकांशत: जाली ग्रामीण फोनों के बारे में 1650 करोड़ रु. के संवितरण के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई।

(ii) ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइन (आरडीईएल) स्कीम के विशेष संदर्भ में यूएसओएफ राज सहायता के निर्धारण एवं प्रबंधन में तथाकथित अनियमितताओं के बारे में माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे।

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत् है:—

(i) सीवीसी की शिकायत पर, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रकों/मुख्य लेखा नियंत्रकों की अध्यक्षता में चार विशेष दस्ते बनाए गए ताकि शिकायतों की जांच की जा सके तथा तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

(ii) माननीय सांसद द्वारा उठाया गया मुद्दा सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

287. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री अंजन कुमार एम. यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता तथा उनके प्रति-निधियों की जोरदार मांग के बावजूद केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की नीति, उच्चतर स्तर की विशेषज्ञता में पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों को छोड़कर, अवर-स्नातक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर आदि में अध्ययन के कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए लागू है। नवोदय विद्यालयों (एनवीएस) एवं केन्द्रीय विद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षण प्रदान करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

तत्काल पासपोर्ट

288. **श्री मानिक टैगोर :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'तत्काल' योजना के तहत पासपोर्ट जारी करने के मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का तत्काल योजना के अधीन पासपोर्ट जारी करने की अवधि को और घटाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) तत्काल योजना तात्कालिक मामलों में एक समयबद्ध ढंग से पासपोर्ट जारी करने केलिए आवेदकों को एक पारदर्शी और व्यवस्थित सुविधा प्रदान करने के लिए 1.1.2000 को शुरू की गई थी। तथापि, तात्कालिकता साबित करने के लिए आवेदक द्वारा कोई समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं है। योजना के अंतर्गत पासपोर्ट आवेदनों पर पश्च-पुलिस सत्यापन आधार (जहां अपेक्षित हो) पर कार्रवाईकी जाती है, ताकि पासपोर्ट जारी करने वाला प्राधिकारी आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 1 से 7 दिनों के भीतर नया पासपोर्ट जारी कर सके, बशर्ते आवेदन पर कार्रवाई करने के दौरान डेटाबेस

में कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त न हो। तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट को पुनः जारी करने का कार्य तीन कार्य दिवसों के भीतर किया जाता है। तत्काल आवेदन के साथ किसी एक जारीकर्त्ता प्राधिकारी से सत्यापन प्रमाणपत्र अथवा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 16 में से तीन पहचान दस्तावेजों को संलग्न किया जाना चाहिए। तत्काल सेवा के लिए 1500/- रुपए के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होता है।

(ख) और (ग) तत्काल श्रेणी के अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने की अवधि को और कम करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की व्यवस्था भारत स्थित सभी पासपोर्ट कार्यालयों में पहले ही प्रचालनरत है। जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों और त्वरित डाक केन्द्रों को भी ऑनलाइन आवेदन फाइल करने और डेटा पासपोर्ट कार्यालयों को अंतरित करने की अनुमति दी गई है, ताकि पासपोर्ट की त्वरित सुपुर्दगी को सहज बनाया जा सके। इस सुविधा को पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी) के अंतर्गत और अधिक उन्नत किया गया है।

[हिन्दी]

कम लागत के कम्प्यूटर

289. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
डॉ. भोला सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'आकाश' नामक एक टेबलेट पीसी निर्मित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस टेबलेट पीसी के लिए निर्धारित की जाने वाली कीमत का ब्यौरा क्या है तथा इस पर छात्रों को दी जाने वाली प्रस्तावित राज सहायता की राशि कितनी है;

(घ) देश में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के छात्रों को कितने वर्षों में यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ङ) इस टेबलेट पीसी और बाजार में उपलब्ध लैपटॉप के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इसे भारत में विद्यालय तथा महाविद्यालयों के छात्रों को उपलब्ध कराएजाने के अतिरिक्त इसके विकास तथा अन्य देशों में विपणन के लिए विदेशों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किए जाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) आकाश का निर्माण भारत में किया गया है। मैसर्स डाटाविन्ड इस वर्तमान आकाश टेबलेट का निर्माता है। उन्हें आईआईटी राजस्थान द्वारा 100,000 टेबलेट के लिए पायलट आर्डर दिया गया है जिन्होंने इन यंत्रों के लिए आर्डर विभिन्न जलवायु और उपयोग संबंधी स्थितियों में सम्पूर्ण भारत में छात्रों द्वारा परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए दिया है।

(ग) इस टेबलेट पीसी के लिए कीमत 1,00,000 यंत्रों की आर्डर मात्रा के लिए अमरीकी डॉलर 49.98 प्रति यूनिट है (जो आर्डर देने के समय पर चल रही विनियम दर पर परिवर्तन करने पर 2276.00 रु. बैठती है), इसमें भाड़ा, बीमा, सर्विस तथा प्रलेखन आदि जैसे प्रभार शामिल हैं। इस मूल्यमें निर्माता की ओर से एक वर्ष तक निःशुल्क बदलने की वारन्टी भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य इस यंत्र को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 50% की आर्थिक सहायता पर उपलब्ध कराना है तब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यह यंत्र आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पुस्तक बैंक योजना की पद्धति पर पुस्तकालय से जारी करने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

(घ) इस समय सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) योजना में ऐसे पीसी के लिए 50% की आर्थिक सहायता केवल उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए परिकल्पित है।

(ङ) दो यंत्रों में तुलना करना कठिन है क्योंकि दोनों यंत्र अलग-अलग किस्म के हैं। तथापि, शिक्षा प्रयोजनों के लिए उपयोग की दृष्टि से आकाश टेबलेट पीसी बुनियादी आवश्यकताओं को पुर्याप्त रूप से पूरा करेगा। जबकि कार्यात्मक रूप से, बुनियादी आवश्यकताओं के संबंध में इस टेबलेट पीसी और एक लैपटॉप पीसी के बीच कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है तथापि हार्डवेयर वार इनमें काफी अंतर है। इस टेबलेट पीसी के विनिर्देशन वेबसाइट *www.sakshat.ac.in* पर उपलब्ध हैं। लैपटॉप के लिए बाजार में उपलब्ध विनिर्देशन मॉडलवार और निर्माणानुसार अलग-अलग है।

(च) इस समय इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार समाप्त करना

290. श्री अर्जुन राय :
श्री हर्षवर्धन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के घोटालों को देखते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने प्रशासन में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) सरकार भ्रष्टाचार के खतरे के प्रति सचेत है और सभी तरह के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु वचनबद्ध है। सिविल सोसायटी और मीडिया ने इस संबंध में सरकारी प्रयासों और वचनबद्धता के फोकस को बढ़ाने हेतु योगदान दिया है।

(ख) भ्रष्टाचार को सभी केवल पणधारियों जिसमें निजी क्षेत्र, मीडिया और सिविल सोसायटी शामिल हैं, के संयुक्त प्रयासों से समाप्त किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकार की कार्यप्रणाली को सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) भंडाफोड़ करने वालों से संबंधित संकल्प, 2004 का जारी किया जाना और लोकहित प्रकटन तथा प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2011 को संसद में प्रस्तुत किया जाना;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) सतर्कता पर, वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की निवारक उपाय के रूप में पूर्वसक्रिय भागीदारी;

(iv) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पादर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(v) मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने के संबंध में संगठनों से कहते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना। मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देते हुए दिनांक 16.09.2009 को केन्द्र सरकार ने इसी तरह के अनुदेश जारी कर दिए हैं।

(vi) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(vii) नागरिक चार्टर जारी करना।

(viii) उन उपायों जो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निबटने के लिए किए जा सकते हैं, पर विचार-विमर्श के लिए मंत्रिदल की प्रथम रिपोर्ट का स्वीकार किया जाना।

(ix) लोक सभा में लोकपाल विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन।

(x) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन।

(xi) विदेशी लोक पदाधिकारियों और लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011 का लोकसभा में पुरःस्थापन।

(xii) न्यायिक मानक और जबावदेही विधेयक, 2010 का संसद में पुरःस्थापन।

(xiii) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा केन्द्र सरकार के अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरणी को जनव्यापी बनाया जाना।

[अनुवाद]

डाक बचत योजनाओं पर ब्याज

291. **श्री एस. सेम्मलई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न डाक बचत योजनाओं पर ब्याज दर आकर्षक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ाए जाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने लघु बचत योजना के एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन को कम कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(छ) क्या सरकार का उक्त कमीशन में वृद्धि का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें प्रशासनिक ब्याज दरें हैं। ये दरें उपयुक्त स्प्रैड वाली तुलनात्मक परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत वार्षिक लाभ के अनुसार बैंचमार्क की जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने 01.12.2011 से निम्नलिखित विवरण के अनुसार लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है:—

बचत योजना	वर्तमान दर (%)	01.12.2011 से संशोधित दर (%)
बचत खाता	3.5	4.0
1 वर्ष की सावधि जमा	6.25	7.7
2 वर्षों की सावधि जमा	6.50	7.8
3 वर्षों की सावधि जमा	7.25	8.0
5 वर्षों की सावधि जमा	7.50	8.3
5 वर्षों की आवर्ति जमा	7.50	8.0
5 वर्षों की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	9.0	9.0
5 वर्षों की मासिक आय खाता योजना	8.0 (6 वर्षों की एमआईएस)	8.2
5 वर्षों का एनएससी	8.00 (6 वर्षों का एनएससी)	8.4
10 वर्षों का एनएससी	नई योजना	8.7
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	8.00	8.6

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार ने 01.12.2011 से कमीशन की दरों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधन करने का निर्णय लिया है:—

बचत योजना	वर्तमान दर (%)	01.12.2011 से संशोधित दर (%)
1 वर्ष की सावधि जमा	1.0	0.50
2 वर्षों की सावधि जमा	1.0	0.50
3 वर्षों की सावधि जमा	1.0	0.50
5 वर्षों की सावधि जमा	1.0	0.50
5 वर्षों की आवर्ति जमा	4.0	4.0
5 वर्षों की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	0.50	0
5 वर्षों की मासिक आय खाता योजना	1.0	0.50
5 वर्षों का एनएससी	1.0	0.50
10 वर्षों का एनएससी	नई योजना	0.50
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	1.0	0

(छ) और (ज) उपर्युक्त (च) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) की वार्ता

292. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के संघ की त्वरित वार्ता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री की आसियान के आर्थिक मंत्रियों के साथ मनाडो, इंडोनेशिया में 13 अगस्त, 2011 को बैठक हुई थी। इस बैठक में, मंत्रियों ने अपने-अपने पदाधिकारियों को सेवाओं और निवेश पर भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार को अंतिम रूप देने पर भारत-आसियान के बीच बातचीत तेजी से करने का कार्य सौंपा।

कोयला वितरण नीति

293. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को भेद भाव रहित तरीके से कोयले के प्रभावी वितरण हेतु कोई कोयला नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2011-12 के लिए राज्य-वार आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) नई कोयला वितरण नीति, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत उपभोक्ता कंपनियों तथा अन्य उपभोक्ताओं जिनके पास ईंधन आपूर्ति करार/समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार वैध दीर्घावधि कोल लिंकेज/आश्वासन पत्र है, को कोयले की आपूर्ति की

जाती है। तथापि, कोयले का राज्य-वार आबंटन संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित लघु एवं मध्यम उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा किया जाता है। सीआईएल द्वारा इस प्रयोजन के लिए कोयले की कुल वार्षिक मात्रा 8 मिलियन टन निर्धारित की गई है।

(ख) सीआईएल द्वारा लघु और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए निर्दिष्ट मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र. सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2011-12 के दौरान विनिर्दिष्ट मात्रा (लाख टन में)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.00
2.	आंध्र प्रदेश	0.50
3.	असम	1.32
4.	बिहार	3.85
5.	छत्तीसगढ़	3.45
6.	गोवा	1.00
7.	गुजरात	2.16
8.	हिमाचल प्रदेश	1.02
9.	झारखंड	8.76
10.	जम्मू और कश्मीर	1.08
11.	कर्नाटक	1.01
12.	केरल	0.50
13.	मध्य प्रदेश	6.67
14.	महाराष्ट्र	8.57
15.	मणिपुर	1.00
16.	मेघालय	1.00
17.	मिजोरम	1.00
18.	नागालैंड	1.02
19.	ओडिशा	11.68
20.	पुदुचेरी	0.25
21.	पंजाब	2.18
22.	राजस्थान	1.86
23.	सिक्किम	1.00
24.	तमिलनाडु	0.50
25.	उत्तर प्रदेश	11.39
26.	उत्तराखंड	1.46
27.	पश्चिम बंगाल	3.14
28.	दादरा और नगर हवेली	0.25
29.	लक्षद्वीप	0.25
30.	त्रिपुरा	1.00
	कुल	79.87 एलटी

दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा अंडमान और निकोबार ने सूचित किया है कि वे इस योजना के अंतर्गत कोयला लेने के इच्छुक नहीं हैं।

(ग) इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के लिए दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अध्यापक शिक्षा में सुधार

294. श्री अंजन कुमार एम. यादव :
श्रीमती रमा देवी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अध्यापक शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) उन बोर्डों के नाम क्या हैं जो इन सुझावों के माध्यम से निर्णय लेने पर सहमत हो गए हैं; और

(घ) असहमत बोर्डों द्वारा इस निर्णय से सहमत नहीं होने के क्या कारण बताए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य पणधारियों के साथ व्यापक स्तर पर चर्चा की है तथा अध्यापक शिक्षा पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना, अध्यापक अर्हता मानदंडों में संशोधन, अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय ढांचे के विकास, मान्यता मानदंडों और प्रक्रियाओं पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियमों में संशोधन एवं विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के विकास आदि के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं।

अध्यापक शिक्षा पर नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के विकास, विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए 'मॉडल' पाठ्यचर्या के विकास, कक्षा I-VIII तक अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करने, अध्यापक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने, अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु नीतियों के विकास आदि सहित अध्यापक शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु कई कदम उठाए हैं।

सुधार हेतु की गई पहलों पर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, परीक्षा बोर्ड और अन्य पणधारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

जाली प्रमाण-पत्र/डिग्री

295. **श्री अब्दुल रहमान :**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में जाली अंक पत्रों तथा जाली जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रवेश के कई मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों में जांच पूरी कर ली गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा उन छात्रों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है जिन्होंने धोखाधड़ी से दिल्ली के कॉलेजों में प्रवेश पा लिया है और योग्य छात्रों को वंचित रहना पड़ा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अब तक रामजस कॉलेज में जाली प्रमाण-पत्रों/डिग्रियों के आधार पर दाखिला लेने के 31 मामले तथा जाली जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर दाखिला लेने के 43 मामले विश्वविद्यालय के सामने आए हैं।

(ग) से (ङ) संबंधित कॉलेजों द्वारा जाली प्रमाण-पत्रों/डिग्रियों के आधार पर दाखिला लेने वाले 31 विद्यार्थियों का दाखिला रद्द करने के अतिरिक्त उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। कथित जाली जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर दाखिला लेने वाले 43 विद्यार्थियों के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा इन जाति प्रमाण-पत्रों की जांच करवाई गई। इसके परिणामस्वरूप 13 विद्यार्थियों द्वारा नए जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए जिन्हें जांच के बाद सही पाया गया, जबकि 5 विद्यार्थियों ने अपना दाखिल वापिस ले लिया। विश्वविद्यालय ने 25 विद्यार्थियों को "कारण बताओ नोटिस" जारी किए तथा उनके उत्तर प्राप्त होने के बाद 7 विद्यार्थियों का दाखिला रद्द दिया गया है। शेष 18 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों को संबंधित प्राधिकारियों के पास पुन: जांच हेतु भेजा गया है।

(च) दिल्ली विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है तथा यह दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई सांविधियों/अध्यादेशों के द्वारा अभिशासित होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय सभी अकादमिक एवं प्रशासनिक मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। सरकार की विश्वविद्यालय के दिन-प्रतिदिन के अभिशासन में कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

एसएसए के अधीन निधियों का दुरुपयोग

296. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अधीन जारी निधियों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र तथा उपाय अपनाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसएसए के अधीन वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी निधि आबंटित और जारी की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा एसएसए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) जी, नहीं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए कड़ी मॉनीटरिंग प्रणाली मौजूद है जिसमें सांविधिक और वित्तीय लेखापरीक्षाएं तथा संगत वित्तीय समीक्षाएं, कार्यक्रम की प्रगति पर स्वतंत्र समीक्षा मिशन, सामाजिक विज्ञान के प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर की मॉनीटरिंग, राज्यों द्वारा मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालयों को निधियों के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण की प्रणाली मौजूद है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष (30.9.2011 के अनुसार) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी राज्य-वार तथा वर्ष-वार केन्द्रीय निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2008-09 से 2010-11 तथा चालू वर्ष 2011-12 के दौरान जारी अनुदान

क्र. सं.	राज्य का नाम	भारत सरकार द्वारा जारी (रुपए लाख में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (30.09.2011 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	71031.78	38569.90	81000.00	143551.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	13683.64	11427.95	20401.77	8880.10
3.	असम	42740.91	47480.00	76854.35	79247.73
4.	बिहार	186158.47	121739.06	204789.63	115908.94
5.	छत्तीसगढ़	51853.86	55592.82	87863.00	28940.21
6.	गोवा	804.41	550.58	671.27	579.14
7.	गुजरात	25432.47	20031.73	44065.01	28150.79

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	20546.87	27600.00	32786.11	27061.66
9.	हिमाचल प्रदेश	8552.99	8608.00	13786.66	9192.78
10.	जम्मू और कश्मीर	20532.59	37363.27	40348.79	19770.50
11.	झारखंड	69041.09	70940.22	89562.26	41903.46
12.	कर्नाटक	51578.19	44220.60	66903.00	42788.35
13.	केरल	10854.04	11989.50	19660.73	17021.85
14.	मध्य प्रदेश	85569.35	113249.00	176783.00	160427.12
15.	महाराष्ट्र	67386.02	56432.00	85537.00	102962.58
16.	मणिपुर	321.21	1500.00	13253.77	2940.55
17.	मेघालय	9440.36	9383.00	18540.90	8424.62
18.	मिजोरम	5112.59	6617.75	10115.31	9314.06
19.	नागालैंड	2867.87	4913.00	8636.83	4798.33
20.	ओडिशा	49080.90	63061.60	73177.85	75719.98
21.	पंजाब	13808.10	20044.00	39612.74	48112.44
22.	राजस्थान	108326.80	127124.00	146182.29	99838.43
23.	सिक्किम	1075.31	1736.00	4469.19	3022.84
24.	तमिलनाडु	45414.47	48366.00	69068.57	53937.15
25.	त्रिपुरा	6464.12	7473.00	17121.48	10309.23
26.	उत्तर प्रदेश	212884.89	196011.90	310462.88	145268.64
27.	उत्तराखंड	11444.45	16006.29	25793.94	20092.49
28.	पश्चिम बंगाल	65169.37	104142.00	174703.17	131252.79
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	780.54	412.44	357.78	607.36
30.	चंडीगढ़	820.52	1100.72	2155.89	1311.77

1	2	3	4	5	6
31.	दादरा और नगर हवेली	104.63	350.18	413.78	564.35
32.	दमन और दीव	0.00	169.00	162.99	230.06
33.	दिल्ली	1529.01	3088.62	3552.71	2135.28
34.	लक्षद्वीप	70.00	143.80	127.39	127.86
35.	पुदुचेरी	638.59	669.96	485.38	557.62
	कुल	1261120.41	1278107.89	1959407.42	1444952.78

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

297. श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के अपनी स्थापना के समय मुख्य उद्देश्य और क्षेत्रीय समितियों की संख्या, यदि कोई हो, तो वे क्या हैं;

(ख) क्या एनसीटीई की दक्षिण समिति अक्तूबर, 2004 में मुख्यालय से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी की संवीक्षा के अंतर्गत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राप्त की गई रिपोर्ट का संक्षिप्त सारांश क्या है और रिपोर्ट के प्रत्येक मुद्दे पर अंतिम निर्णय सहित निष्कर्षों पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अंतर्गत चार क्षेत्रीय समितियां स्थापित की गई हैं – भुवनेश्वर में स्थित पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भोपाल में स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, जयपुर में स्थित उत्तरी क्षेत्रीय समिति और बंगलौर स्थित दक्षिणी क्षेत्रीय समिति। क्षेत्रीय समितियों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना है।

(ख) से (घ) सितंबर, 2010 में श्री पी. राजेश्वर रेड्डी, और गायत्री शैक्षणिक और सांस्कृतिक न्यास, हैदराबाद द्वारा चलाई जारही शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने गायत्री शैक्षणिक और सांस्कृतिक न्यास, हैदराबाद द्वारा चलाए जा रहे ललिता शिक्षा कॉलेज के बी.एड. और डी.एड. पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में दक्षिणी क्षेत्रीय समिति के निर्णय की जांच करने के लिए 30 सितंबर, 2010 को दो-सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने अक्तूबर, 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और दक्षिणी क्षेत्रीय समिति और दक्षिणी क्षेत्रीय समिति के कार्यालय के पांच कर्मचारियों, जिनमें क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, बंगलौर के कार्यालय से सितम्बर, 2004 से मई, 2006 तक प्रतिनियुक्ति पर अवर सचिव के रूप में कार्यरत एक अधिकारी शामिल है, द्वारा निर्णय लेने में कुछ अनियमितताएं पाईं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में कार्यरत दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की है और अपने मूल विभागों को प्रत्यावर्तित किए गए कर्मचारियों के संबंधित मूल विभागों को उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अनुरोध भेजे हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, बंगलौर से वर्ष 2006 में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, बंगलौर के कार्यालय में वापस गए संदर्भाधीन अवर सचिव ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

[हिन्दी]

गरीबी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

298. श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री महेश्वर हजारी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र फेडरेशन की "सततता और समता: सबके लिए बेहतर भविष्य" से संबंधित हाल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारतीय जनसंख्या के 41.6% व्यक्ति 49/- रुपए प्रतिदिन से कम राशि का जीवनयापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट किए गए मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विश्व के गरीबी लोगों में से सर्वाधिक लोग भारत में रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 169 देशों में 119 से नीचे आकर 134वें पर आ गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या वर्तमान में भारत की वैश्विक परिसम्पत्ति 14 प्रतिशत बढ़ गयी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में एक समान आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हाल में जारी "सततता और समता: सबके लिए बेहतर भविष्य" शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर), 2011 में कहा गया है कि संदर्भ वर्ष 2005 से, 41.6% भारतीय 1.25 डॉलर प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे।

गरीबी के आकलन के लिए सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में योजना आयोग लगभग पांच वर्ष पर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत्तर प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर प्रति व्यक्ति गरीबी अनुपात की परिगणना करता है। ताजा अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2004-05 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति गरीबी अनुपात 37.2 प्रतिशत है।

(ङ) और (च) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में, मानव विकास सूचकांक, 2011 के 187 देशों में भारत 134वें स्थान पर है, जबकि 2010 में 169 देशों की सूची में भारत 119वें स्थान पर था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में जारी मानव विकास रिपोर्टों में मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है जिसमें देशों को उनके मानव विकास स्तर के हिसाब से क्रम दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक तीन सूचकों, नामत: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (अमरीकी डॉलर में क्रय शक्ति समता), जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा वयस्क साक्षरता दर द्वारा मापित सकल पंजीकरण अनुपात (प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक शिक्षा के लिए संयुक्त) पर आधारित है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय डेटा एजेंसियां अपनी आंकड़ा श्रृंखलाओं को निरंतर संवर्धित करती हैं और ऐतिहासिक आंकड़ों को अद्यतन करती हैं। अत: मानव विकास सूचकांक मूल्यों में वर्ष-दर-वर्ष बदलाव तथा मानव विकास रिपोर्ट के विभिन्न संस्करणों में दिएगए क्रम प्राय: परिवर्तनों को परिलक्षित करते हैं। इसलिए, 2010 के लिए मानव विकास सूचकांक 0.519 से बदलकर 0.542 हो गया है। मानव विकास रिपोर्ट, 2011 से पता चलता है कि भारत मानव विकास सूचकांक मूल्य की दृष्टि से लगातार ऊपर बढ़ा है; 2009 में यह 0.535 था जो 2010 में 0.542 और 2011 में 0.547 हो गया।

उच्च विकास दर हासिल करने, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान तथा मजदूरी और स्व-रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी उपशमन, सुरक्षित पेयजल तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान आदि जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से लोक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण से, भविष्य में भारत के मानव विकास सूचकांक में और ऊपर बढ़ाने की उम्मीद है।

(छ) और (ज) भारत के वैश्विक परिसम्पत्तियों से जुड़े आंकड़े संकलित नहीं है और ये योजना आयोग में नहीं रखे जाते।

सीआईएल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

299. **श्रीमती मीना सिंह : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अक्तूबर माह में एक दिन की हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों और इस हड़ताल के परिणामस्वरूप सीआईएल को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, हां। सभी सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन (सीटीयू) 10 अक्तूबर, 2011 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर थी।

(ख) और (ग) ट्रेड युनियनों की मांगें वर्ष 2009-10 के लिए 25,000/- रु. संबद्ध पुरस्कार/बोनस और 1000/- रु. अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किए जाने के संबंध में है। कोल इंडिया लिमिटेड ने हड़ताल के दौरान कोयला के उत्पादन में 70.87% कमी की सूचना दी है। सीटीयू की मांगें 17 अक्तूबर, 2011 को संपन्न बैठक में सामंजस्य पूर्ण रूप से सुलझा ली गई हैं।

[अनुवाद]

दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार

300. श्री प्रेम दास राय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दुर्लभ मृदा तत्वों के वाणिज्यिक रूप से दोहन किए जाने योग्य भंडार मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दुर्लभ मृदा तत्वों का उत्पादन और उनका निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) भारत में मोनाजाइट विरल मृदा का मुख्य स्रोत है। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर), हैदराबाद की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मोनाजाइट का भंडार लगभग 10.70 मिलियन टन है जिसे लगभग 5 मिलियन टन विरल मृदा ऑक्साइट में परिवर्तित किया जा सकता है।

(ख) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर) द्वारा पता लगाए गए मोनाजाइट के राज्य-वार स्रोतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य	मोनाजाइट (मिलियन टन में) (अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	केरल*	1.51
2.	तमिलनाडु	2.16
3.	आंध्र प्रदेश	3.74
4.	ओडिशा	1.85
5.	पश्चिम बंगाल	1.22
6.	बिहार	0.22
	कुल	10.70

*झील और समुद्र तल के स्रोतों सहित।

परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय ने छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के नदीय भारी खनिज प्लेसर निक्षेपों में लगभग 2000 टन ज़ैनोटाइम युक्त भारी खनिज सांद्र का पता लगाया है जिसमें लगभग 2% ज़ैनोटाइम विद्यमान है।

(ग) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, प्रतिवर्ष 10,000 टन मोनाज़ाइट का संसाधन करने और 11,000 टन विरल मृदा क्लोराइड का उत्पादन करने के लिए ओडिशा में एक मोनाज़ाइट संसाधन संयंत्र स्थापित कर रहा है।

रेअर अर्थ्स प्रभाग, आल्वे को उक्त उत्पादन का एक भाग स्वदेशी तथा निर्यात संबंधी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए उच्च विशुद्ध पृथक्कृत विरल मृदा (आरई) और विरल मृदा (आरई) यौगिकों का उत्पादन करने के लिए अंतरित किया जाएगा।

[हिन्दी]

शिक्षा परियोजनाएं

301. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में झारखंड सहित राज्य-वार चालू शिक्षा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में, राज्य-वार इन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आबंटित/जारी की गई;

(ग) उक्त अवधि में इन परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) सरकार ने देश में शिक्षा परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्य शैक्षिक परियोजनाएं सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हैं। सर्व शिक्षा अभियान, महिला समाख्या और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए आबंटित/जारी राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(घ) इन सभी शैक्षिक परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित अंतराल पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों, वार्षिक वित्तीय लेखापरीक्षाओं और समवर्ती समीक्षाओं जैसे आंतरिक तंत्र के माध्यम से मंत्रालय में मॉनिटरिंग और मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण-I

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2008-09 से 2011-12 (30.9.2011 की स्थिति के अनुसार) के दौरान जारी तथा व्यय

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी (30.9.2011 की स्थिति के अनुसार)	व्यय (30.6.2011 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	71031.78	93526.52	38569.90	72257.36	81000.00	144004.81	143551.72	25924.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	13683.64	16864.67	11427.95	12427.83	20401.77	21241.61	8880.10	31.31
3.	असम	42740.91	55426.39	47480.00	50780.61	76854.35	85550.20	79247.73	15523.87
4.	बिहार	186158.47	209431.20	121739.06	224870.24	204789.63	336834.62	115908.94	24946.02
5.	छत्तीसगढ़	51853.86	75100.77	55592.82	96340.63	87863.00	131748.24	28940.21	11250.17
6.	गोवा	804.41	1273.85	550.58	0.00	671.27	1459.10	579.14	265.90
7.	गुजरात	25432.47	34076.51	20031.73	40058.48	44065.01	82624.54	28150.79	19540.96
8.	हरियाणा	20546.87	29943.19	27600.00	45620.98	32786.11	63340.47	27061.66	16304.02
9.	हिमाचल प्रदेश	8552.99	12284.92	8608.00	14610.06	13786.66	21840.37	9192.78	4312.70
10.	जम्मू और कश्मीर	20532.59	26622.06	37363.27	22257.61	40348.79	64000.94	19770.50	4030.21
11.	झारखंड	69041.09	122584.26	70940.22	119946.99	89562.26	159246.85	41903.46	5061.57
12.	कर्नाटक	51578.19	89806.77	44220.60	83028.85	66903.00	114457.93	42788.35	19914.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	10854.04	17695.88	11989.50	19233.00	19660.73	26017.01	17021.85	5316.59
14.	मध्य प्रदेश	85569.35	153094.30	113249.00	194011.77	176783.00	300010.71	160427.12	108370.77
15.	महाराष्ट्र	67386.02	98285.15	56432.00	107883.64	85537.00	137871.76	102962.58	3968.29
16.	मणिपुर	321.21	782.48	1500.00	0.00	13253.77	10106.26	2940.55	32.60
17.	मेघालय	9440.36	10794.75	9383.00	12093.67	18540.90	20050.00	8424.62	3556.31
18.	मिजोरम	5112.59	2127.34	6617.75	8254.45	10115.31	9073.48	9314.06	1742.08
19.	नागालैंड	2867.87	3203.96	4913.00	5439.51	8636.83	10371.08	4798.33	248.73
20.	ओडिशा	49080.90	84525.30	63061.60	112011.89	73177.85	146508.08	75719.98	27368.06
21.	पंजाब	13808.10	26102.20	20044.00	36772.00	39612.74	55942.97	48112.44	12478.40
22.	राजस्थान	108326.80	162651.25	127124.00	199893.55	146182.29	265793.64	99838.43	72018.53
23.	सिक्किम	1075.31	1890.20	1736.00	2040.90	4469.19	3927.42	3022.84	699.96
24.	तमिलनाडु	45414.47	84456.89	48366.00	78267.24	69068.57	119480.84	53937.15	19326.68
25.	त्रिपुरा	6464.12	6937.00	7473.00	9196.44	17121.48	14313.02	10309.23	5708.25
26.	उत्तर प्रदेश	212884.89	331477.00	196011.90	335048.80	310462.88	439092.23	145268.64	79111.05
27.	उत्तराखंड	11444.45	22072.55	16006.29	27187.03	25793.94	36831.60	20092.49	6775.75
28.	पश्चिम बंगाल	65169.37	124384.20	104142.00	162540.01	174703.17	302972.07	131252.79	54367.71
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	780.54	1128.42	412.44	0.00	357.78	885.55	607.36	100.85
30.	चंडीगढ़	820.52	1062.58	1100.72	2063.43	2155.89	2705.23	1311.77	737.49
31.	दादरा और नगर हवेली	104.63	622.73	350.18	631.10	413.78	713.11	564.35	53.45
32.	दमन और दीव	0.00	139.06	169.00	324.15	162.99	374.81	230.06	37.59
33.	दिल्ली	1529.01	3905.77	3088.62	3684.61	3552.71	4657.75	2135.28	455.62
34.	लक्षद्वीप	70.00	230.42	143.80	245.51	127.39		127.86	44.30
35.	पुदुचेरी	638.59	1141.82	669.96	1124.64	485.38	1296.00	557.62	128.16
	कुल	1261120.41	1905652.36	1278107.89	2100146.98	1959407.42	3135344.30	1444952.78	549752.81

विवरण-II

महिला समाख्या

2008-2011-12 (21.11.2011 तक) के दौरान राज्यों को जारी

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	महिला समाख्या राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	4.85	4.85	5.22	5.22	6.42	6.42	6.21	6.21
2.	असम	3.42	3.42	4.80	4.80	3.94	3.94	1.64	1.64
3.	बिहार	3.47	3.47	5.44	5.44	5.42	5.42	2.71	2.71
4.	छत्तीसगढ़	0.22	0.22	1.00	1.00	0.93	0.93	0.35	0.35
5.	झारखंड	4.25	4.25	3.11	3.11	5.76	5.76	2.53	2.53
6.	गुजरात	1.75	1.75	2.50	2.50	2.22	2.22	1.95	1.95
7.	कर्नाटक	5.77	5.77	4.53	4.53	6.32	6.32	4.05	4.05
8.	केरल	1.53	1.53	2.11	2.11	2.93	2.93	1.70	1.70
9.	उत्तर प्रदेश	8.55	8.55	8.54	8.54	7.60	7.60	.3.45	3.45
10.	उत्तराखंड	3.70	3.70	4.50	4.50	4.19	4.19	2.26	2.26
11.	मध्य प्रदेश	0.15	0.15	—	—	—	—	—	—
	कुल जारी	37.66	37.66	41.75	41.75	45.73	45.73	26.48	26.48

विवरण-III

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राज्य-वार निधि

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12	
		संस्वीकृत परिव्यय	जारी	संस्वीकृत परिव्यय	जारी	संस्वीकृत परिव्यय	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर प्रदेश	0.53	0	0.98	064	2.03	0.64

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	753.40	15.05	338.31	311.57	1460.36	227.89
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.28	1.89	52.14	26.98	32.44	2.32
4.	असम	28.26	8.70	341.13	19.35	399.05	16.64
5.	बिहार	226.35	19.64	454.42	77.27	574.25	23.50
6.	चंडीगढ़	0.00	0.10	4.20	0.45	1.58	1.86
7.	छत्तीसगढ़	150.18	58.12	644.99	15.25	1145.63	333.09
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	2.50	0.20	1.63	1.15
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	2.64	0.31	1.20	1.10
10.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.71	13.24	3.97
11.	गोवा	1.63	0.51	5.20	0.54	3.34	0.28
12.	गुजरात	27.45	2.94	55.59	10.69	251.66	15.25
13.	हरियाणा	20.56	5.33	366.42	23.00	182.61	175.56
14.	हिमाचल प्रदेश	46.99	3.74	156.84	38.50	104.43	9.51
15.	जम्मू और कश्मीर	87.76	11.02	122.60	26.40	0.00	0.00
16.	झारखंड	193.67	9.41	268.54	69.43	392.78	17.94
17.	कर्नाटक	379.37	74.43	459.15	19.47	289.55	0.00
18.	केरल	47.65	10.33	122.51	15.13	172.89	0.00
19.	लक्षद्वीप	5.87	1.10	-0.15	0.05	1.66	0.00
20.	मध्य प्रदेश	493.79	97.58	572.75	196.19	817.94	190.06
21.	महाराष्ट्र	9.99	3.50	156.80	13.47	37.40	64.17
22.	मणिपुर	78.41	18.54	37.16	25.26	51.67	22.24
23.	मेघालय	4.71	1.86	17.95	0.00	3.27	1.78
24.	मिजोरम	67.70	17.21	41.84	19.08	40.52	32.03

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	नागालैंड	48.64	11.87	20.92	5.24	91.66	10.01
26.	ओडिशा	203.88	8.04	509.00	89.83	550.85	128.87
27.	पुदुचेरी	8.01	1.82	9.68	1.87	11.35	1.96
28.	पंजाब	62.00	25.25	433.71	188.25	377.04	22.51
29.	राजस्थान	43.19	19.38	329.15	52.96	798.48	146.89
30.	सिक्किम	10.23	2.70	13.44	4.26	7.02	0.08
31.	तमिलनाडु	139.16	55.18	613.57	77.05	1539.18	165.46
32.	त्रिपुरा	42.59	9.98	49.42	25.26	56.28	6.95
33.	उत्तर प्रदेश	154.93	36.10	271.03	49.43	548.00	146.10
34.	उत्तराखंड	57.13	3.52	97.57	76.01	166.49	26.92
35.	पश्चिम बंगाल	58.65	12.99	5.79	0.00	18.38	2.74
	कुल	3453.96	547.83	6578.09	1480.10	10145.86	1799.47

सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन

302. श्रीमती रमा देवी :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खनन कार्य में सरकारी और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोयला खनन में लगी हुई कुछ सरकारी क्षेत्र की कंपनियों हानि उठा रही हैं जबकि निजी कंपनियां लाभ अर्जित कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किन कारणों की पहचान की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) वर्ष 2010-11 के दौरान, अखिल भारतीय स्तर पर कोयले के कुल 533.076 मिलियन टन (अनंतिम) उत्पादन में से, सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 485.063 मिलियन टन और निजी क्षेत्र का हिस्सा 48.013 मिलियन टन (अनंतिम) था।

(ख) मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ-साथ इसकी सहायक कंपनियों और मैसर्स सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने 2010-11 के दौरान लाभ अर्जित किया।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिन्द महासागर में अन्वेषण

303. डॉ. ज्योति मिर्धा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा आसूचना एजेंसियों ने हिन्द महासागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में चीन को अन्वेषण के अधिकार मिलने पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटनाक्रम की जोखिम संभावनाओं ओर अन्य जटिलताओं का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क से (घ) सरकार को जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (आईएसए) ने चीन समुद्री खनिज संसाधन अनुसंधान और विकास संघ (कोमरा) द्वारा पोलिमेटालिक सल्फायड्स की खोज के लिए कार्य योजना को अनुमोदित किया है। आईएसए संयुक्त राष्ट्र समुद्र के कानून संबंधी अभिसमय के अधीन स्थापित एक संस्था है, जो राष्ट्रों की राष्ट्रीय समुद्री अधिकारिता के बाहर आने वाले क्षेत्रों के अधिशासन के लिए अधिदेशित है। दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर रिज में गवेषण के लिए चीन की कार्य-योजना ऐसे क्षेत्र में है, जो किसी भी देश के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यह कार्य पोलिमेटालिक सल्फायद खोज के लिए आईएसए द्वारा अंगीकृत नियामक ढांचे के तहत किया जाएगा। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों से संबंध रखने वाले सभी घटनाक्रमों पर सतत् निगाह रखती है और उसके रक्षोपाय के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[हिन्दी]

डाकघर बचत योजनाएं

304. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) क्या ब्याज दरों में कमी किए जाने के कारण डाकघर बचतों में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) डाकघर बचत योजनाओं में अधिक धनराशि जमा करने हेतु लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) से (ग) 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत एकत्र की गई कुल धनराशि क्रमशः 2,50,931 करोड़ रु. तथा 2,74,720 करोड़ रु. (अनंतिम) थी। पिछले वर्ष एकत्र की गई राशि की तुलनामें कुल एकत्र की गई राशि में 8.78% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(घ) प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सेमिनारों, बैठकों के आयोजन, तथा विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत जमा राशि एकत्र करने में शामिल विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करना आदि के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार लघु बचत योजनाओं को प्रोत्साहित एवं लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती हैं।

[अनुवाद]

अस्थाई आवासों में केन्द्रीय विद्यालय

305. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अलग-अलग भागों में गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए कुछ केन्द्रीय विद्यालय अस्थाई आवासों में चलाए जा रहे हैं और उनमें प्रिंसिपल भी नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) को प्रारंभ में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा स्थायी भवनों का निर्माण किये जाने तक राज्य सरकार/प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी आवास में खोला जाता है। आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में प्राचार्य तैनात है।

(ख) और (ग) स्थायी भवन के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं (i) राज्य सरकार/प्रायोजक प्राधिकरण से भूमि के अंतरण में तेजी लाई जाती है; (ii) बजट में विनिर्माण कार्यकलापों हेतु पर्याप्त प्रावधान करना; और (iii) संबंधित एजेंसियों द्वारा भवन योजनाओं के अनुमोदन में तेजी लाना। जहां तक प्राचार्यों के पदों को भरे जाने का संबंध है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन

द्वारा सीधी भर्ती एवं नियमित आधार पर पदोन्नतियों हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

खनित क्षेत्रों का पुनरुद्धार

306. **श्री हेमानंद बिसवाल :**
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खनित क्षेत्रों को भरने/उनका पुनरुद्धार करने हेतु नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नीति का उचित रूप से अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार पुनर्स्थापना कार्य की निगरानी करती है;

(घ) क्या सरकार को देश के कुछ भागों में उक्त नीति का अनुपालन न किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/प्रस्तावित है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) खान समापन योजना खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) के प्रावधानों के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की सितम्बर, 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना (ईआईए) के अंतर्गत पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की दृष्टि से अनिवार्य है। खान समापन योजना (एमसीपी) कोयला खनन परियोजना का अभिन्न अंग है तथा इसका कार्यान्वयन किसी खान के बंद होने तथा इसके भंडारों के समाप्त होने पर प्रगामी रूप से किया जाना है। कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कोयला खान मालिकों को विनिर्दिष्ट राशि जमा करनी पड़ती है जो कोयला नियंत्रक संगठन के साथ एस्क्रो खाता में खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्भर करती है तथा इस राशि को खान के अंतिम समापन के पूर्व और खनित क्षेत्रों के पुनरुद्धार की संतोषजनक प्रगति के आधार पर पांच वर्षों में हिस्सों में जारी किया जाएगा।

कोयला कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) में निर्धारित शर्तों के संबंध में अलग-अलग राज्यों के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को प्रत्येक छमाही में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा इस प्रकार ये अधिकारी पुनरुद्धार सहित अनुपालन को नियमित रूप से मॉनीटर करते हैं। इसके अलावा, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) सीएमपीडीआईएल के माध्यम से अत्याधुनिक सैटेलाइट निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से भूमि पुनरुद्धार कार्य को मॉनीटर करती है।

(घ) और (ङ) खान समापन योजना का कार्यान्वयन न होने के संबंध में कोई औपचारिक शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं हैं।

[हिन्दी]

सार्क देशों हेतु संपर्कता

307. **श्री विजय बहादुर सिंह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सभी देशों को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ने हेतु एक प्रारूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सार्क के अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन देशों के बीच रेल और सड़क संपर्क के संभावित लाभ क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) भारत सार्क ढांचे के भीतर परिवहन-संपर्कों को अत्यधिक महत्व देता है।

2007 में नई दिल्ली में आयोजित चौदहवें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ, परिवहन संबंधी अंतर्सरकारी समूह को एक मोटर वाहन संबंधी क्षेत्रीय करार और एक रेल संबंधी क्षेत्रीय करार विकसित करने का निर्देश दिया था। भारत ने सार्क परिवहन मंत्रियों (एसएमटी) की बैठक आयोजित करने की पेशकश की। तदनुसार एसएमटी की पहली बैठक – 2007 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एसएमटी की दूसरी और तीसरी बैठकें कोलम्बो (जुलाई, 2009) और नई दिल्ली (नवम्बर, 2010) में आयोजित की गई। एमटीएम के निर्देशों के अनुसार परिवहन से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एक अंतर्सरकारी समूह (आईजीजी) और मोटर वाहन एवं रेल पर प्रारुप करारों पर चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समूह (ईजी) का गठन किया गया था।

विशेषज्ञ समूह की 1-2 फरवरी, 2010 को सार्क सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में दोनों करारों के प्रारुप पाठों का प्रथम अध्यन पूरा किया गया और भारत द्वारा शुरूआती पाठों को तैयार किया गया। विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक 26-27 अगस्त, 2011 को सार्क सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक में केवल रेल संबंधी क्षेत्रीय करार पर ध्यान केंद्रित किया गया; मोटर वाहन करार पर चर्चा के लिए सार्क सचिवालय में अलग से विशेषज्ञ समूह की एक बैठक आयोजित की जाएगी।

रेल संबंधी क्षेत्रीय करार के प्रारुप पाठ को उन देशों द्वारा अंतिम रूप दिया गया, जिन्होंने काठमांडू में अगस्त, 2011 में आयोजित विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया था, जिनके नाम हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। पाकिस्तान ने एक संदेश भेजा कि प्रारुप पाठ पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है; आशा है कि वे इस संबंध में चर्चा के लिए विशेषज्ञ समूह की अगली बैठक में शामिल होंगे।

अंतिम रूप दिए जाने और हस्ताक्षर किए जाने के उपरान्त, यह आशा की जाती है कि क्षेत्रीय रेल और सड़क करारों से क्षेत्र के साथ परिवहन संपर्क बढ़ेंगे और साथ ही व्यापार एवं लोगों का आपसी संपर्क भी बढ़ेगा।

सीबीआई अभियोजन हेतु प्राप्त मामले

308. श्री मनसुख भाई डी. वसावा :
श्री हमदुल्लाह सईद :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीबीआई को किसी न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने से पहले केन्द्र और राज्य सरकारों की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने स्वीकृति हेतु 250 अनुरोधों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है जिसमें से 66 प्रतिशत अनुरोध तीन माह से अधिक अवधि से लंबित पड़े हैं और राज्य सरकारों ने 100 अनुरोधों पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी जिसमें से 15% तीन माह से अधिक अवधि से लंबित पड़े हुए थे;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है और स्वीकृति और जांच/अभियोजन हेतु अनुरोधों के प्रति विलंबित प्रतिक्रिया मुख्य अवरोधक बन गई है; और

(च) यदि हां, तो लोक सेवकों और सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। सीबीआई को किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय ड्यूटी के निर्वहन करने के तात्पर्य से और करते हुए किए गए कथित आरोपित अन्य अपराधों हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत उस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के संबंध में, क्रमशः केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों के अभियोजन हेतु केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संस्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

(ग) दिनांक 31 अक्तूबर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार, सीबीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, स्वीकृति हेतु 167 अनुरोध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लम्बित हैं, जिनमें से 68 अनुरोध तीन माह से अधिक समय से लम्बित थे। दिनांक 31 अक्तूबर, 2011 के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों के पास 44 अनुरोध लम्बित थे, जिनमें से 39 अनुरोध तीन वर्ष से अधिक से लंबित थे।

(घ) और (ङ) अक्सर विलम्ब उपलब्ध प्रमाण के विस्तृत विश्लेषण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग राज्य सरकारों/अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श और कभी-कभी संगत दस्तावेजी साक्ष्यों की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण होता है।

(च) विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि "अभियोजन हेतु स्वीकृति की मंजूरी के लिए तीन माह की समय-सीमा का पालन किया जाए। तथापि, उस मामले में एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए जहां महाधिवक्ता (एजी) अथवा महाविधवक्ता कार्यालय में किसी विधि अधिकारी के साथ परामर्श करना अपेक्षित हो।" अभियोजन हेतु स्वीकृति की मंजूरी में विलम्ब न होने देने के लिए प्रत्येक स्तर पर समय-सीमा निर्धारित कर तथा जानबूझकर किए गए विलम्ब हेतु जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने का.ज्ञा. सं. 399/33/2006-एवीडी-III दिनांक 6 नवंबर,

2006 और एक अन्य अनुगमित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

अलाभकारी हवाई अड्डों का विकास

309. **श्री ए. गणेश मूर्ति :**
श्री निशिकांत दुबे :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
श्री ए. सम्पत :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अलाभकारी हवाई अड्डों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने उनका विकास करने हेतु हवाई अड्डे-वार क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित हैं;

(ग) देश में अल्प उपयोग वाले हवाईअड्डों के राज्य-वार नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन हवाई अड्डों की लागत प्रभावोत्पादकता के बारे में कोई विश्लेषण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उनका अधिकतम उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व वाले और एएआई, द्वारा प्रबंधित अलाभकारी प्रचालनिक हवाईअड्डों और सिविल एन्कलेवों की 2009-10 से संबंधित सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) एएआई ने अपने 33 छोटे गैर-प्रचालनिक हवाई अड्डों के विकास और प्रचालनीकरण की व्यवहार्यता के निर्धारण के लिए मैसर्स राइट्स द्वारा एक अध्ययन करवाया था। अध्ययन में इंगित किया गया कि 33 हवाई अड्डों में से केवल 13 विकास के लिए व्यवहार्य हैं। इन हवाई अड्डों के संबंध में स्थिति का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) एएआई के अधिकांश हवाई अड्डों का ईष्टतम इस्तेमाल किया जा रहा है। चेन्नई और कोलकाता स्थित मैट्रो हवाईअड्डों – जहां नए टर्मिनल निर्माणाधीन हैं – और अन्य गैर-मैट्रो हवाई अड्डों – जहां नए टर्मिनल हाल ही में चालू किए गए हैं/चालू किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, पर उनके अपर्याप्तता वर्ष तक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

2009-10 के दौरान घाटे में चल रहे प्रचालनिक हवाईअड्डों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	हवाई अड्डे का नाम
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (यूटी)	पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
3.		राजमुंदरी
4.		तिरुपति
5.		विजयवाड़ा
6.		विशाखापटनम
7.	असम	डिब्रुगढ़ (मोहनबाड़ी)
8.		गुवाहाटी
9.		जोरहाट
10.		लीलाबाड़ी (उत्तरी लखीमपुर)
11.		सिलचर (कुंभीग्राम)
12.		तेजपुर
13.	बिहार	गया

1	2	3
14.		पटना
15.	चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़
16.	छत्तीसगढ़	रायपुर (मन्ना कैम्प)
17.	दिल्ली	दिल्ली (सफदरजंग)
18.	गुजरात	भावनगर
19.		भुज
20.		जामनगर
21.		कांडला
22.		केशोड (जूनागढ़)
23.		पोरबंदर
24.		सूरत
25.		राजकोट
26.		वडोदरा (बड़ौदा)
27.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा (गग्गल)
28.		कुल्लु (भुंतर)
29.		शिमला
30.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
31.		लेह
32.		श्रीनगर
33.	झारखंड	रांची
34.	कर्नाटक	बंगलौर
35.		बेलगांव
36.		हुबली
37.		मंगलौर

1	2	3
38.		मैसूर
39.	लक्षद्वीप (यूटी)	अगाती
40.	मध्य प्रदेश	भोपाल
41.		ग्वालियर
42.		इंदौर
43.		जबलपुर
44.		खजुराहो
45.	महाराष्ट्र	अकोला
46.		औरंगाबाद
47.		गोंदिया
48.		जुहू
49.	मणिपुर	इम्फाल
50.	मेघालय	शिलांग (बारापानी)
51.	नागालैंड	दीमापुर
52.	ओडिशा	भुवनेश्वर
53.	पंजाब	अमृतसर
54.		लुधियाना
55.		पठानकोट
56.	राजस्थान	जयपुर
57.		जैसलमेर
58.		जोधपुर
59.		कोटा
60.		उदयपुर

1	2	3
61.	तमिलनाडु	कोयम्बतूर
62.		मदुरै
63.		सेलम
64.		तिरुचिरापल्ली
65.		तुतिकोरिन
66.	त्रिपुरा	अगरतला
67.	उत्तर प्रदेश	आगरा
68.		इलाहाबाद
69.		गोरखपुर
70.		कानपुर
71.		कानपुर (चकेरी)
72.		लखनऊ
73.		वाराणसी
74.	उत्तराखंड	देहरादून
75.		पंतनगर
76.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा
77.		बेहाला

विवरण-II

एएआई के गैर-प्रचालनिक हवाई अड्डों के विकास की स्थिति

1. **अकोला :**

एटीआर 42 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए रनवे का 1219 मीटर से विस्तार करके 1400 मीटर किया गया है और इसका सुदृढ़ीकरण किया गया है। एप्रन का 90×60 मीटर से 106×90 मीटर तक विस्तार, मौजूदा टर्मिनल भवन का सुधार, चारदीवारी और अन्य संबद्ध कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

2. **मैसूर :**

मैसूर विमानपत्तन को पहले ही मई, 2010 में एटीआर – 72 श्रेणी के विमानों के लिए प्रचालनरत किया जा चुका है।

3. **कड़प्पा :**

कडप्पा हवाई अड्डे को एटीआर 72 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए प्रचालनीकृत करने का कार्य प्रगति पर है। पेवमेंट संबंधी कार्य जैसे रनवे, टैक्सी वे, एप्रन आदि का कार्य 21 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जा चुका है। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से संबंधित कार्य प्रगति पर है और मार्च 2013 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

4. **तेजू :**

हवाई-अड्डे को एटीआर 72 श्रेणी के विमानों की हैंडलिंग के लिए विकसित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एएआई को सौंपा गया था जिसके लिए 79 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान एनईसी/भारत सरकार द्वारा मुहैया कराया जाना था। कार्य जून, 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

5. **पासीघाट :**

पीएमओ के निदेशानुसार, एएआई का पासीघाट एरोड्रोम एटीआर श्रेणी के विमानों के लिए सिविल एन्कलेव को विकसित किए जाने के उद्देश्य से आईएएफ (एमओडी) को सौंपा गया है। एएआई ने सिविल एन्कलेव के विकास के लिए रक्षा प्राधिकारियों को 12.7 एकड़ भूमि की आवश्यकता प्रत्याशित की है।

6. **दपारिज़ो :**

हवाई अड्डा राज्य सरकार का है और इसे एटीआर 42 श्रेणी के विमानों के लिए एएआई द्वारा विकसित किया जाना है। एएआई ने 20 सीटर विमानों के लिए चरण-1 के विकास के लिए 25.7 एकड़ और एटीआर 42 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए 8.6 एकड़ (कुल 34.3 एकड़) भूमि की आवश्यकता प्रत्याशित की है।

7. **शोलापुर :**

चारों तरफ शहरीकरण की वजह से वर्तमान हवाईअड्डे का स्तरोन्यन नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की इसके समीप बोरामनी में एक वैकल्पिक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का

निर्माण और विकास करने की योजनाएं हैं। शोलापुर हवाईअड्डे के स्वामित्व मुद्दे पर भी अभी निर्णय लिया जाना है।

8. अन्य छोटे हवाई अड्डे :

एएआई ने वारंगल, मालदा, झारसुगुडा, कमालपुर और वेल्लौर हवाई अड्डों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किए जाने के संबंध में मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों को पहले ही अतिरिक्त भूमि का अनुरोध प्रत्याशित कर दिया है। राज्य सरकारों की सहमति प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

310. **श्री भूदेव चौधरी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली सहित पूरे देश में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भ्रष्टाचार में लिप्त केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रियों के आचरण के विरोध में अपनी डिग्रियां लेने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) सरकार भ्रष्टाचार के खतरे के प्रति सचेत है और सभी तरह के भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु वचनबद्ध है। सिविल सोसायटी और मीडिया के अभियान और पहलों ने केवल खतरे से लड़ने के लिए सरकार के संकल्प को सुदृढ़ किया है।

(ग) इस संबंध में, सरकार ने कुछ समाचार और रिपोर्टें प्राप्त की हैं।

(घ) सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) भंडाफोड़ करने वालों से संबंधित संकल्प, 2004 का जारी किया जाना और लोकहित प्रकटन तथा प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2011 को संसद में प्रस्तुत किया जाना;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) सतर्कता पर, वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की निवारक उपाय के रूप में पूर्वसक्रिय भागीदारी;

(iv) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(v) मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने के संबंध में संगठनों से कहते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना। मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देते हुए दिनांक 16.06.2009 को केन्द्र सरकार ने इसी तरह के अनुदेश जारी कर दिए हैं;

(vi) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(vii) नागरिक चार्टर जारी करना।

(viii) उन उपायों जो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निबटने के लिए किए जा सकते हैं, पर विचार-विमर्श के लिए मंत्रिदल की प्रथम रिपोर्ट का स्वीकार किया जाना।

(ix) लोक सभा में लोकपाल विधेयक, 2011 का पुर:स्थापन।

(x) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन।

(xi) विदेशी लोक पदाधिकारियों और लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011 का लोकसभा में पुर:स्थापन।

(xii) न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 का संसद में पुर:स्थापन।

(xiii) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल सम्पत्ति विवरणी को जनव्यापी बनाया जाना।

[अनुवाद]

मोबाइलों से विकिरण

311. **श्री मनीष तिवारी :**

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विनिर्मित/बिक्री की गई आयातित सेलफोन हैंडसेटों की विशेष अवशोषण दर (स्पेसिफिक एबजॉर्बशन रेट, एसएआर) सीमाओं के अनुपालन हेतु जांच की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एसएआर सीमाओं का अनुपालन करने में विफल रहने वाले हैंडसेटों के ब्रॉंडों के नाम क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या घरेलू विनिर्माताओं को "इंटरनेशनल कमीशन ऑफ नॉन-आयोनाइज़िग रेडिएशन प्रोटेक्शन" दिशानिर्देशों का अनुपालन करने और इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं और सरकार ने गैर-अनुपालन हेतु क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या विनिर्माताओं को उत्पादों पर ही विकिरण का स्तर दर्शाने और सैल्फोन विकिरण के संभावित खतरों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से बीआईएस अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सेलफोन के लिए मानक तैयार करने का अनुरोध किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो इस पहल की क्या स्थिति है और इसके कब तक चालू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ज) दूरसंचार आयोग की सिफारिशों के आधार पर, दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण संबंधी आयोग (आईसीएनआईआरपी) के दिशा-निर्देशों को अपनाया था जिसमें 10 मेगाहर्टज से 10 गीगाहर्टज की फ्रीक्वेंसी रेंज में विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) मूल्य को 2 डब्ल्यू/कि.ग्रा. (औसतन 10 ग्रा. टिश्यू पर) तक सीमित किए जाने के रूप में मूलभूत प्रतिबंध लगाया था। मोबाइल फोनों के एसएआर मूल्य के अनुपालन हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए थे:—

(i) मोबाइल हैंडसेट के स्वदेशी विनिर्माताओं को आईसीएनआईआरपी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने और स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(ii) मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं को इसके उत्पाद पर ही विकिरण के स्तर का उल्लेख करने और मोबाइल फोन के विकिरण और उसके प्रभाव के संभावित खतरे के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करने का अनुदेश दिया गया है।

(iii) तथापि, देश के मोबाइल फोनों में लिए इन अनुदेशों के प्रवर्तन हेतु स्वदेशी विनियमन की अनुपस्थिति में, इस विभाग द्वारा निगरानी नहीं की गई है।

(iv) स्वदेशी तथा आयातित मोबाइल फोन को विनियमित करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से बीआईएस अधिनियम, 1986 के तहत सभी मोबाइल फोनों के लिए मानक तैयार करने का अनुरोध किया गया है। मोबाइल फोनों के विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) मूल्य तथा निष्पादन संबंधी अन्य अपेक्षाओं को अभिनिर्धारित करने और उसके मानक का मसौदा तैयार करने के लिए बीआईएस की इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग परिषद् ने भारतीय मानक तैयार करने हेतु एक पैनल गठित किया है। एक बार इन दस्तावेजों का मसौदा तैयार हो जाने पर बीआईएस के संबंधित पैनल/तकनीकी समिति द्वारा भारतीय मानक को अंतिम रूप देने के लिए इन पर चर्चा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने बेस स्टेशनों और मोबाइल फोनों से होने वाले ईएमएफ विकिरण के प्रभाव की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की थी जिसमें दूरसंचार विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, स्वास्थ्य मंत्रालय, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधिकारियों को शामिल किया गया था। इस विभाग ने दिनांक 17 नवंबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 32-7/2010-ईडब्ल्यू के जरिए ईएसएफ

विकिरण संबंधी अंतर-मंत्रालयी समिति के द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सं. 32-7/2010-ईडब्ल्यू
भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
1110, संचार भवन, 20 अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

दिनांक : 17 नवम्बर, 2011

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : ईएमएफ विकिरण संबंधी अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के संबंध में।

मुझे दिनांक 24.8.2010 के समसंख्यक आदेश के द्वारा गठित ईएमएफ विकिरण संबंधी अंतर-मंत्रालयी समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार किए जाने की सूचना देने का निदेश दिया गया है:—

मोबाइल हैंडसेट

(i) मोबाइल हैंडसेटों का एसएआर स्तर 1.6 वाट/कि.ग्रा. तक सीमित होगा जो 6 मिनट की अवधि का औसत है और जिसे मानव टिश्यू के 1 ग्राम के द्रव्यमान से युक्त परिमाण में लिया गया है।

(ii) हैंडसेट पर ही एसएआर स्तर प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) भारत के बाजार में बेचे गए सभी सेलफोन हैंडसेट संगत बीआईएस मानकों को पूरा करेंगे और हैंडफ्री उपकरणों से युक्त होंगे।

(iv) मोबाइल हैंडसेटों के एसएआर मूल्य की सूचना विनिर्माता की वेबसाइट पर और हैंडसेट के मैनुअल में उपलब्ध होगी। एसएआर मूल्यों की सूचना उपभोक्ता को बिक्री करते समय उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) भारत के विनिर्मित और बेचे गए तथा अन्य देशों से आयात किए गए मोबाइल हैंडसेट की एसएआर सीमा के अनुपालन हेतु जांच की जाएगी।

(vi) भारत के विनिर्माता हैंडसेट के एसएआर मूल्य की स्वत: घोषणा करेंगे। अन्य देशों से आयात किए गए हैंडसेटों के संबंध में विनिर्माता एसएआर की स्वत: घोषण के अतिरिक्त उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु अपने दस्तावेजों में एसएआर संबंधी सूचना विनिर्दिष्ट करेंगे। इसका कड़ाईपूर्वक अनुपालन करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत भारतीय तार नियम में उपयुक्त संशोधन लागू किया जाएगा।

(vii) विनिर्माता की मोबाइल हैंडसेट पुस्तिका में निम्नलिखित सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएंगे:—

(क) किसी वायरलेस हैंडस-फ्री प्रणाली (हैडफोन, हैडसेट) का उपयोग कम पावर वाले ब्लूटूथ एमिटर के साथ करें।

(ख) यह सुनिश्चित करें कि सेलफोन कम एसएआर वाला है।

(ग) अपनी कालें छोटी रखें अथवा इसके बनाए टेक्स्ट मैसेज (एसएमएस) भेजें। यह सलाह विशेषकर बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं पर लागू होती है।

(घ) सेलफोन का उपयोग तभी करें जब सिगनल की गुणवत्ता अच्छी हो।

(ङ) अपने शरीर में सक्रिय चिकित्सा उपकरण लगाकर रखने वाले लोगों को सेल फोन को शरीर के उस भाग से कम से कम 15 सें.मी. की दूरी पर रखने का प्रयास करना चाहिए।

(viii) विभिन्न मोबाइल फोनों के एसएआर मूल्यों की सूची दूरसंचार विभाग/टीईसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

मोबाइल बेस स्टेशन

(ix) रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड (बेस स्टेशन उत्सर्जन)के प्रभाव की सीमा को मौजूदा प्रभाव के स्तर के 1/10वें भाग तक निम्नानुसार कम किया जाएगा:—

प्रभाव की किस्म	फ्रीक्वेंसी रेंज	पावर सघनता (वाट/वर्ग मीटर)
आम जनता	400-2000 मेगाहर्ट्ज	एफ/2000
	2-300 गीगार्ट्ज	1

एफः मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी

(x) महानगरों/शहरों में विशिष्ट स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क फ्रीक्वेंसी रेंज में विकिरण के स्तर की निरंतर ऑनलाइन मॉनीटरिंग करने और प्रदर्शित करने तथा सेंट्रल सर्वर को ऑनलाइन डाटा अंतरण करने की व्यवस्था की जाएगी।

(xi) मोबाइल सेवा प्रदाता ईएमएफ के प्रभाव के संबंध में विकिरण संबंधी मानदंडों के अनुपालन हेतु स्व-प्रमाणन करने के अतिरिक्त विशिष्ट स्थानों की मोबाइल नेटवर्क फ्रीक्वेंसी रेंज से विकिरण स्तर का मापन करेंगे और जन साधारण की सूचना हेतु इसे प्रदर्शित करेंगे। जहां आवश्यक हो वहां इसके मापन के लिए सेवा प्रदाताओं के पास मोबाइल यूनिट होनी चाहिए।

(xii) सभी बेस स्टेशनों, उनके उत्सर्जन अनुपालन की स्थिति (अर्थात् अनुपालन किया/अनुपालन नहीं किया) की सूचना सहित एक राष्ट्रीय डाटा बेस का सृजन किया जाएगा और सार्वजनिक सूचना हेतु इसे दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(xiii) बीटीएस टॉवरों की संस्थापना/स्थापना पर प्रतिबंध लागू करने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर एक-समान दिशानिर्देश तैयार किए जाने हैं।

(xiv) छतों पर स्थापित टॉवरों की ढांचागत सुरक्षा अनुमति के लिए एक उपयुक्त ढांचे का सृजन किया जाना है।

(xv) नगरों और शहरों के मास्टर प्लान में, शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से, मोबाइल टावरों की संस्थापना हेतु अवस्थिति को अभिनिर्धारित किया जाएगा।

(xvi) देश में दूरसंचार नेटवक के भावी विस्तार हेतु इन-बिल्डिंग समाधानों से युक्त नई प्रौद्योगिकी के कम पावर वाले ट्रांसमीटर संस्थापित किए जाएंगे।

(xvii) भारत में साझेदारी वाले अवसंरचना स्थलों और संबंद्ध प्रौद्योगिकियों के अनेकानेक एंटिनो से ईएमएफ विकिरण प्रभाव के स्वास्थ्य संबंधी पहलू से संबंधित दीर्घावधिक वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन किया जाएगा।

(xviii) उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में "रेडियो तरंगें और हमारे दैनिक जीवन में सुरक्षा" नामक दस्तावेज तैयार किया जाएगा जिसमें रेडियो तरंगों के संस्थापन और प्रयोग के संबंध में विभिन्न कल्पित तथ्यों का स्पष्टीकरण देते हुए मोबाइल फोन प्रयोक्ताओं से जुड़े विभिन्न करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों का उल्लेख किया जाएगा और मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा इसे उपभोक्ता को बिक्री के समय पर किया जाना है।

इसे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह./-
(ए.के. चौधरी)
सहायक महानिदेशक (इलेक्ट्रिक)

[हिन्दी]

गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना

312. **श्री जगदानंद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों, कक्षाओं और अध्यापकों की संख्या का कोई अनुपात निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों विशेष रूप से बिहार में निर्धारित मानदंड के अनुसार अनुपात को प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित मानदंडों के अनुसार भविष्य में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान किए जाने के लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ था, निर्धारित करता है कि स्कूलों में शिष्य-शिक्षक अनुपात निम्नलिखित विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिएः—

(i) कक्षा एक से पांच तक	• भर्ती हुए 60 बच्चों तक दो अध्यापक • 61 से 90 बच्चों के लिए तीन अध्यापक • 91 से 120 बच्चों के लिए चार अध्यापक • 121 से 200 बच्चों के लिए पांच अध्ययापक • पांच शिक्षक और एक हैड मास्टर, यदि भर्ती हुए बच्चे 150 से अधिक हैं और शिष्य-शिक्षक का अनुपात हैड मास्टर को छोड़कर चालीस से अधिक नहीं होगा, यदि भर्ती हुए बच्चों की संख्या 200 से अधिक है।
(ii) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक	• प्रति कक्षा कम-से-कम एक अध्यापक जिससे कि (i) विज्ञान और गणित तथा (ii) समाजशास्त्र और (iii) भाषाओं के लिए प्रत्येक हेतु कम-से-कम एक अध्यापक हो। प्रत्येक 35 बच्चों के लिए कम-से-कम एक अध्यापक। जहां बच्चों की भर्ती 100 से अधिक है, वहां (i) एक पूर्णकालिक अध्यापक, और (ii) कला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक अनुदेशक होंगे।

आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्कूल भवन तक अवरोध रहित पहुंच होनी चाहिए तथा प्रत्येक अध्यापक के लिए कम से कम एक कक्षा-कक्ष और ऑफिस-व-स्टोर व प्रधान अध्यापक कक्ष होना चाहिए।

(ग) और (घ) शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली 2009-10 के अनुसार बिहार सहित सभी राज्यों के लिए छात्र अध्यापक अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना एक सतत् प्रक्रिया है। निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार अध्यापकों के प्रावधान हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन तीन वर्षों की समय-सीमा (अर्थात् 31 मार्च, 2013 तक) निर्धारित की गई है। छात्र-अध्यापक अनुपात में सुधार के लिए राज्यों को सहायता देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापक प्रदान करने के लिए मानदंडों को आरटीई अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अधिदेशित अध्यापक शिक्षा अनुपात के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है। अक्तूबर, 2011 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापकों के 19.14 लाख पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा 31.03.2011 तक 12.01 लाख अध्यापक भर्ती किए जा चुके हैं।

विवरण

राज्यों के लिए छात्र-अध्यापक अनुपात

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छात्र-अध्यापक अनुपात	
		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	2	3	4
01.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	12
02.	आंध्र प्रदेश	25	18
03.	अरुणाचल प्रदेश	19	19
04.	असम	25	20
05.	बिहार	57	61
06.	चंडीगढ़	29	29

1	2	3	4
07.	छत्तीसगढ़	28	24
08.	दादरा और नगर हवेली	37	38
09.	दमन और दीव	33	30
10.	दिल्ली	29	25
11.	गोवा	25	25
12.	गुजरात	32	33
13.	हरियाणा	37	26
14.	हिमाचल प्रदेश	17	17
15.	जम्मू और कश्मीर	16	16
16.	झारखंड	45	47
17.	कर्नाटक	28	30
18.	केरल	24	26
19.	लक्षद्वीप	17	13
20.	मध्य प्रदेश	35	33
21.	महाराष्ट्र	30	30
22.	मणिपुर	21	20
23.	मेघालय	17	15
24.	मिजोरम	17	14
25.	नागालैंड	20	23
26.	ओडिशा	32	37
27.	पुदुचेरी	18	17
28.	पंजाब	31	28
29.	राजस्थान	27	26
30.	सिक्किम	12	14
31.	तमिलनाडु	29	34
32.	त्रिपुरा	24	26
33.	उत्तर प्रदेश	47	44
34.	उत्तराखंड	25	23
35.	पश्चिम बंगाल	34	51
	सभी राज्य	33	31

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग हेतु एकल प्रवेश परीक्षा

313. **डॉ. संजीव गणेश नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईआईटी या देश में किसी अन्य तकनीकी कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के इच्छुक छात्रों हेतु कोई एकल प्रवेश परीक्षा लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) एकत्र प्रवेश परीक्षा के क्या उद्देश्य हैं; और

(ङ) पूरे देश में छात्र इससे किस प्रकार लाभान्वित होंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) जी, हां। एकल प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता की वजह से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना और यह कि किसी भी नई प्रणाली में देश के भीतर अध्ययन की विविधता को मान्यता प्रदान करना

हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् ने दिनांक 10.09.2010 को आयोजित अपनी बैठक में "इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में परीक्षा एवं दाखिला प्रणाली का मूल्यांकन करने" हेतु डॉ. टी. रामासामी, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट सीएबीई एवं राज्य शिक्षा मंत्रियों के समक्ष रखी जाएगी।

[हिन्दी]

आमदनी और गरीबी

314. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों के दौरान देश में आम आदमी की आमदनी में लगभग 35% की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में गरीबों की संख्या में केवल 5% की कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में उक्त आमदनी में वृद्धि और गरीब लोगों की संख्या में कमी के बीच अंतर के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) आम आदमी की आय संबंधी आंकड़े योजना आयोग में न ही समेकित किए जाते हैं और न ही तैयार किए जाते हैं। तथापि देश में स्थिर मूल्यों (2004-05) पर विशुद्ध राष्ट्रीय आय (एनएनआई) द्वारा मापित प्रति व्यक्ति आय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 20% बढ़ी है। यह देश के आर्थिक निष्पादन में हुई वृद्धि के कारण हुआ है, जो जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक है।

(ग) और (घ) योजना आयोग नोडल एजेंसी होने के नाते राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा घरेलू उपभोग व्यय पर किए गए वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के आंकड़ों के आधार पर लगभग प्रत्येक पांच साल में गरीबी का आंकलन, प्रति व्यक्ति गरीबी अनुपात का परिकलन करता है। नवीन अनुमानों के अनुसार वर्ष 2004-05 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति गरीबी अनुपात 37.2% है। संदर्भ अधीन अवधि के लिए गरीबी अनुमानों का संबंध है, योजना आयोग इस समय उपलब्ध घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी एनएसएस (2009-10) के आंकड़ों केआधार पर वर्ष 2009-10 के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने की प्रक्रिया में है।

(ङ) गरीबी में कमी दो महत्वपूर्ण कारकों जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और आय असमानता में कमी के कारण हुई है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार ने अनेक उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

फ्रांस में पगड़ी पर रोक

315. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की सरकार द्वारा स्कूलों में पगड़ी पहनने की अनुमति न दिए जाने के मुद्दे को सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में फ्रांस की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) जी, हां।

(ख) इस मुद्दे को सर्वोच्च स्तर पर प्रधानमंत्री द्वारा 30 सितम्बर, 2008 को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुई अपनी बैठक सहित समय-समय पर फ्रांस सरकार के साथ उठाया गया है। हाल ही में इसे विदेश मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 20 अक्तूबर, 2011 को फ्रांस के विदेश मंत्री एलीन जूपे के साथ हुई अपनी बैठक के दौरान उठाया गया।

फ्रांस की सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके घरेलू कानून किसी धर्म से जुड़े प्रतीकों के प्रदर्शन पर रोक लगाते हैं और उसमें किसी तरह के भेदभाव की व्यवस्था नहीं है क्योंकि वह फ्रांस में

रहने वाले सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है। इसके बावजूद हम उचित मंचों पर विभिन्न स्तरों पर इस मामले को उठाते रहते हैं।

(ग) लागू नहीं।

स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्ताव

316. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान सभा/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित गुजरात में स्थित विश्वविद्यालयों के आवेदनों की संख्या कितनी है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता हेतु प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और कितने आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास शेष आवेदन कब से लंबित हैं; और

(घ) लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) राज्य सरकारों को राज्य विधायिका अधिनियमों के माध्यम से विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसे विश्वविद्यालय स्वत: ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम) की धारा 2(च) के अंतर्गत शामिल होते हैं। गुजरात राज्य में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उल्लिखित सूची में 27 राज्य/राज्य निजी विश्वविद्यालय है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेबसाइट पर डाला गया है:—

राज्य विश्वविद्यालय	—	18
राज्य निजी विश्वविद्यालय	—	09
कुल	—	27

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत मान्यता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कोई आवेदन लंबित नहीं है।

सार्क शिखर सम्मेलन

317. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17वां सार्क शिखर सम्मेलन मालदीव में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस शिखर सम्मेलन में पारित किए गए संकल्पों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) को अभी भी पूरी तरह लागू किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक मतभेदों को दूर किया जाएगा एवं साफ्टा को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) 17वां दक्षेस शिखर सम्मेलन आड्डू शहर, मालदीव में 10 नवम्बर, 2011 को आयोजित किया गया था।

(ख) अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों ने 11 नवम्बर को "बिल्डिंग ब्रिज" नामक आड्डू घोषणा जारी की थी। इस घोषणा का पाठ का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित बारहवें दक्षेस शीर्ष सम्मेलन के दौरान 6 जनवरी, 2004 को दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार 1 जनवरी, 2006 को लागू हुआ था तथा व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम 1 जुलाई, 2006 में शुरू हुआ था।

दक्षेस सदस्य देश नियोजित प्रशुल्क उदारीकरण कार्यक्रम के लिए विशेष कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार समयबद्ध तरीके से साफ्टा के अंतर्गत अपनी संबंधित प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं; जिसका विवरण इस प्रकार है:—

शुल्क में चरणबद्ध कमी	गैर-अल्प विकसित देशों द्वारा	अल्पविकसित देशों द्वारा	श्रीलंका द्वारा
20%	31.12.2007	—	—
30%	—	31.12.2007	—
0-5% गैर-अल्प विकसित देशों के लिए	31.12.2012	31.12.2015	31.12.2013
0-5% अल्पविकसित देशों के लिए	31.12.2008	—	31.12.2008

इस प्रकार भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंका जैसे गैर-अल्पविकसित देशों द्वारा 2013 तक अपने प्रशुल्क में 5% कमी करना अपेक्षित है, जबकि क्षेत्रीय अल्प-विकसित देशों द्वारा 2016 तक ऐसा करना अपेक्षित है। भारत सहमति से निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है।

विवरण

अड्डू घोषणा

11 नंवबर, 2011

"संबंधो का निर्माण"

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की 17वीं शिखर बैठक के लिए 10-11 नवंबर, 2011 को अड्डू शहर, मालदीव में इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम श्री हामिद करजई, लोक गणराज्य बंगलादेश की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना, भूटान अधिराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम ल्योनछन जिग्मी योसेर थिनले, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. मनमोहन सिंह, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री मोहम्मद नशीद, नेपाल के प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. बाबूराम भट्टाराई, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महामहिम सैयद यूसुफ रजा गिलानी तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री महिन्दा राजपक्षे की बैठक हुई।

शिखर बैठक के विषय का स्वागत करते हुए तथा इस क्षेत्र में लोगों की अधिक आवाजाही, निवेश एवं व्यापार में वृद्धि के लिए प्रभावी संपर्कों एवं संयोजकता को बढ़ावा देने के निमित्त मतभेदों को दूर करने, बेहतर समझ पैदा करने एवं परस्पर लाभप्रद एवं व्यापक सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए;

शांति, विश्वास निर्माण, आजादी, मानव अस्मिता, लोकतंत्र, परस्पर सम्मान, सुशासन एवं मानवाधिकारों के प्रति अपनी वचनबद्धता की फिर से पुष्टि करते हुए;

समाजों के अंदर आय की असमानताओं को कम करने तथा गरीबी के उन्मूलन के लिए अपनी दृढ़ वचनबद्धता को नवीकृत करते हुए तथा जन केंद्रित संपोषणीय विकास के माध्यम से अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं कल्याण में सुधार संबंधी अपने संकल्प की फिर से पुष्टि करते हुए;

यह स्वीकार करते हुए कि महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा मौलिक अधिकारों का पूर्ण उपयोग सार्वभौमिक मानवाधिकारों का एक अपरकीय, अभिन्न एवं अविभाज्य अंग है और यह कि लिंग आधारित हिंसा एवं भेदभाव की प्रथाएं मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं;

क्षेत्र के अंदर संस्कृतियों एवं विविधताओं की बहुलता को ध्यान में रखते हुए तथा लोगों के बीच अधिक सम्पर्क एवं अंत:क्रिया के माध्यम से अंतर-सांस्कृतिक सामंजस्य को बढ़ाव देने की आवश्यकता को संज्ञान में लेते हुए;

सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों के आतंकवाद, राष्ट्रपारीय संगठित अपराधों, विशेष रूप से स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार, मानवों एवं छोटे हथियारों की व्यापार तथा क्षेत्र में समुद्री जल दस्युता की घटनाओं में वृद्धि से संबंधित निरंतर संकट के बारे में अत्यंत चिन्तित होकर तथा ऐसी सभी आपदाओं से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराते हुए;

पर्यावरणीय विकृति तथा जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति इस क्षेत्र की विशेष अरक्षिताओं के प्रति सजग रहते हुए;

क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत एवं तेज करने के निमित्त सार्क के संस्थानिक तंत्रों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए त्वरित प्रत्युत्तर पर सार्क करार, सार्क बीज बैंक करार, अनुपालन मूल्यांकन की पहचान पर बहुपक्षीय व्यवस्था पर सार्क करार तथा क्षेत्रीय मानकों के कार्यान्वियन पर सार्क करार पर हस्ताक्षर होने का स्वागत करते हुए;

क्षेत्र में समर्थकारी आर्थिक माहौल के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में साफ्टा के पूर्ण कार्यान्वियन के महत्व को स्वीकार करते हुए;

दक्षिण एशिया मंच की पहली बैठक की रिपोर्ट की इन सिफारिशों को नोट करते हुए कि अपने अंदर देखने का कार्य करने से अब परस्पर निर्भरता के तर्क को स्वीकार करने की दिशा में सार्क को आगे बढ़ने की जरूरत है;

17वीं शिखर बैठक में आस्ट्रेलिया, लोक गणराज्य चीन, इस्लामी गणराज्य ईरान, जापान, कोरिया गणराज्य, मारीशस, म्यांमार संघ, संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय संघ से प्रेक्षकों की भागीदारी को अभिस्वीकार करते हुए;

एतद्द्वारा घोषणा की जाती है:

1. साफ्टा को पूर्णत: एवं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए प्रयासों को तेज करने तथा संवेदनशील सूची में कटौती तथा प्रशुल्क से भिन्न बाधाओं के शीघ्र समाधान एवं मानकों तथा सीमाशुल्क संबंधी प्रक्रियाओं में सामंजस्य लाने की प्रक्रिया तेज करने पर काम करने के लिए साफ्टा की मंत्री स्तरीय परिषद् को निदेश देना।

2. सार्क के वित्त मंत्रियों को ऐसा प्रस्ताव तैयार करने का निदेश देना, जिससे वित्तीय पूंजी एवं अंतर्क्षेत्रीय दीर्घावधिक निवेश का अधिक प्रवाह संभव हो।

3. 2012 में कुल्हुदुफशी, मालदीव में सार्क यात्रा एवं पर्यटन मेला के साथ 12वां सार्क व्यापार मेला आयोजित करना; और वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में संगत निजी क्षेत्र को शामिल करके रूपात्मकताएं विकसित करना।

4. क्षेत्रीय रेलवे करार संपन्न करना तथा मंत्री परिषद् के अगले सत्र से पूर्व मोटर वाहन करार पर विशेषज्ञ समूह की बैठक बुलाना; और कंटेनर ट्रेन (भारत – बांग्लादेश – नेपाल) के परीक्षण संचालन के शीघ्र आयोजन का निदेश देना।

5. महासचिव को 2011 के अंत तक यह सेवा शुरू करने के लिए हिन्द महासागर कार्गो एवं यात्री फेरी सेवा पर तैयारी कार्य के पूरा होने का सुनिश्चिय करने के लिए निदेश देना जिसमें संभाव्यता अध्ययन शामिल है।

6. जलवायु परिवर्तन पर थिम्पू वक्तव्य के समय पर कार्यान्वियन को सुनिश्चित करना।

7. क्षेत्रीय विद्युत विनिमय संकल्पना पर ऊर्जा सहयोग एवं अध्ययन के लिए अंतर्सरकारी रूपरेखा करार संपन्न करने के साथ-साथ विद्युत के लिए सार्क बाजार से संबंधित कार्य संपन्न करने के लिए निदेश देना।

8. राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुमोदन के अधीन संबंधित देशों के नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में राष्ट्रीय आय के उपयुक्त प्रतिशत को उपलब्ध कराना।

9. मंत्री परिषद् के अगले सत्र तक सार्क खाद्य बैंक से संबंधित प्रचालनात्मक मुद्दों का समाधान करना ताकि यह प्रभावी ढंग से काम कर सके।

10. स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों एवं छोटे हथियारों की अवैध ट्रैफिकिंग के साथ आतंकवाद की सहलग्नताओं को ध्यान में रखते हुए इसका जड़ से उन्मूलन करना और आतंकवाद से लड़ने के लिए समन्वित एवं समवेत ढंग से प्रयास करना; और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रस्तावित यूएन व्यापक अभिसमय की शीघ्र निष्पत्ति एवं आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता पर सार्क अभिसमय की पुष्टि को पूरा करने के लिए आह्वान करना।

11. क्षेत्र में समुद्री जल दस्युता से लड़ने की दिशा में कार्य शुरू करना।

12. सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों एवं एसडीजी को समय पर साकार करने समेत राष्ट्रीय कानूनों पर बल देते हुए क्षेत्र में महिलाओं की अधिकारिता एवं लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए एक क्षेत्रीय तंत्र की स्थापना पर चर्चा करने के लिए अंतर्सरकारी विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित करने का निदेश देना।

13. अगली शिखर बैठक तक इसे अपनाने के विचार से वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी पर रोकथाम एवं संघर्ष पर सार्क क्षेत्रीय अभिसमय के विस्तार के कार्य को अंतिम रूप देने का निदेश देना।

14. क्षेत्र में स्वच्छता की सामान्य चुनौती से निपटने तथा सुरक्षित पेयजल तक पहुंच के लिए एक साध्य रूपरेखा तैयार करना।

15. शैक्षिक एवं व्यावसायिक डिग्रियों की परस्पर मान्यता तथा शैक्षिक मानकों में सामंजस्य स्थापित करने पर कार्य तेज करना और इस क्षेत्र के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं एवं थिंक टैंक के बीच दीर्घावधिक सहलग्नता स्थापित करना।

16. दक्षिण एशिया के लिए "विजन वक्तव्य" के विकास तथा इसके भावी विकास की दिशा में काम करना जारी रखने के लिए दक्षिण एशिया मंच को निदेश देना जिसमें दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के लक्ष्य पर काम करना शामिल है।

17. अंतर्सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से सचिवालय एवं क्षेत्रीय केंद्रों समेत सार्क के तंत्रों को सुदृढ़ करना।

18. सहमत क्षेत्रों में यथाउपयुक्त क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय परियोजनाएं विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए सार्क के तंत्रों एवं संस्थानों को निदेश देना।

19. 2012 में मंत्री परिषद् के अगले सत्र से पूर्व प्रेक्षकों की भागीदारी से संबंधित सभी मुद्दों की व्यापक समीक्षा करना जिसमें वार्ता में साझेदारी का प्रश्न भी शामिल है।

20. एक सार्क मीडिया दिवस निर्धारित करना और इस संदर्भ में क्षेत्र में सहयोग गहन करने पर विचार करने के लिए मीडिया पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय लेना।

अड्डू, मालदीव में 11 नवंबर, 2011 को जारी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जा रहे मामले

318. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कितने मामलों की जांच की जा रही है;

(ख) आतंकवाद, उग्रवाद तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों से संबंधित कितने मामले जांच हेतु सीबीआई के पास लंबित हैं;

(ग) भा.प्र.से., भा.पु.से., भा.वि.से. तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध अभियोजन आदेश दिए गए हैं;

(घ) आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आमदनी से संबंधित कितने मामलों की जांच जारी है; और

(ङ) सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे अधिकारियों के नाम तथा उनके कार्यस्थल का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) 31.10.2011 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कुल 943 मामले अन्वेषण के विभिन्न स्तर पर है।

(ख) शून्य

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008, 2009, 2010 और 2011 (31.10.2011 तक), के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के श्रेणी-1 अधिकारियों के विरुद्ध 453 आरोप-पत्र दायर किए गए हैं।

(घ) दिनांक 3.10.2011 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसंपत्ति के कुल 79 मामले अन्वेषण के विभिन्न स्तर पर चल रहे हैं।

(ङ) यह सूचना मामला विशेष का हिस्सा है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इसे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ 'लैंड डील'

319. **श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में किए गए समझौते के अंतर्गत सरकार ने बांग्लादेश के साथ भूमि का अंतरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनहित के मद्देनजर निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन और संबंधित मामलों संबंधी करार, 1974 के एक प्रोटोकॉल पर

प्रधानमंत्री की 06-07 सितंबर, 2011 को बांग्लादेश की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। प्रोतोकॉल में असीमांकित भूमि सीमा से संबंधित लंबित भूमि सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने, प्रतिकूल कब्जे वाले एन्क्लेवों और भूक्षेत्रों का आदान-प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की गयी है। यह दोनों देशों की सरकारों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के अध्यधीन है और अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रभाव में आएगा। प्रोतोकॉल के कार्यान्वियन से बांग्लादेश स्थित 111 भारतीय एन्क्लेवों का भारत स्थित 51 बांग्लादेशी एन्क्लेवों से आदान-प्रदान होगा और प्रतिकूल कब्जे वाले भूक्षेत्रों को यथास्थिति सुरक्षित बनाए रखा जाएगा। प्रोतोकॉल जमीनी स्थिति पर आधारित है, इसमें अंतग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखा गया है और इसे संबंधित राज्य सरकारों से व्यापक परामर्श से तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

दूरभाष केन्द्र

320. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :**
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कार्यशील दूरभाष केन्द्रों की स्थान-वार एवं राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार निर्माणाधीन तथा निर्माण हेतु प्रस्तावित दूरभाष केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु व्ययित धनराशि कितनी है; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) आज की तिथि के अनुसार देश में कार्यशील महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के वायरलाइन दूरभाष केन्द्रों की संख्या सर्किल-वार और दूरसंचार जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित वायरलाइन दूरभाष केन्द्रों के भवनों की संख्या नीचे दी गई है:—

बीएसएनएल: शून्य

एमटीएनएल: 01 (पोवई, मुम्बई)

सर्किल-वार निर्माणाधीन वायरलाइन दूरभाष केन्द्र भवनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

कंपनी	दूरसंचार	निर्माणाधीन एक्सचेंजों की संख्या
बीएसएनएल	तमिलनाडु	03
	छत्तीसगढ़	04
	जम्मू और कश्मीर	02
	महाराष्ट्र	26
	गुजरात	03
	ओडिशा	01
	पूर्वोत्तर-2	01
	चेन्नै दूरसंचार	01
बीएसएनएल	केरल	02
एमटीएनएल	दिल्ली	01
	मुंबई	05

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान वायर लाइन दूरभाष केन्द्रों के निर्माण के उद्देश्य से बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा व्यय की गई धनराशि नीचे दी गई है:—

बीएसएनएल — 14.29 करोड़ रु.

एमटीएनएल — 6.00 करोड़ रु.

(घ) निर्माणाधीन वायरलाइन दूरभाष केन्द्रों के निर्माण के पूरा होने की लक्षित तिथियां नीचे दी गई है:—

कंपनी	दूरसंचार सर्किल	निर्माणाधीन एक्सचेजों की सं.	पूरा होने की लक्षित तिथि
1	2	3	4
बीएसएनएल	तमिलनाडु	03	मई, 2012

1	2	3	4
	छत्तीसगढ़	04	मार्च, 2012
	जम्मू और कश्मीर	02	अगस्त, 2012
	महाराष्ट्र	26	मार्च, 2012
	गुजरात	03	मार्च, 2012
	ओडिशा	01	फरवरी, 2012
	पूर्वोत्तर-2	01	जून, 2012
	चेन्नै दूरसंचार	01	दिसम्बर, 2012
	केरल	02	फरवरी, 2012
एमटीएनएल	दिल्ली	01	दिसम्बर, 2011
	मुम्बई	05	जुलाई, 2012

विवरण

बीएसएनएल और एमटीएनएल के वायरलाइन एक्सचेंजों का दूरसंचार जिला-वार ब्यौरा

कंपनी	सर्किल	दूरसंचार जिला	कार्यशील वायरलाइन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
बीएसएनएल	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	133
		अनंतपुर	192
		चितौर	246
		कुड्डपा	153
		ईस्ट गोदावरी	204
		गुंटूर	223
		हैदराबाद	427
		करीमनगर	171
		ख्म्माम	162
		कृष्णा	235
		कुरूनूल	236
		महबूबनगर	212
		मेडक	166

1	2	3	4
		नलगोंडा	210
		नेल्लूर	195
		निजामाबाद	140
		ओंगल	189
		श्रीकाकुलम	124
		विशाखापटनम	162
		विजयनगर	124
		वारंगल	156
		वेस्ट गोदावरी	205
	अंडमान	पोर्ट ब्लेयर	46
	असम	वोंगाई गांव	98
		डिब्रूगढ़	71
		जोरहट	94
		कामरूप	56
		नौगांव	100
		सिल्चर	100
		तेजपुर	81
	बिहार	आरा	60
		बेगुसरय	39
		बेतिया	37
		भागलपुर	63
		छपरा	93
		दरभंगा	61
		गया	105

1	2	3	4
		हाजीपुर	46
		कटिहार	66
		खगड़िया	22
		किशनगंज	21
		मधुवनी	55
		मोतीहारी	53
		मुंगेर	69
		मुजफ्फरपुर	89
		पटना	135
		सहरसा	73
		समस्तीपुर	53
		सासाराम	57
	छत्तीसगढ़	बस्तर	69
		बिलासपुर	123
		दुर्ग	117
		रायगढ़	69
		रायपुर	133
		सरगूजा	55
	गुजरात	अहमदाबाद	293
		अमरेली	93
		भरूच	137
		भावनगर	134
		भुज	244
		गोधरा	140

1	2	3	4
		हिम्मतनगर	164
		जामनगर	119
		जूनागढ़	205
		मेहसाना	283
		नादियाड	175
		पालनपुर	209
		राजकोट	224
		सूरत	115
		सुरेन्द्र नगर	153
		वडोदरा	161
		बलसाड	132
	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	237
		हमीरपुर	193
		कुल्लू	91
		मंडी	184
		शिमला	252
		सोलन	219
	हरियाणा	अंबाला	205
		फरीदाबाद	74
		गुड़गांव	120
		हिसार	229
		जींद	88
		करनाल	195
		रेवाड़ी	99

1	2	3	4
		रोहतक	210
		सोनीपत	82
	झारखंड	डाल्टेनगंज	43
		धनबाद	76
		डुमका	80
		हजारीबाग	95
		जमशेदपुर	88
		रांची	106
	जम्मू कश्मीर	जम्मू	100
		लेह	51
		राजौरी	55
		श्रीनगर	100
		उधमपुर	66
	केरल	अलपुजा	72
		कालीकट	124
		एर्नाकुलम	213
		कन्नूर	171
		कोल्लम	886
		कोट्टयम	100
		मलपुरम	94
		पलक्कड़	117
		पटनमयिट्टा	84
		तिरुअनंतपुरम	95
		त्रिशूर	87

1	2	3	4
	कर्नाटक	बेंगलुरू	290
		बेलगांव	189
		वेल्लारी	116
		बीदर	81
		बीजापुर	192
		चिकमगलूर	148
		चित्रदुर्ग	129
		धारबाड	171
		गुलबर्ग	160
		हसन	104
		कैरवार	152
		कोडागु	76
		कोलर	143
		मंडया	65
		मंगलूर	251
		मैसूर	141
		रायचूर	135
		शिमोगा	140
		तुमकुरू	112
	महाराष्ट्र	अहमदनगर	324
		अकोला	140
		अमरावती	135
		औरंगाबाद	148
		बीड़	129

1	2	3	4
		भंडारा	108
		बुलधाना	117
		चन्द्पुर	98
		धुले	136
		गढ़चिरौली	37
		गोवा	137
		जलगांव	216
		जालना	92
		कल्याण	177
		कोल्हापुर	308
		लातूर	146
		नागपुर	134
		नांदेड	135
		नासिक	246
		उस्मानाबाद	92
		परभानी	103
		पुणे	296
		रायगढ़	154
		रतनागिरी	174
		सांगली	329
		सतारा	224
		सिंधुदूर्ग	106
		सोलापुर	253
		वर्धा	78
		यवतमाल	100

1	2	3	4
	पंजाब	अमृतसर	146
		भटिंडा	133
		चंडीगढ़	55
		फिरोजपुर	266
		होशियारपुर	102
		जालंधर	211
		लुधियाना	129
		पठानकोट	125
		पटियाला	149
		रोपड़	55
		संगरूर	142
	राजस्थान	अलवर	110
		वांसवाड़ा	78
		बाड़मेर	84
		भरतपुर	62
		भीलवाड़ा	89
		बीकानेर	73
		बूंदी	40
		चित्तौड़गढ़	63
		चुरू	102
		जयपुर	204
		जैसलमेर	32
		झालावाड़	35
		झुंझनू	75

1	2	3	4
		जोधपुर	125
		कोटा	98
		नागौर	110
		पाली	145
		सवाईमाधोपुर	70
		सीकर	110
		सिरोह	122
		श्री गंगानगर	183
		टोंक	45
		उदयपुर	134
	उत्तराखंड	अल्मोड़ा	104
		देहरादून	77
		हरिद्वार	35
		कोटद्वार	120
		नैनीताल	82
		उत्तरकाशी	63
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	इलाहाबाद	105
		आजमगढ़	76
		बहराइच	62
		बलिया	48
		बांदा	84
		बाराबंकी	74

1	2	3	4
		बस्ती	77
		देवरिया	74
		फैजाबाद	74
		फरूखाबाद	55
		फतेहपुर	49
	मध्य प्रदेश	बालाघाट	48
		बैतूल	75
		भोपाल	117
		छतरपुर	75
		छिंदवाड़ा	101
		दमोह	34
		देवास	71
		धार	86
		गुना	60
		ग्वालियर	84
		इंदौर	80
		इटारसी	106
		जबलपुर	114
		झाबुआ	41
		खंडवा	82
		खरगौन	107
		मंडला	46
		मंदसौर	159

1	2	3	4
		मुरैना	114
		नरसिंहपुर	68
		पन्ना	21
		रायसेन	30
		राजगढ़	39
		रतलाम	74
		रीवा	38
		सागर	67
		सतना	49
		सियोनी	53
		शहदौल	56
		शाजापुर	75
		शिवपुरी	42
		सिधी	29
		उज्जैन	100
		विदिशा	48
	पूर्वोत्तर-I	मेघालय	111
		मिजोरम	105
		त्रिपुरा	135
	पूर्वोत्तर-II	अरुणाचल प्रदेश	107
		मणिपुर	52
		नागालैंड	62

1	2	3	4
	ओडिशा	बालासोर	90
		बोलनगिर	52
		कटक	182
		ढेंकनाल	128
		गंजम	128
		कालाहांडी	61
		कोरापुट	106
		मयूरभंज	55
	उत्तर प्रदेश	पुरी	143
		संबलपुर	111
		सुन्दरगढ़	68
		फुलवानी	47
		गाजीपुर	46
		गोंडा	65
		गोरखपुर	84
		हमीरपुर	46
		हरदोई	45
		जौनपुर	69
		झांसी	70
		कानपुर	135
		लखीमपुर खेरी	78
		लखनऊ	92
		मऊ	42
		मिर्जापुर	78
		उरई	43
		प्रतापगढ़	64
		रायबरेली	64

1	2	3	4
		शाहजहांपुर	43
		सीतापुर	69
		सुल्तानपुर	85
		उन्नाव	69
		वाराणसी	108
	उत्तर प्रदेश (प.)	आगरा	88
		अलीगढ़	70
		बरेली	78
		बिजनौर	67
		बदायूं	46
		बुलंदशहर	47
		एटा	43
		इटावा	47
		गाजियाबाद	75
		मथुरा	60
		मेरठ	70
		मुरादाबाद	77
		मुजफ्फरनगर	68
		मैनपुरी	39
		नोएडा	56
		पीलीभीत	35
		रामपुर	32
		सहारनपुर	46

1	2	3	4
	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	189
		बांकुरा	74
		बरहामपुर	96
		कूचबिहार	42
		गंगटोक	47
		जलपाईगुड़ी	58
		खरगपुर	184
		कोलकाता	256
		कृष्णनगर	92
		माल्दा	61
		पुरुलिया	38
		रायगंज	75
		सिलीगुड़ी	78
		सूरी	90
	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	162
		कुडुलोर	162
		धर्मपुरी	124
		इरोड	121
		करायकुडी	122
		कुंबकोणम	79
		मदुरई	158
		नगरकोइल	44
		नीलगिरी	46
		पुदुचेरी	27
		सलेम	225
		तंजौर	118
		त्रिनेलवेली	82

1	2	3	4
		त्रिची	260
		तूतीकोरिन	69
		वेल्लोर	148
		विरुद्धनगर	64
एमटीएनएल	कोलकाता	कोलकाता	520
	चैन्ने	चैन्ने	325
	दिल्ली	दिल्ली	356
	मुंबई	मुंबई	220

[अनुवाद]

भा.प्र.सं. (आईआईएम) का कार्यकरण

321. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं जबावदेही लाने की कोशिश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) भातीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा में कार्रवाई करते हुए शासी बोर्डों, जिनके माध्यम से ये कार्य करते हैं, पर उनके कार्यकरण में और अधिक पारदर्शिता लाने और जबावदेही सुनिश्चित करने हेतु जोर डाला जा रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थानों से हाल ही में हुई एक बैठक में अपनी प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया में समन्वय करने, प्रवेश प्रक्रिया को विस्तृत रूप से प्रकाशित करने, सीएटी का विज्ञापन देने के समय पर ही, बाह्य पीयर समीक्षा प्रणाली लागू करने और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों का निर्णय करने हेतु जिनमें प्रत्येक भारतीय प्रबंधन संस्थान कार्य करेगा, एक विशेषज्ञ समूह का गठन करने के लिए कहा गया है।

सफल नामांकन अनुपात

322. चौधरी लाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) एशियाई देशों के औसत की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा अब तक हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अनुपात को बढ़ाने के लिए दसवीं योजना तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितना व्यय किया गया है;

(ङ) पर्याप्त बजटीय आबंटन के बावजूद जी.ई.आर. कम होने के क्या कारण हैं; और

(च) इस स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) देश में वर्ष 2008-09 हेतु प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (अनन्तिम) और मध्य एशिया, पूर्व एशिया और प्रशांत तथा दक्षिण एवं पश्चिम एशिया हेतु क्षेत्रीय औसत नीचे दिए गए हैं:—

स्तर	भारत 2008-09 (अनन्तिम)	औसत (2009)		
		मध्य एशिया	पूर्व एशिया प्रशांत	दक्षिण और पश्चिम एशिया
1	2	3	4	5
प्राथमिक	114.37	98	111	110

1	2	3	4	5
उच्च प्राथमिक	76.23	97	90	71
माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक	47.01	94	66	44
उच्चतर शिक्षा	13.8	25	28	13

(ग) से (च) 10वीं योजना और 11वीं योजना के दौरान वर्ष 2010-11 तक विभिन्न योजनाओं के तहत हुए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

योजना का नाम	10वीं योजना के दौरान व्यय	11वीं योजना के दौरान व्यय (2007-08 से 2010-11)
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को छोड़कर)		
सर्व शिक्षा अभियान	25957.38	56575.79
कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	431.80	
प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम	12476.95	28407.40
माध्यमिक शिक्षा (सुलभता एवं समानता, गुणवत्ता सुधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नवोदय विद्यालय समिति, केन्द्रीय विद्यालय संगठन आदि)	3808.50	11867.95
उच्चतर शिक्षा विभाग		
विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	4180.09	13141.73
छात्रवृत्तियां	16.66	1621.94 (दूरस्थ अध्ययन तथा आईसीटी)
तकनीकी शिक्षा	3369.09	11536.28

सरकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को कार्यान्वित करके सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लगातार प्रयास करती रही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जिसे 1 अप्रैल, 2010 को संचालित किया गया हैं, में यह व्यवस्था है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वयन कार्यढांचे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है और सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों एवं मानदंडों के अनुरूप क्रियान्वित किया जा रहा है। स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करने और बच्चों को बनाए रखने के मद्देनजर मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरूआत की गई है। इन प्रयासों से राज्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने में सक्षम हो पाएंगे।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने हेतु कई नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पॉलीटेक्निक तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं

की स्थापना की गई है। सरकार द्वारा एक नई योजना अनुमोदित की गई है जिसके तहत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में अभिनिर्धारित 374 जिलों जहां उच्चतर शिक्षा हेतु सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम है, में से प्रत्येक जिले में एक आदर्श डिग्री कॉलेज स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों/राज्य विश्वविद्यालयों को लागत साझेदारी आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

एन.वी.ई.टी.यू. की स्थापना

323. श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री बैजयंत पांडा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे को लागू करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय जिस के केन्द्र राज्यों में होंगे, की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कुशल कामगारों की कमी को पूरा करने के लिए कुशल कामगार बल का पूल बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप गरीब और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को किस तरह से लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) योजना आयोग की संचालन समिति ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचे (एनवीईक्यूएफ) के मामले पर विचार करने हेतु एक उप-समिति गठित की है। समिति द्वारा अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(ग) और (घ) देश में पुन: तैयार की गई व्यावसायिक शिक्षा से उद्योग की आवश्यकता के अनुसार युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी, इस प्रकार कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर में कमी आएगी।

(ङ) निजी व्यावसायिक स्कूलों में 25% सीटें सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों/गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों, जिनमें से 50% लड़कियां होंगी) से भरी जाएंगी, जिन्हें माध्यमिक शिक्षा के सीएसएस व्यावसायीकरण के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति छात्र 19,000 रु. की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या

324. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 के दौरान परीक्षा से बचने के लिए प्रतिदिन सात विद्यार्थियों ने आत्महत्या की;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अतिवादी कदम उठाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या" संबंधी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 के दौरान परीक्षा में फेल होने के कारण प्रतिदिन विभिन्न आयु समूह के सात छात्रों ने आत्महत्या की थी।

(ख)

वर्ष	2007	2008	2009	2010
की गई आत्महत्याओं की संख्या	1976	2189	2010	2479

(ग) आत्महत्याओं के कारणों का पता लगा पाना कठिन है। ऐसे बहुत से सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं जिनसे बच्चों में तनाव और चिंता हो सकती है जो उनके द्वारा आत्महत्या का अतिवादी कदम उठाने का कारण हो सकते हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने ऐसी समस्या को कारगर रूप से रोकने हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं:—

(i) ऐसे छात्रों के लिए जो कक्षा X के पश्चात् सीबीएसई प्रणाली से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, 2011 से कक्षा X की बोर्ड परीक्षा को समाप्त करना।

(ii) कक्षा IX और X के स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई है।

(iii) परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय प्रदान किया गया है।

(iv) आंतरिक स्कूल आधारित मूल्यांकन को उचित महत्व देना।

(v) कक्षा में सभी विषयों में सुधार के लिए पांच अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा कक्षा XII की परीक्षा में एक विषय में कम्पार्टमेंट के लिए भी पांच अवसर प्रदान किए गए हैं।

(vi) परीक्षा आरंभ होने से पूर्व और परिणाम घोषित करने के दौरान हैल्पलाइन कार्यक्रम के साथ-साथ छात्रों और माता-पिता के लिए टेलीफोन, इन्टरएक्टिव बाइस रिकॉर्ड सिस्टम (आईवीआरएस), मुख्य समाचार पत्रों और ऑन लाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से काउंसलिंग उपलब्ध कराना।

पीएच.डी. तथा अन्य शोध पत्रों की प्रस्तुति

325. श्री हरिन पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थानों के कितने विद्यार्थियों को संस्थान-वार विदेशों में अपनी पीएच.डी. तथा अन्य शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं;

(ख) क्या ऐसे विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) विदेशों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बंगलौर के विद्यार्थियों का कोई पीएच.डी. थीसिस प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तथापि, जो विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भाग लेते हैं तथा शोध पत्र इत्यादि प्रस्तुत करते हैं उन्हें अपनी यात्रा एवं अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संस्था-वार संख्या नीचे दी गई है:—

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान—बम्बई	365
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान—दिल्ली	234
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान—कानपुर	399
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान—खड़गपुर	93
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान—मद्रास	201
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान—रूड़की	50
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान—बंगलौर	348

[हिन्दी]

विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

326. श्री दत्ता मेघे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का ज्ञान प्रदान करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना "विद्यालयों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी" के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित धनराशि तथा उनके द्वारा उपयोग की गयी धनराशि वर्ष-वार कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों की वर्ष-वार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। "स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित अध्ययन तथा कम्प्यूटर साक्षरता हेतु सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित स्कूलों को प्राथमिकता दी जाती है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों जहां पर हिस्सेदारी अनुपात

90:10 है, को छोड़कर केन्द्र तथा राज्यों के बीच हिस्सेदारी पैटर्न 75:25 है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) यह आशा की जाती है कि इस योजना के अंतर्गत शामिल स्कूलों में, कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्र विभिन्न स्तरों की कम्प्यूटर साक्षरता हासिल करते हैं। हालांकि, इसकी मॉनीटरिंग राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा सामान्य प्रवीणता परीक्षा के अभाव में, कम्प्यूटर शिक्षा में प्रवीणता प्राप्त करने वाले छात्रों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा							
		2008-09		2009-10		2010-11		2010-11 (31.10.2011 के अनुसार)	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	67.20	—	67.20	—
2.	आंध्र प्रदेश	5250.00	5250.00	—	—	6600.00	6600.00	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	67.38	67.38	105.52	105.52	645.59	—	584.37	—
4.	असम	—	—	—	—	641.00	—	2182.40	—
5.	बिहार	895.93	—	—	—	—	—	—	—
6.	चंडीगढ़	—	—	182.75	182.75	—	—	—	—
7.	छत्तीसगढ़	2417.53	1217.53	—	—	—	—	—	—
8.	दमन और दीव	41.00	41.00	—	—	31.20	—	—	—
9.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	14.40	—	18.75	—
10.	दिल्ली	—	—	—	—	399.00	—	—	—
11.	गोवा	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	—	—	—
12.	गुजरात	—	—	1871.78	1871.78	6915.57	5842.35	—	—
13.	हरियाणा	1250.00	1250.00	1500.00	1500.00	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	हिमाचल प्रदेश	772.44	772.44	—	1	753.60	753.60	638.00	—
15.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	कर्नाटक	3150.00	—	—	—	—	—	—	—
18.	केरल	4071.00	4071.00	4071.00	4071.00	2600.00	2600.00	5562.00	—
19.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	महाराष्ट्र	—	—	1250.00	—	—	—	—	—
22.	मणिपुर	195.98	195.98	391.95	391.95	65.65	—	—	—
23.	मेघालय	428.88	428.88	—	—	386.59	—	20.00	—
24.	मिजोरम	—	—	301.50	301.50	408.06	—	—	—
25.	नागालैंड	815.00	815.00	111.21	111.21	486.82	486.82	267.163	—
26.	ओडिशा	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	पुदुचेरी	—	—	—	—	—	——	—	—
28.	पंजाब	3017.40	3017.40	4305.00	4305.00	4603.00	4109.00	—	—
29.	राजस्थान	1050.00	1050.00	2300.00	2300.00	4500.00	4500.00	—	—
30.	सिक्किम	—	—	—	—	418.97	—	—	—
31.	तमिलनाडु	2681.00	2681.00	318.72	318.72	0.00	—	20.00	—
32.	त्रिपुरा	—	—	—	—	946.32	946.32	—	—
33.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	3984.82581	3984.82	4640.174	—
34.	उत्तराखंड	150.00	150.00	151.50	151.50	500.00	—	—	—
35.	पश्चिम बंगाल	762.42	762.42	—	—	3500.00	3500.00	3520.00	—
	कुल	27447.96	22202.03	17292.93	16042.93	38899.79581	33322.91	17520.057	—

[अनुवाद]

एनपीसीआईएल और आईओसी के बीच समझौता ज्ञापन

327. डॉ. क्रुपारानी किल्ली : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लि. (एनपीसीआईएल) तथा भारतीय तेल निगम के बीच समझौता-ज्ञापन पर दस्तखत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है;

(घ) क्या उक्त संयंत्रों की स्थापना हेतु स्थानों की पहचान की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के बीच 04 नवंबर, 2009 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस समझौता-ज्ञापन में, बिजली का उत्पादन करने के लिए देश में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने और परस्पर रूप से सहमत अन्य कोई क्षेत्र शामिल है। न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड – इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) निगमित की गई है।

(ग) से (ङ) न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच स्थापित की जाने वाली नाभिकीय विद्युत परियोजना का पता लगाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन

328. श्री प्रह्लाद जोशी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 2011 में हुए दूसरे भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के परिणाम तथा उक्त शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पहले भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौतों को पूरा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) द्वितीय अफ्रीका भारत मंच शिखर सम्मेलन अफ्रीकी संघ की मुख्यालय आदिस अबाबा में 24-25 मई, 2011 को आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत और अफ्रीका के बीच विद्यमान ऐतिहासिक संबंध की नींव मजबूत की गई और 21वीं शताब्दी में भारत और हमारे अफ्रीकी भागीदारों के बीच संवर्धित क्रियाकलापों के ढांचे की रचना में आगे योगदान किया गया। शिखर सम्मेलन के अंत में अंगीकार किए गए दो दस्तावेज अर्थात् आदिस अबाबा घोषणा और संबंधित सहयोग के लिए अफ्रीका भारत ढांचा आने वाले वर्षों में अफ्रीका के साथ अब हमारे व्यवस्थित संवर्धित क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करेंगे। आदिस अबाबा घोषणा एक राजनैतिक दस्तावेज है जिसमें भारत और अफ्रीका के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है जिनमें अन्यों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुधार में हमारी साझा स्थिति, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद शामिल थे। विस्तारित सहयोग के लिए अफ्रीका-भारत ढांचे में सहयोग के सहमत क्षेत्रों की चर्चा है जिनमें मानव संसाधन और संस्थागत क्षमता निर्माण, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक उन्नति, जिनमें लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं और खनिज, स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास, अवसंरचना का विकास, आईसीटी और न्यायिक व्यवस्था की स्थापना और नागरिक नियंत्रण के अधीन पुलिस और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान शामिल हैं।

2. 2011 शिखर सम्मेलन में अप्रैल, 2008 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन द्वारा उत्पन्न की गई सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाया गया। प्रथम भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। नई दिल्ली में 2008 में शिखर सम्मेलन के अंत में दो ऐतिहासिक दस्तावेजों अर्थात् दिल्ली घोषणा और सहयोग के लिए भारत-अफ्रीका

ढांचा को अंगीकार किया गया था। तदुपरान्त भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के सहयोग के लिए ढांचे की कार्य योजना को 10 मार्च, 2010 को शुरू किया गया था। यह कार्य भारत और अफ्रीकी संघ और उसके सदस्य राष्ट्रों के बीच की गई परामर्शी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किया गया। यह दिल्ली घोषणा और सहयोग के ढांचे में निर्धारित किए गए सिद्धांतों पर आधारित था और इसमें पूरी भागीदारी से कार्य करने की हमारी संयुक्त वचनबद्धता को प्रतिबिम्बित किया गया है।

3. प्रथम भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के सहयोग के ढांचे के कार्य योजना शुरू करने के बाद 19 क्षमता निर्माण संस्थाओं की स्थापना के लिए स्थान की सूचना दिसम्बर, 2010 में अफ्रीकी संघ द्वारा दे दी गई है। इसके अनुवर्तन में, द्वितीय भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान आदिस अबाबा में 23 मई, 2011 को अफ्रीका में 14 संस्थाओं की स्थापना के लिए भारत और अफ्रीकी संघ के बीच 5 करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रथम भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में की गई सहमति के अनुसार अफ्रीका में क्षमता निर्माण संस्थाओं की स्थापना के संबंध में देश करार और अभिकरण करारों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। कई क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है और विशेष कृषि छात्रवृत्तियों, सी.वी. रमण वैज्ञानिक छात्रवृत्तियों, विस्तारित आईसीसीआर छात्रवृत्तियों और आईटेक प्रशिक्षण स्थितियों का कार्यान्वयन किया गया है। 2010-11 में लगभग 450 भागीदारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इंडियन बिजनेस स्कूल की रैंकिंग

329. श्री बैजयंत पांडा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बिजनेस स्कूल 100 प्रबंधन संस्थानों में स्थान पाने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पांच समेकित रख-रखाव प्रबंधन प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष लाने के लिए 95 करोड़ रुपये के अनुदान से उन्नयित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का भी ऐसा ही उन्नयन करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इण्डियन बिजनेस स्कूल को समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। देश में समेकित रख-रखाव प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है। डॉ. काकोडकर समिति जिसकी स्थापना "अनुसंधान तथा उच्चतर शिक्षण के लिए विश्वस्तरीय संस्थाओं केरूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्वायत्तता तथा भविष्य की रूपरेखा पर विचार करने के लिए की गई थी, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद् ने दिनांक 14.09.2011 को आयोजित अपनी बैठक में काकोडकर समिति की रिपोर्ट को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए अधिकृत कार्य बल के गठन का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

अस्पतालों के पास हैलिपैडों का निर्माण

330. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को तुरंत बचाने के लिए प्रत्येक अस्पताल के पास 100 कि.मी. की दूरी पर हैलिपैड बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है तथा उसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसमें कितना व्यय होने की संभावना है तथा उक्त उद्देश्य हेतु कितने हैलिकॉप्टरों की आवश्यकता है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सऊदी अरब से वापस आ रही नर्सें

331. श्री पी.टी. थॉमस : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नर्सें भारी संख्या में सऊदी अरब से वापस आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस वर्ष कितनी नर्सें लौटी हैं एवं उनके लौटने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को सऊदी अरब सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सऊदी अरब में नव नियुक्तों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राजनयिक स्तर पर क्या उपाय किए जाने का विचार है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) इस प्रकार के कोई उदाहरण नहीं हैं जहां सऊदी अरब से बड़ी संख्या में भारतीय नर्सों का निर्गमन हुआ हो। संविदा के प्रावधान के अनुसार, सऊदी प्राधिकरण एक सऊदी नर्स, जब कभी भी वह उपलब्ध हो, को भर्ती की गई विदेशी नर्स के साथ पर, उन्हें वैध बकाया का भुगतान करने के बाद, नियोजित कर सकते हैं। सऊदी पक्ष ने ऐसी नर्सों की संख्या के बारे में सूचना नहीं दी है, जो भारत वापस लौटी हैं।

(ग) से (ङ) सऊदी अरब में भारतीय मिशन, ने कुछ नर्सों के मामलों को मानवीय आधार पर सऊदी पक्ष के साथ उठाया है। सऊदी पक्ष इस प्रकार के निर्णय, बेरोजगार सऊदी नागरिकों को नौकरियां प्रदान करने की सरकार की राष्ट्रीकरण नीति की लाइन पर और संविदा में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही, लेता है।

एअर इंडिया का ऋण

332. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया (एआई) सेवा कर तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज का भुगतान करने में चूक गई है तथा उस पर वेंडरों को भुगतान एवं ऋण मद में 48,000 करोड़ रुपये का बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.आई. ने भारतीय रिजर्व बैंक से मानदंड में छूट की मांग की है क्योंकि निर्धारित समय में ब्याज देयता एवं ऋण का भुगतान नहीं किया गया तो आरबीआई के प्रावधान मानदंडों के अनुसार इसके ऋण गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां हो जाएंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एअर इंडिया को भारी ऋण बोझ से उबारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, एअर इंडिया के पास लगभग 22,000 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजीगत ऋण तथा लगभग 21,000 करोड़ रुपये का विमान अर्जन ऋण है।

(ग) से (ङ) वित्तीय पुनर्संरचना के भाग के रूप में एअर इंडिया अपने बैंक के साथ वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज को देख रहा है जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन अनिवार्य है। परिसंपत्तियों के गैर-कार्यनिष्पादित होने से बचने के लिए ब्याज का भुगतान समय पर किया गया है।

स्पैक्ट्रम की कमी

333. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपनी प्रारूप राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) 2011 में इस क्षेत्र की तत्काल सरोकारों पर ध्यान देने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार उद्योग स्पेक्ट्रम की कमी से जूझ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के हल के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी), 2011

के मसौदे में मुख्य रूप से दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित दृष्टिकोण, कार्यनीतिपरक निर्देश विभिन्न मध्यम एवं दीर्घकालिक मुद्दे के समाधान का उल्लेख किया गया है।

"स्पेक्ट्रम प्रबंधन एवं लाइसेंसिंग ढांचा" के संबंध में ट्राई की दिनांक 11.05.2010 एवं 08.02.2011 की सिफारिशों में उल्लिखित अल्पकालिक मुद्दों के समाधान पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। कतिपय सिफारिशों के संदर्भ में, प्रारंभिक निष्कर्ष यह है कि आवश्यक कार्रवाई हेतु इन सिफारिशों को आशोधित करने/स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अत: ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) के परंतुक के अनुसार, ट्राई को दिनांक 10.10.2011 को इन सिफारिशों को पुन: विचारार्थ वापस भेजा गया है।

दूरसंचार विभाग को दिनांक 03.11.2011 को ट्राई से पुन: विचारित सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। सरकार इस संबंध में दूरसंचार आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इन सिफारिशों पर समग्र रूप से विचार करेगी।

(ग) दिल्ली सेवा क्षेत्र के लाइसेंसधारकों को छोड़कर सभी मौजूदा यूएएस लाइसेंसधारकों को प्रारंभिक स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया है। 2जी सेवाओं हेतु प्रारंभिक स्पेक्ट्रम के बाद अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन हेतु कुछ सेवा प्रदाताओं के अनुरोध लंबित हैं।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) एवं (ख) में उल्लिखित है, "स्पेक्ट्रम प्रबंधन एवं लाइसेंसिंग ढांचा" संबंधी ट्राई की दिनांक 11 मई, 2010 की उपर्युक्त सिफारिशों को इसके बाद की दिनांक 3.11.2011 की सिफारिशों के साथ दूरसंचार आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है। सरकार इसके बाद 2जी स्पेक्ट्रम के भावी आवंटन पर समग्र रूप से विचार करेगी।

खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय

334. **श्री निशिकांत दुबे : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीयों संबंधी आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए सरकार का विचार उनके भारत वापस आने पर अंशदायी पेंशन एवं जीवन बीमा निधि की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते, क्योंकि आने और जाने के समय पर भारतीय मिशनों में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार इस मामले को समझती है।

दूरसंचार कंपनियों का विलय

335. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के विलय और अर्जन के लिए मानदंडों तथा विनियमों को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित मानदंडों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उन कंपनियों, जिनकी संयुक्त बाजार हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है, के विलय पर प्रतिबंध लगाया है अथवा उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ट्राई ने सेल्यूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएमटीएस)/एकीकृत अभिगम सेवाओं (यूएएस) के लाइसेंसों के अंतरा-सेवा क्षेत्र विलय के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03.11.2011 के पत्र सं. 901-8/201-एमएस के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि:

"यदि इस प्रकार विलय करके बनाई जाने वाली कंपनी की किसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी कुल उपभोक्ता आधार अथवा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 35% से अधिक

नहीं है तो सरकार अपने स्तर पर इसकी अनुमति प्रदान कर सकती है। तथापि, यदि उपर्युक्त किसी भी मानदंड के आधार पर यह 35% से अधिक हो परंतु 60% से कम हो तो सरकार ट्राई से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद ही मामले में निर्णय ले सकती है। जिन मामलों में यह बाजार हिस्सेदारी 60% से अधिक होगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा।''

[हिन्दी]

जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान

336. **श्री रवनीत सिंह :**
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का योगदान विनिर्माण तथा कृषि क्षेत्र की तुलना में हाल ही में बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्वीकरण के कारण विदेशों में सेवाओं के बढ़ते अवसर, सेवा क्षेत्र में वृद्धि का परिणाम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 2005 तथा 2010 के वर्षांत तथा अक्तूबर 2010 तक सकल घरेलू उत्पाद में सेवा, उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों का योगदान क्या रहा; और

(च) उक्त अवधि के दौरान देश में उपरोक्त सभी क्षेत्रों में उपलब्ध जन शक्ति की हिस्सेदारी क्या थी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (च) जी, हां। प्रचलित मूल्यों पर, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्रक का हिस्सा, वर्ष 1990-91 में 43.8% से बढ़कर 2010-11 में 55.3% हो गया है। इसी अवधि के दौरान कृषि का हिस्सा 29.3% से घटकर 18.5% हो गया है जबकि विनिर्माण क्षेत्रक का हिस्सा 2007-08 तक 15% से 17% के बीच कमोवेश स्थिर रहा है और तत्पश्चात घट कर लगभग 14.28% हो गया है। विगत दो दशकों के दौरान जीडीपी में कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक के योगदान से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

देश में सेवा क्षेत्रक के विस्तार को संचालित करने वाला एक कारक, भूमंडलीकरण की वजह से विदेशों में सेवाओं के अवसरों में बढ़ोतरी है जैसा कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवाओं के निर्यात में 1990-91 में 1.6% से 2009-10 में 6.8% तक की क्रमिक बढ़ोतरी से प्रतिबिम्बित होता है।

2004-05 और 2009-10 के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रक में कार्यरत कामगारों के हिस्से का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

प्रचलित मूल्यों पर कारक लागत पर जीडीपी में विशिष्ट क्षेत्रकों का हिस्सा (प्रतिशत में)

वर्ष	कृषि	उद्योग	विनिर्माण	सेवाएं
1	2	3	4	5
1990-91	29.28	26.88	16.70	43.84
1991-92	29.65	25.76	15.72	44.59
1992-93	28.99	26.13	15.87	44.88
1993-94	28.93	25.87	15.83	45.20
1994-95	28.52	26.80	16.75	44.68
1995-96	26.49	27.83	17.88	45.68
1996-97	27.37	27.02	17.51	45.61
1997-98	26.12	26.78	16.38	47.11
1998-99	26.02	26.07	15.51	47.92
1999-00	24.99	25.31	14.78	49.69
2000-01	23.35	26.19	15.60	50.46
2001-02	23.20	25.34	15.03	51.46

1	2	3	4	5
2002-03	20.87	26.46	15.30	52.66
2003-04	20.97	26.24	15.31	52.79
2004-05	19.03	27.93	15.25	53.05
2005-06	18.82	28.14	15.39	53.04
2006-07	18.29	28.85	16.06	52.86
2007-08	18.26	29.04	15.99	52.70
2008-09	17.59	28.22	15.45	54.20
2009-10	17.76	26.97	14.76	55.27
2010-11	18.49	26.27	14.28	55.25

स्रोत: वर्ष 2003-04 तक एनएएस (1990-00) श्रृंखला से और तत्पश्चात एनएएस (2004-05) श्रृंखला से परिकलित।

नोट: उद्योग में विनिर्माण क्षेत्रक शामिल है।

विवरण-II

कामगारों का क्षेत्रीय वितरण

(प्रतिशत में)

	कृषि	उद्योग	सेवाएं
2004-05			
ग्रामीण	70.8	14.4	14.8
शहरी	7.6	33.8	58.6
2009-10			
ग्रामीण	68	17.4	14.7
शहरी	7.5	34.4	58.2

नोट: रोजगार और बेरोजगारी संबंधी एनएसएसओ की रिपोर्टों (2004-05 और 2010-11) से प्राप्त आंकड़ों से संकलित।

[अनुवाद]

डीटीएच प्रसारकों को स्पेक्ट्रम

337. श्री यशवीर सिंह :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री नीरज शेखर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) प्रसारकों को स्पेक्ट्रम के आवंटन में कतिपय अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में जांच आरंभ की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) ऐसी अनियमितताओं के परिणामस्वरूप हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। तथापि डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) प्रचालकों नामत: मै. डिश टीवी इंडिया लि. और मै. सन डायरेक्ट टीवी प्रा. लि. की स्पैक्ट्रम आवंटन संबंधी दो फाइलें सीबीआई को 2जी स्पैक्ट्रम मामले के संबंध में उनके अनुरोध पर दी गई थी।

(घ) और (च) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

कोयले की मांग

338. श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री रूद्रमाधव राय :
श्री के.डी. देशमुख :
श्री हेमानंद बिसवाल :

श्री जगदानंद सिंह :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार, उद्योग-वार और वर्ष-वार विभिन्न राज्य सरकारों और उपभोक्ताओं/उद्योगों द्वारा मांग किए गए कोयले का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोल इंडिया निमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने राज्य सरकारों, उपभोक्ताओं और उद्योगों की मांग के अनुरूप कोयले के उत्पादन और आपूर्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार, उद्योग-वार और वर्ष-वार विभिन्न राज्य सरकारों, उपभोक्ताओं और उद्योगों को सीआईएल और इसकी प्रत्येक सहायक कंपनी द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए कोयले का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और लक्ष्य प्राप्त करने, मांग के अनुरूप कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है;

(च) विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा ई-मार्केटिंग के माध्यम से कितनी मात्रा में कोयला बेचा गया; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सहायक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व और दी गई रायल्टी का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान कोयला मंत्रालय/योजना आयोग देश की समग्र मांग का कोयला उपभोक्ता क्षेत्रवार मूल्यांकन करते हैं। उक्त मूल्यांकित मांग पर आधारित कोयला मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए कंपनी-वार कोयला आपूर्ति की योजना तैयार की जाती है। उक्त मांग का मूल्यांकन राज्य-वार नहीं किया जाता, इसलिए सीआईएल के पास राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना के अनुसार मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई अखिल भारतीय कोयला मांग और आपूर्ति योजना का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
अखिल भारतीय कोयला मांग	550.00	597.98	656.31	696.03
कोयला मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति योजना				
कोल इंडिया लि.	405.00	437.40	460.50	452.00
एससीसीएल	41.50	45.00	47.05	51.00
अन्य विदेशी स्रोत	50.79	52.83	65.87	56.00
आयात द्वारा पूरा किए जाने वाला अंतर	52.71	62.75	82.89	137.03
कुल	550.00	597.98	656.31	696.03

1	2	3	4	5
सीआईएल का क्षेत्रवार आपूर्ति योजना लक्ष्य (मिलियन टन में)				
इस्पात (कोकिंग कोल)	10.85	8.84	9.20	9.39
विद्युत (उपभोक्ता)	292.83	311.86	333.92	328.21
विद्युत (कैप्टिव)	34.17	38.90	40.69	37.11
सीमेंट	8.78	7.46	7.52	7.46
स्पांज आइरन	13.43	14.94	13.93	13.66
अन्य	44.10	54.71	54.55	55.56
कुल कच्चा कोयला परेषण	404.26	436.71	459.81	451.39
कोलियरी उपभोग	0.74	0.69	0.69	0.61
कुल कच्चे कोयले का गठन	405.00	437.40	460.50	452.00

(ग) और (घ) कोल इंडिया लिमिटेड के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में ग्यारहवीं योजना अवधि (वास्तविक) के पहले चार वर्षों के दौरान वास्तविक उपलब्धि (वास्तविक) तथा 2011-12 के लिए बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं:–

(मिलियन टन में)

ग्यारहवीं योजना अवधि

कोयला उत्पादन	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
लक्ष्य (बजट अनुमान)	384.51	405.00	435.00	460.50	447.00
वास्तविक	379.46	403.73	431.27	431.32	–
% प्राप्ति	98.69	99.69	99.14	93.66	–

2007-2011 के दौरान वास्तविक उत्पादन का सहायक कंपनी-वार, वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

क्र.सं.	सहायक कंपनी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	ईसीएल	24.06	28.13	30.06	30.81

1	2	3	4	5	6
2.	बीसीसीएल	25.22	25.51	27.51	29.00
3.	सीसीएल	44.15	43.24	47.08	47.52
4.	एनसीएल	59.62	63.65	67.67	66.25
5.	डब्ल्यूसीएल	43.51	44.70	45.74	43.65
6.	एसईसीएल	93.79	101.15	108.01	112.71
7.	एमसीएल	88.01	96.34	104.08	100.28
8.	एनईसी	1.10	1.01	1.11	1.10
	कुल	379.46	403.73	431.26	431.32

सीआईएल के क्षेत्रवार प्रेषण निष्पादन की तुलना में कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना में निर्धारित आपूर्ति योजना लक्ष्य

(मिलियन टन में)

क्षेत्र	2008-09			2009-10		
	लक्ष्य	प्रेषण	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्रेषण	% प्राप्ति
इस्पात (कोकिंग कोल)	10.86	8.55	78.8	8.84	8.35	94.5
विद्युत (उपभोक्ता)	292.93	296.24	101.1	311.86	298.64	95.8
विद्युत (कैप्टिव)	34.17	27.54	80.6	38.90	32.18	82.7
सीमेंट	8.78	6.83	77.8	7.46	7.03	94.2
स्पांज आइरन	13.43	10.44	77.7	14.94	12.59	84.3
अन्य	44.10	51.13	115.9	54.71	58.43	103.1
कुल कच्चा कोयला परेषण	404.26	400.73	99.1	436.71	415.22	95.1

सीआईएल के क्षेत्रवार प्रेषण निष्पादन की तुलना में कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना में निर्धारित आपूर्ति योजना लक्ष्य

(मिलियन टन में)

क्षेत्र	2010-11			2011-12 (अप्रैल-अक्तूबर, 2011) (अनंतिम)		
	लक्ष्य	प्रेषण	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्रेषण	% प्राप्ति
इस्पात (कोकिंग कोल)	9.20	7.76	84.3	5.14	4.18	81.3
विद्युत (उपभोक्ता)	333.92	304.35	91.5	181.69	165.20	90.9
विद्युत (कैप्टिव)	40.69	35.08	86.2	20.97	19.22	91.6
सीमेंट	7.52	7.09	94.3	4.21	4.17	98.9
स्पॉज आइरन	13.93	12.08	86.7	7.58	6.65	87.6
अन्य	54.55	57.43	105.3	31.69	33.79	106.6
कुल कच्चा कोयला परेषण	459.81	423.79	92.2	251.30	233.21	92.8

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कोयला प्रेषणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

सीआईएल स्रोतों से कोयले का राज्य-वार पारेषण

(मिलियन टन में)

राज्य	2008-9	2009-10	2010-11
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	16.27	12.42	13.05
असम	0.24	0.28	0.24
बिहार	8.99	11.60	12.35
छत्तीसगढ़	45.66	52.20	53.56
दिल्ली	7.31	5.22	3.93
गुजरात	20.02	19.41	19.76
हरियाणा	9.92	11.35	13.55
हिमाचल प्रदेश	0.69	0.66	0.65
जम्मू और कश्मीर	0.12	0.16	0.13
झारखंड	18.10	20.50	22.66
कर्नाटक	4.87	3.68	3.57
मध्य प्रदेश	1.01	41.15	40.18
महाराष्ट्र	43.27	42.85	41.49
उड़ीसा	45.56	57.83	60.18
पंजाब	7.96	7.37	6.33

1	2	3	4
राजस्थान	16.96	16.82	17.65
तमिलनाडु	13.84	13.24	12.88
उत्तर प्रदेश	62.65	62.97	65.02
उत्तरांचल	0.47	0.68	0.75
पश्चिम बंगाल	36.22	34.14	35.52
अन्य	0.61	0.70	0.34
कुल	400.73	415.22	423.79

(ङ) नई कोयला परियोजनाओं के लिए वन/पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलम्ब, पुर्नस्थापन तथा पुनर्वास मामलों, नई/विस्तार परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण समस्याओं, कोयला परियोजनाओं में विकास गतिविधियों के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हुई हैं। उक्त मामलों को सुलझाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/मंत्रालयों के साथ नियमित आधार पर मामले में कार्रवाई की जा रही है।

(च) 2008-09, 2009-10 और 2010-11 और अप्रैल-अक्तूबर के दौरान सीआईएल स्रोतों से कोयले का प्रेषण क्रमशः 39.175 मि.ट., 43.626 मि.ट., 47.157 मि.ट. और 27.655 मि.ट. था।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान की गई रायल्टी तथा निबल बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी

(करोड़ रु. में)

वर्ष	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	सीईसीएल	एमसीएल	एनईसी	कुल
2008-09	139.64	376.01	661.01	746.19	604.22	1110.7	773.07	20.62	4331.5
2009-10	156.07	412.2	584.66	809.85	615.88	1162.0	859.63	28.26	4627.5
2010-11	172.58	508.33	613.28	802.35	595.84	1243.0	936.66	29.28	4901.2

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल की सहायक कंपनियों की सकल बिक्री

(करोड़ रु. में)

वर्ष	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	सीईसीएल	एमसीएल	एनईसी	कुल
2008-09	3837.40	3713.29	5210.89	6572.44	5636.01	8485.67	5383.39	284.39	39123.48
2009-10	5227.78	4515.15	5488.22	7432.90	5836.63	9371.57	6339.82	403.18	44615.25
2010-11	5882.60	6157.11	6041.70	7655.35	5994.27	10657.58	7431.24	413.76	50233.59

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विरोध

3339. श्री डी.वी. चन्द्रे गौडा :

श्री ए.के.एस. विजयन :

श्री मानिक टैगोर :

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

श्री एंटो एंटोनी :

श्री पी. कुमार :

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :

श्री पी. लिंगम :

श्री प्रताप सिंह बाजवा :

श्री गुरुदास दासगुप्त :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

डॉ. एम. तम्बिदुरई :

श्री एस.आर. जेयदुरई :

श्री दत्ता मेघे :

श्री के. सुगुमार :

श्री आर. थामराईसेलवन :

श्री निलेश नारायण राणे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय जनता और पर्यावरणविद् कुडानकुलम और जैतापुर सहित देश में विभिन्न परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतने बड़े पैमाने पर विरोध करने के क्या कारण हैं;

(ग) कुडानकुलम और जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में कार्यान्वियन की वर्तमान स्थिति क्या है और इन पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या इन संयंत्रों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(च) परमाणु ऊर्जा संयंत्रों विशेष रूप से कुडानकुलम संयंत्र की स्थापना के विरूद्ध जनता की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित उच्च स्तरीय समिति की संरचना क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(छ) इस संबंध में समिति द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ज) ऐसे परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) स्थानीय लोगों के कुछ वर्ग और संगठन, कुडनकुलम स्थित करीब-करीब पूर्ण नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को चालू करने और जैतापुर में नए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विरोध कर रहे हैं।

(ख) जन-सामान्य के एक विशेष वर्ग द्वारा नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की विरोध करना अधिकांशतः, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा के बारे में आशंकाओं, आस-पास रहने वाले लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव और भूमि के अधिग्रहण से संबद्ध मुद्दों की वजह से है। नाभिकीय विरोधी वर्ग स्थानीय लोगों के बीच निराधार डर फैला रहे हैं।

(ग) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) में 1000 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिटों का काम लगभग पूरा हो गया है। यूनिट-1 का 'रेडियोसक्रिय परीक्षण' (हाट रन) पूरा हो गया है और यह यूनिट कमीशनिंग की प्रगत अवस्था में है। यह अंतिम परीक्षण है जिसके बाद, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) से अनुमति प्राप्त करने के बाद रिएक्टर में नाभिकीय ईंधन भरा जा सकता है। यूनिट-2 का निर्माण कार्य भी पहले यूनिट के काफी साथ-साथ चल रहा है और इसे यूनिट-1 की कमीशनिंग के कुछ महीने में ही पूरा किया जा सकता है। कुडनकुलम (केकेएनपीपी यूनिट-1 तथा 2) पर सितम्बर, 2011 तक हुआ संचयी व्यय 14,122 करोड़ रुपए रहा है।

जैतापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना (जेएनपीपी) के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, पर्यावरणीय तथा तटीय नियामक जोन अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं और स्थल संबंधी अवसंरचनात्मक कार्य हाथ में लिए गए हैं। जैतापुर नाभिकीय विद्युत परियोजना पर सितम्बर, 2011 तक हुआ व्यय 46 करोड़ रुपए रहा है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) जैतापुर में प्रस्तावित यूरोपीय दाबित रिएक्टर (ईपीआर) का तकनीकी-आर्थिक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(घ) जी हां।

(ङ) परियोजना पर्यावरण अनुमति प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, कुडनकुलम और जैतापुर स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के मामले में ब्यौरेवार पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन किए गए हैं। इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों पर पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की विशेषज्ञ

मूल्यांकन समितियों द्वारा विचार किया गया है। ये रिपोर्टें सार्वजनिक प्रक्षेत्र में न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुमतियों में निर्धारित शर्तों को सावधानीपूर्वक क्रियान्वित किया जाता है।

(च) केन्द्रीय सरकार ने, परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में वास्तविक स्थिति के बारे में बताने और स्थानीय लोगों के एक वर्ग की आशंकाओं को दूर करने के लिए तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों और कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के आस-पास रहने वाले लोगों के प्रवक्ताओं से परस्पर संपर्क करने के लिए 15 विशेषज्ञों के एक विशेषज्ञ वर्ग का गठन किया था। इस विशेषज्ञ वर्ग के अंतर्गत, ऐसे प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर शामिल हैं जो पर्यावरणीय विज्ञान, विकिरण सुरक्षा, नाभिकीय रिएक्टर के डिजायन, नाभिकीय रिएक्टर की सुरक्षा, नाभिकीय नियामक पहलुओं, नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, अर्बुद विज्ञान, मतस्य उद्योग, तापीय पारिस्थितिकी, भूकम्प विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। यह विशेषज्ञ वर्ग परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में वास्तविक स्थिति की पुनरीक्षा कर रहा है और इसके संबंध में स्थानीय लोगों के प्रवक्ताओं और राज्य सरकार के अधिकारियों को बता रहा है।

(छ) इस विशेषज्ञ वर्ग ने राज्य सरकार के नामित व्यक्तियों और स्थानीय लोगों के प्रवक्ताओं के साथ अपनी पहली बैठक 08 नवम्बर, 2011 को आयोजित की थी। दूसरी बैठक 18 नवम्बर को आयोजित की गई थी।

(ज) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के सुरक्षा संबंधी पहलुओं की पुनरीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् द्वारा की गई थी। देश में डिजाइन किए गए नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में और उनके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों के मामले में, सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग तथा प्रचालन के संबंध में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के कोडों और गाइडों में दिए गए निदेशों का पालन किया जाएगा। इन परियोजनाओं में डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग तथा प्रचालन के प्रत्येक चरण में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा नियामक पुनरीक्षा की जाती है। इन संयंत्रों की सुरक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की शर्तों के अनुपालन के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकार से स्थापित किए जाने वाले सभी रिएक्टरों को विक्रेता देश के नाभिकीय सुरक्षा नियामक प्राधिकरण द्वारा भी प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होगी।

परमाणु संस्थापनाओं की क्षमता के संबंध में अध्ययन

340. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती मीना सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :
श्री संजय भोई :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जापान में फूकूशिमा भूकंप सुनामी आपदा के बाद बड़े भूकंप के झटके को सहने के लिए परमाणु संस्थापनाओं की क्षमता का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में परमाणु संस्थापनाएं विशेषज्ञ समूहों द्वारा किये गये ढांचागत परीक्षण पर खरी उतरी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विशेषज्ञ समूहों द्वारा सुझाये गये उपचारात्मक उपायों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निवारक उपायों के कार्यान्वियन में क्या प्रगति हुई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) को, फुकुशिमा घटना के संदर्भ में, प्रचालनरत सभी नाभिकीय बिजलीघरों और निर्माणाधीन बिजलीघरों की सुरक्षा की दृष्टि से पुनरीक्षा करने का निदेश दिया था जिसमें, भूकंपों और सुनामियों जैसी गंभीरतम बाह्य घटनाओं को सहन करने की उनकी क्षमता की पुनरीक्षा किया जाना शामिल था। तदनुसार, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने, विभिन्न प्रौद्योगिकियों वाले प्रचालनरत रिएक्टरों के लिए चार, और विभिन्न प्रौद्योगिकियों वाले निर्माणाधीन रिएक्टरों के लिए दो कृतिक बलों का गठन किया था। इसके साथ-साथ, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

(एईआरबी) द्वारा प्रचालनरत और निर्माणाधीन नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की सुरक्षा की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया था।

(ग) और (घ) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कृतिक बलों और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की समिति ने संरचनाओं, संघटकों और उपस्करों में अनुमेय प्रतिबल मूल्यों पर आधारित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन किया है। विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि, संरचनाओं, उपस्करों, प्रणालियों आदि में, गंभीरतम बाह्य घटनाओं जिनमें डिजाइन मूल्यों से कई गुणा भूकंपीय प्रघात तरंगों को सहन करने की पर्याप्त गुंजाइश मौजूदा है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कृतिक बलों और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की समिति रिपोर्टों को सार्वजनिक कर दिया गया है और उन्हें क्रमशः परमाणु ऊर्जा विभाग/न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की वेबसाइटों पर भी डाल दिया गया है।

(ङ) और (च) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा में और वृद्धि करने के लिए कृतिक बलों और समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से करने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की गई है। सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया चालू हो गई है।

प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति हेतु नीति

341. श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियों तथा प्रोन्नतियों के संबंध में एक समान तथा पारदर्शी नीति का पालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिनियुक्तियों और प्रोन्नतियों के संबंध में नीति का समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ समान और उचित तरीके से बर्ताव किया जाए; और

(ङ) प्रोन्नतियों और तैनातियों के लिए पैनलबद्ध किए जाने तथा प्रतिनियुक्तियों को पारदर्शी तथा उचित तरीके से करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के संबंध में एक समान और पारदर्शी नीति अपना रही हैं। संवर्ग के बाहर के पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम (6) और भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के इसी प्रकार के प्रावधानों तथा आई.एफ.एस. (काडर) नियम, 1966 द्वारा अभिशासित होती है। प्रतिनियुक्ति की और शर्तों पर समेकित प्रतिनियुक्ति मार्गदर्शी सिद्धांत, 2007 और केन्द्रीय स्टाफिंग योजना की शर्तों के अनुसार विचार किया जाता है।

अधिकारियों की पदोन्नति संबंधित संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा इन सेवाओं के पदोन्नति मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पैनल में नाम शामिल किए जाने और उनकी तैनाती इस विषय के मार्गदर्शी सिद्धांतों और अनुदेशों के अनुसार की जाती है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

342. श्री हरि मांझी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री नीरज शेखर :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री के.डी. देशमुख :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री यशवीर सिंह :

श्री आनंदराव अडसुल :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2011 तैयार की है और इसकी घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस नीति के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र में किस प्रकार से पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दूरसंचार उद्योग सहित विभिन्न हितधारकों के सुझाव प्राप्त किए गए तथा सरकार द्वारा इन पर कार्यवाही की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नई नीति में रोमिंग प्रभारों को समाप्त कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई नीति को कब तक लागू करने और कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2011 (एनटीपी-2011) का प्रारूप माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 10 अक्तूबर, 2011 को घोषित किया गया है और इसे व्यापक परामर्श हेतु आम जनता के समक्ष रखा गया है।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2011 का मूल तत्व है- "भारत के लोगों को हर समय और हर जगह एक सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय और उच्च गुणवत्तायुक्त अभिसरित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना।" एनटीपी 2011 के प्रारूप की प्रति दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसमें पारदर्शिता लाने और प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के हितों को संवर्धन प्रदान करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों और कार्यनीतियों को शामिल किया गया है और इससे संबंधित रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

(ग) और (घ) एनटीपी 2011 का प्रारूप तैयार करने के लिए दूरसंचार उद्योग सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ व्यापक परामर्श सत्र आयोजित किए गए। राष्ट्रीय ब्राडबैंड प्लान, लाइसेंसिंग ढांचा और स्पैक्ट्रम प्रबंधन, देश में दूरसंचार उपकरण के विनिर्माण को संवर्धन प्रदान करने से संबंधित मुद्दों पर दूरसंचार के उपभोक्ता प्रयोक्ता समूहों तथा उपभोक्ता मंचों एवं अन्य संबंधितों के साथ चार गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किए गए। इसमें प्राप्त राय और सुझावों पर एनटीपी 2011 के प्रारूप को अंतिम रूप देते समय इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा विचार किया गया है। एनटीपी 2011 पर दूरसंचार उद्योग सहित विभिन्न स्टेक होल्डरों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। सुझाव/राय प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर, 2011 है। एनटीपी 2011 को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा इनका विश्लेषण किया जाएगा और इन पर विचार किया जाएगा।

(ङ) और (च) एनटीपी 2011 में रोमिंग प्रभारों की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में रोमिंग प्रभार को समाप्त करना है। एनटीपी, 2011 के प्रारूप में एक उद्देश्य "एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और एक राष्ट्र के प्रति कार्य-निःशुल्क रोमिंग" को प्राप्त करना है। फीडबैक प्राप्त होने और उन पर उचित विचार कर लेने के पश्चात् एनटीपी 2011 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात इसे क्रियान्वित किया जाएगा।

गरीबी की परिभाषा

343. श्री गणेश सिंह :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री आर.के. सिंह पटेल :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर शपथ पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 32 रु. प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रु. प्रतिदिन से अधिक अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति केन्द्र व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही गरीबी उपशमन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपात्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में मुद्रास्फीति के रूझान को योजना आयोग द्वारा गरीबी का अनुमान लगाते समय ध्यान में रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बाजार शक्तियां तथा अनेक अर्थशास्त्री योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों तथा गरीबी की परिभाषा से सहमत नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति द्वारा 2004-05 के लिए परिगणित गरीबी रेखा को नवीनतम मूल्य स्तर के अनुसार अद्यतन करने के सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट निदेश का अनुपालन करते हुए दिनांक 20 सितम्बर को शपथ-पत्र दायर किया था। शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक कामगारों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिक संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जो उपलब्ध है) के आधार पर मूल्य वृद्धिका अनुप्रयोग करने पर, जून 2011 के मूल्य स्तर पर, उपभोग व्यय की दृष्टि से न कि प्रतिव्यक्ति आय के लिहाज से, अनंतिम रूप से शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा 965 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों में 781 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रखी गई। जून, 2011 के मूल्य स्तर पर, पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए, अनंतिम गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों में 4824/- रुपए प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों में 3905/- रु. प्रतिमाह होगी और मूल्य भिन्नताओं के कारण ये गरीबी रेखाएं राज्य-दर-राज्य अलग अलग होंगी। तथापि, इन गरीबी रेखाओं का उपयोग गरीबी उपशमनकारी विभिन्न कार्यक्रमों के तहत गरीबों की सहायता के लिए नहीं किया जाना होता है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 3 अक्तूबर, 2011 के अपने संयुक्त वक्तव्य में घोषणा की थी कि योजना आयोग की प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा राज्य-वार गरीबी आकलनों का उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत शामिल परिवारों की संख्या सीमित करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) और (घ) उक्त (क) और (ख) में उल्लिखित अनुसार, गरीबी रेखा को अद्यतन करते समय मुद्रास्फीति के रूझानों को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) और (च) गरीबी का मापन एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है तथा विशेषज्ञ अपनी धारणा के अनुसार गरीबी की अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं। तथापि, ऐतिहासिक रूप से, योजना आयोग प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की दृष्टि से गरीबी को मापता रहा है।

भारतीय मछुआरों का पकड़ा जाना

344. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री हरिन पाठक :
श्री महेश जोशी :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के लिए वर्ष 2011 में पाकिस्तान तथा श्रीलंका द्वारा अनेक भारतीय मछुआरों तथा मछली पकड़ने की नावों को पकड़ लिया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मछुआरों तथा नावों को देश-वार छोड़ा गया है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार देश-वार इन देशों द्वारा कितने मछुआरों तथा नावों को अपने कब्जे में लिया गया है तथा वे कब से जेलों में बंद हैं;

(घ) इन मछुआरों तथा नावों को उपरोक्त देशों से जल्द रिहा करवाने के लिए वर्तमान में क्या प्रणाली मौजूद है;

(ङ) क्या इन मछुआरों की रिहाई पर उन्हें हुई हानि के लिए तथा उनकी नावों को पहुंची क्षति के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2011 (14 नवंबर तक) के दौरान पाकिस्तान और श्री लंका द्वारा गिरफ्तार किए गए और रिहा किए गए भारतीय मछुआरों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

देश	मछुआरे			नावें		
	गिरफ्तार*	रिहा**	हिरासत में***	गिरफ्तार*	रिहा**	हिरासत में***
पाकिस्तान	270	103	396	50	शून्य	शून्य
श्रीलंका	164	164	शून्य	32	32	शून्य

*गिरफ्तार **रिहा ***हिरासत में

(घ) भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद, सतत् आधार पर, पाकिस्तान की जेल में (बंद) भारतीय मछुआरों की स्थिति की समीक्षा करता है और इन मछुआरों के लिए कोंसली सहायता हेतु अनुरोध करता है। पाकिस्तान की सरकार से कोंसली सहायता प्राप्त होने के बाद इन मछुआरों की राष्ट्रीयता की स्थिति के सत्यापन हेतु विदेश मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्रालय को सत्यापन कागजात भेजे जाते हैं। भारतीय उच्चायोग, सतत् आधार पर, सभी भारतीय मछुआरों की रिहाई के मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाता है, जिन्होंने अपनी अपनी सजा पूरी कर ली हैं। एक दूसरे की जेलों में (बंद) अपने अपने देशों के कैदियों से मानवीय ढंग से व्यवहार करने और उनकी शीघ्र रिहाई के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए फरवरी, 2008 में बंदियों के संबंध में एक भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति स्थापित की गयी थी, जिसमें प्रत्येक ओर से चार सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल थे। इस समिति की अब तक चार बार बैठकें हुई हैं और इसने अनेक सिफारिशें की हैं। कैदियों पर बनी भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति के सदस्यों ने 18 से 23 अप्रैल, 2011 के बीच पाकिस्तान का दौरा किया और कराची, रावलपींडी तथा लाहौर स्थित जेलों का दौरा किया। इस न्यायिक समिति की आगामी बैठक भारत में होनी है, जिसके लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से तारीखों का निर्णय किया जाना है।

जैसे ही भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की खबर प्राप्त होती है, कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग गिरफ्तार किए गए सभी भरतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई के मामले को श्री लंका की सरकार के साथ उठाता है। भारत और श्री लंका दिनांक 26 अक्तूबर, 2008 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमारेखा (आईएमबीएल) को पार करने वाले भारत और श्री लंका के प्रमाणिक मछुआरों के बारे में कार्रवाई करने के लिए व्यावहारिक व्यवस्थाएं बनाने पर सहमत हुए।

(ङ) और (च) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग) पाकिस्तानी जेलों में बंद मछुआरों को मुआवजे के भुगतान करने के लिए और "पाकिस्तान की कैद में रखे मछली मारने के जहाज के प्रतिस्थापन हेतु साफ्ट लोन पैकेज" योजना के लिए नोडल एजेंसी है, जो समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा कार्यान्वित की जारही है।

घरेलू विमान कंपनियों में
विदेशी हिस्सेदारी

345. श्री पी. लिंगम :
श्री के. सुगुमार :
श्री गुरुदास दास गुप्त :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी विमान कंपनियों को घरेलू विमान कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) अनेक विकसित देश में इस संबंध में पालन की जा रही पद्धतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विमान कंपनियों का मत मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ङ) घरेलू एयरलाइनों में विदेशी एयरलाइनों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के जांचाधीन है। अन्य विकसित देशों में एयरलाइनों में निवेश के लिए विदेशी स्वामित्व सीमाएं निम्नानुसार हैं:

यू.एस.ए. वोटिंग स्टाक का 25%

जापान 33%

अंतर्राष्ट्रीय वाहकों के लिए आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड 49% / एक एकल विदेशी एयरलाइन - के लिए 25% तक

आस्ट्रेलिया 100% (घरेलू एयरलाइनों में)

चीन 35%

ब्राजील 20%

सिंगापुर 100%

यू.ए.ई. 49%

दक्षिण कोरिया 50%

गणमान्य व्यक्तियों के दौरे

346. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार माह से आज तक भारत का दौरा करने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके साथ हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय समझौतों/समझौता ज्ञापनों/संधियों सहित चर्चा किए गए विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) की गई चर्चा, हस्ताक्षर किए गए समझौतों/समझौता ज्ञापनों/संधियों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) द्विपक्षीय समझौतों/समझौता ज्ञापनों/संधियों पर हस्ताक्षर करने से देश को क्या लाभ होगा और इन देशों के साथ संबंधों को और सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) विदेशी राज्याध्यक्षों, उपराष्ट्रपतियों, शासनाध्यक्षों तथा विदेश मंत्रियों की यात्राओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय विदेश मंत्री की यात्राओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख), (घ) और (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिये गए हैं।

विवरण-I

विदेशी राज्याध्यक्षों, उपराष्ट्रपतियों, शासनाध्यक्षों तथा विदेश मंत्रियों की यात्रायें

क्र.सं.	प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम	तारीख
1	2	3
1.	महामहिम श्री कमलेश शर्मा, राष्ट्रमंडल महासचिव	26 अगस्त-01 सितम्बर, 2011
2.	महामहिम श्री हामिद करजई, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति	4-5 अक्तूबर, 2011
3.	महामहिम श्री तंरूग तन सैंग, वियतनाम समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा मैडम माई थी हान	11-13 अक्तूबर, 2011

1	2	3
4.	महामहिम श्री यू थीन सीन, म्यांमा संघ गणराज्य के के राष्ट्रपति तथा दाऊ खिन खिन विन	12-15 अक्तूबर, 2011
5.	महामहिम श्री कार्ल बिल्ट, स्वीडन के विदेश मंत्री	18-22 अक्तूबर, 2011
6.	महामहिम श्री एलेन जूप, फ्रांस गणराज्य के विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री	20-22 अक्तूबर, 2011
7.	महामहिम डॉ. बाबू राम भट्टाराय, नेपाल के प्रधानमंत्री तथा सुश्री हिसिला यामी	20-23 अक्तूबर, 2011
8.	महामहिम श्री जिगमे खेशर नामग्याल वांग्चुक भूटान के राजा तथा महारानी जित्सन पेमा वांग्चुक	23-31 अक्तूबर, 2011

विवरण-II

भारत के माननीय प्रधानमंत्री की विदेश यात्रायें

क्र.सं.	देश	तारीख
1.	बांग्लादेश	6-7 सितम्बर, 2011
2.	संयुक्त राज्य अमरीका	21-27 सितम्बर, 2011
3.	दक्षिण अफ्रीका	17-19 अक्तूबर, 2011
4.	फ्रांस	2-5 नवम्बर, 2011
5.	मालदीव	9-12 नवम्बर, 2011

भारत के माननीय विदेश मंत्री की विदेश यात्रायें

क्र.सं.	देश	तारीख
1	2	3
1.	बांग्लादेश	6-7 सितम्बर, 2011
2.	वियतनाम	15-17 सितम्बर, 2011
3.	संयुक्त राज्य अमरीका	21-29 सितम्बर, 2011
4.	दक्षिण अफ्रीका	17-19 अक्तूबर, 2011
5.	आस्ट्रेलिया	25-27 अक्तूबर, 2011
6.	जापान	28-30 अक्तूबर, 2011
7.	तुर्की	2 नवम्बर, 2011
8.	मालदीव	8-11 नवम्बर, 2011

विवरण-III

1. **राष्ट्रमंडल महासचिव:** उनकी इस यात्रा का उद्देश्य 28-30 अक्तूबर, 2011 से पर्थ में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक से पहले राष्ट्रमंडल से संबंधित मामलों पर विचार करना था।

2. **अफगानिस्तान:** आतंकवाद सहित द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई थी। अफगानिस्तान तथा भारत के बीच सामरिक सहभागिता पर एक ऐतिहासिक करार पर हस्ताक्षर किये गए, जो कि किसी भी देश के साथ अफगानिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा पहला करार है। इस करार में दोनों देशों के बीच सशक्त, सक्षम एवं बहुआयामी संबंधों पर जोर दिया गया है तथा इसी प्रकार दोनों देशों के बीच राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास एवं शिक्षा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल सोसायटी एवं लोगों के आपसी संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए संरचना को औपचारिक रूप दिया गया था।

भारत तथा अफगानिस्तान ने हाइड्रोकार्बन्स और खनिज संसाधन विकास के क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये थे। दोनों सामरिक समझौता करार तथा समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त, आर्थिक विषयवस्तु प्रदान करता है तथा इसी प्रकार अफगानिस्तान को भारत तथा शेष दक्षिण एशिया के साथ उच्चतर स्तर पर आर्थिक एकीकरण प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है।

3. **वियतनाम:** द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। दोनों नेता सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक व मानव संसाधन विकास सहयोग के मुख्य स्तंभों के आधार पर दोनों देशों के बीच सामरिक सहभागिता को और प्रगाढ़ बनाने के लिए सहमत हुए थे।

निम्नलिखित संधियों समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किये गए थे:-

- भारत तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि।
- वियतनाम समाजवादी गणराज्य तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच "वियतनाम-भारत मैत्री वर्ष 2012" के संबंध में समझौता ज्ञापन।
- वियतनाम आयल एंड गैस ग्रुप (पेट्रो वियतनाम) तथा ओएनजीसी विदेश लि. (ओएनजीसी-वीएल) के बीच तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित करार।
- भारत गणराज्य के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच कृषि एवं मात्सियकी अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2011-13 के लिए कार्य योजना।
- भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के बीच 2011-14 वर्षों के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम दोनों देशों द्वारा 1976 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के अनुसरण में है।
- भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय तथा वियतनाम समाजवादी गणराज्य के संस्कृति, खेल एवं पर्यटन मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के आईसीसीआर के बीच सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित प्रोतोकाल।

यह संधियां/समझौता ज्ञापन संपन्न होने से कृषि, तेल एवं गैस, प्रत्यर्पण तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में हमारा सहयोग और प्रगाढ़ होगा।

किए जाने वाले और उपाय इस प्रकार हैं:

- सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित प्रातोकाल में वर्ष 2012 में भारत-वियतनाम सांस्कृतिक संबंधों पर एक वर्ष लंबे समारोहों की परिकल्पना की गई है, इससे लोगों में आपसी संपर्क संवर्धित होगा।
- गृह सचिव स्तर पर एक द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है, जिससे सुरक्षा मामलों में अधिक से अधिक सहयोग किया जाएगा।
- राजनीतिक स्तर पर 2012 में भारत से वियतनाम की एक उच्च स्तरीय यात्रा की पेशकश की गई है।

4. **म्यांमार :** दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे परिप्रेक्ष्य की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की थी। इनमें कृषि एवं सिंचाई सहित विशेष परियोजना के लिए 500 मिलियन अमरीकी ढालर की ऋण श्रृंखला शामिल थी। प्रधानमंत्री ने येजीन में एक आधुनिक कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा केन्द्र तथा नेई पाई ताव में एकीकृत प्रदर्शन फार्म में चावल बायोमास उपयोग में विभिन्न तकनीकें दर्शाते हुए चावल जैव पार्क, मंडाले में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना तथा मिया ग्यांग में एक द्वितीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए भारत की सहायता की घोषणा भी की थी। वर्ष 2012-15 की अवधि के दौरान यांगुन बाल अस्पताल तथा सितवे सामान्य अस्पताल के समन्वयन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग से संबंधित कार्यक्रम पर दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रधानमंत्री ने संसदीय लोकतंत्र में भारत के अनुभव को साझा करने तथा दोनों देशों के सांसदों के बीच नियमित आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने की पेशकश भी की थी। इस यात्रा के दौरान म्यांमा के राष्ट्रपति ने यह आश्वासन भी दोहराया कि भारत के विरुद्ध किसी प्रकार की गतिविधियों के लिए म्यांमा के भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. **स्वीडन:** इस वार्ता से दोनों पक्षों को राजनीतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य,

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित व्यापक क्षेत्रों तक फैले हुए द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा करने तथा भारत स्वीडन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का अवसर मिला। साझा हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों एवं चिंताओं पर भी चर्चा की गई थी। इस यात्रा के दौरान किसी भी करार/समझौता ज्ञापन/संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

6. **फ्रांस:** दोनों पक्षों ने साझा हितों एवं महत्व के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी द्वारा 6 दिसम्बर, 2010 को पारित "भारत-फ्रांस: भविष्य के लिए सहभागिता" नामक संयुक्त घोषणा के कार्यान्वियन की प्रगति की समीक्षा की थी। राष्ट्रपति सर्कोजी की यात्रा के दौरान 6 दिसम्बर, 2010 की संयुक्त घोषणा के कार्यान्वियन की प्रगति के संबंध में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था।

7. **नेपाल:** प्रतिनिधि-स्तरीय वार्त्ताओं के दौरान दोनों प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच प्रगाढ़, बहु-फलकीय संबंधों में और विस्तार तथा समेकित करने के तौर-तरीकों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। यह निर्णय लिया गया कि नेपाल के साथ सभी द्विपक्षीय तंत्रों को पुनर्जीवित किया जाए, जिनमें जल संसाधन, व्यापार और पारगमन तथा सुरक्षा मुद्दों से संबंधित तंत्र शामिल है। यात्रा के दौरान निवेशों के संवर्धन एवं संरक्षण, नेपाल की सरकार और भारतीय निर्यात-आयात बैंक के बीच 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-श्रृंखला करार और घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 1.875 करोड़ रुपए की भारतीय अनुदान सहायता से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। दोनों पक्षों ने भारत-नेपाल संबंधों को उसकी समग्रता में देखने और दोनों देशों के बीच गहन, बहु-फलकीय संबंधों को और बढ़ाने और ठोस बनाने के उपायों पर सुझाव देने के लिए प्रख्यात लोगों का एक समूह गठित करने का प्रस्ताव किया।

इस यात्रा से चिरस्थायी संबंधों को और मजबूत बनाने में मदद मिली है। इससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नई गतिशीलता और ऊर्जा मिली है। द्विपक्षीय निवेश और करार (बीआईपीपीए) के संपन्न होने से नेपाल में एफडीआई और भारत-नेपाल आर्थिक क्रियाकलापों को और सुदृढ़ करने में प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-श्रृंखला से नेपाल के विकास में सहयोग मिलेगा।

8. **भूटान:** भारतीय प्रधानमंत्री के साथ हुई वार्त्ताओं में उन्होंने विचारों का आदान-प्रदान किया और द्विपक्षीय संबंधों एवं आर्थिक सहयोग के साथ-साथ पारस्परिक रुचि के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं की। उन्होंने दोनों के बीच विद्यमान मैत्री एवं समझ के मजबूत ऐतिहासिक संबंधों का स्मरण किया। महामहिम भूटान नरेश और भारत के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की बेहतरीन स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और इन उत्कृष्ट संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए अपनी-अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। महामहिम नरेश ने भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे बहुमूल्य सहयोग के लिए सराहना व्यक्त की।

इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा पुनर्जीवित हुई और दोनों देशों के बीच पहले से गहन संबंध और मजबूत हुए।

माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा

1. **बांग्लादेश:** दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग, संपर्क एवं पारगमन और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की। यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गए:

(i) विकास के लिए सहयोग पर रूपरेखा करार।

(ii) भारत और बांग्लादेश के बीच भू-सीमा के सीमांकन से संबंधित करार और संबंधित मामलों का प्रोतोकाल।

(iii) बांग्लादेश और नेपाल के बीच जमीनी पारगमन यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन संबंधी अनुपूरक।

(iv) सुंदरबन के संरक्षण पर समझौता ज्ञापन

(v) सुंदरबन में रायल बंगाल टाइगर के संरक्षण पर प्रोतोकाल

(vi) मत्स्यपालन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

(vii) पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन

(viii) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन

(ix) दूरदर्शन कार्यक्रमों के परस्पर प्रसारण पर समझौता ज्ञापन

(x) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), नई

दिल्ली और बीजीएमईए फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, ढाका के बीच शैक्षिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

इस यात्रा से बांग्लादेश के साथ घने एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित और मजबूत बनाने में ठोस प्रगति हुई।

2. **अमरीका:** प्रधानमंत्री ने 24 अगस्त, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अतिरिक्त समय में प्रधानमंत्री ने जापान और नेपाल के नव निर्वाचित प्रधानमंत्रियों और ईरान, श्रीलंका तथा संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम सदस्य दक्षिण सूडान के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।

3. **दक्षिण अफ्रीका:** 5वीं आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) शिखर बैठक में बहुपक्षीय संगठनों, विश्वव्यापी शासन सुधार, शांति निर्माण आयोग, वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संकट, विश्वव्यापी शासन के सामाजिक आयामों, एमडीजीएस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थायी विकास, जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, दक्षिण-दक्षिण सहयोग मानवाधिकार निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार, आतंकवाद, मध्य-पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में मौजूदा स्थिति तथा अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर आईबीएसए देशों के बीच समन्वय पर बल दिया गया। 5वीं आईबीएसए शिखर बैठक में श्वाने घोषणा जारी की गई। भारत 2013 में अगली आईबीएसए शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। आईबीएसए राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईबीएसए देशों के राजनयिकों की क्षमता-निर्माण, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान एवं सूचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।

4. **फ्रांस:** प्रधानमंत्री ने केन्स, फ्रांस में आयोजित जी-20 शिखर बैठक में भाग लिया। इस शिखर बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की गई। तथापि, किसी करार/समझौता ज्ञापन/संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

भारत के नजरिये से केन्स में आयोजित जी-20 शिखर बैठक का परिणाम सकारात्मक रहा। भारत जी-20 के देशों के साथ विकासशील देशों की चिंताओं का आदान-प्रदान करने में समर्थ रहा।

5. **मालदीव:** प्रधानमंत्री ने 17वीं सार्क शिखर बैठक में भाग लेने के लिए मालदीव की यात्रा की। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में विदेश मंत्री द्वारा निम्नलिखित चार करारों पर हस्ताक्षर किए गए:-

(i) प्राकृतिक आपदा पर त्वरित अनुक्रिया संबंधी सार्क करार। इस करार का उद्देश्य जान व माल के नुकसान में काफी कमी करने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक आपदा पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रभावी क्षेत्रीय तंत्र उपलब्ध कराना है। इस करार के माध्यम से सार्क सदस्य देशों को आपदा आपात स्थितियों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करने में सुविधा हुई है। इस करार में व्यापक तौर पर स्थिति और क्षमता-निर्माण, ज्ञान का आदान-प्रदान, आकस्मिकता योजना और आपदा पश्चात उपाय शामिल हैं।

(ii) अनुरूपता आकलन की मान्यता के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था पर सार्क करार। इस करार का उद्देश्य सार्क देशों के बीच अनुरूपता आकलन के क्रियाकलापों (निरीक्षण, जांच, प्रमाणन और लेखा परीक्षा) की परस्पर मान्यता को प्रोत्साहित करना है। इस करार के तहत एक अनुरूपता आकलन बोर्ड (बीसीए) की स्थापना की गई है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (एसएआरएसओ) की संविधि एवं नियम प्रक्रिया का सभी अनुरूपता आकलन कार्य की आयोजना, समन्वय और मानीटरिंग के लिए जवाबदेह होता है। इस करार में व्यापक तौर पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया, अनुरूपता आकलन निकायों (सीएबी) की मानीटरिंग शामिल हैं जिसके जरिए आकलन किया जाएगा।

(iii) क्षेत्रीय मानकों के कार्यान्वयन पर सार्क करार। इस करार का उद्देश्य सार्क मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा एवं मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदान करना है। इस करार के तहत वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में संगत मानकों द्वारा अंत: क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाया गया है। इस करार के जरिए एक एकल बाजार पहचान के जरिए सार्क क्षेत्र से उत्पादों तक वैश्विक पहुंच भी बढ़ा है। इस करार का उद्देश्य एसएआरएसओ द्वारा तैयार किये गए क्षेत्रीय मानकों के कार्यान्वयन की कुशलता एवं प्रभावकारिता में वृद्धि करना है।

(iv) सार्क बीज बैंक स्थापित करने संबंधी करार। बीज बैंक क्षेत्र में बीज की गुणवत्ता का उपयोग सुनिश्चित करने

के लिए बढ़ी हुई बीज प्रति वस्तु दर (एसआरआर) को बढ़ावा देगा। यह बीज बैंक एक क्षेत्रीय बीज सुरक्षा रिजर्व के रूप में भी कार्य करेगा। इस करार का उद्देश्य प्रत्येक सदस्य देश से एक-एक प्रतिनिधि वाले एक बोर्ड का सृजन करना है। इस करार में निजी क्षेत्र (सार्क बीज मंच से) से दो सदस्यों तक को सहयोजित करने की भी व्यवस्था है।

प्रधानमंत्री ने सार्क सदस्य देशों के साथ संबंधों में और सुधार करने के लिए मुख्य उपायों की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर मालदीव की एक द्विपक्षीय यात्रा भी की।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) विकास के लिए सहयोग पर करार की रूपरेखा;

(ii) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार का मुकाबला करने, क्षमता-निर्माण, आपदा प्रबंधन और तटीय सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर समझौता ज्ञापन;

(iii) सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण पर करार;

(iv) आकस्मिक ऋण सुविधा करार;

(v) मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हास्पीटल (आईजीएमएच) के पुनरुद्धार के संबंध में समझौता ज्ञापन;

(vi) 2012-2015 की अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम।

भारत एक मित्र पड़ोसी देश के रूप में मालदीव के साथ अपने संबंधों को काफी महत्व देता है। इस संबंध में उच्च स्तरीय आदान-प्रदान तथा आर्थिक और तकनीकी सहायता के माध्यम से मालदीव में परस्पर रूप से अभिज्ञात अवसंरचना सुविधाओं के जरिए आगे पल्लवित किया गया है।

माननीय विदेश मंत्री के दौरे

1. **बांग्लादेश:** विदेश मंत्री प्रधानमंत्री जी की बांग्लादेश यात्रा में उनके साथ गए थे।

2. **वियतनाम:** विदेश मंत्री ने भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक के लिए हनोई की यात्रा की, इस यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश, संस्कृति, विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, कृषि और सुरक्षा मामलों के क्षेत्रों में भारत-वियतनाम सहयोग की व्यापक समीक्षा की गयी। वियतनाम के साथ 14वीं संयुक्त आयोग की बैठक के सहमत कार्यवृत्त पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

3. **अमेरिका:** विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें सत्र की सामान्य बहस में हिस्सा लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में गए प्रतिनिधिमंडल में थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के परश्र्व में आयोजित अनेक वहुविषयी और बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया, जिसमें ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक, जी-4 विदेश मंत्रियों की बैठक, मंत्रिस्तरीय भारत-खाड़ी देश सहयोग परिसद (जीसीसी) राजनैतिक वार्ता का छठे दौर और रियो समूह के विस्तारित ट्राइका के साथ एक बैठक शामिल थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने दूसरे देशों से आए अपने समकक्षों के साथ अनेक द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।

4. **दक्षिण अफ्रीका:** भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (इब्सा) के विदेश मंत्रियों की बैठक 5वें शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची नियत करने और इब्सा देशों के बीच सहयोग प्रगाढ़ करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गयी थी। मंत्रियों ने बहुपक्षीय संगठनों, वैश्विक अधिशासन सुधार, शांति निर्माण आयोग, वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट, वैश्विक अधिशासन के सामाजिक आयाम, सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दीर्घकालिक विकास, जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, मानवाधिकार, नि:शस्त्रीकरण और अप्रसार, आतंकवाद, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में मौजूदा स्थिति और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर इब्सा देशों के बीच समन्वय स्थापित किए जाने पर विचारों का शुरूआती आदान-प्रदान किया। किसी करार/समझौता ज्ञापन/संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

5. **आस्ट्रेलिया:** विदेश मंत्री ने पूर्व-चोगम राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पर्थ, आस्ट्रेलिया की यात्रा की। बैठक में हिस्सा लेते हुए उन्होंने बैठक की विभिन्न कार्यसूची मदों में हस्तक्षेप किया, जिनमें वैश्विक और राष्ट्रमंडल घटनाक्रमों की समीक्षा, राष्ट्रमंडल सुधार, "राष्ट्रीय लचीलापन निर्माण, वैश्विक लचीलापन निर्माण", पर चोगम 2011 विषय और छोटे राष्ट्र शामिल थे। बैठक में विदेश मंत्रियों ने समस्त वरिष्ठ

अधिकारियों की समिति द्वारा उन्हें प्रस्तुत की गयी चोगम, 2011 की प्रारूप विज्ञप्ति पर भी विचार किया।

6. **जापान:** विदेश मंत्री ने भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच 5वीं वार्षिक सामरिक वार्ता के लिए जापान की यात्रा की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों, जिनमें आर्थिक और सुरक्षा सहयोग और परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल थे, पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

7. **तुर्की:** विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान "एशिया के हृदय में सुरक्षा और सहयोग" के लिए इस्तांबुल सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।

सम्मेलन में "एक सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पर इस्तांबुल प्रक्रिया" नामक एक दस्तावेज को अंगीकार किया था। इस घोषणा में उसके लिए सुरक्षित शरणस्थल को समाप्त किए जाने की आवश्यकता को नोट करते हुए और अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप के साथ ही उनकी संप्रभुता और भूक्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए आतंकवाद के बारे में भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों की चिंताओं को प्रतिविंबित किया गया है।

8. **मालदीव:** विदेश मंत्री 17वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान उनके साथ गए थे।

उड़ान अकादमियों की लेखा-परीक्षा

347. श्री धनंजय सिंह :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री नीरज शेखर :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :
श्री यशवीर सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने सरकारी और निजी उड़ान अकादमियों की लेखापरीक्षा करवाई है;

(ख) यदि हां, तो अकादमी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक उड़ान अकादमियों को नियमों तथा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो अकादमी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अकादमियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी हां। नगर विमानन महानिदेशालय ने 33 फलाइंग क्लबों का आडिट किया है। आडिट हो चुके फ्लाइंग क्लबों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस आडिट का प्रधान उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वे मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं और इनमें उड़ान, प्रशिक्षण और विमानों का अनुरक्षण करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। आडिट के दौरान निम्नलिखित खामियां पाई गई:

(i) दस्तावेजों का रखरखाव न किया जाना।

(ii) डोजियर का रखरखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है।

(iii) अपर्याप्त ग्राउंड अनुदेशक।

(iv) ईधन कुप्रबंध, प्राधिकार पुस्तिकाओं में झूठी प्रविष्टियां।

(v) आक्स्मिक योजना की अनुपलब्धता।

(vi) विमान दुर्घटना के लिए आपातकालीन योजना की अनुपलब्धता।

(vii) प्राथमिक उपचार औषधि की अवधि समाप्त होना।

(viii) पुस्कालय में अपर्याप्त पुस्तकें।

(ix) हैंगर में आर्थिक प्वांट।

(x) टारमैक का समुचित रूप से रखरखाव न किया जाना।

(xi) टैक्सी वे के साइड स्ट्रिप पर लम्बी घास होना।

(xii) प्रचालन के दौरान रनवे में अनधिकृत प्रवेश।

(xiii) प्रचालनिक क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी न होना।

(xiv) हैंगर तथा आस-पास के क्षेत्र में अवरुद्ध प्रकाश।

(xv) बैटरी चार्जिज उपकरण का काम न करना।

(xvi) फायर फाइटिंग उपकरण का सुसज्जित न होना।

(ङ) अभिमत के आधार पर बाम्बे फ्लाईग क्लब तथा बिरमी फ्लांइग अकाडमी प्राइवेट लि. के संबंध में अनुमति वापिस ले ली गई।

विवरण

क्र.सं.	उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों के नाम
1	2
1.	बिरमी उड़ान अकादमी प्रा.लि., पटियाला, पंजाब
2.	सरस्वती एविएशन अकादमी, सुल्तानपुर
3.	बनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एंड फ्लाइंग क्लब, बनस्थली
4.	हरियाणा नागर विमानन संस्थान, पिंजौर
5.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लि., इंदौर
6.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लि., भोपाल
7.	चेतक एविएशन एकेडमी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
8.	गर्ग एविएशन प्रा.लि., पंतनगर, उत्तराखंड
9.	अम्बर एविएशन प्रा.लि., पंतनगर, उत्तराखंड
10.	अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर, पंजाब
11.	एम्बिशंस फ्लाइंग क्लब प्रा.लि. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
12.	नागपुर फ्लाइंग क्लब प्रा.लि. नागपुर, महाराष्ट्र
13.	बाम्बे फ्लाइंग क्लब, जुहू एरोड्रोम
14.	राजीव गांधी एकेडमी एविएशन टैक्नोलोजी, थिरू
15.	कारवेर एविएशन एकेडमी प्रा.लि. बारामती, पुणे
16.	एसवीकेएम एनएमआईएमएस विश्वविद्यालय एविएशन अकादमी, शिरपुर
17.	शा-शीब फ्लाइंग एकेडमी, गुना, मध्य प्रदेश
18.	गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ोदरा
19.	बिहार उड़ान संस्थान, पटना
20.	अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनोटिकल्स लि., अहमदाबाद
21.	एचएएल रोटरी विंग अकादमी (हेलिकाप्टर) बंगलौर
22.	मद्रास फ्लाइंग क्लब लि., मीनाम्बकम
23.	सदर्न पायलट प्रशिक्षण अकादमी, सेलम, तमिलनाडु
24.	चाइम्स एविएशन, सागर, मध्य प्रदेश
25.	विंग्स एविएशन प्रा.लि. बेगमपेट, हैदराबाद
26.	रेनबो फ्लाइंग एकेडमी प्रा.लि., सूरत
27.	अलकेमिस्ट एविएशन प्रा.लि., जमशेदपुर, झारखंड
28.	राजकीय एविएशन प्रशिक्षण स्कूल, जक्कूर, बैंगलौर
29.	फ्लाइटेक एविएशन एकेडमी, नादिरगुल, हैदराबाद
30.	आंध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी, हैदराबाद
31.	राजकीय विमानन प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर
32.	साईं फ्लाइटेक एविएशन प्रा.लि. बिलासपुर, छत्तीसगढ़
33.	ओरिएंट फ्लाइट स्कूल, पुदुचेरी, तमिलनाडु

[हिन्दी]

दूरसंचार विभाग से फाइलों का गायब होना

348. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र :
श्री नीरज शेखर :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री यशवीर सिंह :
श्री गणेश सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग में नीतिगत निर्णयों से संबंधित कुछ फाइलें गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एयर इंडिया की देयताओं पर गारंटी

349. श्री एम.बी. राजेश :
श्री रूद्रमाधव राय :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी) ने एयर इंडिया की देयताओं पर सरकार से गारंटी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कुल बकाया ऋण तथा अन्य देयताओं और सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की बकाया के साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान 31.10.2011 तक एयर इंडिया को हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या सरकार को एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना है ताकि घाटे को कम किया जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एअर इंडिया के वित्तीय और प्रचालनिक निष्पादन के विकास के लिए सरकार अनेक कार्यवाही कर रही है।

एयर इंडिया पायलटों द्वारा हड़ताल

350. श्री एंटो एंटोनी :
श्री रूद्रमाधव राय :
श्री प्रदीप माझी :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के कुछ पायलट हड़ताल पर चले गए हैं अथवा उन्होंने अनिश्चतकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं साथ ही सेवाओं और राजस्व के संदर्भ में संगठन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) वर्ष 2010-2011 के दौरान पायलटों की हड़ताल के चलते एयर इंडिया और इसकी सहायिकाओं को कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार का उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एयर लाइन सेवाओं को आवश्यक सेवा अधिनियम में रखने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा पायलटों की शिकायतों को निपटाने तथा एयर इंडिया की अवाधित सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) हाल में इस प्रकार की कोई सूचना एअर इंडिया द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) 27 अप्रैल 2011 से 07 मई 2011 तक पायलटों की हड़ताल के कारण एअर इंडिया को अनुमानित वित्तीय घाटा लगभग 200 करोड़ रुपये हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) एअर इंडिया प्रबंधन भारतीय कर्मिशयल पायलट संघ तथा भारतीय पायलट गिल्ड के प्रतिनिधियों के साथ लगातार वार्ता कर रहा है तथा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाएगें।

[हिन्दी]

प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

351. **श्री राधा मोहन सिंह :**
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में शैक्षणिक पिछड़ेपन के मद्देनजर प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार पहले से ही स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा निर्माणाधीन विश्वविद्यालय कहां स्थित हैं तथा नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय कहां स्थित हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार किन राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सहित राज्य सरकारों से उनके राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रस्ताव की राज्य-वार मौजूदा स्थिति क्या है; और

(छ) ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इन विश्वविद्यालयों के कब तक चालू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत उन राज्यों (गोवा को छोड़कर) में 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय (पहले तीन राज्य विश्वविद्यालयों में परिवर्तन सहित) स्थापित किए हैं, जहां ऐसे कोई विश्वविद्यालय नहीं थे।

(ग) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय और उनकी अवस्थिति की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) गोवा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय को इसलिए स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि गोवा राज्य, राज्य विश्वविद्यालय का केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन के लिए सहमत नहीं था।

(ङ) और (च) गोवा राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं और ये कार्य कर रहे हैं।

(छ) उपरोक्त (ङ) और (च) को देखते हुए लागू नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अवस्थिति (राज्य)
1	2	3
1.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	दिल्ली (दिल्ली)
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय	दिल्ली (दिल्ली)
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया	दिल्ली (दिल्ली)
4.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	दिल्ली (दिल्ली)
6.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

1	2	3
7.	बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
8.	हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
9.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
10.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	शिलांग (मेघालय)
11.	असम केन्द्रीय विश्वविद्यालय	सिल्चर (असम)
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय	तेजपुर (असम)
13.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	वर्धा (महाराष्ट्र)
14.	नागालैंड विश्वविद्यालय	कोहिमा (नागालैंड)
15.	विश्व-भारती	शांतिनिकेतन, (पश्चिम बंगाल)
16.	पुडुचेरी विश्वविद्यालय	पुदुचेरी (पुदुचेरी)
17.	मिजोरम विश्वविद्यालय	मिजोरम
18.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
19.	मणिपुर विश्वविद्यालय	इम्फाल (मणिपुर)
20.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	रोनो हिल्स, दोइमुख, (अरुणाचल प्रदेश)
21.	सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालय	यांगंग (सिक्किम)
22.	त्रिपुरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	अगरतला (त्रिपुरा)
23.	इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेजेज यूनिवर्सिटी	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
24.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	अमरकंटक (मध्य प्रदेश)
25.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	पटना* (बिहार)
26.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
27.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	गांधीनगर* (गुजरात)
28.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	महेन्द्रग्रढ़ (हरियाणा)
29.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
30.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)

1	2	3
31.	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	रांची (झारखंड)
32.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	गुलबर्गा (कर्नाटक)
33.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	कासरगोड* (केरल)
34.	डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	सागर (मध्य प्रदेश)
35.	उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	कोरापूट (उड़ीसा)
36.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	ग्राम-गुड्डा, भटिंडा (पंजाब)
37.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान)
38.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	थिरूवरूर (तमिलनाडु)
39.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	श्रीनगर, (उत्तराखंड)
40.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	ग्राम-बाग्ला, जिला-सांबा (जम्मू और कश्मीर)

*स्थाई परिसर के लिए स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

अंतरिक्ष में होटल

352. **श्री सी.आर. पाटिल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने अंतरिक्ष में एक होटल आरंभ करने की योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत की परियोजना के साथ जुड़ने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक रूसी फर्म की भविष्य में अंतरिक्ष होटल खोलने की योजना है जिसे सरकारी नाम वाणिज्यिक अंतरिक्ष केन्द्र से जाना जायेगा), जिसमें एक बार में तीन दिनों से छः माह तक की अवधि के लिए सात व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था हो सकेगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्यालयों का निरीक्षण

353. **श्री रूद्रमाधव राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी विद्यालयों ने केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेशों के बावजूद निरीक्षण कराने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे विद्यालयों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्यार्थियों को उचित शिक्षा और अन्य आम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकारी/निजी एजेंसियों द्वारा सभी सरकारी/राज्य

सरकार के/पब्लिक विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

निजी विद्यालयों में निर्धन विद्यार्थियों को प्रवेश

354. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 25 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रखें;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों और राजधानी में भी शिक्षा के अधिकार के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विद्यालयों द्वारा ऐसे कदाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रविधि अपनाई गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 12(1)(ग) में यह प्रावधान है कि विनिर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल और गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल पहली कक्षा में, आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बालकों को, उस कक्षा की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देंगे और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक प्रदान करेंगे। सरकार ने 23 नवंबर, 2010 को स्कूलों में प्रवेश देने की प्रक्रियाविधि के संबंध में आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) और 13(1) के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। स्कूलों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को आरटीई अधिनियम के तहत बाल अधिकारों की मानीटरिंग करने का दायित्व सौंपा गया है।

वैश्विक निविदाओं पर प्रतिक्रिया

355. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की वैश्विक निविदाओं पर हल्की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, सूचकांक संबंधी मूल्य निर्धारण के आधार पर 10 वर्षों के दीर्घावधि उठान का करार करने के वास्ते कंपनियों का चयन करने हेतु योग्यता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पार्टियों को अनुरोध करते हुए विज्ञापन जारी किए गए थे। जवाब देने वाली कंपनियों में से, 15 कंपनियां अपनी वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए अर्हक थीं। तथापि, केवल 5 कंपनियों ने मूल्य बोली में भाग लिया और कुछ ही प्रस्तावों को निविदाओं की शर्तों का अनुपालन करने वाला पाया गया। वैश्विक निविदा के लिए हल्की प्रतिक्रिया संभवत इस कारण से प्राप्त हुई कि कंपनियों के साथ संपन्न किया जाने के लिए प्रस्तावित 10 वर्ष का ठेका वैश्विक बाजार, विशेष रूप से वर्तमान अत्यन्त ज्वलनशील बाजार परिदृश्य में प्रचलित परम्परा नहीं है।

जहां तक सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) का संबंध है, उन्हें मशीनरी की खरीद, आधुनिक प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता, कोयला ब्लाकों की पहचान और अधिग्रहण में संयुक्त उद्यम भागीदार, कोयला ब्लाकों में परिसंपत्तियों के विकास आदि के लिए वैश्विक निविदाओं के विरुद्ध अच्छे उत्तर प्राप्त हो रहे हैं।

राष्ट्रीय डाटा नेटवर्क

356. **श्री के. सुगुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि देश अपनी सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि भारत में राष्ट्रीय महत्व नेटवर्क बनाने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की ऐसा कोई डाटा नेटवर्क बनाने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को शामिल करने से सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता, विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी से उत्पादकता और लागत प्रभावशीलता में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। तदनुसार, देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का इस्तेमाल कर रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) डेटा संचार नेटवर्क के सृजन और सरकारी क्षेत्र के लिए ई-शासन अनुप्रयोगों के विकास हेतु कार्य कर रहा है। एनआईसी ने निकनेट (एनआईसीएनईटी) नामक एक राष्ट्रीय नेटवर्क का सृजन किया है, जिसका विस्तार जिला स्तर तक हो गया है और इसका प्रयोग केवल सरकारी प्रयोजनों के लिए ही किया जाता है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विमानन क्षेत्र हेतु लोकपाल

357. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विमानन क्षेत्र के लिए लोकपाल पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए मौजूदा अवसर क्या है; और

(घ) लोकपाल की नियुक्ति से यात्रियों की शिकायतों के समाधान में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) नागर विमानन अपेक्षा खंड 3, श्रृंखला 'एम' भाग-4 दिनांक 6.8.2010 के अंतर्गत सभी एयरलाइनों द्वारा यात्रियों की शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निवारण करने के लिए नोडल अधिकारी तथा अपील प्राधिकरण की स्थापना अनिवार्य है।

उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों को निपटाने का एक माध्यम लोकपाल (आम्बड्समैन) की अवधारणा का प्रयोग है, जब उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान न हो पाए।

तथापि, नागर विमानन क्षेत्र के लिए लोकपाल (आम्बड्समैन) की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

राज्यों के लिए लंबित परियोजनाएं

358. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं किए जाने के कारण छत्तीसगढ़ की लंबित केन्द्रीय परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हुई हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) मामले के शीघ्र निपटारे हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का परियोजना विकास संस्थान को सीधे निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ङ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए और इससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं को मानीटर करता है। 1 जनवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 19 जारी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 6 परियोजनाएं चालू होने की अपनी मूल तिथि (डीओसी) के संबंध में निर्धारित समय-सारणी से पिछड़ रही हैं। विलम्ब 9 से 48 माह तक का है।

केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वियन में विलम्ब के मुख्य कारणों में भूमि अधिग्रहण में समस्याएं, सीमेंट और इस्पात की कीमतों में बढ़ोतरी, उपकरणों की समय पर आपूर्ति करने में आपूर्तिकर्ताओं की विफलता, ठेकेदारों द्वारा घटिया संघटन तथा मूलभूत अवसंरचना प्रदान करने में बाधाएं, शामिल हैं। सरकार विलम्ब को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रगति का मानीटरन कर रही है।

किसानों को रोजगार

359. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन सभी किसानों को रोजगार प्रदान किया है जिनकी भूमि राजस्थान के बरसिंहसर, बीकानेर में निवेली लिग्नाइट संयंत्र के लिए अधिगृहीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का बीकानेर, राजस्थान में निवेली लिग्नाइट संयंत्र में कार्यशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में संभावित तिथि क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) राजस्थान में बरिसंगर, बीकानेर में एनएलसी के लिए जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उन सभी 172 किसानों को निम्नानुसार रोजगार प्रदान किया जा रहा है:-

1.	बरसिंगसर में दिये जाने वाले कुल रोजगार	172
2.	अब तक दिए जा चुके रोजगार	60
3.	दिसम्बर, 2011 से पहले दिये जाने वाले रोजगार	33
4.	आगे जून, 2012 से पहले दिए जाने वाले रोजगार	79

(घ) और (ङ) जी, हां। नेवेली लिग्नाइट संयंत्र, बीकानेर, राजस्थान में कार्यशाला स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

1. एनएलसी बोर्ड ने बरसिंगसर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईटीसी) स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और आईटीसी के निर्माण के लिए 2.31 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय स्वीकृत किया गया है। उपर्युक्त आईटीसी को चलाने के लिए एनएलसी बोर्ड ने चरणबद्ध तरीके से सोसायटी को कार्पस निधि के रूप में 10 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है।

2. आईटीसी को खोलने के लिए प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

3. राजीव गांधी शैक्षणिक सोसाईटी का गठन कर लिया गया है तथा उसे बीकानेर में सोसायटी अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत करा लिया गया है और आईटीसी भवन के साथ अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण का कार्य चल रहा है और दिसम्बर, 2011 तक पूरा कर लिया जायेगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर पर वायरस का हमला

360. **श्री प्रताप सिंह बाजवा :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कंप्यूटर पर वायरस के हमलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंप्यूटरों को संभावित अवांछित साफ्टवेयर के संक्रमण से रोकथाम हेतु कोई सुरक्षा तंत्र स्थापित किया गया है;

(ग) क्या सरकार की कंप्यूटर प्रयोक्ता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई विशेष योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) वायरस एक 'विद्वेषमूलक कोड' कंप्यूटर साफ्टवेयर प्रोग्राम है। प्रौद्योगिकी के नवीकरण के साथ 'विद्वेषमूलक कोड' अत्याधिक परिष्कृत एवं जटिल होते जा रहे हैं। विश्वभर में सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार होने के कारण वायरस के हमलों और विद्वेषमूलक कार्यकलापों में वृद्धि हुई है। कंप्यूटरों और ब्राडबैंड सम्पर्कों की संख्या में वृद्धि के साथ ये रूझान भारत में भी देखे जा रहे हैं।

(ख) सरकार ने साइबर हमलों को रोकने, उनका पता लगाने और उनको कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों को कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश और साइबर सुरक्षा नीति परिचालित की है। सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) जो सरकारी वेबसाइटों का प्रबंध करता है और ई-मेल सेवाएं प्रदान करता है, इन दिशानिर्देशों और नीति का कार्यान्वयन साइबर हमलों से सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की सुरक्षा करने के लिए कर रहा है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा कंप्यूटर प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए गए विशेष कदम इस प्रकार हैं:

(i) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सूचना सुरक्षा संबंधी पाठ्यक्रम शुरू करने और प्रणाली प्रशासकों और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) परियोजना प्रारंभ की है। परियोजना का एक उद्देश्य बच्चों, घरेलू प्रयोक्ताओं और गैर-आईटी विशेषज्ञों में योजनाबद्ध ढंग से सूचना सुरक्षा के प्रति व्यापक रूप से जागरूकता पैदा करना है। सूचना सुरक्षा पर जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कुल 300 कार्यशालाएं आयोजित की गई है। सूचना सुरक्षा के बारे में बच्चों, अभिभावकों और सामान्य प्रयोक्ताओं के लिए विशिष्ट पुस्तकों, वीडियो और आनलाइन सामग्री का विकास किया गया है।

(ii) भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) कंप्यूटर वायरस के प्रसार और ऐसे हमलों से रक्षा करने के लिए सलाह और दिशानिर्देश जारी करके प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है। सर्ट-इन द्वारा साइबर हमलों से अपनी कंप्यूटर प्रणालियों की सुरक्षा करने के लिए सूचना का प्रसार करने के लिए सामान्य प्रयोक्ताओं के लिए एक वेब पोटर्ल- "अपने पीसी की सुरक्षा करे" भी उपलब्धता कराया गया है। सर्ट-इन ने अपनी वेबसाइट *(www.cert-in.org.in)* पर वायरस और विद्धेषमूलक कोड से कंप्यूटर प्रणालियों को मुक्त करने के लिए वायरस रोधी स्केनरों के संपर्क भी उपलब्ध कराए हैं।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

361. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्यारहवीं योजना के दौरान अब तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1,63,395 मिलियन यूनिट (एमयूज) था जिसे मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) के चरण में संशोधित करके 1,24,608 मिलियन यूनिट कर दिया गया था। ग्यारहवीं योजना में अक्तूबर, 2011 तक हुआ उत्पादन 96,019 मिलियन यूनिट रहा है ग्यारहवीं योजना में 1,09,000 मिलियन यूनिट उत्पादन होने की आशा है। संयंत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

यूनिट	ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य (एमयू)		अक्तूबर, 2011 तक हुई उपलब्धि
	प्रारंभिक	एमटीए	
1	2	3	4
टीएपीएस 1 से 4	40,108	39,555	36,763
आरएपीएस 2 से 4	20,592	17,319	16,660
आरएपीएस 5 तथा 6	12,361	6,738	5,147
एमएपीएस 1 तथा 2	12,853	10,773	8,965
एनएपीएस 1 तथा 2	10,717	7,239	5,230
केएपीएस 1 तथा 2	10,422	8,855	7,962
केजीएस 1 तथा 2	12,756	11,933	10,185
केजीएस 3 तथा 4	11,611	6,364	5,107

1	2	3	4
केके 1 तथा 2*	29,784	15,832	0
पीएफबीआर*	2,190	0	0
कुल	1,63,395	1,24,608	96,019

*निर्माणाधीन, अभी कमीशन किया जाना है।

टिप्पणी: ग्यारहवीं योजना में राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 (100 मेगावाट) के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, क्योंकि नियामक आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे लम्बी अवधि के लिए शट-डाउन रखा गया था।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं योजना के लिए उत्पादन संबंधी लक्ष्य, पृथक्करण योजना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों के अधीन रिएक्टरों के लिए स्वदेशी यूरेनियम की बेहतर उपलब्धता होने, और आयातित यूरेनियम की उपलब्धता के बाद हासिल किया गया था। तथापि, स्वदेशी यूरेनियम की आपूर्ति पूरी अवधि के दौरान सीमित रही। अंतर्राष्ट्रीय सहकार उपलब्ध होने में विलम्ब हो गया था और आयातित यूरेनियम केवल वर्ष 2009-10 के उत्तरार्द्ध से ही उपलब्ध हो सका था। इसके परिणामस्वरूप प्रचालनरत यूनिटों नामतः तारापुर परमाणु बिजलीघर 3 तथा 4, राजस्थान परमाणु बिजलीघर 2 से 4, मद्रास परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2, नरोरा परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2, ककरापार परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 और कैगा उत्पादन केन्द्र 1, 2 तथा 3 में अपेक्षाकृत कम उत्पादन हुआ। कैगा-4 और राजस्थान परमाणु बिजलीघर 5 तथा 6 यूनिटों की कमीशनिंग में भी ईंधन के उपलब्ध न होने की वजह से विलम्ब हुआ था। अतः मध्यावधि मूल्यांकन के चरण में लक्ष्यों को संशोधित किया गया था। कुडनकुलम स्थित कुडनकुलम 1 तथा 2 परियोजना के पूरा होने में भी रूसी परिसंघ से उपस्करों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से विलम्ब हुआ था। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परियोजना, जोकि जटिल प्रौद्योगिकियों वाली विश्व में अपनी तरह की पहली परियोजना है, निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही है और इसके बारहवीं योजनावधि में उत्पादन शुरू करने की आशा है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने, स्वदेशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के स्रोतों से ईंधन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली में एक नई यूरेनियम खान खोली गई है। झारखंड में तुरुमडीह में एक नई संसाधन मिल भी कमीशन की गई है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वदेशी ईंधन की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों के अधीन वाले रिएक्टरों के लिए अब अपेक्षित मात्रा में आयातित यूरेनियम ईंधन उपलब्ध है जिसके परिणामस्वरूप ग्यारहवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में उनका प्रचालन उच्च क्षमता गुणक के साथ हुआ है।

एयरलाइन कारोबार का कार्गो क्षेत्र

263. **श्री इ.जी. सुगावनम :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आने वाले वर्षों में एयरलाइंस कारोबार के कार्गो क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागपुर में प्रस्तावित मल्टी-माडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब और विमानपत्तन परियोजना में विलंब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त परियोजना के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी हां।

(ख) विमान कार्गो की मौजूदा प्रणाली तथा कार्गो सेक्टर में और अधिक सुधार की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए दिनांक 17.1.2011 को नागर विमानन आर्थिक सलाहकार परिषद (सीएईएसी) के अंतर्गत इस विषय के उपयुक्त समाधान के लिए विमान कार्गो/एक्सप्रेस सेवा उद्योग पर एक कार्यदल का गठन किया गया है।

(ग) से (ङ) निम्नलिखित कारणों से परियोजना मिहान इंडिया लि. (एमआईएल) में देरी हुई है:

(i) रक्षा प्राधिकरणों से भूमि प्राप्त होने में विलंब;

(ii) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 146 हैक्टर शेष भूमि का अधिग्रहण; तथा

(iii) नीतिगत साझेदार की नियुक्ति में विलंब;

नीतिगत साझेदार, जो निर्माण, प्रचालन, तथा हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर इस हवाई अड्डे का विकास करेगा तथा इसके कार्यक्षेत्र

के अंतर्गत हवाई अड्डे पर यात्री तथा कार्गो हब का विकास किया जाएगा, के चयन के लिए एमआईएल के संव्यवहार सलाहकार नियुक्त किया गया है। संपूर्ण कार्य का पुनर्निर्धारण संव्यवहार सलाहकार द्वारा किया जा रहा है तथा उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षाधीन है। नीतिगत साझेदार के चयन के लिए वैश्विक निविदाएं जून 2012 में आमंत्रित किया जाना संभाव्य है और विधिवत प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् सफल बोली लगाने वाले को नियुक्त किया जाएगा तथा तत्पश्चात परियोजना का विकास कार्य आरंभ होगा।

विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करना

363. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्यार्थियों और अभिभावकों में जागरूकता पैदा करके परीक्षा संबंधी परेशानी का सामना करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए निर्धारित और खर्च की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अभिभावकों और गैर-सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा संबंधी चिन्ता को दूर करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं:

(i) परीक्षा सुधार

(ii) परीक्षा संबंधी चिंता को कम करने के लिए अकादमिक पहलें

(iii) मीडिया और ऑन-लाइन पारस्परिक बातचीत के माध्यम से काउन्सलिंग और जागरूकता अभियान

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत, ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं चलाई जा रही है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यार्थी अनुकूल कार्यक्रमों और नीतियों में अभिभावकों और गैर-सरकारी संगठनों सहित सभी स्टेकहोल्डरों को शामिल करता है।

प्रति टन लेवी

364. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रति टन लेवी का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार का क्या मत है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुमोदन हेतु योजनाएं

365. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संस्तुत केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी गई योजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) अनुमोदित की गई योजनाओं की संख्या तथा लंबित पड़ी योजनाओं की संख्या क्या है; और

(ग) लंबित योजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए किसी स्कीम की सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एअर इंडिया पर तेल कंपनियों की बकाया धनराशि

366. **श्री उदय सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया (एआई) पर तेल विपणन कंपनियों की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी विमान कंपनी ने भुगतान के संबंध में समय बढ़ाए जाने और छूट की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) बढ़ती तेल कीमतों के मद्देनजर एअरलाइन को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी हां, 1 सितम्बर, 2011 के पहले पखवाड़े के अंत तक, एअर इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों का, ब्याज छोड़कर बकाया देय निम्नलिखित है:-

तेल कंपनियां	करोड़ रुपये
इंडियन आयल कारपोरेशन	1563.67
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन	409.82
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	337.16
कुल	2310.65

(ग) से (ङ) एअर इंडिया ने मंत्री समूह से तीन महीने की क्रेटिड अवधि हेतु अनुरोध किया था, जो कि 28 अक्तूबर, 2011 की बैठक में अनुमोदित हो गया। तथापि, एअर इंडिया को ब्याज के भुगतान पर छूट दिए बिना क्रेटिड अवधि पर सहमति दी गई है। एअर इंडिया ने वित्तीय तथा प्रचालनिक निष्पादन को सुधारने के लिए टर्न एराउंड तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना भी तैयार की है।

[हिन्दी]

गुमनाम शिकायतें

367. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार को प्राप्त "गुमनाम शिकायतों" की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक उक्त गुमनाम शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) गुमनाम शिकायतों के संबंध में सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश अपनाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) नागर विमानन मंत्रालय के संबंध में, पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त की गई "गुमनाम शिकायतों" का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। वर्ष 2011 के दौरान मंत्रालय में कुल 8 अदद गुमनामी शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) और (ग) कार्यालय पद्धति तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय में प्राप्त गुमनाम शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

तकनीकी, प्रबंधन और वास्तुकला संस्थान स्थापित करना

368. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का देश के विभिन्न भागों में तकनीकी, प्रबंधन और वास्तुकला संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चिन्हित स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए संस्थान कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रस्तावित कदम से गुणवत्ता मानकों के साथ समझौता होगा; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपने स्तर पर तकनीकी संस्थाएं नहीं खोलती अथवा स्थापना नहीं करती। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के खंड 10(ट) के प्रावधान के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25/राज्य सरकार आदि के तहत पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनियों द्वारा नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक

369. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की हाल ही में हुई बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट का मुद्दा उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 24 सितम्बर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की 66वीं बैठक के दौरान अपने वक्तव्य में विश्व की आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा: "विश्व की अर्थव्यवस्था संकट में है। वर्ष 2008 के आर्थिक एवं वित्तीय संकट के उपरांत जो उम्मीद की कलियां निकलती दिख रही थी; वे अभी भी खिल नहीं पाई हैं। कई मायनों में यह संकट और गहराता जा रहा है। पूरे विश्व में अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी यह दशा हाल के वर्षों में वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट की वजह से उत्पन्न हुई है। अत: पूरे विश्व की सरकारों के क्रियाकलापों पर गहन नजर रखी जा रही है। यह काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे कार्यों एवं प्रयासों के माध्यम से हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एवं उद्देश्यों में लोगों का विश्वास बहाल करते हैं। मुझे विश्वास है कि हम राजकौशल, दूरदर्शिता और संयुक्त प्रयासों से ऐसा कर सकते हैं।" प्रधानमंत्री के भाषण की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

इसी प्रकार माननीय संसद सदस्यों जैसे श्री पी.जे. कुरियेन, श्री के. रहमान खान और श्री मोइनुल हसन अहमद, जिन्होंने चालू संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की चर्चाओं में भाग लिया, ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर गहरा रोष एवं चिंता व्यक्त की और उन्होंने विश्व समुदाय से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के वास्ते दृढ़ एवं निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया।

अन्य सदस्य देशों के शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने भी वैश्विक आर्थिक स्थिति पर अपनी चिंता जताई। महासभा में अध्यक्ष ने सदस्य देशों से इस संकट से उबरने के लिए ठोस संयुक्त प्रयास करने का आहवान किया।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें सत्र की आम बहस में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का वक्तव्य सितम्बर 24, 2011

महामहिम अध्यक्ष महोदय,

महानुभाव,

देवियो एवं सज्जनों,

सबसे पहले मैं महासभा के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के लिए आपको बधाई देने की अनुमति चाहूंगा। मैं महासभा के 66वें सत्र के संचालन में आपको भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं।

दक्षिण सूडान नामक नए राज्य का स्वागत करना भी हमारे लिए अपार हर्ष की बात है।

अध्यक्ष महोदय,

संयुक्त राष्ट्र महासभा की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब विश्व में अनिश्चितता और गंभीर बदलावों का दौर चल रहा है।

कुछ वर्ष पूर्व ही विश्व ने वैश्वीकरण तथा वैश्विक अंतर्निर्भरता के लाभों को नजरंदाज कर दिया था। आज हमसे उन्हीं तत्वों के नकारात्मक पहलुओं का समाधान करने की अपेक्षा की जा रही है। विश्व के विभिन्न भागों में आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक घटनाक्रमों के प्रतिकूल प्रभाव सभी देशों और महाद्वीपों पर महसूस किए जा रहे हैं।

विश्व अर्थव्यवस्था संकट में है। वर्ष 2008 में आई मंदी के उपरांत आर्थिक सुधार की जो कोपलें नजर आई थीं वे अभी भी खिल नहीं पाई हैं। कई मायनें में यह संकट और भी गंभीर हो गया है।

विश्व अर्थव्यवस्था के पारंपरिक इंजन जैसे कि संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप और जापान, जो वैश्विक आर्थिक वित्तीय स्थिरता के स्रोत भी रहे हैं, में भी आर्थिक मंदी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन देशों में मौजूद मंदी से संबंधित प्रवृत्तियों के कारण वैश्विक वित्तीय एवं पूंजी बाजारों में विश्वास के माहौल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

इन घटनाक्रमों का विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है, जिन्हें मुद्रास्फीति दबावों का अतिरिक्त दबाव भी झेलना होता है।

वैश्विक मांग में उत्तरोत्तर हो रही कमी और पूंजी की अनुपलब्धता, मुक्त व्यापार के समक्ष उत्पन्न हो रही बाधाएं तथा उत्तरोत्तर बढ़ता ऋण का बोझ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली के समक्ष खतरा उत्पन्न कर रहा है। ब्रेटेन वुड्स संस्थाओं की प्रभाविता के संबंध में भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

पश्चिम एशिया खाड़ी तथा उत्तरी अफ्रीका में अभूतपूर्व सामाजिक एवं राजनैतिक उथल-पुथल हुए हैं। इन क्षेत्रों के लोग अपनी नियति को स्वयं आकार देने के अधिकारों की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर ऊर्जा पदार्थों एवं खाद्य पदार्थों के मूल्य में भारी वृद्धि हो रही है जिसके कारण खासकर विकासशील देशों में अस्थिरता का नया माहौल उत्पन्न हो गया है।

अध्यक्ष महोदय,

ऐसी अनेक बातें हैं जो हम कर सकते हैं।

हमें वैश्विक शासन की कमियों से जुड़े मुद्दे का भी निश्चित रूप से समाधान करना होगा।

हमें और भी प्रभावी एवं मजबूत संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है जो गरीब और अमीर, छोटे और बड़े सभी देशों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र तथा इसके प्रधान अंगों, महासभा और सुरक्षा परिषद को निश्चित रूप से सक्रिय बनाना होगा और इनमें सुधार लाना होगा।

यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समसामयिक वास्तविकताओं के अनुकूल बनाना है तो हमें इसमें सुधार और विस्तार करना होगा। इस प्रकार के परिणाम से वैश्विक मुद्दों का समाधान करने में परिषद की विश्वसनीयता और प्रभाविता बढ़ेगी।

इसीलिए नई ऊर्जा के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इसे तत्काल अधिनियमित किया जाना चाहिए।

हमें इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वैश्विक आर्थिक मंदी, संरक्षणवाद लोगों, सेवाओं, पूंजी की आवाजाही के लिए बाधा उत्पन्न करके हमारे चारों ओर दीवारों का निर्माण करने का एक बहाना बन जाए।

बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बृहद आर्थिक नीतियों में समन्वय को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी तौर तरीके एवं साधन अपनाए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शासन प्रणाली में सुधार कार्यों में तेजी और प्रभाविता लाई जानी चाहिए।

विकास कार्यसूची को दोबारा संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकताओं के केन्द्र में पक्की जगह मिलनी चाहिए। हमें बहुसंख्यक मानव जाति के लाभार्थ संतुलित, समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में और भी ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। हममें से प्रत्येक इस कार्य में अपना योगदान दे सकता है, परंतु यदि हम सहभागिता के साथ कार्य करें तो और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले कुछ दशकों में भारत ने लगभग 10 मिलियन लोगों को घोर गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। अब हम अपने लोगों को बेहतर भोजन देने की स्थिति में हैं; हम उन्हें बेहतर शिक्षा दे सकते हैं और उनके आर्थिक विकल्पों को व्यापक बना सकते हैं। परंतु अभी भी हमें लंबी दूरी तय करनी है।

हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी से भारत के बदलाव की गति में तेजी लाना चाहते हैं। तेजी से बढ़ता हुआ भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की सीमाओं का व्यापक विस्तार कर सकता है। एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी और पंथ निरपेक्ष भारत विभिन्न देशों के बीच सहिष्णुता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में योगदान दे सकता है।

फिलीस्तीन प्रश्न का समाधान अभी भी नहीं हो पाया है और यह महान अस्थिरता एवं हिंसा का एक स्रोत बना हुआ है। भारत एक ऐसे संप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहार्य एवं एकीकृत फिलीस्तीनी राज्य के लिए फिलीस्तीनी लोगों का समर्थन करने की प्रक्रिया में अटल है जिसकी राजधानी पूर्वी जेरुसेलम हो और जो सुरक्षित एवं मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। हम संयुक्त राष्ट्र के एक समान सदस्य के रूप में फिलीस्तीन का स्वागत करेंगे।

आतंकवाद अभी भी अपने वीभत्स स्वरूप का प्रदर्शन कर रहा है और भारी संख्या में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। एक ऐसे समय में जब विश्व को अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता है तब हिंद महासागर मं संचार की समुद्री लाइनों पर संकट आया हुआ है। कार्यकारी राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व से पूरे क्षेत्रों से जल दस्युता संबंधी कार्रवाइयों का संचालन खुलेआम किया जा रहा है।

अन्यायपूर्ण विकास, अपर्याप्त नौकरियों तथा शैक्षिक अवसरों एवं बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता का अभाव होने के कारण युवाओं में कट्टरवाद, असहिष्णुता और उग्रवाद पनप रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

हमारे पास इन चुनौतियों का मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

हम तभी सफल होंगे जब हम टकराव की जगह सहकारिता पर आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन करें।

हम तब सफल होंगे जब हम एक बार पुनः उन सिद्धांतों को स्वीकार करें जिनके आधार पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी अर्थात अंतर्राष्ट्रीयवाद एवं बहुपक्षवाद।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तब सफल होंगे जब हमारे प्रयास वैध हों और इन्हें न सिर्फ कानून की रूपरेखा के भीतर बल्कि कानून की भावना में भी आगे बढ़ाया जाए।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विधिसम्मत शासन के सिद्धांतों का अनुपालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विभिन्न देशों के भीतर। किसी भी समाज को सैन्य ताकत के आधार पर दोबारा व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। सभी देशों के लोगों को अपनी नियति का चुनाव करने तथा अपने भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार है।

संक्रमण तथा संस्थागत निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एक निश्चित भूमिका अवश्य है परंतु यदि कार्यकलापों को बाहर से थोपा जाता है इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकार के अंतर्गत की गई कार्रवाईयों में निश्चित रूप से अलग-अलग देशों की एकता, क्षेत्रीय अंखडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए।

सरकार का अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें विकास के मार्गों का मुक्त रूप से चयन करने में समर्थ बनाए। लोकतंत्र तथा मौलिक मानव आजादी का सारांश यही है।

विकासशील देशों को निवेश, प्रौद्योगिकी तथा अपने उत्पादों के लिए बाजार पहुंच की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में भी सहायता की आवश्यकता है।

हाल में आयोजित चौथे संयुक्त राष्ट्र अल्प विकसित देश सम्मेलन के दौरान भारत ने संवर्धित ऋण श्रृंखलाओं एवं क्षमता निर्माण क्षेत्र में सहायता करने के जरिए अल्प विकसित देशों के साथ अपनी भागीदारी को सुदृढ़ बनाया है।

हमें अफ्रीका पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अफ्रीका के सर्वोत्तम संसाधन वहां के खनिज नहीं बल्कि वहां के लोग हैं। हमें उन्हें सशक्त बनाना होगा और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में माननीय विकास के द्वारों को खोलना होगा।

इस वर्ष के आरंभ में आदिस अबाबा में आयोजित द्वितीय भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन में भारत ने अफ्रीका को 5 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखलाएं तथा मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा नई संस्थाओं का निमार्ण करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में अतिरिक्त 700 मिलियन अमरीकी डालर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

संयुक्त राष्ट्र को खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों की भी अगुवाई करनी चाहिए। हमें कृषि, प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण, भूमि उपयोग एवं उत्पादन तथा पण्यों के पदार्थों में स्थिरता लाने में भी और सहयोग करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय,

विकासशील देशों को विकास करने के लिए एक शांतिपूर्ण बाह्य परिवेश की आवश्यकता है।

हमें आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को बिना थके जारी रखना होगा। आतंक गुटों अथवा आतंकी ढांचों का मुकाबला करने में चुनिंदा नजरिया नहीं अपनाया जा सकता। आतंकवाद से सभी मोर्चों पर युद्ध करना होगा।

दक्षिण एशिया में सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग करने के उत्साहजनक संकेत सामने आए हैं जो बंगलादेश के साथ भारत के सहयोग से स्पष्ट होता है। इस प्रकार के सहयोग से दोनों देशों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

काबुल में हाल में प्रो. बुरहानुद्दीन रब्बानी की हुई दुखद हत्या अफगास्तिान में शांति के दुश्मनों के खतरनाक इरादों की याद दिलाता है।

यह अनिवार्य है। कि अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण और मेल-मिलाप की प्रक्रिया सफल हो। इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है। भारत अफगानिस्तान के लोगों द्वारा स्वयं अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने में उसी प्रकार अफगानिस्तान की सहायता करेगा जिस प्रकार दक्षिण एशिया के अन्य देशों को कर रहा है। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता एक दूसरे से जुड़ी हुई है।

हम एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग का एक मुक्त, समावेशी तथा पारदर्शी रूपरेखा चाहते हैं और साथ ही विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा भी चाहते हैं।

मैं संयुक्त राष्ट्र से आह्वान करता हूं कि वह लाल सागर तथा सोमालिया तट पर समुद्री डकैती की समस्या का व्यापक और प्रभावी समाधान निकाले। हिन्द महासागर के एक तटीय राज्य के रूप में भारत इस संबंध में अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोमालिया में स्थायित्व बहाली की दिशा में प्रयास जारी रखने चाहिए।

हमने अफ्रीकी श्रृंग, खासकर सोमालिया, केन्या और जिबुती में गंभीर अकाल और सूखे से प्रभावित देशों के लिए मानवीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भाग लिया है।

परमाणु प्रसार अभी भी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा बना हुआ है। परमाणु शस्त्र मुक्त एवं अहिंसक विश्व के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना में समयबद्ध, सार्वभौमिक, निष्पक्ष, चरणबद्ध तथा सत्यापनीय तरीके से परमाणु निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक ठोस रोडमैप उपलब्ध कराया गया है।

में परमाणु सुरक्षा पर विश्व का ध्यान केन्द्रित कराने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र की सराहना करता हूं। हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से परमाणु शक्ति का उपयोग करने की हमारी योजना परमाणु ऊर्जा की संरक्षा के संबंध में पूर्णतः संतोषजनक स्थिति बनाए जाने पर आधारित है।

हमने अपने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की है। हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तत्वावधान में इन संयंत्रों की संरक्षा और सुरक्षा के स्तरों को बढ़ाने हेतु किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का स्वागत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय,

मैंने इस सम्मानित सदन में जिन संदर्शों का उल्लेख किया है वे सुरक्षा परिषद में हमारे कार्यों को तब से निदेशित करते आ रहे हैं जब इस वर्ष जनवरी माह में भारत परिषद का अस्थायी सदस्य बना था।

अभी भी पूरे विश्व में लाखों की संख्या में लोग गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। हाल में आई वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मंदी, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है, के कारण उनकी हालत और भी चिंताजनक हो गई है। अतः पूरे विश्व में सरकारों के कार्यों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों के जरिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और उद्देश्यों में लोगों के भरोसे को दोबारा बहाल करें। मुझे विश्वास है कि राजनीतिमत्ता, दूरदर्शिता एवं सामूहिक प्रयासों के आधार पर हम ऐसा कर पाएंगे।

भारत इस महान प्रयास में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

आप सबका धन्यवाद।

न्यूयार्क
24 सितंबर, 2011

विद्यालय अवसंरचना का विस्तार

370. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मद्देनजर यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहर में कोई भी बालक विद्यालय में प्रवेश से वंचित न रहे विद्यालय अवसंरचना का विस्तार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्यों द्वारा व्यय की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। 01 अप्रैल, 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद समुचित सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इस अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे यथाविनिर्दिष्ट निकटवर्ती क्षेत्र अथवा सीमाओं में स्कूल स्थापित करें जहां स्कूल स्थापित नहीं किया गया है। समुचित सरकारों से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल अवसंरचना प्रदान करें। पिछले तीन वर्ष के दौरान स्कूल अवसंरचना पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्कूल अवसंरचना पर कुल व्यय		
		2008-09	2009-10	201011
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	42336.15	25885.71	7330.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	6213.66	2448.59	5717.444
3.	असम	26993.954	17442.56	36561.73
4.	बिहार	48305.1065	85652.721	148455.6
5.	छत्तीसगढ़	27607.036	20790.217	40110.08
6.	गोवा	471.63	205.89	191.48
7.	गुजरात	13913.33	13434.16	41269.86
8.	हरियाणा	6936.86	8636.74	17361.85
9.	हिमाचल प्रदेश	2494.62	3332.83	6848.43
10.	जम्मू और कश्मीर	8290.49	34152.56	3898.85
11.	झारखंड	74130.12	49091.44	78962.89
12.	कर्नाटक	30239.44	21837.072	40492.93
13.	केरल	4171.55	4575.58	7434.3
14.	मध्य प्रदेश	52460.68	42850.539	98168
15.	महाराष्ट्र	28308.06	43239.48	80699.3
16.	मणिपुर	91.5	496.06	0
17.	मेघालय	3220.284	6819.961	530.271
18.	मिजोरम	699.4	3455.521	2285.716
19.	नागालैंड	2442.23	2530.73	0
20.	उड़ीसा	34010.55	44028.04	59800.25
21.	पंजाब	5892.74	10721.32	20523.57
22.	राजस्थान	26327.3	19197.93	45561.77
23.	सिक्किम	606.66	533.69	-1189.454
24.	तमिलनाडु	28196.81	9152.37	34760.41
25.	त्रिपुरा	1765.15	2096.11	2262.45
26.	उत्तर प्रदेश	74844.22	33578.8	64160.73
27.	उत्तराखंड	5444.562	3363.934	7584.17
28.	पश्चिम बंगाल	30921.05	60171.63	55706.68
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	357.52	803.65	240.83
30.	चंडीगढ़	188.2	361.93	100.29
31.	दादरा और नगर हवेली	0	447.22	25.08
32.	दमन और दीव	95.33	128.6	74.61

1	2	3	4	5
33.	दिल्ली	1219.29	583.11	1491.19
34.	लक्षद्वीप	0	171.91	0
35.	पुदुचेरी	896.48	539.82	397.46
	सर्व शिक्षा अभियान कुल	590091.96	572758.45	947819.81

आई.टी. कंपनियों में मंदी

371. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान मंदी के कारण भारतीय आई.टी. कंपनियों द्वारा नई भर्ती में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक स्थिति को सुधारने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साफ्टवेयर तथा सेवा कंपनी संघ (नैसकाम) के अनुसार विकसित देशों की अर्थवव्स्था में आई मंदी के कारण वित्त वर्ष 2009-10 में विशेष रूप से तथा वित्त वर्ष 2008-09 के अंत में भी स्पष्ट रूप से कमी आई है। इस उद्योग में पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार के स्तर से संबंधित (आईटी/आईटीईएस उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त) तथा नौकरियों में संवर्धन के आंकड़े नीचे दिए अनुसार हैं:

वित्त वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
कर्मचारियों की कुल संख्या	21.96 लाख	23.00 लाख	25.40 लाख
वित्त वर्ष में सृजित शुद्ध अतिरिक्त रोजगार	1.90 लाख	1.00 लाख	2.40 लाख

आईटी/आईटीईएस रोजगार के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जा रहे हैं। आंध्र सरकार के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा भर्ती में वृद्धि हुई है।

(ग) देश में कई आईटी/आईटीईएस एसईजेड शुरू हो रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में और अधिक रोजगार का सृजन होगा।

संसद सदस्यों को हज कोटा

372. श्री रामसिंह राठवा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष सरकारी हज कोटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) संसद सदस्यों की सिफाशिशों से हज यात्रियों को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं;

(ग) विभिन्न संसद सदस्यों की सिफार्शिो पर अधिकतम और न्यूनतम कितनी सीटें आवंटित की गई; और

(घ) सरकारी हज कोटे को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) हज-2011 के लिए हज कोटा में 1,70,491 सीटें थीं, जिसमें भारतीय हज समिति के लिए 1,25,000 सीटें तथा निजी टूर आपरेटरों के लिए 45,491 सीटें शामिल हैं।

(ख) से (घ) हज-2011 के दौरान 5,561 सीटें माननीय मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सिफारिशों पर वितरित की गई थी। उपरोक्त सिफारिशों के अनुसार सीटों का आबंटन सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, सरकारी कोटा के अंतर्गत आबंटित सीटों का विवरण भारतीय हज समिति की वेबसाइट पर भी प्रस्तुत किया जाता है।

[हिन्दी]

निजी टेलीकाम प्रचालक

373. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी टेलीकाम प्रचालक देश में मुख्य रूप से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में बेसिक/मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रचालकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का इरादा दूरसंचार अनुबंधों के प्रावधानों को और कड़ा बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) निजी दूरसंचार आपरेटरों द्वारा बाध्यकारी कवरेज संबंधी शर्तें एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस में निहित हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से कवर करने की कोई अपेक्षा नहीं की गई है। पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों सहित अव्यवहार्य क्षेत्रों को कवर करने से संबंधित कमी को जहां कहीं अपेक्षित हो, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) द्वारा वित्तपोषण योजनाओं से पूरा किया जाता है। चूककर्ता दूरसंचार आपरेटरों, जो लाइसेंस की शर्तों या यूएसओएफ के साथ संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के अनुसार राल आऊट दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, के "विरुद्ध तब कार्रवाई की जाती है जब अलग-अलग मामलों में उल्लंघन के विशेष मामले समुचित प्राधिकारी के नोटिस में आते हैं या लाए जाते हैं।

(ग) और (घ) यूएएस लाइसेंस के प्रावधानों तथा यूएसओएफ संविदाओं के उपबन्धों की किसी फीडबैक अथवा सामने आने वाली किसी त्रुटि या खामियों के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

एस.एस.ए. में भ्रष्टाचार

374. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, ब्रिटेन ने भारत के सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत भ्रष्टाचार के कारण लगभग सात करोड़ पाउंड के नुकसान के बारे में बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) जून 2010 में कई समाचारपत्रों में इस आशय की खबरें छपी थी कि युनाइटेड किंगडम का डिपार्टमेंट फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीएफआईडी) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत निधियों के अभिकथित दुरुपयोग की जांच शुरू कर रहा है। तथापि, डीएफआईडी ने स्पष्ट किया है कि यू.के. सरकार का एसएसए की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डीएफआईडी ने यह भी कहा है कि एसएसए कार्यक्रम को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वाधिक सफल कार्यक्रमों में माना जाता है तथा डीएफआईडी को इसके लिए सहायता प्रदान करने पर गर्व है। तथापि, डीएफआईडी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) ने एसएसए के लिए यू.के. की सहायता की जांच की थी। लेखापरीक्षकों ने यह निर्णय लिया है कि डीएफआईडी का एसएसए के निधीयन के प्रबंधन पर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है।

[अनुवाद]

हज यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं

375. श्रीमती जे. शांता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष हज यात्रियों को भारत से सऊदी अरब ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष की व्यवस्था की तुलना में इस वर्ष की व्यवस्था में किस हद तक सुधार हुआ; और

(ग) हज यात्रियों को हो रही असुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) सरकार द्वारा वाहित किए जाने वाले हज यात्रियों की संख्या, भुगतान किए जाने वाला किराया, हज यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं आदि के संबंध में सऊदी अरेबियन एयरलाइन्स तथा भारत में 21 आरोहण स्थल से बैलोटेड हज यात्रियों के वहन के लिए एनएएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, अपेक्षित बन्द निविदा प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् हज यात्रियों को वही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जैसा कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को दी जाती हैं।

(ग) हज 2011 से अब तक किसी कठिनाई की रिपोर्ट नहीं मिली है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनियमितताएं

376. श्री के.सी.सिंह 'बाबा' : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में वित्तीय और अर्थ अनियमितताओं की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार, संस्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी अनियमितताओं में कितने अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए हैं;

(घ) दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) आईआईटी में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा वित्तीय अथवा अन्य अनियमितताओं के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित करने की कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है। तथापि, आईआईटी के भीतर विभिन्न स्रोतों अथवा अन्य प्रकार से विगत में ज्ञात घटनाओं, जिन्हें गंभीर माना गया था, की जांच की गई थी और उनमें से कुछ मसलों को हल कर लिया गया है। आईआईटी भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं और अनियमितताएं, लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित, यदि कोई हों, तो उन्हें एक पूर्णतया निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाता है।

समेकित कार्य योजना

377. श्री जयराम पांगी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चुनिन्दा, पिछड़े और आदिवासी जिले विशेष रूप से वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित जिले के भीतरी और दूरस्थ क्षेत्रों में समेकित कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा और विकास कार्य ठप हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो विकास के अंतर को कम करने तथा सड़क, पुलिया और पुलों के कार्य पर ज्यादा ध्यान देने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ताकि आंतरिक/दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यालय/मुख्यधारा के विकास से जोड़कर अंततः विकास किया जा सके?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) सरकार ने 9 राज्यों के 60 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों में 25.11.2010 को एकीकृत कार्ययोजना (आई.ए.पी.) को मंजूरी दी थी जिसके तहत 2010-11 तथा 2011-12 हेतु क्रमशः 25 करोड़ रुपये तथा 30 करोड़ रुपये का ब्लाक अनुदान संस्वीकृत था, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति (जिसमें जिले के पुलिस अधीक्षक तथा जिला वन अधिकारी शामिल है) के जिम्मे रखा गया था। जिला स्तरीय समिति अपनी जरूरत के आकलन के अनुसार राशि खर्च कर सकती है। राज्य सरकारों तथा जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि वे एकीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाली स्कीमों पर स्थानीय संसद सदस्य के साथ परामर्श सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय समिति को सार्वजनिक अवसंरचना तथा सेवाओं, यथा- विद्यालय भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेय जलापूर्ति, ग्रामीण सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा विद्यालयों आदि जैसे सार्वजनिक स्थलों पर बिजली की व्यवस्था आदि के लिए ठोस प्रस्तावों वाली योजना तैयार करनी होती है। इस प्रकार चयनित स्कीमें अल्पावधि में ही परिणाम दर्शाएंगी। 2010-11 में, 1500 करोड़ रुपये का संपूर्ण आवंटन 25 करोड़ रुपये प्रति जिले की दर से जारी किया जा चुका है। चालू वर्ष में, 30 करोड़ रुपये प्रति जिले की दर से 1800 करोड़ रुपये का आवंटन है जिसमें से 1000 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 17.11.2011 की स्थिति के अनुसार, जिलों में 1284.75 करोड़ रुपये का व्यय होने की रिपोर्ट है। राज्य में व्यय की संवीक्षा और एकीकृत कार्य योजना के मानीटरण का उत्तरदायित्व राज्य के विकास आयुक्त/राज्य में विकास प्रभार वाले समतुल्य अधिकारी का है। केन्द्रीय स्तर पर, राज्य सरकारों तथा जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों के साथ नियमित रूप से वीडियो सम्मेलन/बैठकें की गई हैं ताकि योजना के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की जा सके।

(ख) शुरू किए गए 60705 कार्यों में से 8553 कार्य सड़कों/पुलियों के हैं। साथ ही, एकीकृत कार्य योजना वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी दिशानिर्देशों में ढील दी गई है ताकि दुर्गम/दूर-दराज के क्षेत्रों को भी जोड़ा जा सके। अब 250 अथवा इससे अधिक की आबादी (2001 जनगणना) वाले इलाके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे में लाए जाने के लिए पात्र हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 75 मीटर तक वाली

पुलों की लागत को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जबकि अन्य मामलों में यह सीमा 50 मीटर की है तथा न्यूनतम निविदा पैकेज राशि को घटाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।

स्मार्ट स्कूल

378. **श्री के.पी. धनपालन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्मार्ट स्कूल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) ''स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' की संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, देश में 150 स्मार्ट स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। प्रत्येक स्मार्ट स्कूल स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 25.00 लाख रु. की राशि प्रदान की जाती है। अभी तक 11 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 59 स्मार्ट स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पीएमईजी द्वारा अनुमोदित स्मार्ट स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
2.	आंध्र प्रदेश	05
3.	अरुणाचल प्रदेश	—
4.	असम	—
5.	बिहार	—
6.	चंडीगढ़	—
7.	छत्तीसगढ़	—
8.	दादरा और नगर हवेली	02
9.	दमन और दीव	02
10.	दिल्ली	—
11.	गोवा	—
12.	गुजरात	—
13.	हरियाणा	—
14.	हिमाचल प्रदेश	05
15.	जम्मू और कश्मीर	—
16.	झारखंड	—
17.	कर्नाटक	—
18.	केरल	05
19.	लक्षद्वीप	—
20.	मध्य प्रदेश	—
21.	महाराष्ट्र	—
22.	मणिपुर	04
23.	मेघालय	04
24.	मिजोरम	—
25.	नागालैंड	04
26.	उड़ीसा	—
27.	पुदुचेरी	04
28.	पंजाब	05
29.	राजस्थान	—
30.	सिक्किम	04

1	2	3
31.	तमिलनाडु	05
32.	त्रिपुरा	--
33.	उत्तर प्रदेश	05
34.	उत्तराखंड	—
35.	पश्चिम बंगाल	05
	कुल	59

[हिन्दी]

डाकघरों का आधुनिकीकरण

379. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सहित देश में डाकघरों को सुदृढ़ बनाने और उन्नतीकरण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) जी, हां। डाकघरों का कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग एवं प्रमुख प्रचालनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य शुरू किए गए हैं।

(ख) 24015 डाकघरों को कंप्यूटरीकृत एवं प्रोन्नयित किया गया है और प्रोजेक्ट ऐरो के ''लुक एवं फील'' भाग के अंतर्गत 1530 डाकघरों का नवीकरण किया गया है।

(ग) परियोजना के लिए आबंटित निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i)	2008-09	228.50 करोड़ रु.
(ii)	2009-10	178.01 करोड़ रु.
(iii)	2010-11	244.64 करोड़ रु.
(iv)	और 2011-12 के दौरान	88.38 करोड़ रु.

अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण

380. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को ऐसी सरकारी और निजी कंपनियों में जिनमें सरकार का अंश कम है, में आरक्षण देने का प्रस्ताव करती हूं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) जी नहीं। अन्य पिछड़ा वर्गों को निजी कंपनियों में आरक्षण के लिए प्रावधान का कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्गों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पहले से ही आरक्षण मिल रहा है।

आईआईटी में शिक्षकों की कमी

381. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए आईआईटी, जिनमें शिक्षकों का अभाव है, में पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से शिक्षकों को लुभाने के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए आईआईटी धनाभाव का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्र सरकार या केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के अंतर्गत कार्य कर रहे संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को 10 वर्ष की अवधि हेतु दीर्घकालीन प्रतिनियुक्ति पर नई स्थापित की गई केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं/वैज्ञानिक संस्थाओं में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्राम शिक्षा समितियां

382. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण देश में ग्राम शिक्षा समितियों (वी.ई.सी.) का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा के सुधार में उनकी क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव वी.ई.सी. के अध्ययन से लोक सहभागिता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत ग्राम/स्कूल स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के नाम भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं; इन्हें विभिन्न राज्यों में ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल विकास तथा प्रबंध समिति/स्कूल मानीटरिंग समिति/विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय कल्याण समिति, जन भागीदारी और विकास समिति इत्यादि। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूल प्रबंधन, समितियों का गठन करने का प्रावधान है, जिनमें स्थानीय प्राधिकरणों, स्कूलों में दाखिल बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों तथा अध्यापकों में से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि स्कूल प्रबंध समितियों के न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे जिनमें वंचित समूहों तथा कमजोर वर्गों से संबद्ध बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों का समानुपाती प्रतिनिधित्व होगा, और स्कूल प्रबंध समितियों के सदस्यों में पचास प्रतिशत महिलाएं होंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत स्कूल प्रबंधन समितियों को स्कूल के कार्यकरण की मानीटरिंग स्कूल विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना तथा समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग की मानीटरिंग का कार्य सौंपा गया है।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत समुदाय प्रशिक्षण तथा समुदाय लामबंदी के रूप में सामुदायिक जागरूकता प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के मापदंडों में सामुदायिक लामबंदी के लिए जिला परिव्यय में से 0.5 प्रतिशत के आबंटन का प्रावधान है। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्यों की वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट में इन क्रियाकलापों के लिए आबंटित निधियों में समुदाय प्रशिक्षण के लिए 481.84 करोड़ रुपए तथा समुदाय लामबंदी के लिए 129.28 करोड़ रुपए हैं।

[अनुवाद]

विकास का माडल

383. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अपनी सक्षमता, संसाधन और आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि हेतु विकास माडल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विकसित देश के विकाम माडल को न अपनाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) विभिन्न देशों ने विकास संबंधी अपनी प्राथमिकताओं के समाधान के लिए अपने-अपने सामाजिक-आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्थिति के अनुसार, विकास के अलग-अलग माडल अपनाए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप विकास योजनाकरण के माध्यम से आर्थिक विकास हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करते समय उपलब्ध संसाधनों और संसाधन गतिशीलन क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में त्वरित विकास के साथ विकास के बहुआयामी पहलू की आवश्यकता का ध्यान रखा गया है तथा समावेशी विकास को विकास योजनाकरण के मुख्य लक्ष्य के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये योजना लक्ष्य 27 मानीटरणीय लक्ष्यों में विभाजित किए गए हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर की छह बड़ी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे- (क) आय और निर्धनता (ख) शिक्षा (ग) स्वास्थ्य (घ) महिला और बाल (ङ)

अवसंरचना (च) पर्यावरण। यह वर्गीकरण लोगों की आकलित आवश्यकताओं पर आधारित है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में भी "त्वरित, धारणीय और अधिक समावेशी विकास" का लक्ष्य अंगीकृत किया गया है।

आर्थिक विकास की दर को उच्चतर बनाए रखना हमारे विकास माडल का मूल लक्ष्य रहा है क्योंकि मजबूत आर्थिक आधार समावेशी विकास के अन्य समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तदनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9% रखने की अभिकल्पना की गई है जो घरेलू उपयोग की उच्च दर, बचत और निवेश, गतिशील और जानदार कारपोरेट क्षेत्रक की मौजूदगी, जनसांख्यिकीय लाभ जिसमें जनसंख्या का वृहत्तर समानुपात कार्यबल का हिस्सा हो, टिकाऊ वित्तीय समेकन तथा वित्तीय क्षेत्रक प्रबंधन आदि के जरिए प्राप्त किए जा सकेंगे।

निजी एयरलाइनों द्वारा कार्गो सेवाएं

384. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न निजी एयरलाइन कंपनियां बढ़ते कार्गो बाजार पर कब्जा करने के लिए अपनी समर्पित कार्गो सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया में हैं;

(ख) यदि हां, तो कार्गो बाजार में अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए नेशनल एविएशन कंपनी इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या एनएसीआईएल का प्रस्ताव अपने किफायती आपरेशन के लिए अलग कार्गो यूनिट बनाने और कुछ रणनीतिक कारोबारी इकाइयां खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) प्राइवेट एयरलाइन्स कार्गो सुविधाएं/सेवाएं स्थापित करने के लिए मुक्त हैं। एयर इंडिया ने बेली क्षमता का प्रभावी उपयोग, कार्गो दर का युक्तिकरण आदि द्वारा राजस्व हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ टेलीकाम समझौता

385. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेपाल ने हाल ही में अगली पीढ़ी के दूरसंचार नेटवर्क के लिए चीन की दो कंपनियों को ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने चीन को दिए गए इन ठेकों को ध्यान में रखकर सुरक्षा प्रभावों का मूल्याकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं कि नेपाल दूरसंचार कंपनी लि. ने हाल ही में (i) मैसर्स झोंगसिंग टेलीकम्यूनिकेशन इक्विपमेंट कारपोरेशन को फिक्सड लाइन नेटवर्क (नैक्सट जेनरेशन नेटवर्क) तथा (i) मैसर्स हुआवेई टैक्नोलोजिज कंपनी लि. को आईएलडी (इंटरनेशनल लांग डिस्टैंस) गेटवे तथा डोमेस्टिक ट्रांजिट स्विच के लिए संविदाएं प्रदान की हैं।

(ग) और (घ) भारत तथा नेपाल सरकारें कई द्विपक्षीय संरचनाओं में नियमित रूप से सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करती हैं। नेपाल सरकार ने उच्चतम स्तर पर हमें यह आश्वासन दिया है कि भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए नेपाली भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपील प्रक्रिया

386. श्री हरिचन्द्र चव्हाण : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपील प्रक्रिया नियमावली का मसौदा तैयार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की योजना यह सुनिश्चित करने की है कि अधिनियम के अंतर्गत अपील प्रक्रिया कानून की मूल भावना के अनुरूप है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) उपयुक्त सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत अपील प्रक्रिया नियम बनाने हेतु शक्तिसंपन्न है।

[हिन्दी]

ग्रामीणों को प्रीपेड कार्ड

387. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री जे.एम. आरुन रशीद :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की ग्रामीण आबादी के लिए पूर्व भुगतान स्मार्ट कार्ड योजना को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रीपेड कार्ड उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग का तीन अनुसूचित बैंकों, के साथ गठबंधन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोस्टल बैंकिंग के लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है; और

(ङ) उक्त कार्डों से किसानों/ग्रामीणों को क्या लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भ्रष्टाचार के मामले

388. **श्री के.डी. देशमुख :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापक भ्रष्टाचार के कई मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) कितने मामलों में सीबीआई ने छापे मारे तथा उक्त छापों में जब्त संपत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्टाचारी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कौन से कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) जी, हां। जहां तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संबंध है; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए मामलों तथा पिछले दो वर्षों अर्थात् 2009, 2010 और 2011 (31.10.2011 तक) के दौरान विभिन्न मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा संचालित किए गए छापों/तलाशियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	पंजीकृत किए गए दंड संहिता अधिनियम मामलों की संख्या
2009	795
2010	650
2011 (31.10.2011 तक)	517
कुल	1962

जहां तक उन मामलों की संख्या का संबंध है जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छापे मारे हैं तथा छापों के दौरान जब्त की गई संपत्ति के ब्यौरे, डाटा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है और यह व्यक्तिगत मामला रिकार्ड का हिस्सा है।

(घ) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने और सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) भंडाफोड़ करने वालों से संबंधित संकल्प, 2004 का जारी किया जाना और लोकहित प्रकटन तथा प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2011 को संसद में प्रस्तुत किया जाना;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) सतर्कता पर, वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की निवारक उपाय के रूप में पूर्वसक्रिय भागीदारी;

(iv) निविदा और संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पारदर्शिता पर व्यापक अनुदेश जारी करना;

(v) मुख्य सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने के संबंध में संगठनों से कहते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना। मुख्य प्रापणों में सत्यनिष्ठा समझौता स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देते हुए दिनांक 16.06.2009 को केन्द्र सरकार ने इसी तरह के अनुदेश जारी कर दिए हैं;

(vi) ई-शासन का आरंभ तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सरल करना;

(vii) नागरिक चार्टर जारी करना।

(viii) उन उपायों जो सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निबटने के लिए किए जा सकते हैं, पर विचार-विमर्श के लिए मंत्रिदल की प्रथम रिपोर्ट का स्वीकार किया जाना।

(ix) लोक सभा में लोकपाल विधेयक, 2011 का पुर:स्थापना।

(x) भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन।

(xi) विदेशी लोक पदाधिकारियों और लोक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक, 2011 का लोकसभा में पुर:स्थापन।

(xii) न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 का संसद में पुर:स्थापन।

(xiii) केन्द्र सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों तथा अन्य समूह 'क' अधिकारियों की अचल संपति विवरणी को जनव्यापी बनाया जाना।

पाकिस्तान से हिन्दुओं का पालन

389. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ दुर्व्यवहार के कारण कुछ हिन्दू परिवार पाकिस्तान से दिल्ली आ गए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) सरकार ने ये रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान के उल्पसंख्यक समुदायों के कई राष्ट्रिक भारत आते हैं और दीर्घावधि वीजा के लिए आवेदन करते हैं। सरकार को समय-समय पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को पेश आ रही समस्याओं से जुड़ी रिपोर्टें मिलती रहती हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न और अभित्रास की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पाकिस्तान सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों सहित अपने नागरिकों के प्रति अपनी बाध्यताएं पूरी करे। तथापि, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समूहों के उत्पीड़न की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी है और वे अपने सभी नागरिकों, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की देखभाल करती है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

390. डॉ. भोला सिंह :
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री प्रदीप माझी :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि तथा बारहवीं योजना के दौरान नए परमाणु संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माणाधीन विभिन्न परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन स्थलों पर निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ तथा इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) कुडनकुलम यूनिट-1 तथा यूनिट-2 का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। यूनिट-1 को चालू ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कमीशन किए जाने की आशा है, जबकि यूनिट-2 को अगली पंचवर्षीय योजनावधि के पहले वर्ष में कमीशन किए जाने की आशा है। 2800 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाएं, जिनमें ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना (केएपीपी), यूनिट-3 तथा 4 (2x700 मेगावाट) तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीपी), यूनिट-7 तथा 8 (2x700 मेगावाट) को ग्यारहवीं योजना में प्रारंभ किया गया है। इस योजना की शेष अवधि में किन्ही नई परियोजनाओं को प्रारंभ करने की योजना नहीं है। नई नाभिकीय विद्युत परियोजना के संबंध में काम शुरू करने और परियोजना-पूर्व गतिविधियों का काम बारहवीं योजना के दौरान निम्न ब्यौरे के अनुसार किए जाने की योजना है:

परियोजना	अवस्थिति	क्षमता (मेगावाट)
गोरखपुर 1 तथा 2	गोरखपुर, हरियाणा	2x700
चुटका 1 तथा 2	चुटका, मध्य प्रदेश	2x700
माही बांसवाड़ा 1 तथा 2	माही बांसवाड़ा, राजस्थान	2x700
कैगा 5 तथा 6	कैगा, कर्नाटक	2x700
कुडनकुलम 3 तथा 4	कुडनकुलम, तमिलनाडु	2x1000
जैतापुर 1 तथा 2	जैतापुर, महाराष्ट्र	2x1650
कोव्वाडा 1 तथा 2	कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश	2x1500
छाया मीठी विरदी 1 तथा 2	छाया मीठी विरदी, गुजरात	2x1100
एफबीआर 1 तथा 2	कलपाक्कम, तमिलनाडु	2x500
एएचडब्ल्युआर	अवस्थिति के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है	300

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में भीमपुर और पश्चिम बंगाल में हरीपुर में परियोजना-पूर्व कार्य किए जाने की योजना है।

(ग) 5300 मेगावाट-ई क्षमता के सात नाभिकीय विद्युत रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। इनमें से, तमिलनाडु में, कुडनकुलम में कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, यूनिट-1 तथा 2 (2x1000 मेगावाट-ई) कमीशनिंग की प्रगत अवस्था में हैं। कुडनकुलम का यूनिट-1 वर्ष 2011-12 के अंत तक और यूनिट-2 वर्ष 2012-13 पूरा किए जाने की आशा है। तमिलनाडु में कलपाक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर 500 मेगावाट) निर्माण की प्रगत अवस्था में है और इसके यांत्रिक रूप से वर्ष 2013-14 में पूरा होने की और वर्ष 2015 में उत्पादन शुरू करने की आशा है। गुजरात में ककरापार में ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना, यूनिट-3 तथा 4 (2x700 मेगावाट) और राजस्थान में रावतभाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना, यूनिट-7 तथा 8 (2x700 मेगावाट) के संबंध में सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के लिए प्रमुख उपस्करों और कार्य पैकेजों के लिए आदेश दे दिया गया है।

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है:

परियोजना	अवस्थिति	कार्य प्रारंभ किया गया (पहली बार कंकरीट डालना)	पूरा होने का अनुमानित वर्ष
केकेएनपीपी 1 तथा 2	कुडनकुलम, तमिलनाडु	30 मार्च, 2002	केकेएनपीपी-2011-12
पीएफबीआर	कुडनकुलम, तमिलनाडु	23 अक्तूबर, 2004	2013-14
केएपीपी 3 तथा 4	ककरापार, गुजरात	22 नवम्बर, 2010	2015-16
आरएपीपी 7 तथा 8	रावतभाटा, राजस्थान	18 जुलाई, 2011	2016-17

इंजीनियरिंग कालेजों हेतु प्रस्ताव

391. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के कई कालेजों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों में विभिन्न संकायों की काफी सीटें खाली रह जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कई राज्य सरकारों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) से इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के नए प्रस्तावों पर विचार नहीं करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रस्तावों के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने नए इंजीनियरिंग कालेजों को मान्यता प्रदान करने, मौजूदा कालेजों की सीटों की संख्या को बढ़ाने तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया के बाद छात्रों को कालेजों के आवंटन की प्रक्रिया को सुचारु बनाया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विभिन्न श्रेणियों के तहत व्यावसायिक कालेजों में दाखिला, दाखिला के लिए अधिसूचित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारों की अपनी-अपनी आरक्षण तथा दाखिला नीति है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की दाखिले के लिए आयोजित राज्य परामर्श में कोई भूमिका नहीं होती है।

(ग) और (घ) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को इस संबंध में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ङ) और (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने वर्ष 2010 से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वेब पोर्टल (www.aicte-india.org) के माध्यम से अनुमोदन प्रदान करने के लिए आनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की स्थिति पता करने से संबंधित एक सुविधा शुरू की गई है जो प्रक्रिया को सुचारु बनाने की अपेक्षा स्व-घोषणा पर बल देती है।

नवोदय विद्यालय

392. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :**
डॉ. क्रुपारानी किल्ली :
श्री जगदीश सिंह राणा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत नवोदय विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में इन विद्यालयों की स्थापना की जानी बाकी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में सभी जिलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) देश में कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले सहित देश में 30 जिले ऐसे हैं, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं हैं। तमिलनाडु राज्य ने जवाहर नवोदय विद्यालय स्कीम को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए इसके 32 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। यह स्कीम विशेष तौर पर देश के शहरी जिलों के लिए भी लागू नहीं है।

(घ) और (ङ) शामिल न किए जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालयों का खेला जाना एक सतत् योजना है और नए स्कूल प्रतिवर्ष खोले जाते हैं बशर्ते कि राज्य सरकार से पर्याप्त निःशुल्क भूमि की उपलब्धता हो तथा एक बार उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर विनिर्माण चरण के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय को संचालित करने हेतु अस्थायी सुविधाएं उपलब्ध हों।

विवरण

देश में कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	24
3.	अरुणाचल प्रदेश	16
4.	असम	27
5.	बिहार	39
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	17
8.	दादरा और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	2
10.	दिल्ली	2
11.	गोवा	2
12.	गुजरात	22
13.	हरियाणा	20
14.	हिमाचल प्रदेश	12
15.	जम्मू और कश्मीर	17
16.	झारखंड	24
17.	कर्नाटक	28
18.	केरल	14
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	50
21.	महाराष्ट्र	33
22.	मणिपुर	9
23.	मेघालय	8
24.	मिजोरम	7
25.	नागालैंड	11
26.	उड़ीसा	30
27.	पुदुचेरी	4
28.	पंजाब	21
29.	राजस्थान	33
30.	सिक्किम	4
31.	त्रिपुरा	4

1	2	3
32.	उत्तराखंड	13
33.	उत्तर प्रदेश	68
34.	पश्चिम बंगाल	18
	कुल	584

विद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण

393. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्यमान ऐसे प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनमें अपने भवन नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने सभी विद्यालयों को भवन प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु कितनी समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(घ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार और वर्ष-वार कितने विद्यालय भवनों का निर्माण किया गया है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी धनराशि प्रदान की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों जिनके अपने भवन नहीं हैं, के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1,92,754 प्राथमिक तथा 1,07,054 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों को संस्वीकृत किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे मार्च, 2009 में शुरू किया गया था तथा जिसका लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा हेतु सुलभता में वृद्धि करना है, के तहत 35,547 मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों को अवसंरचना सुदृढ़ीकरण तथा सुधार हेतु अनुमोदित किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिए गए अधिदेश के अनुसार उपयुक्त सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे यथानिर्धारित पास-पड़ोस के ऐसे क्षेत्रों तथा सीमाओं के भीतर एक विद्यालय की स्थापना करें जहां पर अधिनियम की शुरूआत के तीन वर्षों की अवधि के भीतर विद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। उपयुक्त सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार विद्यालय संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्थापित प्रारम्भक विद्यालय भवनों तथा निर्मित अतिरिक्त अध्यापन कक्षों के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय अवसंरचना कार्य हेतु अनुमोदित परिव्ययों के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

बिना भवन वाले विद्यालयों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक विद्यालय
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	2	4
आंध्र प्रदेश	1822	506	3898
अरुणाचल प्रदेश	1075	21	14
असम	63	11	11
बिहार	11595	467	107
चंडीगढ़	1	0	1
छत्तीसगढ़	2874	1736	1450
दादरा और नगर हवेली	18	0	8
दमन और दीव	1	2	1

1	2	3	4
दिल्ली	29	9	108
गोवा	62	14	103
गुजरात	543	770	3231
हरियाणा	68	96	193
हिमाचल प्रदेश	59	31	443
जम्मू और कश्मीर	4667	916	417
झारखंड	3410	258	365
कर्नाटक	306	398	2821
केरल	239	111	204
लक्षद्वीप	6	0	0
मध्य प्रदेश	407	93	3492
महाराष्ट्र	2339	1892	12595
मणिपुर	37	2	14
मेघालय	59	11	55
मिजोरम	10	18	104
नागालैंड	5	0	25
उड़ीसा	1041	57	312
पुदुचेरी	12	2	33
पंजाब	154	537	129
राजस्थान	1727	627	5408
सिक्किम	6	3	2
तमिलनाडु	89	24	496
त्रिपुरा	82	4	4
उत्तर प्रदेश	1975	563	191
उत्तराखंड	171	57	189
पश्चिम बंगाल	2541	270	233
कुल	37496	9508	36661

स्रोत : डी.आई.एस.ई. 2009-10/एस.ई.एम.आई.एस.-2009-10

विवरण-II

प्रारंभिक स्कूल भवनों और अतिरिक्त अध्ययन कक्षों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (दिनांक 30.9.2011 के अनुसार)	
		प्रारंभिक स्कूल भवन	अतिरिक्त अध्यापन कक्ष	प्रारंभिक स्कूल भवन	अतिरिक्त अध्यापन कक्ष	प्रारंभिक स्कूल भवन	अतिरिक्त अध्यापन कक्ष	प्रारंभिक स्कूल भवन	अतिरिक्त अध्यापन कक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	9628	25	2489	13	14955	0	5055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	308	687	174	466	194	829	0	0
3.	असम	0	10758	1518	3455	0	4845	1811	8532
4.	बिहार	2005	8871	0	18502	0	51101	0	4948
5.	छत्तीसगढ़	1719	9739	361	12633	364	6207	78	551
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	2064	0	2206	0	9647	0	11790
8.	हरियाणा	0	2963	0	2064	233	4286	0	674
9.	हिमाचल प्रदेश	0	895	0	0	0	345	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	2392	0	207	600	49	65	0	0
11.	झारखंड	5955	733	887	11622	1713	18550	0	0
12.	कर्नाटक	313	6221	317	3659	129	4749	0	0
13.	केरल	0	202	0	516	6	1289	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1407	17126	596	16200	1273	28748	1	5426
15.	महाराष्ट्र	657	3607	1472	5411	764	8693	0	937
16.	मणिपुर	0	0	0	256	0	0	0	0
17.	मेघालय	1388	199	208	2508	303	247	0	0
18.	मिजोरम	13	196	17	669	0	703	0	0
19.	नागालैंड	5	788	0	831	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1992	6818	1799	4581	1062	6782	0	176
21.	पंजाब	164	1621	620	1810	133	1536	0	311
22.	राजस्थान	0	7798	0	2673	0	7335	0	4819
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	58	0	0
24.	तमिलनाडु	896	6031	789	0	428	2036	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	253	170	240	286	260	865	0	37
26.	उत्तर प्रदेश	7363	17310	1938	8784	1143	8604	0	11305
27.	उत्तराखंड	359	1287	80	658	21	125	16	21
28.	पश्चिम बंगाल	446	9598	382	13141	1744	27340	0	2927
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	12	0	4	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	3	72	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	64	0	12	0	11
33.	दिल्ली	4	175	0	161	2	223	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	2	0	0	0
35.	पुदुचेरी	5	108	2	76	0	19	0	20
	कुल एसएसए	27644	125593	11635	116393	9848	210194	1910	57540

नोट: प्रगति में चल रहे कार्य शामिल हैं।

विवरण-III

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	सर्व शिक्षा अभियान के तहत सिविल कार्य हेतु परिव्यय			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1013.870	709.770	353.815	1167.040
2.	आंध्र प्रदेश	64368.740	34132.981	69412.941	141115.704
3.	अरुणाचल प्रदेश	6240.205	5089.110	7407.760	9396.529
4.	असम	27040	20099.060	40030.584	77644.532

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	156346.114	187824.538	302353.471	558067.668
6.	चंडीगढ़	325.990	759.150	1318.840	1523.250
7.	छत्तीसगढ़	32293.365	34147.181	74895.190	107850.977
8.	दादरा और नगर हवेली	471.980	522.130	617.310	674.860
9.	दमन और दीव	23.010	133.940	138.140	113.440
10.	दिल्ली	1584.620	1256.400	3547.850	5874.490
11.	गोवा	245.010	341.060	418.460	661.360
12.	गुजरात	17304.830	17634.440	47622.720	88358.500
13.	हरियाणा	14357.662	16457.731	30636.451	46571.841
14.	हिमाचल प्रदेश	3277.896	5075.421	8506.510	8293.112
15.	जम्मू और कश्मीर	14367.985	24957.890	32799.628	36687.805
16.	झारखंड	75830.058	64703.065	100924.930	67210.095
17.	कर्नाटक	30239.443	19877.150	48664.329	38619.256
18.	केरल	2596.540	4350.040	1625.685	6043.170
19.	लक्षद्वीप	160.200	81.100	162.760	121.040
20.	मध्य प्रदेश	70885.322	73641.875	160576.288	113402.369
21.	महाराष्ट्र	34730.116	35091.080	62940.077	83884.857
22.	मणिपुर	568.500	1924.520	8243.410	16520.853
23.	मेघालय	8335.960	10694.520	12443.140	25197.033
24.	मिजोरम	2145.400	3467.650	4100.780	5410.640
25.	नागालैंड	1827.800	2180.300	10333.960	11093.094
26.	उड़ीसा	41404.164	51334.525	69808.288	73891.352
27.	पुदुचेरी	478.700	371.000	441.701	640.461
28.	पंजाब	6404.877	10843.140	21984.903	34242.074

1	2	3	4	5	6
29.	राजस्थान	32176.360	22556.844	59390.807	55920.438
30.	सिक्किम	726.705	796.330	1796.385	1586.886
31.	तमिलनाडु	29868.588	15259.800	44830.445	44115.747
32.	त्रिपुरा	2386.745	3214.900	6321.300	6770.702
33.	उत्तर प्रदेश	75667.247	34566.934	134354.610	192418.641
34.	उत्तराखंड	7229.677	6457.600	5341.690	10495.384
35.	पश्चिम बंगाल	44568.050	63030.760	152586.088	164221.007
	कुल	807492.671	773583.934	1536931.247	2035806.205

[अनुवाद]

पीओके चीन का वक्तव्य

394. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री यशवीर सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के प्राधिकारियों ने पीओके को कश्मीर का भाग मानते हुए कोई वक्तव्य दिया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीन के इस कदम का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ङ) चीन कश्मीर को द्विपक्षीय मामला मानता है, जिसका समाधान भारत एवं पाकिस्तान के बीच किया जाना है। सरकार ने चीन पक्ष को भारत के इस स्थायी दृष्टिकोण के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि पाकिस्तान ने 1947 से ही भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ भागों पर अवैध कब्जा किया हुआ है।

[हिन्दी]

बंगलादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि

395. श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितंबर, 2011 के महीने में प्रधानमंत्री के बंगलादेश दौरे के दौरान अंतिम रूप दिए गए तथा हस्ताक्षरित संधियों/समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) प्रधानमंत्री ने 06-07 सितंबर, 2011 को बंगलादेश की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:-

(i) विकास के लिए सहयोग संबंधी रूपरेखा करार।

(ii) भारत और बंगलादेश के बीच भू-सीमा के सीमाकंन एवं संबंधित मामलों से संबंधित करार पर प्रोतोकाल।

(iii) बंगलादेश और नेपाल के बीच उच्च भूमि पर पारगमन यातायात को सुविधाजन बनाने के लिए भारत और बंगलादेश के बीच समझौता ज्ञापन का अनुपूरक।

(iv) सुंदरबन के संरक्षण पर समझौता ज्ञापन।

(v) सुंदरबन के रायल बेंगाल टाइगर पर प्रोतोकाल।

(vi) मात्स्यिकी के क्षेत्र में सहयोग पर प्रोतोकाल।

(vii) पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

(viii) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।

(ix) दूरदर्शन कार्यक्रमों पर परस्पर प्रसारण पर समझौता ज्ञापन।

(x) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली और बीजीएमईए फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (बिफ्ट), ढाका के बीच शैक्षिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के लिए शीघ्र विधिक रूपरेखा तैयार करने के लिए दोनों देशों के बीच एक प्रत्यर्पण संधि संपन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कोयला आपूर्ति हेतु नीति

396. **डॉ. बलीराम :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) वर्ष 2010 में हार्ड कोक विनिर्माण इकाइयों को कोयला आपूर्ति के लिए आश्वासन पत्र (एलओए)/गैर-एसएलसी/एलटी/उपभोक्ताओं हेतु नयी नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हार्ड कोक विनिर्माण इकाइयों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है तथा उक्त कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) कोयले की घटती हुई उपलब्धता को देखते हुए, हाई कोक विनिर्माण ईकाईयों सहित गैर-स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि) श्रेणी के अंतर्गत नए उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की नीति का अनुमोदन कोल इंडिया लि. (सीआईएल) बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) वार्षिक योजना के भाग के रूप में, योजना आयोग का अनुमान है कि 2011-12 के दौरान, देश में कोयले की कुल मांग 696.03 मिलियन टन होगी जिसकी तुलना में स्वदेश में उपलब्धता 559 मिलियन टन होने की संभावना है और इस अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाना है। देश में कोयले की समग्र कमी को देखते हुए, सरकार के लिए इस स्तर पर हाई कोक विनिर्माण ईकाईयों को कोयले की आपूर्ति के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।

शासन में पारदर्शिता

397. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने हेतु कुछ नये उपाय करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन कानूनों की स्थिति का ब्यौरा क्या है जिन्हें संशोधित और अधिक सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 'शासन में नैतिकता' नामक चौथी रिपोर्ट में यथा उल्लिखित 'प्रतिस्पर्धा' को विकसित करने, 'लेनदेनों को सरलीकृत करने', 'पहुंच और दायित्व को सुनिश्चित करने', और 'विवेकशीलता को कम करने' के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों से समयबद्ध ढंग से उपयुक्त नीतियां बनाने के लिए अनुरोध किया गया है। सरकार

में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की दिशा में सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार का एक प्रमुख कदम है। सरकार एक योजना स्कीम के माध्यम से क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करने का संवर्धन कर रही है। सूचना का अधिकार पर स्वत: प्रकटन के प्रभावी कार्यान्वयन संबंधी एक कृत्यक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दी है। लोकपाल विधेयक इस समय संसदीय स्थायी समिति के पास है।

सरकार द्वारा 'शिकायत निवारण हेतु नागरिक अधिकार विधेयक, 2011' नामक एक प्रारूप विधेयक का प्रस्ताव किया गया है और इसे टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिए लोक क्षेत्र में रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लोक सभा में दिनांक 26.8.2010 को मुखबिरों के संरक्षण पर "जन हित प्रकटीकरण एवं प्रकटीकरण विधेयक बनाने वाले व्यक्तियों का संरक्षण अधिनियम, 2010" नामक एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया है। उक्त विधेयक पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभागीय स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया था। स्थायी समिति ने दिनांक 09.06.2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच कर ली गई है और अंतर मंत्रालयीय परामर्श हेतु मंत्रिमंडल के लिए एक मसौदा टिप्पणी परिचालित कर दी गई है।

[अनुवाद]

समूह 'घ' के पदों में खेलकूद कोटा

398. **श्री मनोहर तिरकी :**
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'घ' के पदों पर भर्ती के लिए स्काउट, गाईड, एन.सी.सी. कैडेट और खिलाड़ियों के लिए कोई कोटा अथवा बोनस अंक निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के 'ए' 'बी' 'सी' प्रमाणपत्र धारकों को शामिल नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार एन.एस.एस. प्रमाणपत्र धारकों के लिए भी कोटा अथवा बोनस अंक निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) केंद्रीय सरकार के अंतर्गत समूह पूर्ववर्ती 'घ' पदों सहित समूह 'ग' में सीधी भर्ती की 5 प्रतिशत तक रिक्तियां केवल मेधावी खिलाड़ियों द्वारा भरे जाने के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा आरक्षित की जा सकती हैं।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

दूरसंचार क्षेत्र के पीएसयू की आय

399. **श्री एस. अलागिरी :**
श्री प्रबोध पांडा :
श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की आय और व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान दोनों कंपनियों को हानि हुई है तथा बीएसएनएल को वर्ष 2010-11 के दौरान काफी हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा हानि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार व्यय को कम करने के लिए इन कंपनियों के कुछ कर्मचारियों की छंटनी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

	बीएसएनएल			एमटीएनएल		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
आय (करोड़)	35,812	32,045	29,688	5,250	5,058	3,992
व्यय (करोड़)	34,354	34,078	36,002	4,986	8,477	6,767
निवल लाभ (करोड़)	575	(-) 1,823	(-) 6,384	211	(-) 2,611	(-) 2,802

बीएसएनएल और एमटीएनएल में हानि राजस्व में कमी और व्यय में वृद्धि होने के कारण हुई। राजस्व में कमी के कारण निम्नानुसार हैं:

- ग्राहकों को फिक्स्ड से मोबाइल सेवा में जाना
- मोबाइल क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा
- मोबाइल क्षेत्र में प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में कमी आना

व्यय में वृद्धि होने का प्रमुख कारण मौजूदा विशाल कार्यबल का होना है जिनका वेतन राजस्व का लगभग 50% है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग बीएसएनएल और एमटीएनएल के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है ताकि इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारी जा सके। बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

बीएसएनएल :

- अवसंरचना की अभिसारिता और इसके सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पूंजीगत व्यय और प्रचालनगत व्यय को इष्टतम बनाना।
- सरकारी परियोजनाओं पर अधिक बल देते हुए ब्रॉडबैंड और उद्यम व्यवसाय पर एकीकृत ध्यान देकर स्थायी राजस्व स्रोतों का सुदृढ़ीकरण करना।
- निगरानी के उद्देश्य से शीर्ष 100 शहरों से आने वाले राजस्व पर ध्यान देना।
- ग्राहक सुरक्षा, सेवा सुपुर्दगी, सेवा आश्वासन, राजस्व प्रबंधन और संपदा प्रबंधन पर प्रचालनात्मक रूप से लगातार ध्यान देना।
- डाटा प्रयोग और मूल्य-वर्द्धित सेवाओं पर विशेष बल देना।
- वाणिज्यिक क्रियाकलापों का सामाजिक दायित्व से स्पष्ट पृथक्करण करना ताकि लगातार विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- चालू नेटवर्क का अगली पीढ़ी के नेटवर्क में उत्तरोत्तर रूप से विकास करना ताकि अभिसारिता, सुदृढ़ीकरण और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं तक विभिन्न सेवाओं की निर्बाध सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके।

एमटीएनएल :

- अवसंरचना की अभिसारिता और इसके सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पूंजीगत व्यय और प्रचालनात्मक व्यय को इष्टतम बनाना।
- ग्राहक सुरक्षा, सेवा सुपुर्दगी, सेवा आश्वासन, राजस्व प्रबंधन और संपदा प्रबंधन पर प्रचालनात्मक रूप से लगातार ध्यान देना।
- चालू नेटवर्क का अगली पीढ़ी के नेटवर्क में उत्तरोत्तर रूप से विकास करना ताकि अभिसारिता, सुदृढ़ीकरण और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं तक विभिन्न सेवाओं की निर्बाध सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके।

[हिन्दी]

प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ना

400. योगी आदित्यनाथ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सभी स्थानों को विमान सेवा से कब तक जोड़े जाने की संभावना हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) इस समय, 82 हवाईअड्डों के लिए/से अनुसूचित विमान सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें धार्मिक महत्व के स्थान तथा पर्यटक गन्तव्य स्थल शामिल हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

संबंधित एयरलाइनों द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर घरेलू सेक्टर में प्रचालनों को डि-रेगुलेट तथा उड़ानों का प्रचालन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवाहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन हेतु सरकार द्वारा मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। तथापि यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वह मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों (आरडीजी) के अनुपालन के साथ यातायात की मांग और वाणिज्यक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवा उपलब्ध कराए।

विवरण

विमान संपर्कता

क्र. सं.	राज्य	विमान संपर्कता वाले शहरों के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, राजामुंदरी, त्रिरूपति, विजयवाड़ा, विजाय
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लीलाबाड़ी, सिल्चर, तेजपुर
4.	बिहार	पटना, गया
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर
6.	दिल्ली	दिल्ली
7.	गोवा	गोवा
8.	गुजरात	अहमदाबाद, भावनगर, भुज, जामनगर, कांडला, पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वडोदरा
9.	हरियाणा	—
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, कुल्लू, शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, लेह, श्रीनगर, थोसी
12.	झारखंड	रांची
13.	कर्नाटक	बेंगलूरू, बेलगाम, हुबली, मंगलौर, मैसूर,
14.	केरल	कालीकट, कोचीन, त्रिवेन्द्रम
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खजुराओ
16.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, नांदेड, पुणे
17.	मणिपुर	इम्फाल
18.	मेघालय	शिलांग
19.	मिजोरम	आइजोल
20.	नागालैंड	दीमापुर
21.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
22.	पंजाब	अमृतसर, लुधियाना
23.	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
24.	सिक्किम	—

1	2	3
25.	तमिलनाडु	चेन्नै, कोयम्बत्तूर, मदुरै, त्रिची, तुतीकोरिन
26.	त्रिपुरा	अगरतला
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा, इलाहबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
28.	उत्तराखंड	देहरादून, पंतनगर
29.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा, कोलकाता
		संघ राज्य क्षेत्र
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्टब्लेयर
2.	लक्षद्वीप	अगाती
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
4.	दादरा और नगर हवेली	—
5.	दमन और दीव	दीव
6.	पुदुचेरी	—

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

401. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री जगदीश सिंह राणा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों को अपने सीधे नियंत्रण में लेने के बाद इनके उचित विकास हेतु कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछड़े क्षेत्रों को अपने सीधे नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि किसी क्षेत्र के लिए योजना बनाना और उसका विकास करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय अवसंरचना की मुख्य कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए 2006-07 में अनुमोदित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के माध्यम से कदम उठाए हैं। बीआरजीएफ के दो घटक हैं अर्थात् जिला घटक और राज्य घटक। बीआरजीएफ के जिला घटक के तहत 27 राज्यों के 250 जिले शामिल हैं। बीआरजीएफ के राज्य घटक में फिलहाल बिहार के लिए विशेष योजना, उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट (केबीके) जिलों के लिए विशेष योजना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सूखा उपशमन पैकेज तथा नौ राज्यों के 60 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना शामिल है। बीआरजीएफ के इन दो घटकों के लिए 2011-12 के लिए वर्तमान आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

बीआरजीएफ का घटक		आवंटन
कुल-बीआरजीएफ		**9890.00**
जिला घटक		**5050.00**
राज्य घटक		**4840.00**
(i)	बिहार के लिए विशेष योजना	1470.00
(ii)	उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी-बलांगीर-कोरापुट(केबीके) जिलों के लिए विशेष योजना।	130.00
(iii)	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सूखा उपशमन पैकेज।	1440.00
(iv)	नौ राज्यों के 60 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना।	1800.00

शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

402. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री पी. लिंगम :

श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री गणेश सिंह :
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन में राज्यवार अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अभी तक इस संबंध में किस तरह की सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कारपोरेट क्षेत्र से सहायता लेने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त निधियों का कोई विपथन नहीं हुआ है सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 01 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ है। अब तक 27 राज्यों ने आरटीई अधिनियम के तहत राज्य के नियम अधिसूचित किए हैं जिनमें पांच संघ राज्य शामिल हैं जिन्होंने केन्द्रीय आरटीई नियम अंगीकार किए हैं। ये राज्य निम्नलिखित हैं-

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दमन और दीव चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप।

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के कार्यढांचे और हस्तक्षेप के मानदंडों को आरटीई अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच निधि-भागीदारी का पैटर्न संशोधित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) तीन विकास भागीदारी अर्थात विश्व बैंक, यूनाइटेड किंगडम का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और यूरोपियन कमीशन एसडब्ल्यूएपी (सेक्टर वाइड एरिया प्रोग्राम) के रूप में र्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को आंशिक सहायता प्रदान करते रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन विकास भागीदारों से प्राप्त निधियों का वर्ष-वार विवरण निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विश्व बैंक	डीएफआईडी	ईसी
2002-2003	—	—	151.86
2003-2004	—	162.25	—
2004-2005	621.71	425.94	—
2005-2006	1133.71	504.12	704.15
2006-2007	477.76	434.80	179.35
2007-2008	—	433.70	—
2008-2009	1033.17	346.22	195.98
2009-2010	1702.99	372.44	178.25
2010-2011	1141.19	330.55	119.84
2011-2012	2420.65	505.92	—

(घ) और (ङ) जी, नहीं। किंतु कारपोरेट क्षेत्र शिक्षा के प्रयासों में कारपोरेट सामाजिक दायित्वों के तहत सहायता करने में स्वतंत्र है।

(च) आरटीई-एसएसए कार्यक्रम राज्य की समर्पित पंजीकृत सोसायटियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है जिन्हें केन्द्र से निधियां सीधे उपलब्ध कराई जा रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान को मानीटर करने के लिए कड़ी प्रणाली मौजूदा है जिसमें सांविधिक और वार्षिक वित्तीय लेखापरीक्षा और समवर्ती वित्तीय पुनरीक्षण, कार्यक्रम की प्रगति पर एक स्वतंत्र पुनरीक्षण मिशन, सामाजिक विज्ञान के प्रतिष्ठित संस्थानों और शिक्षा के विश्वविद्यालयीन विभागों के माध्यम से क्षेत्र

स्तर पर निगरानी, मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना और राज्यों द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें शामिल हैं। राज्यों और संघ राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालयों को निधियों के इलेक्ट्रानिक अंतरण की प्रणाली भी मौजूद है।

[अनुवाद]

श्रीलंका में आवासों का निर्माण

403. श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा श्रीलंका को वित्तीय सहायता दिए जाने के लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद उत्तरी श्रीलंका में तमिलों के पुनर्वास हेतु 5% आवास भी नहीं बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अभी तक हुए कार्य की कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य की निगरानी और कार्य को शीघ्र पूरा करने और श्रीलंका को भारत सरकार द्वारा प्रदत वित्तीय सहायता के उपयोग की निगरानी के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) 9 जून, 2010 को भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्रीलंका के उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए 50,000 घरों के निर्माण का एक कार्यक्रम शुरू करने की पहल की घोषणा की। इस पहल के भाग के रूप में परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के साथ श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में 1,000 घरों के निर्माण की एक प्रायोगिक परियोजना अप्रैल, 2011 में शुरू हुई। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1,000 घरों में से श्रीलंका की सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानों पर लगभग 800 घरों का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है। इनमें से लगभग 100 घर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और सौंपे जाने के लिए तैयार हैं, 350 घर स्तर तक हैं और 350 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। श्रीलंका की सरकार द्वारा शेष स्थानों को सौंपने से पूर्व जंगल की सफाई की जानी है। कार्य इस कारण से भी बाधित हुआ है कि कई स्थानों पर वास्तविक निर्माण-कार्य शुरू करने से पूर्व वहां से बारूदी-सुरंग हटाए जाने हैं और निर्माण-स्थलों पर विद्युत और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

(ग) कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग और जाफना स्थित भारत का प्रधान कोंसलावास कार्यकारी एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों, निर्माण-स्थलों का आवधिक निरीक्षण और श्रीलंका की सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर कार्य की प्रगति की नियमित मानीटरिंग कर रहा है। कार्य प्रगति की अक्तूबर, 2011 में विदेश सचिव की श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान भी समीक्षा की गया। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय भी कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कार्यकारी एजेंसियों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन करता है। आवासीय परियोजना में कार्य की प्रगति की देख-रेख करने के लिए एक परामर्शदाता की भी नियुक्ति की गयी है।

बीएसएनएल द्वारा ब्राडबैंड स्पैक्ट्रम को वापस करना

404. श्री संजय दिना पाटील :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने सरकार को ब्राडबैंड वायरलेस एयरवेव्स वापस करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक सरोकारों के अधार पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हरियाणा को छोड़कर सभी लाइसेंस क्षेत्रों में इसे आवंटित ब्राडबैंड बेतार अभिगम (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम को वापस करने की पेशकश की है।

(ग) मामला दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

उच्च शिक्षा में तकनीक का उपयोग

405. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री संजय भोई :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी दो योजनाओं नामत: संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) और राष्ट्रीय नालेज नेटवर्क (एनकेएन) का विलय किया है/करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसका औचित्य क्या है तथा नयी योजना का नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और पालिटेक्निकों को एनएमईआईसीटी के भाग के रूप में उच्च शिक्षा में तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ग-वार कितने संस्थानों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या जिन कालेजों को जोड़ा जाना है उनमें इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त कालेजों में कब तक इंटरनेट सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन योजना के तहत बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। परिकल्पना किए गए 419 विश्वविद्यालयों में आप्टिकल फाइबर के जरिए 1 जीबीपीएस की कनेक्टिविटी पहले ही प्रदान कर दी गई है जैसा कि उन्होंने 25% लागत (पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों के मामले में 10%) वहन करने पर सहमति व्यक्त की है। देश में 25000 कालेजों तथा 2000 पालीटेक्निकों से भी अधिक में 10 एमबीपीएस (512 केबीपीएस के 15-20 नोड्स) तक की कनेक्टिविटी उपलब्ध है बशर्ते वे 25% लागत वहन करने पर सहमत हों।

(ङ) उन कालेजों जो कनेक्टिविटी के लिए सहमत हों, में प्रदान की गई कनेक्टिविटी पर इंटरनेट की सुलभता एक अभिन्न हिस्सा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

हज नीति का संशोधन

406. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री एंटो एंटोनी :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर हज यात्रा को सुगम बनाने तथा इसे विनियमित करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में नए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान मक्का-मदीना की हज यात्रा करने वाले यात्रियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा कोटावार अर्थात सरकारी, टूर आपरेटर और हज समिति कोटे के यात्रियों की संख्या कितनी है;

(ङ) अनुमति देने के लिए निर्धारित राज्य-वार मानदंड क्या हैं;

(च) क्या कोटा बढ़ाने अथवा राज्यों को कोटा आवंटन करने के मामले में भेदभाव बरतने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कोटे के आवंटन के मद्देनजर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) भारत सरकार विगत वर्षों के अनुभव और स्टाक होल्डरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रत्येक हज वर्ष के लिए हज नीति तैयार करती है। चूंकि हज, 2011 अभी प्रगति पर है, इसलिए हज नीति, 2012 को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) जिन हज यात्रियों ने हज, 2011 के दौरान मक्का एवं मदीना का दौरा किया, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार एवं कोटावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) भारतीय हज कमेटी के माध्यम से जाने वाले हजयात्रियों

के लिए हज कोटा का वितरण 2001 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम अबादी के अनुपात में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच किया जा है।

(च) और (छ) जी, हां। ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके पास आबंटित कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके पास आबंटित कोटे से कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण जो अधिशेष सीटें उपलब्ध हुई हैं, उनका वितरण ऐसे राज्यों/संघ राज्यों क्षेखें को किया गया है, जिनके पास उनके कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुस्लिम आबादी के अनुपात के आधार पर भी अतिरिक्त कोटे का वितरण किया जाता है।

विवरण

हज 1432 (एच)-2011

हज 2011 के लिए राज्यवार कोटा और हजयात्रियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	कुर्राह कोटा	पहला अतिरिक्त कोटा (4239)	दूसरा अतिरिक्त कोटा (10000)	अन्य कोटा	कुल कोटा	हज पर गए कुल यात्री (सरकारी कोटा सहित)
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	26	1	3	0	30	30
2.	आंध्र प्रदेश	6137	206	761	0	7104	7522
4.	असम	3951	0	0	0	3951	3615
4.	बिहार	5815	0	0	0	5815	5358
5.	चंडीगढ़	31	1	4	0	36	35
6.	छत्तीसगढ़	360	12	45	0	417	571
7.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	6	0	1	0	7	8
8.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	11	0	1	0	12	14
9.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	1426	48	177	0	1651	2349
10.	गोवा	81	3	10	0	94	100

1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8
11.	गुजरात	4035	136	500	0	4671	5387
12.	हरियाणा	1074	36	133	0	1243	1348
13.	हिमाचल प्रदेश	90	0	13	0	103	78
14.	जम्मू और कश्मीर	5968	1500	740	0	8208	8411
15.	झारखंड	3039	0	0	0	3039	2843
16.	कर्नाटक	5677	191	704	0	6572	7358
17.	केरल	6908	232	856	0	7996	8591
18.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	51	239	6	0	296	304
19.	मध्य प्रदेश	3374	113	418	0	3905	4365
20.	महाराष्ट्र	9023	302	1118	0	10443	12281
21.	मणिपुर	168	5	21	0	194	208
22.	उड़ीसा	669	23	84	0	776	700
23.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	52	2	6	0	60	64
24.	पंजाब	336	10	42	0	388	454
25.	राजस्थान	4207	141	521	0	4869	5276
26.	तमिलनाडु	3049	103	378	0	3530	4084
27.	त्रिपुरा	134	0	0	0	134	123
28.	उत्तर प्रदेश	27004	906	3348	0	31258	32532
29.	उत्तराखंड	889	29	110	0	1028	1109
30.	पश्चिम बंगाल	10410	0	0	0	10410	9783
	एचसी	0	0	0	500	500	
	महरम मामले	0	0	0	400	400	
	खादिमुल हुजाज	0	0	0	300	300	

1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8
	सरकारी कोटा	0	0	0	5561	5561	
	योग	104000	4239	10000	6761	125000	124901
	हज, 2011 के लिए पीटीओ को आबंटित कोटा					45491	
	कुल					170491	

एयर इंडिया द्वारा विमानों की खरीद हेतु ऋण गारन्टी

407. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द यूनाइटेड स्टेट्स एग्जिम बैंक ने एयर इंडिया द्वारा 30 बोइंग विमानों की खरीद में सहायता करने के लिए 1.3 बिलियन रुपए की ऋण गारंटी देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर यह ऋण गारन्टी दी जाएगी;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना अतिरिक्त भार वहन करना होगा;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन विमानों की सुपुर्दगी कब तक किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, हां। अमेरिकी ऐक्जिम बैंक ने एयर इंडिया को बचे हुए 30 विमानों को एयरलाइन द्वारा प्राप्त करने के लिए ऋण की पेशकश की है।

(ख) से (घ) इन ऋणों को भारत सरकार द्वारा राजकीय गांरटी प्राप्त होने के कारण रियायती ब्याज दर पर प्राप्त हैं। सरकार की गारंटी होने के कारण कोई अतिरिक्त भार नहीं है।

(ङ) बोइंग द्वारा उपलब्ध कराई गई अद्यतन डिलीवरी अनुसूची एयरलाइन्स के साथ विचाराधीन है।

पाक जेलों में भारतीय कैदी

408. **श्री शिवकुमार उदासी :**
श्री भाउसाहब राजाराम वाकचौरे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय कैदी हैं;

(ख) जेल की सजा काटने के बाद भी ऐसे कितने लोग वहां की जेलों में बंद हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कैदियों की रिहाई के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कैदियों को कब तक रिहा करा लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 662 भारतीय राष्ट्रिक पाकिस्तान में नजरबंद हैं। इनमें से 219 असैनिक बंदी हैं, 369 भारतीय मछुआरे और 74 गुमशुदा रक्षाकर्मी हैं, जिनमें 54 बंदी वर्ष 1971 से युद्धबंदी हैं। पाकिस्तान की सरकार ने 01 जुलाई, 2011 तक की स्थिति के अनुसार, पाकिस्तान की जेलों में बंद सिर्फ 72 भारतीय असैनिक बंदियों और 237 मछुआरों की उपस्थिति को स्वीकार किया है। पाकिस्तान अपनी जेलों में किसी भी गुमशुदा रक्षाकर्मी की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी उपयुक्त स्तरों पर पाकिस्तानी जेलों में बंद सभी भारतीय बंदियों से संबंधित मुद्दों को निरंतर उठाया है। इस मामले को फरवरी, 2010 में, जून, 2010 और जून, 2011 में विदेश सचिव स्तरीय वार्ताओं में; मार्च, 2011 में गृह/आंतरिक्ष सचिव स्तरीय वार्ता में और जुलाई, 2010 और जुलाई, 2011 में विदेश मंत्री स्तरीय वार्ताओं में उठाया गया है। गृह मंत्री ने भी जून, 2010 में हुई इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान मामले को उठाया था। कैदियों पर दोनों सरकारों को सिफारिशें करने के लिए एक भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति का गठन 26 फरवरी, 2008 को किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मछुआरों की तत्काल रिहाई और कोंसली संपर्क प्रदान करने और एक-दूसरे की जेलों में बंद राष्ट्रिकों की एक समेकित सूची का आदान-प्रदान करने की सिफारिश करना शामिल है। समिति की अब तक चार बैठकें (फरवरी, 2008, जून, 2008, अगस्त, 2008 और अप्रैल, 2011) हो चुकी हैं।

इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग नियमित रूप से पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की स्थिति पर नजर रखता है और इन कैदियों को कोंसली संपर्क प्रदान करने के लिए अनुरोध करता है। एक बार पाकिस्तान की सरकार द्वारा कोंसली संपर्क मंजूर कर लिया जाता है तो इन कैदियों की राष्ट्रीयता के सत्यापन के लिए सत्यापन के लिए सत्यापन के कागजात गृह मंत्रालय को विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाते हैं। भारतीय उच्चायोग नियमित रूप से अपनी सजा पूरी कर चुके इन सभी भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाता है।

सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने वर्ष 2010 में 454 भारतीय मछुआरों और 19 भारतीय असैनिक बंदियों को रिहा है। वर्ष 2011 में आज की तिथि तक पाकिस्तान ने 103 भारतीय मछुआरों और 13 भारतीय असैनिक बंदियों को रिहा किया है।

[हिन्दी]

बिहार का विकास

409. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य घनी आबादी के कारण देश में अन्य राज्यों की तुलना में विकास के मामले में पिछड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय असमानता तथा बिहार को अन्य औसत राष्ट्रीय विकास वाले राज्यों के बराबर लाने के लिए केन्द्र सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) विगत में विभिन्न कारकों तथा विभिन्न विकास सूचकों के मामले में बिहार निम्न निष्पादन वाला राज्य रहा है। तथापि, हाल ही में राज्य ने अखिल भारत तथा अन्य कई राज्यों के स्तर पर औसत विकास दर की तुलना में वास्तविक जीएसडीपी विकास दर में सुधार किया है। बिहार का औसत विकास दर 8.45% के अखिल भारत स्तर की तुलना में 2004-05 से 2010-11 (स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी%) तक 10.91% है।

(ख) भारत सरकार ने विभिन्न कारकों पर ध्यान दिया है तथा बिहार सरकार द्वारा किए गए विकास के प्रयासों को पूरा करने हेतु कदम उठाए हैं। इस संबंध में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1. विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) बनाई गई है। इसे राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के स्थान पर वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया था। बीआरजीएफ के दो घटक नामतः जिला घटक व बिहार के लिए विशेष योजना बिहार में प्रचालन में है। बीआरजीएफ का जिला घटक बिहार में 36 जिलों को कवर करता है। इसके अतिरिक्त अरवाल जिले को जहानाबाद जिला के भाग के रूप में कवर किया गया है। राज्य को किया गया आवंटन तथा बीआरजीएफ के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2011-12 (अब तक) तक जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं-

वर्ष	आबंटन	जारी की गई निधियां
2006-07	522.48	246.46
2007-08	638.99	636.98
2008-09	638.99	721.55
2009-10	638.99	541.49
2010-11	638.99	740.25
2011-12 (16.11.2011 तक)	688.07	196.95

2. **बिहार के लिए विशेष योजना:** विद्युत, सड़क संपर्कता सिंचाई, वानिकी और जलसंभर विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाने के लिए तैयार की गई है। वर्ष 2003-04 में स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् दसवीं योजना अवधि के दौरान विशेष योजना हेतु प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा था। इस आवंटन को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वित्त पोषण हेतु अनुमोदित किया गया था। तथापि, वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक आवंटन बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2011-12 के लिए 1470 करोड़ रुपये (विशेष योजना हेतु शेष राशि) कर दिया गया है। विशेष योजना के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सभी परियोजनाओं की नवीनतम अनुमानित लागत 8753.01 करोड़ रुपये है जिसमें से वर्ष 2010-11 की समाप्ति तक 7285.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त, बिहार के लिए 2010-11 में चयनित जनजातीय व पिछड़े जिलों हेतु एकीकृत कार्य योजना नामक स्कीम का अनुमोदन किया गया था। स्कीम में सात जिलों को कवर किया गया था। आईएपी का कार्यान्वयन वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान प्रति जिला क्रमश: 25 करोड़ रुपये तथा 30 करोड़ रुपये के ब्लाक अनुदान से किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत बिहार को किया गया आबंटन व जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	आबंटन	जारी की गई निधियां
2010-11	175.00 करोड़ (सात जिलों के लिए प्रति जिला 25 करोड़ रुपये)	175.00 करोड़ रुपये
2011-12 (अब तक)	210.00 (सात जिलों के लिए प्रति जिला 30 करोड़ रुपये)	70.00 करोड़ रुपये (सात जिलों जिलों के लिए प्रति जिला 10 करोड़ रुपये)

एयर इंडिया द्वारा प्रदत्त सेवाएं

410. **श्री रामकिशुन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया की खराब उपभोक्ता सेवाओं के कारण उसे अन्य निजी एयरलाइनों की तुलना में भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया में गुणवत्तायुक्त सेवाओं के अभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों को अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की ओर आकर्षित करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) एअर इंडिया एक व्यवसायिक कंपनी होने के नाते अपने विक्रय और यात्रा को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाओं और प्रोमोशनल आफर्स आदि देता है। वर्तमान में मान्य ऑफर्स जैसे- 'गेट अप फ्रन्ट' ऑफर्स, 'सुपर सेवर ऑफर्स', 'वेब डिस्काउंट', 'होलीडेज पैकेजेज', 'सिल्वर और प्लेटिनम पास' और 'कम्पैनियन फ्री स्कीम' ऑफर दिए जा रहे हैं। एयर इंडिया अपने प्रोमोशनल ऑफर्स को विशिष्टता प्रदान करते हुए विज्ञापनों को मेजर प्रिंट, रेडियो और इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित करता है।

तकनीकी शिक्षा में असंतुलन

411. **श्री हरीश चौधरी :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तकनीकी शिक्षा में असंतुलन व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में राज्यवार कितने कालेज तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के उन क्षेत्रों, जहां तुलनात्मक रूप से उक्त कालेजों की संख्या कम है, में तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) तकनीकी संस्थाएं सामान्य तौर पर शैक्षणिक समुदाय, उद्योग तथा जनसाधारण की मांग पर देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं। देश में कुल 81 केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाएं हैं। इन केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.education.nic.in) पर उपलब्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमति प्रदत्त तकनीकी संस्थाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) "कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के तहत पालीटेक्निक उप-मिशन" योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को देश के 300 लाभवंचित तथा कम लाभान्वित जिलों में नई पालीटेक्निक स्थापित करने हेतु किस्तों में प्रति पालीटेक्निक 12.30 करोड़ रु. की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बशर्ते राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए, 100% आवर्ती व्यय और साथ ही 12.30 करोड़ रु. से अधिक का अनावर्ती व्यय, यदि कोई हो, को भी पूरा करे।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1881
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	30
4.	बिहार	61
5.	छत्तीसगढ़	113
6.	दिल्ली	79
7.	गोवा	16
8.	गुजरात	415
9.	हरियाणा	476
10.	हिमाचल प्रदेश	76
11.	जम्मू और कश्मीर	40
12.	झारखंड	45
13.	कर्नाटक	666
14.	केरल	297
15.	मध्य प्रदेश	535
16.	महाराष्ट्र	1455
17.	मणिपुर	3
18.	मेघालय	5
19.	मिजोरम	1
20.	उड़ीसा	282
21.	पंजाब	389
22.	राजस्थान	512
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	1301
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	1033
27.	उत्तराखंड	156
28.	पश्चिम बंगाल	219
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ	12
31.	दादरा और नगर हवेली	3
32.	दमन और दीव	1
33.	पुदुचेरी	27
	कुल योग	10139

[अनुवाद]

नेयवेली लिग्नाइट निगम (एनएलसी) का विस्तार

412. **श्री मानिक टैगोर : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में नेयवेली लिग्नाइट निगम (एनएलसी) का और अधिकार विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गयी है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) ने भारत सरकार द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित तापीय विद्युत परियोजनाओं को तमिलनाडु राज्य में और आगे विस्तार शुरू किया है:-

1. नेयवेली में तापीय विद्युत केन्द्र टीपीएस-II का विस्तार (2x500 मे.वा.)
2. तूतीकोरीन में एनटीपीएल-कोयला आधारित विद्युत केन्द्र (2x500 मे.वा.)
3. नेयवेली में नया नेयवेली तापीय विद्युत केन्द्र (2x500 मे.वा.) जो कार्यान्वयन के अधीन है।

(ग) इन परियोजनाओं के लिए अनुमानित परियोजना लागत निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	परियोजना	परियोजना लागत करोड़ रु. में
1.	नेयवेली में टीपीएस-II का विस्तार	2453.57
2.	तूतीकोरीन में एनटीपीएल	4909.54
3.	नेयवेली में नया नेयवेली तापीय विद्युत केन्द्र	5907.11

(घ) वह समय तब जक ये परियोजनाएं पूरे किए जाने की संभावना हैं, नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

क्र.सं.	परियोजना	समय-कार्यक्रम
1.	नेयवेली में टीपीएस-II का विस्तार	ईकाई-I-दिसम्बर, 2011 एवं ईकाई-II जुलाई, 2012
2.	तूतीकोरीन में एनटीपीएल	ईकाई-I-फरवरी, 2013 एवं ईकाई-II जनवरी, 2013
3.	नेयवेली में नया नेयवेली तापीय विद्युत केन्द्र	ईकाई-I-जून, 2015 एवं ईकाई-II दिसम्बर, 2015

[हिन्दी]

गरीब लोगों की संख्या

413. **श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीब लोगों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार और इस समय देश में गरीब लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2011 की 121 करोड़ की जनगणना में गरीब लोगों की संख्या कितनी होगी;

(ङ) सरकार ने इन गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(च) अगले वर्ष कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) तेंदुलकर समिति द्वारा परिगणित नवीनतम गरीबी आकलनों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी अनुपात 1993-94 में 45.5% था जो 2004-05 में घटकर 37.2% रह गया। किंतु, समग्र रूप से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या 1993-94 में 40.34 करोड़ थी जो 2004-05 में आंशिक रूप से बढ़कर 40.74 करोड़ हो गई क्योंकि जनसंख्या में 23.02% की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2004-05 के दौरान, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) योजना आयोग पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर एक वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण से गरीबों की संख्या के अनुपात का आकलन करता है। यह सर्वेक्षण लगभग पांच वर्ष के अंतराल के पश्चात्, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया जाता है। योजना आयोग पारिवारिक उपभोग व्यय संबंधी 2009-10 के सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर संशोधित गरीबी का आकलन करने की प्रक्रिया में है जो अब उपलब्ध है। वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श के 68वें दौरे का परिणाम उपलब्ध होने के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

सरकार ने जीवन-स्तर को बेहतर बनाने और देश में गरीबी घटाने के लिए कई उपाय किए हैं जिसके तहत गरीबी न्यूनीकरण संबंधी विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा प्रत्यक्ष अंत:क्षेप किया जाता है, यथा- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन की योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीमें, राजीव गांधी पेयजल मिशन, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान आदि। देश के सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतर विकास के लिए उत्तरदायी सरकार की अन्य सभी नीतिगत पहलों ने भी अलग-अलग और सामूहिक रूप से, लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में तथा पूर्ण गरीबी तथा निराश्रयता में कमी लाने में समय-समय पर योगदान किया है।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या
(लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 में
1	2
आंध्र प्रदेश	238.4
अरुणाचल प्रदेश	3.6
असम	97.3
बिहार	486.0
छत्तीसगढ़	110.0
दिल्ली	20.3
गोवा	3.6
गुजरात	172.0
हरियाणा	55.1
हिमाचल प्रदेश	14.6
जम्मू और कश्मीर	14.2
झारखंड	130.7
कर्नाटक	185.8
केरल	65.1
मध्य प्रदेश	317.0
महाराष्ट्र	393.3
मणिपुर	8.7
मेघालय	3.9
मिजोरम	1.4
नागालैंड	1.9
उड़ीसा	220.0
पुदुचेरी	1.5
पंजाब	53.7
राजस्थान	210.1
सिक्किम	1.8
तमिलनाडु	186.9
त्रिपुरा	13.7
उत्तर प्रदेश	735.0
उत्तराखंड	29.7
पश्चिम बंगाल	289.2
अखिल भारतीय	4074.2

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर चोरी के मामले

414. श्री जगदीश शर्मा :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010 और 2011 के दौरान और आज की तिथि तक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्रियों के सामान चोरी के कितने मामले हुए हैं;

(ख) चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और उक्त प्रत्येक मामले में चुराए गए सामान का मूल्य क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान एयर इंडिया ने दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ में ऐसे कितने मामलों की सूचना दी;

(घ) क्या संबंधित सुरक्षा एजेन्सियों ने सामान की सुरक्षा और अन्य सुरक्षा से संबद्ध पहलुओं के संदर्भ में अपनी भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट की हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या एयर इंडिया की सामान ट्रोलियां खुली होती हैं, जबकि अन्य एयरलाइनों की ट्रोलियां बंद होती हैं; और

(छ) यदि हां, तो बंद ट्रोलियों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं और सरकार/एयर इंडिया ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) वर्ष 2010 और 2011 (आदिनांक तक) के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री लाउंज से चोरी के मामलों की संख्या क्रमश: 16 और 25 है।

(ख) चोरी बी बढ़ती घटनाओं के कारण और ऐसे मामलों की गंभीरता, स्थिति और इनके घटने के स्थानों के आधार पर घट-बढ़ जाती है। चोरी हुए प्रत्येक सामान की कीमत का कोई आकलन न होने के कारण चोरी हुए समान की अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता।

(ग) एयर इंडिया और सी आई एस एफ द्वा दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या क्रमश: 02 और 01 है।

(घ) और (ङ) जी, हां। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने सीसीटीवी की स्थापना और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा इन सीसीटीवी की मानीटरिंग के संबंध में एवीएसईसी परिपत्र सं. 33/2003 जारी किया है। सीआईएसएफ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने सविलांस स्टाफ को सादे कपड़ों में भी तैनात कर रही है। बीसीएएस द्वारा एवीएसईसी आदेश 05/2009 जारी किया गया है, जिसके द्वारा एयरलाइनों को बैगेज, कार्गो और विमानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा स्टाफ तैनात करने के लिए कहा गया है।

(च) और (छ) एयर इंडिया की अधिकांश ट्रोली कवर्ड हैं और जो ट्रालियां खुली हैं उन्हें मानसून के दौरान टरपालीन शीटों से ढका जाता है। बंद ट्रालियां भी एक साइड से खुली होती हैं।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय छात्र

415. श्री एस. सेम्मलई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा का विकल्प चुन रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुविधाओं और शिक्षण और शिक्षण संकाय का अभाव इसके कारण बताए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सुविधाओं और शिक्षण संकाय में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए विदेशी संकाय सदस्यों की सेवाएं लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश अथवा विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना व्यक्तिगत पसंद का मामला है और यद्यपि सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेशी शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं, परन्तु ऐसे छात्रों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। उच्चतर शिक्षा के अवसरों की भारी मांग के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है और इस मांग को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा कई सुधार प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं, विशेषत: कई नई संस्थाएं स्थापित की गई हैं तथा मौजूदा संस्थाओं में सुधार किए गए हैं जिनमें अभिशासन, शैक्षिक तथा विनियमन क्षेत्रों से संबंधित मामले शामिल हैं।

(ङ) और (च) शैक्षिक संस्थाएं स्वायत्त होती हैं और वे उन्हें संचालित करने वाले सांविधिक उपबंधों के अनुसार संकाय सदस्यों की सेवाएं लेती हैं।

गांवों के लिये विकास योजना

416. श्री रामसिंह राठवा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गांवों के सुनियोजित विकास के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवश्यक ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के आशय से बनाई गई समयबद्ध योजना भारत निर्माण का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ताि अभिप्रेत लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें अब तक विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कितने परिवारों को अभी भी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना है तथा उन्हें कब तक विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार गांवों के योजनाबद्ध विकास के लिए कई स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसमें अन्य स्कीमों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

(i) भारत निर्माण (छः घटक अर्थात् ग्रामीण पेयजल-राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), भारत निर्माण-ग्रामीण टेलीडेंसिटी तथा ब्राडबैंड कवरेज, ग्रामीण सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और सिंचाई-एआईबीपी)

(ii) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

(iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीए)

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं हेतु प्रावधान (पीयूआरए)

(v) केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम

(vi) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

(vii) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

(viii) राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन मिशन (एनआरएलएम)

(ix) पंचायतों की ब्रॉडबैंड सम्पर्कता के लिए राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क सृजन हेतु सकीम

(ग) और (घ) भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के लक्ष्यों की प्राप्ति में की गई प्रगति अलग-अलग राज्यों में भिन्न है। भारत निर्माण कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय व जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यान्वयन मंत्रालय अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा यदि आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करते हैं। इन स्कीमों की निगरानी हेतु प्रमुख उत्तर दायित्व संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों का है। तथापि, इन स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की भी नियमित आधार पर योजना आयोग के सदस्यों की अध्यक्षता में क्षेत्रकीय अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकों में समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, चयनित फ्लैगशिप कार्यक्रमों/पहलों/आइकॉनिक परियोजनाओं के निष्पादन की समीक्षा करने हेतु पीएमओ में एक डिलीवरी मानीटरिंग यूनिट (डीएमयू) की स्थापना की गई है। संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के वेबसाइट पर डीएमयू रिपोर्टें उपलब्ध है। योजनाओं के मध्यावधि मूल्यांकन में भी स्कीमों की समीक्षा की जाती है तथा मिड-कोर्स सुधार हेतु सुझाव दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य उपयोगिता प्रमाण पत्र व अन्य रिपोर्टें जारी करते हैं जो समय-समय पर सीएसएस कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को निर्धारित किए जाते हैं जो आगे निधियां जारी करने हेतु आधार बनती है।

(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे परिवारों की राज्य-वार संख्या जिन्हें अब तक विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को अभी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाना है तथा उन्हें कब तक विद्युत कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा, के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डीएमयू-पीएमओ की तिमाही रिपोर्ट

भारत निर्माण-ग्रामीण विद्युतीकरण

(30/09/11 की स्थिति के अनुसार)

बी. बीपीएल परिवार विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संचयी उपलब्धि	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य*	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	592200	566518	85000	258751	96855	52559	2700896	2656600
2.	अरुणाचल प्रदेश	2820	967	5000	9205	10638	7849	40810	18021
3.	असम	206800	189816	265000	352237	315819	122457	983587	697228
4.	बिहार	310200	560985	660000	641016	717358	81853	2725282	1825951
5.	छत्तीसगढ़	103400	145990	175000	196552	334460	34961	778075	468397
6.	गुजरात	160740	85931	95000	420126	138987	60639	848398	761323
7.	हरियाणा	80355	69453	40000	90535	33139	9062	224073	192887
8.	हिमाचल प्रदेश	564	148	1000	3637	4364	3843	12448	8020
9.	जम्मू और कश्मीर	8460	14163	20000	8452	19793	8770	99925	39371
10.	झारखंड	578100	555289	415000	259213	466502	46524	1805317	1207682
11.	कर्नाटक	236880	134949	35000	48861	72281	32716	880199	817308
12.	केरल	5740	6131	0	1117	18517	0	54614	17238
13.	मध्य प्रदेश	238001	75477	245000	211816	658498	159164	1378256	523582
14.	महाराष्ट्र	329000	429026	250000	403387	150000	93349	1344087	1127764
15.	मणिपुर	3760	1640	20000	4397	37976	2125	107369	11518
16.	मेघालय	4230	17832	20000	12880	27502	6692	109478	38668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मिजोरम	6580	378	5000	8129	8910	2498	27417	11005
18.	नागालैंड	3760	4368	10000	13434	18097	6720	69899	24522
19.	उड़ीसा	761400	650678	1290000	1435007	1060424	207769	3199270	2437582
20.	पंजाब	37600	19507	20000	28890	0	0	148860	48397
21.	राजस्थान	258500	208695	133000	255939	133399	48504	1144590	1006243
22.	सिक्किम	940	66	1000	7121	3271	1614	11458	8801
23.	त्रिपुरा	6110	22085	55000	36886	49066	10854	123037	69825
24.	तमिलनाडु	141000	383533	75000	115044	0	10	498873	498883
25.	उत्तर प्रदेश	37600	157263	0	15818	0	18820	871920	980740
26.	उत्तराखंड	37600	72382	0	19596	0	3405	225270	228675
27.	पश्चिम बंगाल	547660	345198	780000	925309	824144	258086	2645310	1624993
	कुल	4700000	4718468	4700000	5883355	5200000	1280843	23058718	17261224

*संशोधित कवरेज (अनंतिम)

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

417. **श्री अंजनकुमार एम. यादव :**
श्री यशवंत लागुरी :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के बावजूद सरकार ने अज्ञात शिकायतों पर अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार के क्या नियम हैं; और

(ग) उपरोक्त आयोगों द्वारा सिफारिशों के बावजूद इस मामले में पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) संघ लोक सेवा आयोग अपना अधिदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 से प्राप्त करता है तथा इसके कार्यों में अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें, अनाम या अन्यथा, को स्वीकार करना या उन पर विचार करना शामिल नहीं होता है। केवल केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ही शिकायतों से संबंध रखता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने, अपने परिपत्र संख्या 3(v)/99/2 दिनांक 29.06.1999 के द्वारा आदेश दिया है कि किसी भी अनाम अथवा छद्म शिकायत पर कोई भी कार्रवाई न की जाए तथा उनका मात्र फाइल में लगा दिया जाए। अपने बाद के परिपत्र संख्या 98/डीएसपी/9, दिनांक 11.10.2002 में, जबकि पूर्व अनुदेशों को दोहराते हुए सीवीसी ने आगे निदेश दिया था कि यदि कोई विभाग/संगठन ऐसी शिकायतों में आरोपित किसी सत्यापन योग्य तथ्यों की जांच करने का प्रस्ताव करता है तो यह इसमें संलिप्त कर्मचारियों के स्तर पर विचार किए बिना, मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा संगठन

के अध्यक्ष के माध्यम से इसकी सहमति मांगते हुए मामले को आयोग को भेज सकता है।

(ख) संघ सरकार ने अधिकारियों के विरुद्ध अनाम शिकायतों से संबंधित मामलों पर कोई नियम नहीं बनाए हैं। तथापि, दिनांक 29 सितंबर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, सरकार ने अनाम एवं छद्म शिकायतों से निपटने संबंधी अनुदेश जारी किए हैं। उक्त कार्यालय ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनाम/छद्म शिकायतों पर सामान्यतया कोई कार्रवाई प्राधिकृत नहीं की जाती है तथा उन्हें केवल फाइल में लगाया जाता है तथा कि विभाध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी के विशिष्ट आदेशों से सत्यापन योग्य आरोपों को समाविष्ट करने वाली अनाम/छद्म शिकायतों को स्वीकार किया जाता है।

(ग) आंकड़ों का केंद्रीयकृत रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता

418. **श्री अब्दुल रहमान :**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि देश के पांच राज्यों में छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि शिक्षा के लिए सरकार के और अधिक निधियन से उनके नामांकन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) आकलन सर्वेक्षण मूल्यांकन अनुसंधान (एएसईआर) केन्द्र जो 'प्रथम नेटवर्क' नामक गैर सरकारी संगठन की एक स्वतंत्र इकाई है, ने संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के सहयोग से ग्रामीण भारत में शिक्षण तथा अध्ययन विषय पर संचालित एक अध्ययन के बारे में "इनसाइड प्राइमरी स्कूल: ए स्टडी आफ टीचिंग एंड लर्निंग इन रूरल इंडिया" शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। इस अध्ययन के तहत पांच राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड तथा राजस्थान में स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूलों को शामिल किया गया और लगभग 900 स्कूलों में कक्षा 2 तथा कक्षा 4 में अध्ययनरत 30,000 ग्रामीण बच्चों को नमूने के तौर पर लिया गया। इस अध्ययन में यह गौर किया गया है कि पिछले दो दशकों में भारत में स्कूल भवनों, अध्यापन कक्षों, शिक्षकों, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के मामले में सराहनीय प्रगति हुई है और इसी के अनुरूप दाखिले में अत्यंत उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। एक वर्ष के दौरान बच्चों के अध्ययन स्तर में सुधार पर गौर करते हुए अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकांश बच्चे भाषा तथा गणित विषयों में अपेक्षित दक्षता स्तर से दो ग्रेड नीचे हैं। इस अध्ययन में कुछ सिफारिशें की गई हैं जिनमें यह भी सिफारिश शामिल है कि पाठ्यपुस्तकों की विकास की दृष्टि से और अधिक उपयुक्त होना चाहिए जिन्हें पढ़कर बच्चों से सीखने की उम्मीद की जाती है।

(ग) से (ङ) सरकार प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एक अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के लिए अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के समनुरूप अच्छी गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु बाध्यता निश्चित करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया भारत के संविधान में उल्लेख किए गए मूल्यों के अनुसार होगी और यह बच्चे के समग्र विकास, बच्चे का ज्ञान बढ़ाने, क्षमता और प्रतिभा, कार्यकलापों द्वारा अध्ययन के लिए व्यवस्था करने, आविष्कार और अनुसंधान को ध्यान में रखेगी और बच्चे को भय, मानसिक आघात और चिंता से मुक्त बनाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपअंधों के समनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु बहुत से कदम उठाए गए हैं जिनमें अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति

करना, शिक्षकों को सेवा के दौरान आवधिक प्रशिक्षण देना, पाठयपुस्तकों का निःशुल्क वितरण करना, ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा कलस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को नियमित शैक्षिक सहायता देना और गणित तथा भाषा के लिए अध्ययन संवर्धन कार्यक्रमों के लिए सहायता मुहैया कराना शामिल है।

[हिन्दी]

विदेशों में रहने वाली महिलाओं के लिए गैर-सरकारी संगठन

419. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्रीमती रमा देवी :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में रह रही भारतीय महिलाओं को कितने गैर-सरकारी संगठन और कानूनी टीमें कानूनी सहायता प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में रह रही उन महिलाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है, जिन्हें सरकार द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की गयी और उन्हें किस प्रकार की सहायता प्रदान की गयी?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) उनके प्रवासी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के पास सूचीबद्ध भारतीय महिला संगठनों/भारतीय समुदाय एसोसिएशनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) योजना के अंतर्गत, संबंधित देशों में भारतीय मिशन, विश्वसनीय भारतीय महिला संगठनों/भारतीय समुदाय एसोसिएशनों/गैर-सरकारी संगठनों और उनके सदस्य एडवोकेटों, खासकर महिलाओं को, विपद्ग्रस्त पीड़ितों को और जिनके नाम प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने अनुमोदित किए हैं, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध करते हैं।

(ग) उन मामलों की संख्या, जहां विपद्ग्रस्त, जरूरतमंद महिलाओं, जो उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा छोड़ दी गई हैं, को काउन्सिलिंग और कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के अंतर्गत, गत 3 वर्षों में विदेशों में रहने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय/कानूनी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठन, विभिन्न प्रकार की सहायता, जैसे विदेश में रहने वाली अनिवासी भारतीय विवाहों की पीड़ितों को कानूनी और मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिंग प्रदान करना, धोखेबाजी के मामलों में न्यायालय के बाहर मामला निपटाने की व्यवस्था करना, विदेशी न्यायों में मुकदमा दायर करने में पीड़ितों की सहायता करना, स्थानीय प्राधिकरणों से मध्यस्थता करना आदि, प्रदान करते हैं।

विवरण-I

प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों के पास सूचीबद्ध भारतीय महिला संगठनों/भारतीय समुदाय एसोसिएशनों/गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र. सं.	भारतीय मिशन	भारतीय मिशनों/पोस्टों के पास सूचीबद्ध भारतीय महिला/गैर-सरकारी संगठन
1	2	3
1.	भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डीसी, यू.एस.ए.	आशा (एशियन वीमेन्स सेल्फ-हेल्प एसोसिएशन, पो. बाक्स 2084, राकवीले, एमडी 20847-2084
2.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, सेन फ्रांसिस्को, यू.एस.ए.	(i) माइरी, 234, ईस्ट गिश रोड़, सूइट 200, सेन जोस, सीए 95112
		(ii) नारिका, पोस्ट बाक्स नं. 14014, बारकेले, सीए 94714

1	2	3
		(iii) सेवा लीगल एड 37053 चेरी स्ट्रीट # 207 नेवार्क, सीए 94560 ई-मेल : anu@worldwideibs.com
3.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, न्यूयार्क, यू.एस.ए.	(i) सखी, न्यूयार्क (ii) अवेक, (एशियन वीमेन्स अलाइंस फार किनशिप एंड इक्वालिटी) (iii) मानवी, न्यू जर्सी (iv) सेवा (सर्विस एंड एजूकेशन फार वीमेन अगेंस्ट अब्यूज) फिलडेल्फिया (v) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ बुफेलो (vi) एशियन वीमेंस सेफ्टी नेट (vii) स्नेहा इंक; पोस्ट बाक्स नं. 271650 वेस्ट हार्टफोर्ड, सीटी-06127
4.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, शिकागो, यू.एस.ए.	अपना घर इंक,(अवर होम), शिकागो
5.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, हस्टन, यू.एस.ए.	दया इंक, 5890 प्वाइंट वेस्ट डा. हस्टन, टी.एक्स 77036
6.	भारतीय दूतावास, दोहा, कतर	इंडियन कम्यूनिटी बेनेवोलेंट फंड (आईसीबीएफ), दोहा, कतर
7.	भारतीय उच्चायोग, केनबरा, आस्ट्रेलिया	फेडरेशन आफ इंडियन कंयूनिटीज आफ क्वीनसलैंड इंक (एफआईसीक्यू) ब्रिसवन।
8.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, मेलबर्न	(i) द इंडियन वेलफेयर एंड रिसोर्सिस सेन्टर (आईडब्ल्यूआरसी), द वेलफेयर विंग आफ फेडरेशन आफ इंडियन एसोसिएशन आफ विक्टोरिया, मेलबर्न। (ii) फेडरेशन आफ इंडियन एसोसिएट्स आफ विक्टोरिया इंक (एफआईएवी), मेलबर्न
9.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, सिडनी, आँस्ट्रिलिया	यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन इंक, पोस्ट बाक्स नं. 575, स्ट्रेटफीड, एनएसडब्ल्यू-2135,
10.	भातीय उच्चायोग, ओटावा, कनाडा	(i) इंडियन कनाडा एसोसिएशन, 1301, प्रेस्टोन ड्राइव, ओटावा, ओएन के1ई, 2जेड2

1	2	3
		(ii) ओटावा कम्यूनिटी इमीग्रेन्ट सर्विसेज आर्गेनाजेशन, 959 वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट, ओटावा, ओएन के1वाई 2एक्स5
		(iii) नेशनल एसोसिएशन आफ केनेडियन्य ऑफ इंडियन ओरिजिन, 24 सेंट-पाल ईस्ट, सूईट 201, मान्ट्रीयल, क्यूसी एच2वाई 1जी3
		(iv) एडब्ल्यूआईसी कम्यूनिटी एंड सोशल सर्विसिस 3030 डोन मिल्स रोड, पीनट प्लाजा, नोरहट यार्क, ओएन एम2जे 3सी1
11.	भारतीय दूतावास, बहरीन	माईग्रेन्ट वर्कर्स प्रोटेक्शन सोसाइटी (एमडब्ल्यूपीएस)
12.	भारतीय उच्चायोग, वेलिंगटन, न्यूजीलैंड	शक्ति कम्यूनिटी काउन्सिल इंक., आकलैंड
13.	भारतीय उच्चायोग, लंदन, ब्रिटेन	गुड ह्यूमन फाउंडेशन, 42 ईटन हाऊस, 39-40 अपर ग्रासवेनर स्ट्रीट, लंदन, डब्ल्यू 1 के 2 एनजी

विवरण-II

उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाओं के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा प्रदान की गई कानूनी एवं वित्तीय सहायता का ब्यौरा

क्र. सं.	मिशन/पोस्ट का नाम	गैर-सरकारी संगठन का नाम	मामलों की कुल संख्या	प्रदान की गई सहायता की कुल राशि
1	2	3	4	5
1.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, सेन फ्रांसिस्को,	सेवा लीगल एंड नारिका	2008-09 2 (दो)	रु. 86,380/-
		मैत्री	2010-11 2 (दो)	रु. 1,37,790/-
2.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, न्यायर्क,	स्नेहा इंक	2008-09 1 (एक)	रु. 49,030/-
3.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, शिकागो,	अपना घर	2010-11 1 (एक)	रु. 56,000/-
4.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, सिडनी,	यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन इंक, पोस्ट बाक्स न. 575, स्ट्रेटफीड, एनएसडब्ल्यू-2135	2010-11 1 (एक)	रु. 67,500/-

1	2	3	4	5
5.	भारतीय उच्चायोग, वेलिंगटन,	शक्ति कंयूनिटी काउन्सिल इंक.,	2008-09 4 (चार)	रु. 1,75,600/-
			2009-10 5 (पांच)	रु. 3,51,825/-
			2010-11 3 (तीन)	रु. 2,07,360/-
6.	भारतीय उच्चायोग, लंदन,	मै. गुड ह्यूमन फाउन्डेशन	2010-11 36 (छत्तीस)	रु. 12,17,503/-

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव

420. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय :**
श्री नरहरि महतो :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास आयोग को उत्तर पश्चिम परिषद (एनईसी) से अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के विकास से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की भूमिका पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करना है। एनईसी अपनी योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के सदस्य राज्यों द्वारा कार्यान्वियन के लिए परियोजनाएं शुरू करती रहती है।

एनईसी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाएं अंतर्राज्यीय हैं, जिनमें दो या अधिक राज्य शामिल होते हैं। यद्यपि क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं को विशेष राज्य में आस्थगित किया जा सकता है, उनके लाभ सदस्य राज्यों द्वारा उठाये जाते हैं।

प्रक्रिया के अनुसार, एनईसी योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा मंजूरी हेतु योजना आयोग के सैद्धांतिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

एनईसी ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 56 सड़क परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव किया है। जांच करने के पश्चात् योजना आयोग ने 25 परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया। इनमें से अब तक 15 परियोजनाओं को ईएफसी/एसएफसी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को कवर करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीआरएमपी) को सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है।

वर्तमान समय में 5 हवाईअड्डों (गुवाहटी, जोरहट, इंफाल, बारापानी और डिबरूगढ़) के विकास के प्रस्ताव की योजना आयोग द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

सार्वभौमिक स्वास्थ्य हेतु विशेष कृतक बल

421. **श्रीमती सीमा उपाध्याय :**
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री महेश्वर हजारी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्सा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर योजना आयोग द्वारा

गठित विशेष कृतक बल ने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने के लिए नया उपकर लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित बीमा योजना की विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है और प्रस्तावित बीमा योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितना प्रतिशत खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) भारत में विकसित देशों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं पर तुलनात्मक रूप से कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) संबंधी एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) का गठन किया गया था। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एचएलईजी) की संगत सिफारिशें (पृष्ठ 12) निम्नानुसार है:

सिफारिशें 3.13 : स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में सामान्य कराधान का प्रयोग करें - वेतनभोगी तथा कर दाताओं से कर योग्य आय के अनुपात के रूप में अथवा वेतन के अनुपात के रूप में स्वास्थ्य देखभाल हेतु अतिरिक्त अनिवार्य कटौती से पूरा किया जाएगा।

एचएलईजी ने कहा है कि सामान्य कराधान स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने हेतु लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधनों का जुटाव करने तथा वित्तीय सुरक्षा हेतु तंत्र के सृजन के लिए अत्यधिक व्यवहार्य विकल्प है।

एचएलईजी ने कहा है कि अनुमानित आर्थिक विकास दर, कर-संग्रहण में आशातीत सुधार तथा संगठित क्षेत्रक आधार और कर-दाता आधार में अपेक्षित बढ़ेतरी को देखते हुए कराधान से अतिरिक्त राजस्व जुटाव के लिए संभाव्यता अधिक है।

एचएलईजी ने आगे कहा है कि यह उपयुक्त होगा कि यूएचसी के भुगतान के लिए विशिष्ट सरचार्ज अथवा कर योग्य आय से सामान्य कराधान को पूरा किया जाए तथा समाज के सभी वर्गों का कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल किया जाए। जबकि कर के जीडीपी अनुपात में सुधार करना आवश्यक है अत: स्वास्थ्य के लिए समग्र सार्वजनिक खर्च के शेयर को बढ़ाना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

एचएलईजी के रिपोर्ट की जांच की जा रही है तथा सरकार द्वारा अनुमोदित सिफारिशें बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा भारत, 2004-05 के अनुसार, वर्ष 2004-05 के दौरान कुल स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का 4.25% है। प्रस्तावित स्कीम के कार्यान्वयन से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय जीडीपी के वर्तमान स्तर 1.2% से बारहवीं योजना की समाप्ति तक 2.5% तक बढ़ेगी।

(घ) डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य सांख्यिकी 2011 के अनुसार विकसित देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी व्यय की तुलनात्मक प्रतिशतता निम्नानुसार है।

देश का नाम	जीडीपी के % के रूप में स्वास्थ्य संबंधी कुल व्यय (वर्ष 2008)
भारत	4.2
अमरीका	15.2
इंग्लैंड	8.7
चीन	4.3
जापान	8.3
फ्रांस	11.2
आस्ट्रेलिया	8.5
रूस	4.8
कनाडा	9.8

स्रोत : डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य सांख्यिकी '2011

[अनुवाद]

यू.आई.डी. नम्बर जारी करने में बाधाएं

422. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश :**
श्री के.पी. धनपालन :

श्री एंटो एंटोनी :

श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों और शिशुओं के फिंगरप्रिंट पढ़ने में विफल रही बायोमिट्रिक मशीनों के कारण नागरिकों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या तैयार करने और उन्हें जारी करने का कार्यप्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बायोमिट्रिक मशीनों द्वारा फिंगरप्रिंट पढ़ने में आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विशिष्ट पहचान संख्या तैयार करने और उन्हें जारी करने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इन बाधाओं और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) 31 अक्तूबर, 2011 की f[illegible] के अनुसार राज्य-वार कुल कितने लोगों को यू.आई.डी. कार्ड/नम्बर जारी किए जा चुके हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 5 वर्ष से नीचे के बच्चों के फिंगरप्रिंट एकत्र नहीं किए जाते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया इस प्रकार से तैयार की गई है कि सभी उम्र के वर्गों के लोगों का बायोमिट्रिक लिया जा सके।

(घ) जी, हां।

(ङ) यूआईडीएआई ने 15-11-2011 तक 6.73 करोड़ आधार संख्याएं जारी कर दी है। पंजीयकों द्वारा पंजीकरण की जा रही है जैसे राज्य सरकार के विभाग, बैंक, वित्तीय संस्थान एवं केंद्रीय सरकार की एजेंसियां जो पंजीकरण एजेंसियों के माध्यम से बायोमिट्रिक एवं जनांकिकी आंकड़े एकत्र करती हैं।

(च) निवासियों को पत्रों की प्रिंटिंग व डिलीवरी में विलंब को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है।

(छ) 31-10-2011 के अनुसार राज्य-वार व पंजीयक-वार जारी आधार संखाएं संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	पंजीयक का नाम	जारी किए गए आधार की कुल संख्या
1	2	3
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	2272342
2.	कर्नाटक सरकार	5133042
3.	मध्य प्रदेश सरकार	1366327
4.	महाराष्ट्र सरकार	13301266
5.	झारखंड सरकार	3330559
6.	त्रिपुरा सरकार का ग्रामीण विकास विभाग	2480901
7.	केरल सरकार	244385
8.	हिमाचल प्रदेश सरकार	1339292
9.	आईटीसी विभाग, राजस्थान सरकार	490
10.	सिक्किम सरकार	122319
11.	आंध्र प्रदेश सरकार	
12.	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	374664
13.	एफसीएस पंजाब सरकार	2302860
14.	गोवा सरकार	15369
15.	हरियाणा सरकार	78873

1	2	3
16.	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	71155
17.	बैंक आफ महाराष्ट्रा	44921
18.	यूनियन बैंक	1761978
19.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1380855
20.	इंन्डियन ओवरसीज बैंक	16095
21.	भारतीय स्टेट बैंक	9805274
22.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	309550
23.	नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि.	1741812
24.	जीवन बीमा निगम	310110
25.	बैंक आफ इंडिया	257114
26.	इंडियन बैंक	30539
27.	केनरा बैंक	57245
28.	इलाहाबाद बैंक	19064
29.	छत्तीसगढ़ सरकार-एफसीएससीपी एंड एल	2306
30.	इग्नू	996
31.	भारत का महापंजीयक-बीईएल	102196
32.	नागरिक आपूर्ति-अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17855
33.	सिंडिकेट बैंक	12438
34.	बैंक आफ बडौदा	213753
35.	भारतीय डाक	798955
36.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2659
37.	जम्मू और कश्मीर बैंक	669
38.	आईडीबीआई बैंक	1117
39.	यूआईडीएआई-पंजीयक	882
40.	पंजाब एंड सिंध बैंक	695
41.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2628
42.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2754
	कुल	64362310

सचिवों के निर्णयों की समीक्षा

423. श्री पूर्णमासी राम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों की समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है अथवा उनकी समीक्षा की जा सकती है अथावा उनमें संशोधन किया जा सकता है अथवा उनकी अवज्ञा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सचिवों की समिति के इन निर्णयों पर स्थगन, समीक्षा अथवा संशोधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले लगभग दस वर्षों के दौरान सरकारी विभागों द्वारा सचिवों की समिति के उन निर्णयों का ब्यौरा क्या है, जिनका स्थगन, समीक्षा, संशोधन अथवा अवज्ञा की गयी है; और

(घ) सचिवों की समिति के कितने निर्णयों का कार्यान्वियन लंबित है और इन्हें शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) मंत्रालय/विभागों द्वारा उन्हें आबंटित कार्यों को, कार्य नियमावली के अनुसार निपटाया जाता है। सचिवों की समिति का गठन, उसको मंत्रालयों/विभागों द्वारा संदर्भित किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा/विचार विमर्श करने हेतु किया जाता है। कभी कभी ऐसी समितियों का गठन, मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति अथवा प्रधानमंत्री के निदेशों

के अनुसार किया जाता है। सचिवों की समिति उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए मुद्दों पर अंतर्विभागीय मतभेदों का समाधान करती है अथवा उन्हें कम करती है। फिर भी ऐसे मुद्दों पर अंतिम निर्णय संबंधित, मंत्रालय/विभाग द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाता है।

(ग) और (घ) सचिवों की समिति की सिफारिशें, मंत्रालय/विभाग पर बाध्यकारी नहीं है। सचिवों की समिति की सिफारिशें, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो अथवा जिसका कार्यान्वयन नहीं हुआ हो, से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय सीमा पर चीन द्वारा मिसाइलें

424. श्रीमती मीना सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन ने भारतीय सीमा पर मिसाइलें तैनात की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने चीन की सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारत के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) सरकार चीन के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम और साथ ही तिब्बत एवं झिजियांग स्वायत क्षेत्रों में भारत से सटे सीमा क्षेत्रों में उनकी सैन्य अवसंरचना परियोजनाओं पर गहरी नजर रखे हुए है। 1993 से दोनों सरकारों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्र में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और अमन बनाए रखा है। दोनों पक्षों ने कई अवसरों पर इस लक्ष्य के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। सरकार हमारी सामरिक और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को सहज बनाने के लिए भी चीन से जुड़े सीमाक्षेत्र के घटनाक्रम पर सावधानीपूर्वक और विशेष ध्यान दे रही है। सरकार भारत की सुरक्षा से जुड़े सभी घटनाक्रमों पर सतत निगाह रखती है और इसके रक्षोपाय के लिए सभी जरूरी उपाय करती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं

425. श्री प्रेम दास राय :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
डॉ. संजय सिंह :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बीएसएनएल के अतिरिक्त ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के नाम क्या हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं समुचित रूप से चल रही हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा देश के ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के प्रसार में वृद्धि करने के लिए "ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम" चलाई जा रही है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने इस स्कीम के अंतर्गत 20 जनवरी, 2009 को भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और का पर वायरलाइन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाते हुए ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान करने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड अवसंरचना सृजित करने में सेवा प्रदाताओं की मदद करते हुए ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड समर्थित बनाना है।

इस स्कीम के अंतर्गत, बीएसएनएल, व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं को तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुहैया करवाएगा और 5' वर्षों में अर्थात वर्ष 2014 तक 28,672 कियोस्क स्थापित करेगा।

इस स्कीम के अंतर्गत अक्तूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार कुल 3,219,169 ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुहैया करवाए गए हैं।

राज्य-वार उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सेवाओं के माध्यम से 1.70 लाख गांवों को पहले ही सुविधा प्रदान कर दी है।

(ग) अद्यतन स्थिति के अनुसार 107 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के पास पूर्वोत्तर क्षेत्रों अथवा किसी निर्दिष्ट उत्तर-पूर्वी क्षेत्र/राज्य/जिले में ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस है। "अखिल भारतीय" सेवा क्षेत्र वाले इंटरनेट सेवा प्रदाता पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित समस्त भारत में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इन आईएसपी कंपनियों की इनके सेवा क्षेत्रों सहित सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) भारत संचार निगम लिमिटेड ने यह सूचित किया है कि ब्रॉडबैंड सेवाएं उत्तर प्रदेश सहित देश भर में उपयुक्त रूप में कार्य कर रही हैं।

विवरण-I

यू.एस.ओ.एफ. द्वारा ब्राडबैंड कनेक्शनों की राज्य-वार उपलब्धि

दूरसंचार सर्किल	कुल यूएसओएफ कनेक्शन	5 वर्षों की अवधि में लक्षित ब्रॉडबैंड कनेक्शन (दिनांक 20-01-09 से)
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	640	1395
आंध्र प्रदेश	54,088	82615
असम	1,709	13299
बिहार	2,873	31000
छत्तीसगढ़	1,612	13919
चेन्नै टेलीकाम जिला	5,141	3813
गुजरात	18,872	61628
हरियाणा	11,501	24955
हिमाचल प्रदेश	7,536	25141
जम्मू और कश्मीर	1,142	6479
झारखंड	1,531	9021
कर्नाटक	21,390	68727
केरल	60,032	35433
मध्य प्रदेश	4,156	61442
महाराष्ट्र	27,379	134943
उत्तर पूर्व-I	814	4619
उत्तर पूर्व-II	361	6851
उड़ीसा	5,730	29202
पंजाब	38,315	37727
राजस्थान	15,817	60729
तमिलनाडु	23,030	36642
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	7,806	67828
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4,204	17856
उत्तरांचल	1,609	10571
पश्चिम बंगाल (कोलकाता सहित)	11,881	42997
कुल	3,29,169	888832

विवरण-II

आईएसपी कंपनियों के नाम एवं उनके सेवा क्षेत्र

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र
1	2	3
1.	कामसैट मैक्स लिमिटेड	अखिल भारत
2.	करूतुरी टेलीकाम प्रा.लि.	अखिल भारत
3.	रिलायंस इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रा.लि.	अखिल भारत
4.	एस्ट्रो नेटवर्क इंडिया प्रा.लि.	अखिल भारत
5.	बी.जी. ब्राडबैंड इंडिया लि.	अखिल भारत
6.	डाटा इनफोसिस लि.	अखिल भारत
7.	डिशनेट वायरलेस लि.	अखिल भारत
8.	जीटीए लि.	अखिल भारत
9.	गुजरात इन्फो पेट्रो लि.	अखिल भारत
10.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कंपनी लि.	अखिल भारत
11.	एसचीएल इनफिनेट लि.	अखिल भारत
12.	ह्यूजेस कम्यूनिकेशंस इंडिया लि.	अखिल भारत
13.	मैसर्स/एस बीटी ग्लोबल कंयुनिकेशंस इंडिया प्रा.लि.	अखिल भारत
14.	इन्डुसिंद मिडिया एंड कम्यूनिकेशंस लि.	अखिल भारत
15.	एल एंड टी फाइनेंस लि.	अखिल भारत
16.	मिलेनियम टेलीकाम लि.	अखिल भारत
17.	एन-लाग कंयूनिकेयशंस प्रा.लि.	अखिल भारत
18.	पैसिफिक इंटरनेट इंडिया प्रा.लि.	अखिल भारत
19.	वीएसएनएल इंटनेट सर्विस लि.	अखिल भारत
20.	रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	अखिल भारत

1	2	3
21.	रिच नेटवर्क इंडिया प्रा.लि.	अखिल भारत
22.	मैसर्स/सिफी टेक्नालाजीज लि.	अखिल भारत
23.	साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्कस आफ अंडिया	अखिल भारत
24.	स्विफटमेल कम्यूनिकेशंस लि.	अखिल भारत
25.	टाटा इंटर सर्विस लि.	अखिल भारत
26.	वीएसएनएल ब्राडबैंड लि. (पूर्व में टाटा पवर ब्राडबैंड कंपनी लि.)	अखिल भारत
27.	टाटा टेलीसर्विस (महाराष्ट्र) लि.	अखिल भारत
28.	द टाटा पावर कंपनी लि.	अखिल भारत
29.	ट्रैक आनलाइन नेट (इंडिया) प्रा.लि.	अखिल भारत
30.	ट्यूलिप टेलीकाम लि.	अखिल भारत
31.	टाटा कम्यूनिकेशंस लि.	अखिल भारत
32.	वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्विसिस प्रा.लि.	अखिल भारत
33.	भारती एक्वानेट लि.	अखिल भारत
34.	एर्नेट	अखिल भारत
35.	एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशंस लि.	अखिल भारत
36.	गैस आर्थिक आफ इंडिया लि.	अखिल भारत
37.	ग्लोबल वन (इंडिया) प्रा.लि.	अखिल भारत
38.	एचसीएल कामेट श्याम एवं सर्विस लि.	अखिल भारत
39.	इन्फोरमेशन टेक्नोलाजी (इंडिया) लि.	अखिल भारत
40.	डीसीटी नेटवर्क्स प्रा.लि.	अखिल भारत
41.	नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लि.	अखिल भारत
42.	नेलको लि.	अखिल भारत
43.	नेटक्रेकर लि.	अखिल भारत

1	2	3
44.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	अखिल भारत
45.	प्राइमनेट ग्लोबल लि.	अखिल भारत
46.	पंजाब वायरलेस सिस्टम लि.	अखिल भारत
47.	रिलायंस कम्यूनिकेशंस इंफ्राक्चार लि.	अखिल भारत
48.	आरपीजी इन्फोटेक लि.	अखिल भारत
49.	शिवलिंक सर्विसिस प्रा.लि.	अखिल भारत
50.	वायर एवं वायरलेस (इंडिया) लि. (पूर्व में मैसर्स सिटी केबल नेटवर्क लि.)	अखिल भारत
51.	साफ्टेंग कंप्यूटर्स प्रा.लि.	अखिल भारत
52.	स्पेक्ट्रा आईएसपी नेटवर्क प्रा.लि. (पूर्व में मैसर्स पुंज लियाड लि.) (ओल्ड)	अखिल भारत
53.	विप्रो लि.	अखिल भारत
54.	आईओएल टेलीकाम प्रा.लि.	अखिल भारत
55.	एस. टेल प्रा.लि. (पूर्व मैसर्स/एस.टेल लि.)	अखिल भारत
56.	इनफोटेल ब्राडबैंड सर्विसिस प्रा.लि.	अखिल भारत
57.	नेटमैजिक साल्यूशन्स प्रा.लि.	अखिल भारत
58.	नोएडा साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क लि.	अखिल भारत
59.	ओरटेल कम्यूनिकेशंस लि.	अखिल भारत
60.	कोरडिया एल.टी. कंयूनिकेशंस प्रा.लि.	अखिल भारत
61.	एग्जैक्ट टेक्नोलाजी प्रा.लि.	अखिल भारत
62.	आईकेएफ टेक्नोलाजी लि.	अखिल भारत
63.	ओपटो नेटवर्क प्रा.लि.	अखिल भारत
64.	एटीएंडटी ग्लोबल नेटवर्क सर्विसस इंडिया प्रा.लि.	अखिल भारत
65.	ब्राडबैंड पेसनेट (इंडिया) प्रा.लि.	अखिल भारत
66.	डीईएन नेटवर्क लि.	अखिल भारत

1	2	3
67.	लिमरास एरोनेट ब्राडबैंड सर्विस प्रा.लि.	अखिल भारत
68.	वीवा कंयुनिकेशंस प्रा.लि. (पूर्व मैलाई करपगामबल)	अखिल भारत
69.	एसएंडए इंटरनेट सर्विसिस प्रा.लि.	अखिल भारत
70.	फाइनेंसियल टेक्नोलाजी कम्यूनिकेशंस लि.	अखिल भारत
71.	आरआई नेटवर्क्स प्रा.लि.	अखिल भारत
72.	टाटानेट सर्विसिस लि.	अखिल भारत
73.	डी-वाइस ब्राडबैंड प्रा.लि.	अखिल भारत
74.	न्यूजेन कम्यूनिकेशंस प्रा.लि.	अखिल भारत
75.	देवास मल्टीमिडिया प्रा.लि.	अखिल भारत
76.	साफ्टसेल टेक्नोलाजी लि.	अखिल भारत
77.	एम/एस सिंगटेल ग्लोबल (इंडिया) प्रा.लि.	अखिल भारत
78.	एम/एस इक्वेंट नेटवर्क सर्विस इंडिया प्रा.लि.	अखिल भारत
79.	पाइपटेल कम्यूनिकेशंस प्रा.लि.	अखिल भारत
80.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	अखिल भारत
81.	एसजीआर एडवेंचर्स प्रा.लि. (एर्लियर एम/एस स्मार्ट आईटी-कानसेप्ट (नागपुर) प्रा.लि.	अखिल भारत
82.	आईडिया सेल्लूलर लिमिटेड	अखिल भारत
83.	भारत संचार निगम लिमिटेड	अखिल भारत
84.	माइक्रोसेंस प्रा.लि.	अखिल भारत
85.	फाइव नेटवर्क साल्यूशंन (इंडिया) लि.	अखिल भारत
86.	सिसाम टेक्नोलाजी प्रा.लि.	अखिल भारत
87.	मेटमैक्स कम्युनिकेशंस लि.	अखिल भारत
88.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	अखिल भारत

1	2	3
89.	सिटीकाम नेटवर्क प्रा.लि.	अखिल भारत
90.	तिकोना डिजिटल नेटवर्क प्रा.लि.	अखिल भारत
91.	एटीसलाट डीबी टेलीकाम प्रा.लि. (एर्लियर स्वान टेलीकाम प्रा.लि.)	अखिल भारत
92.	जिलाग सिस्टम (इंडिया) लि.	अखिल भारत
93.	एस.वी. टेलीटेक प्रा.लि.	अखिल भारत
94.	अटरिया कान्वरजेंस टेक्नोलाजीस प्रा.लि.	अखिल भारत
95.	वर्जियन कम्यूकिनकेशंस इंडिया प्रा.लि.	अखिल भारत
96.	ओ-जोन नेटवर्क प्रा.लि.	अखिल भारत
97.	अगुरी वायरलेस ब्राडबैंड इंडिया प्रा.लि.	अखिल भारत
98.	टलस्ट्रा टेलीकम्यूनिकेशंस प्रा.लि.	अखिल भारत
99.	स्मार्ट आईटी-कानसेप्टस (एनजीपी) प्रा.लि.	अखिल भारत
100.	भारती एयरटेल लि.	अखिल भारत
101.	टाटा एक्सेस (इंडिया) लि.	अखिल भारत
102.	रिलायंस वीमैक्स लि.	अखिल भारत
103.	पैट्रियोट आटोमेशन प्रोजेक्ट प्रा.लि.	अखिल भारत
104.	हैथवे केबल एवं डाटाकाम प्रा.लि.	अखिल भारत
105.	एस.एस. नेटकाम प्रा.लि.	पूर्वोत्तर
106.	सिमबोसिस क्रिएशन प्रा.लि.	दिमापुर
107.	सैनयोग नेटवर्क प्रा.लि.	त्रिपुरा

आईसीपीआर को बंद किया जाना

426. **डॉ. ज्योति मिर्धा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) की हाल की समीक्षा में समीक्षा निकाय में परिषद को बंद किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा निकाय के विचारार्थ विषय और रिपोर्ट का सारांश क्या हैं; और

(ग) समीक्षा निकाय की तात्कालिक रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विभागीय प्रमुखों की नियुक्ति

427. **श्री बाल कुमार पटेल** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उन विभागों और सरकारी उपक्रमों की संख्या कितनी है, जिनमें कोई विभागीय प्रमुख और मुख्य प्रबंध निदेशक नहीं थे;

(ख) इस संबंध में की जाने वाली नियुक्ति को लंबित रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सभी मौजूदा रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुसूची 'क' एवं 'ख' के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सी.एम.डी. के निम्नलिखित पद (जिन्हें ए.सी.सी. के अनुमोदन की आवश्यकता है) निम्नलिखित वर्ष से खाली पड़े हुए हैं।

2009	:	1
2010	:	9
2011	:	10 (01.11.2011 तक)

(01.11.2011) तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के सचिवों के स्तर पर चार रिक्तियां हैं।

(ख) और (ग) रिक्तियों का सृजन और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार में रिक्तियों को भरने के लिए स्थापित पद्धतियां हैं। जब कभी कोई रिक्ति होती है और तत्काल नहीं भरी जाती है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति दिए जाने में विलंब के कारण अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं: सतर्कता निकासी के लिए मना करना, नियुक्ति के प्रस्तावों का स्वीकार न किया जाना; उपर्युक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता जैसे विभिन्न कारणों से पी.ई.एस.बी. पैनल को भंग किया जाना।

सरकार ने समय से रिक्तियों को भरने के कदम उठाए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में एक निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्तियों को समय से भरना सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं और इन रिक्तियों की निगरानी नियमित बैठकें आयोजित करके की जा रही है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से जोड़ना

428. **श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण** :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बताया है कि उसने विश्वविद्यालयों में आधारभूत वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है। इस कार्यबल ने अन्यों के साथ यह सिफारिश की थी कि "विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जिसमें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् शामिल है, के बीच औपचारिक संबंध को संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण के माध्यम से प्रोन्नत किया जाए"। कार्य बल की सिफारिश के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान संस्थाओं जिसमें सीएसआईआर प्रयोगशालाएं शामिल हैं, के बीच नियुक्तियों को बढ़ाने के लिए संबंधों तथा साधनों के संवर्धन के तरीके सुझाएगी।

पासपोर्ट कार्यालयों का कार्यनिष्पादन

429. श्री ए. सम्पत :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सभी पासपोर्ट कार्यालयों में तत्काल योजना सहित प्रतिदिन पासपोर्ट कार्यालय-वार औसतन कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) क्या पासपोर्ट प्राप्त करने में विलंब की शिकायतें प्राप्त होना जारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पासपोर्ट जारी करने में पासपोर्ट कार्यालय-वार अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ऐसी शिकायतों की निगरानी करने और समुचित कार्रवाई करने हेतु मंत्रालय स्तर पर कोई तंत्र है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) देश में पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु हाल ही में सरकार द्वारा संक्षेप में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) पासपोर्ट कार्यालयों में तत्काल योजना सहित, प्रतिदिन प्राप्त होने वाले पासपोर्ट आवेदनों की औसत संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। मंत्रालय को पासपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब होने के मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है। दिनांक 30.09.2011 की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां, अनियमितताओं के मामले कभी कभार मंत्रालय में प्राप्त होते हैं, जिनपर तत्काल कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों की संख्या संलग्नक-II में विलम्ब के मामले के तहत शामिल हैं। इनके अलावा, कुछ पासपोर्ट अधिकारियों के विरूद्ध अनियमितताओं के कुछ मामले प्राप्त हुए थे जिनपर स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

(च) और (छ) जी हां। संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी की देखरेख में सीपीवी प्रभाग में लोक शिकायत निपटान तंत्र स्थापित है। यह टेलिफोन, ई-मेल और डाक के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों से प्राप्त संदर्भों पर कार्रवाई करता है। इसके अलावा, सभी पासपोर्ट अधिकारीगण और सीपीवी प्रभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सीपीग्राम वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान करते हैं। आगे की जाने वाली कार्रवाई के निदेश के साथ-साथ उनके आवेदनों की अद्यतन स्थिति वेबसाइट पर डाली जाती है जिसे जनता द्वारा अपने लाभ के लिए आसानी से देखा जा सकता है।

साथ ही, पासपोर्ट कार्यालयों में कमियां/अनियमितताओं को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय के सीपीवी प्रभाग में एक निगरानी एकक कार्यरत है जो भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के मामलों का अनुवीक्षण करता है और पासपोर्ट कार्यालयों का निगरानी निरीक्षण करता है।

(ज) व्यापक कम्प्युटरीकरण, नए पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने और केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) में सुधार के बावजूद, पासपोर्ट चाहने वालों की तेजी से बढ़ती तादाद के कारण मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संदर्भ में, मंत्रालय ने सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में पासपोर्ट सेवा परियोजना प्रारंभ की है। पासपोर्ट सेवा परियोजना का मूल उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं समय पर, पारदर्शी तरीके से, अधिक प्राप्य, भरोसेमंद तरीके से और एक आरामदायक वातावरण में सुप्रवाही प्रक्रियाओं के माध्यम से और प्रतिबद्ध, प्रशिक्षित तथा प्रेरित कार्मिकों द्वारा प्रदान करना है।

इस परियोजना में देश भर में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित करने, 17 भाषाओं में सातों दिन 18 घंटे (18 *7) चलने वाले काल सेंटरों की स्थापना करना और पासपोर्ट जारी करने के लिए एक केन्द्रीयकृत राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित करने की अभिकल्पना की गई है। आज की स्थिति के अनुसार, 77 में से 22 पासपोर्ट सेवा केन्द्र कार्य करने लगे हैं और शेष पासपोर्ट सेवा केन्द्रों को वर्ष 2011-2012 के दौरान चरणबद्ध ढ़ंग से प्रारंभ किया जाना तय किया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	दिनांक 01.01.2011 से 30.09.2011 की अवधि के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में तत्काल योजना सहित, प्रतिदिन प्राप्त होने वाले पासपोर्ट आवेदनों की औसत संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	1418
2.	अमृतसर	368
3.	बंगलोर	0
	बरेली पीएसके	1590
4.	बरेली	328
5.	भोपाल	431
6.	भुवनेश्वर	236
7.	चंडीगढ़	5
	चंडीगढ़ पीएसके	1089
8.	चेन्नै	3454
	चेन्नै पीएसके	30
9.	कोचीन	1020
10.	कोयंबटूर	1252
	कोयबंटूर पीएसके	30
11.	देहरादून	866
12.	दिल्ली	1548
	दिल्ली पीएसके	`0
13.	गाजियाबाद	621
14.	गुवाहाटी	258
15.	हैदराबाद	1907
16.	जयपुर	903
17.	जालंधर	577
18.	जम्मू	452
19.	कोलकाता	1353
20.	कोझीकोड	794
21.	लखनऊ	1522
22.	मदुरै	199
	मदुरै पीएसके	362
23.	मल्लापुरम	720
24.	मुंबई	1423
25.	नागपुर	397
26.	पणजी	15
27.	पटना	686
28.	पुणे	671
29.	रायपुर	144
30.	रांची	218
31.	शिमला	114
32.	श्रीनगर	275
33.	सूरत	431
34.	ठाणे	900
35.	त्रिची	361
	त्रिची पीएसके	152

1	2	3
36.	त्रिवेन्द्रम	592
37.	विजाग	317
	विजाग पीएसके	29
38.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13
	योग	30071

विवरण-II

क्र. सं.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/ पासपोर्ट कार्यालय का नाम	01.01.2011 से 30.09.2011 की अवधि के दौरान विलंब की शिकायतें
1	2	3
1.	अहमदाबाद	30
2.	अमृतसर	51
3.	बंगलोर	298
4.	बरेली	54
5.	भोपाल	366
6.	भुवनेश्वर	82
7.	चंडीगढ़	90
8.	चेन्नै	322
9.	कोचीन	29
10.	कोयंबटूर	23
11.	देहरादून	27
12.	दिल्ली	1333
13.	गाजियाबाद	377
14.	गुवाहाटी	45
15.	हैदराबाद	711
16.	जयपुर	223
17.	जालंधर	37
18.	जम्मू	6
19.	कोलकाता	239
20.	कोझीकोड	12
21.	लखनऊ	674
22.	मदुरै	41
23.	मल्लापुरम	6
24.	मुंबई	157
25.	नागपुर	29
26.	पणजी	6
27.	पटना	61
28.	पुणे	120
29.	रायपुर	33
30.	रांची	40
31.	शिमला	1
32.	श्रीनगर	41
33.	सूरत	11
34.	ठाणे	53
35.	त्रिची	14
36.	त्रिवेन्द्रम	26

1	2	3
37.	विशाखापत्तनम	93
38.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	01
	योग	5762

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ संबंध सुदृढ़ करना

430. **श्री भूदेव चौधरी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत और पाकिस्तान ने प्रारूप वीजा समझौते और व्यापार संधि को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) पाकिस्तानी नेतृत्व ने समय-समय पर कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। भारत पाकिस्तान के साथ रचनात्मक संबंध बनाने की इच्छा रखता है, ताकि दोनों देश हमारी साझी विकासात्मक प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से सुलझा सकें।

(ग) और (घ) वीजा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने हेतु वर्तमान प्रक्रियाओं की जांच करने और नए द्विपक्षीय विजा करार के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में 13 और अक्तूबर, 2011 को संपन्न भारत-पाकिस्तान संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक में दोनों पक्षों ने करार के प्रारूप पाठ को अंतिम रूप दिया, जिसे अपनी-अपनी सरकारों को सौंपा जाएगा ताकि करार पर यथाशीघ्र हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। इस स्तर पर पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं किया जा रहा है। तथापि, भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री नई दिल्ली में सितंबर, 2011 में मिले और व्यापार संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने, शेष गैर-प्रशुल्क बाधाओं को दूर करने और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सार्क समझौते के तहत कानूनी अनिवार्यताओं के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट समय-सीमा तय करने के लिए अपने-अपने वाणिज्य सचिवों को अधिदेश दिया/अनुमति दी। दिनांक 9 से 11 नवंबर, 2011 तक मालदीव में हुए 17वें सार्क सम्मेलन के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों पक्षों को साफ्टा प्रक्रिया के तहत अधिमान्य व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के निदेश दिए। दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 14-16 नवंबर, 2011 को नई दिल्ली में मुलाकात की।

परमाणु संयंत्रों से खतरा

431. **श्री हंसराज गं. अहीर :**
श्री हरि मांझी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने देश में परमाणु स्थापनाओं के सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन करने हेतु समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समितियों द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन रिपोर्टों को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। फुकुशिमा घटना के बाद, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी), न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने बाढ़, आग, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाओं का सामना करने के लिए पहले से प्रचालनरत और भावी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एनपीपीज) में मौजूदा/प्रस्तावित आपातकालीन प्रावधानों का अध्ययन करने के लिए छः समितियां (परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा एक और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा चार कृतिक

वर्ग तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा एक) गठित की थी। इसमें मुख्य ध्यान अभिकल्पन पर आधारित घटनाओं से परे घटित होने वाली घटनाओं पर केन्द्रित किया गया था जो संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां। सभी समितियों ने अपनी रिपोर्टें और सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

(घ) उनके अधिदेश और सिफारिशों का सारांश विवरण-II में संलग्न किया गया है। सारांश रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं और पूर्ण रूप से विद्युत के बंद होने यानि स्टेशन ब्लैक आउट (एसबीओ) से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति का कारगर रूप से सामना करने के लिए हमारे मौजूदा और भावी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में संस्तुत किए अतिरिक्त प्रावधानों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया पहले से चालू है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

गठित की गई समितियां

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषदः

जापान में आए भूकंप और सुनामी के मद्दे नजर भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा की पुनरीक्षा संबंधी समिति

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

निम्नलिखित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में सुरक्षोपायों की पुनरीक्षा करने और उनके बारे में सिफारिश करने के लिए निम्न चार कृतिक वर्ग गठित किए गए:

1. बॉयलिंग वाटर रिएक्टर (बीडब्ल्यूआर) (तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2)
2. राजस्थान परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 में दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर्ज)
3. मद्रास परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 में दाबित भारी पानी रिएक्टर
4. नरोरा परमाणु बिजलीघर से लेकर अन्य मानक दाबित भारी पानी रिएक्टर

विवरण-II

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा फुकुशिमा घटना के मद्दे नजर भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को अपग्रेड करने संबंधी सिफारिशें

परामाणु ऊर्जा नियामक परिषद

फुकुशिमा डायची की दुर्घटना मुख्यतः सुनामी के कारण भीषण बाढ़ आने और उसके परिणामस्वरूप नाभिकीय विद्युत संयंत्र में लंबे समय तक स्टेशन ब्लैक आउट (एसबीओ) अर्थात् स्थल से हटकर तथा स्थल पर एसी विद्युत की आपूर्ति बंद होने की वजह से हुई थी। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति ने अभिकल्पन पर आधारित घटनाओं से घटित होने वाली घटनाओं (बीडीबीई) और लंबे समय तक स्टेशन ब्लैक आउट पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अपनी कार्य योजना तैयार की थी। इस समिति के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल थे: (i) अभिकल्पन पर आधारित घटनाओं से घटित होने वाली घटनाओं की प्रमात्रा और संबंधित मामलों को निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना, (ii) तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 के बायलिंग वाटर रिएक्टर, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों पर आधारित दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर), वीवीईआर्ज की अनुक्रिया का आकलन करना, (iii) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थ निपटान सुविधाओं, स्टेशन ब्लैक आउट के दौरान भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधाओं से संबंधित सुरक्षा की जांच करना और (iv) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए गंभीर दुर्घटना का सामना करने संबंधी दिशा-निर्देशों की जांच करना।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:

अंतः समुद्री भ्रंश, जोकि सुनामी को सृजित करने के लिए सक्षम हैं, भारत के तटवर्ती क्षेत्र से 800 किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा दूरी पर अवस्थिति हैं। अतः भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों पर भूकंप और सुनामी दोनों के आने की संभावना लगभग नगण्य है।

दाबित भारी पानी रिएक्टरों में, संयंत्र को तप्त अवस्था में शट-डाउन करने सहित रिएक्टर क्रोड का शीतलक वाष्प जनित्र

के माध्यम से रिएक्टर शीतलक के प्राकृतिक संवहन प्रवाह द्वारा संभव है। डीजन इंजन में चलाए जाने वाले पंपों को उपयोग में लाकर वाष्प जनित्रों के द्वितीयक पक्ष में जल को प्रवाहित करने के लिए डिजायन में किए गए प्रावधान के साथ, क्रोड शीतलक की इस प्रक्रिया को विस्तारित स्टेशन ब्लैक आउट के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 के बायलिंग वाटर रिएक्टरों के मामले में स्टेशन ब्लैक आउट के अंतर्गत क्रोड शीतलन को संरोधन के द्वारा रिएक्टर शीतलक के प्राकृतिक संवहन परिसंचरण द्वारा लगभग 8 घंटे तक चालू रखा जा सकता है। आपातकालीन संरोधन के द्वितीयक पक्ष में मौजूदा जल के क्वथन द्वारा शीतलक से ऊष्मा को हटाया जाता है। स्टेशन ब्लैक आउट के अंतर्गत भंडारित ईंधन से क्षय ऊष्मा की प्रमात्रा की सबसे अधिक संरक्षण परिकल्पनाओं के साथ और प्रचालक की कार्रवाई पर कोई अधिक ध्यान दिए बिना कम से कम एक सप्ताह की समयावधि के लिए भुक्तशेष ईंधन का निमज्जन सुनिश्चित किया जाता है।

कुछेक मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

(i) डिजायन में परिकल्पित प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली बाह्य घटनाओं की प्रमात्रा के मूल्यांकन में उच्च डिग्री का संरक्षण प्राप्त करने के लिए आंकड़ों और कतिपय परिकलन प्रक्रियाओं की अनिश्चितता में अधिक सुधार लाना (ii) सभी रिएक्टर यूनिटों में भूकंपनीय सिग्नल पर आधारित स्वचालित रिएक्टर ट्रिप जहां उसे अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, अवस्थित करना। भूकंपनीय स्विचों और संवेदकों जिन्हें रिएक्टर भवनों के बाहर अवस्थित किया गया है, को स्थल पर बाढ़ आने की स्थिति में संरक्षित किया जाए।

फुकुशिमा दुर्घटना से यह पता चला है कि कभी-कभी प्राकृतिक घटनाओं की प्रमात्रा डिजायन में परिकल्पित प्रमात्रा से अधिक हो सकती है। जबकि बाह्य घटनाओं पर आधारित डिजायन को एसएससीज के डिजायन को नियंत्रित करना चाहिए, कार्य की दृष्टि से अत्यधिक सुरक्षित संगत एसएससीज को गंभीरतम घटनाओं के अंतर्गत अभी भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

अभिकल्पन पर आधारित घटना से परे होने वाली घटना नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं के महत्वपूर्ण रिएक्टर प्राचलों पर निगरानी रखने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अक्षम कर सकती है। इससे स्थल भौतिक दृष्टि से भी अलग हो सकता है क्योंकि उसके लिए काफी समय तक बाह्य सहायता प्राप्त करना संभव नहीं होगा। अतः प्रत्येक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थल पर आपातकालीन सुविधा जोकि ऐसी स्थितियों में कार्य करती रहेगी, को स्थापित करने की सिफारिश की जाती है। इस सुविधा में उपयुक्त रूप से विकिरण परिरक्षण सुविधा होनी चाहिए और यह भूकंपनीय दृष्टि से भी सक्षम होनी चाहिए। इसमें संगत एजेंसियों के साथ संव्यवहार करने और संयंत्र स्थल पर सभी यूनिटों से सूचना प्राप्त करने का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि लगभग एक सप्ताह की अवधि के लिए अनिवार्य कार्मिकों हेतु आगे की कार्रवाई करने तथा खाद्य पदार्थों, विश्राम आदि के संबंध में अगली कार्रवाई करने के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके। भूमिगत टंकियों में भुक्तशेष विकिरणसक्रिय आयन विनिमय रेजिन्स को भंडारित करने की प्रक्रिया बंद की जानी चाहिए क्योंकि भूकंप या गंभीर बाढ़ आने की स्थिति में इसे विकिरणसक्रिय संदूषण फैल सकता है।

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड:

न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में बाढ़ और आग लगने की घटना का सामना करने के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों का निरीक्षण करने के लिए आंतरिक और बाह्य घटनाओं के घटित होने की स्थिति में सुरक्षा का पुनः मूल्यांकन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई: (i) भूकंपनीय गतिविधि के बारे में महसूस होते ही स्वचालित रूप से रिएक्टर का शट-डाउन हो जाना, (ii) तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 के संरोधन की अक्रियकरण (संरोधन को नाइट्रोजन से भरना), (iii) अधिक लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण प्राचलों की मानीटरिंग हेतु निश्चेष्ट विद्युत स्रोतों/बैटरी प्रचालित युक्तियों की अवधि में वृद्धि करना, (iv) प्राथमिक ऊष्मा परिवहन (पीएचटी) प्रणाली, वाष्प जनित्रों, कैलेन्ड्रिया, कैलेन्ड्रिया वाल्ट, एंड शील्डों और आपातकालीन क्रोड शीलन प्रणाली (ईसीसीएस), जैसा भी प्रयोज्य हो, में शीतलन जल भंडार को शामिल करने के लिए बाह्य स्रोतों के माध्यम से व्यवस्था करने हेतु प्रावधान करना और डीजल से चलने वाले चल पंप यूनिटों की भी व्यवस्था करना, (v) जल के भंडार का विस्तार करना और यदि आवश्यक हो तो जल के अंतरण के लिए निकटवर्ती स्रोतों से व्यवस्था करना, (vi) अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं (ईओपीज) को संशोधित करना, (vii)

संशोधित आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं (ईओपीस) के बारे में संयंत्र के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, (viii) तारापुर परमाणु बिजलीघर और मद्रास परमाणु बिजलीघर जोकि समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र पर स्थित हैं, में जैसा आवश्यक समझा जाए, अतिरिक्त तटीय बचाव उपाय करना, (ix) भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल में जल की कमी पूरी करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त हुक-अप प्वांइट बनाना।

क्रियान्वयन

सभी पता लगाई गई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक विस्तृत क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। फुकुशिमा के संबंध में कालक्रमिक घटनाओं का ब्यौरा उपलब्ध होने के बाद इस कार्रवाई को बाद के चरण में अद्यतन किया जाएगा।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने अपना ध्यान, फुकुशिमा, जापान में हुई घटना का विश्लेषण करने, भारतीय पर्यावरण पर इसके पड़ने वाले प्रभाव और गंभरतम प्राकृतिक घटनाओं की स्थिति में भारत में बायलिंग वाटर रिएक्टरों की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप होने वाले स्टेशन ब्लैक आउट पर केन्द्रित किया है। वर्तमान में विभाग में इस रिपोर्ट की पुनरीक्षा की जा रही है।

स्ट्रेस टेस्ट

432. **श्री मनीष तिवारी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुडनकुलम (तमिलनाडु), जैतापुर (महाराष्ट्र) और हरिपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित परमाणु विद्युत केन्द्रों पर विरोध के कारण इनके चालू होने/निर्माण में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावित संयंत्रों पर फुकुशिमा जैसी दुर्घटना का भय तर्कसंगत है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने फुकुशिमा दुर्घटना के बाद मौजूदा इकाइयों का "स्ट्रेस टेस्ट" कराया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक इकाई का विस्तृत संकलन क्या है;

(च) क्या उपर्युक्त परमाणु विद्युत केन्द्रों का सुनामी और बाढ़ के खतरों के मद्दे नजर सुरक्षा का आकलन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ज) क्या सरकार की उपर्युक्त स्थलों पर पड़ोसी गांवों और भूमि अधिगृहीत करने की कोई योजना है जिसके कारण स्थानीय निवासी विस्थापित होंगे;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) उपर्युक्त संयंत्रों द्वारा किस अनुमानित दर पर ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी और इसकी तुलना सौर और पवन ऊर्जा से कैसे होगी;

(ट) क्या इन रिएक्टरों से स्पेंट फ्यूल से विकिरण संबंधी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) तमिलनाडु में कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र (केकेएनपीपी) (1000 मेगावाट-ई क्षमता के यूनिट 1 तथा 2) निर्माण और कमीशनन के प्रगत चरण पर हैं। यूनिट-1 का 99.2% और यूनिट-2 का 95% कार्य पूरा किया जा चुका है। हाल ही में, कुडनकुलम में हुए विरोध की वजह से इस परियोजना को शुरू करने में विलंब हुआ है। महाराष्ट्र में जैतापुर में नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है। वर्तमान में, इस स्थल पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करने का कार्य प्रगति पर है। इस स्थल पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में हरिपुर के मामले में परियोजनापूर्व कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

(ग) भारत में इन स्थलों पर फुकुशिमा जैसी घटना के होने का डर, नाभिकीय विद्युत के खिलाफ वैचारिक विरोधी पक्षों द्वारा गलत अपवाहें फैलाने की वजह से उत्पन्न हुआ है। इन स्थलों पर भूकंपनीय और सुनामी-जनित संरचना फुकुशिमा से अलग है और इन

स्थलों पर स्थापित किए जाने रिएक्टरों के डिजायन में प्रगत सुरक्षा संबंधी विशिष्टताएं और प्रावधान किए गए हैं जोकि गंभीर प्राकृतिक घटनाओं का निपटान सुरक्षित रूप से कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने कुडनकुलम रिएक्टरों सहित देश में प्रचालनरत और निर्माणाधीन रिएक्टरों की सुरक्षा की पुनरीक्षा (प्रतिबल परीक्षण) की है। जैतापुर में स्थापित किए जाने वाले रिएक्टरों के मामले में, वर्तमान में, एक फ्रांसीसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है, जिसके बाद भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा और आगे पुनरीक्षा की जाएगी। हरिपुर में स्थापित किए जाने वाले रिएक्टर कुडनकुलम रिएक्टरों की तरह होंगे। सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा से यह पता चला है कि कुडनकुलम सहित भारत में प्रचालनरत और निर्माणाधीन नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों के डिजायन में पर्याप्त विशिष्टताएं और प्रावधान किए गए हैं जोकि गंभीर प्राकृतिक घटनाओं को सहन कर सकते हैं। फुकुशिमा घटना के बाद की गई सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण में संक्षिप्त रूप में दिया गया है।

(च) जी, हां।

(छ) मौजूदा स्थलों पर अवस्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के डिजायन में पर्याप्त विशिष्टताएं और प्रावधान किए गए हैं जोकि गंभीर प्राकृतिक घटनाओं को सहन कर सकते हैं।

(ज) और (झ) कुडनकुलम और जैतापुर स्थित मौजूदा स्थलों पर किसी अतिरक्ति भूमि का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हरिपुर में भूमि का अधिग्रहण अभी किया जाना है।

(ञ) कुडनकुलम से बिजली की शुल्क-दर लगभग 2.50 प्रति यूनिट आने की आशा है जोकि पवन और सौर ऊर्जा की शुल्क-दर से भी कम है। जैतापुर संयंत्र के लिए परियोजना संबंधी प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसी क्षेत्र में और संयंत्र के कमीशनन के प्रत्याशित वर्ष अन्य प्रौद्योगिकियों पर आधारित दूसरे उत्पादन यूनिट की शुल्क-दर इस शुल्क-दर के तुलनीय है।

(ट) और (ठ) जी, नहीं। भुक्तशेष ईंधन को पुनर्संसाधन के लिए पुनर्संसाधन संयंत्र तक ले जाने से पूर्व संयंत्र स्थल पर विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार विशेष रूप से डिजायन की गई और विकिरण परिरक्षित सुविधाओं तथा भली-भांति तैयार की गई प्रक्रियाओं के अनुसार अस्थायी रूप में भंडारित किया जाएगा।

विवरण

भारतीय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा संबंधी पुनरीक्षा के निष्कर्ष और सिफारिशें

- भूकंपनीय गतिविधि के बारे में महसूस होते ही स्वचालित रूप से रिएक्टर का शट-डाउन हो जाना।
- शीतलक जल के भंडारों में वृद्धि, और बाह्य स्रोतों के माध्यम से अवयवों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाओं का प्रावधान करना और डीजल से चलने वाले पंप सैटों का प्रावधान करना।
- अधिक लम्बी अवधि के लिए महत्वपूर्ण प्राचलों की मानीटरिंग हेतु निश्चेष्ट विद्युत स्रोतों/बैटरी प्रचालित युक्तियों की अवधि में वृद्धि करना।
- तारापुर परमाणु बिजलीघर और मद्रास परमाणु बिजलीघर में तटीय बचाव के अतिरिक्त उपाय करना।
- संशोधित आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं (ईओपीज) के बारे में संयंत्र के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए आपातकालीन प्रचालन प्रक्रियाओं (ईओपीज) में और तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संशोधन करना।
- तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 के संरोधन का अक्रियकरण (संरोधन को नाइट्रोजन से भरना)।
- मद्रास परमाणु बिजलीघर में बाढ़ के स्तर का अनुमान लगाने के संबंध में पुनरीक्षा करना और उसका समाधान करने के लिए डिजायन के प्रावधानों में संशोधन करना।
- अग्निशमन जल प्रणाली का आवधिक रूप से रख-रखाव रखना और निगरानी संबंधी कार्यक्रम।
- स्टार्टर बैटरियों और चार्जरों को बाढ़ के अधिकतम स्तर से ऊपर ऊंचे स्तर पर अवस्थित करना।
- तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 में, संशोधित डिजायन में बाढ़ के स्तर का सामना करने के लिए श्रेणी III विद्युत प्रणाली सहित सुरक्षा प्रणालियां विकसित करना।
- गंभीर दुर्घटना होने के मामले में स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान करना।

- प्राकृतिक घटनाओं के डिजायन आधार में अपेक्षाकृत अधिक डिग्री का संरक्षण प्राप्त करने के लिए डाटा तथा अभिकलन तकनीकों में अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए बाह्य घटनाओं के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश तैयार करना और उन्हें परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के विनियमनों में शामिल करना।

[हिन्दी]

भारतीय श्रमिकों का शोषण

433. **श्री जगदानंद सिंह :**
श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य पूर्व एवं अन्य देशों में भारतीय श्रमिकों का शोषण होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में मध्य पूर्व सहित अन्य देशों में प्रत्येक मिशन में ऐसे कुल कितने मामलों का पता चला;

(ग) क्या इन सभी मामलों में पीड़ित व्यक्ति भारत लौट चुके हैं और लंबित मामलों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन मामलों को हैंडल करने में मिशनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा, उत्प्रवास स्वीकृति अपेक्षित (ईसीआर) देशों में भारतीय मिशनों ने अवगत कराया है कि समय-समय पर मिशनों को विविध प्रकृति की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो संविदात्मक उल्लंघनों से संबंधित होती हैं। इनमें वेतन/मजदूरी और अन्य लाभों का भुगतान न करना अथवा भुगतान करने में देरी करना, छुट्टी देने से मना करना, आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) केवल कुछ कामगार इस कारण से लौटे हैं, सभी नहीं। लौटने वालों के ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) भारतीय मिशन तुरन्त मामलों को विदेशी कंपनियों/प्रायोजकों के साथ उठाकर, शिकायतों को हल करने की कोशिश करता है और तद्नुसार इस स्थिति पर ही स्वयं कई शिकायतों का निपटारा हो जाता है। तथापि, जब शिकायत का निवारण स्थानीय लेबर कोर्ट के माध्यम से किया जाना होता है, तो प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण निपटान में देरी हो जाती है। मिशनों ने महसूस किया है कि शिकायतों का निवारण करने की प्रणाली, विभिन्न स्थितियों में, विशेषत: उचित रोजगार अनुबंध पत्र की अनुपस्थिति में, मामलों को निपटाने में लम्बा समय लेती है।

(च) सरकार ने भारतीय उत्प्रवासियों के मामलों को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भावी उत्प्रवासियों को वैध उत्प्रवास प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने, अवैध उत्प्रवास के जोखिमों एवं उत्प्रवास के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने के लिए, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय-स्तर का जागरूकता अभियान चलाना।

(ii) सरकार ने भावी उत्प्रवासियों के साथ-साथ उत्प्रवासियों को, उत्प्रवास के सभी पहलुओं के बारे में अधिप्रमाणित सूचना प्रदान करने हेतु, प्रवासी कामगार स्रोत केन्द्र (ओडब्ल्यूआरसी) नामक आठ भाषाओं में प्रचालित एक 24 घंटे की टेलीफोन हेल्पलाइन स्थापित की है।

(iii) सरकार ने प्रभावित उत्प्रवासियों को यथास्थान सहायता प्रदान करने हेतु, सभी मिशनों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की है।

(iv) सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय कामगार स्रोत केन्द्र (आईडब्ल्यूआरसी) की स्थापना की है।

(v) सरकार ने कामगारों की सुरक्षा व कल्याण के लिए द्विपक्षीय सहयोग हेतु एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए, उन सात देशों, जहां बड़ी संख्या में कामगार जाते हैं, के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(vi) मंत्रालय ने दिनांक 9 जुलाई, 2009 से भर्ती एजेंटों (आरएज) की पात्रता मानदंड को संशोधित करते हुए, उत्प्रवास (संशोधन) नियम 2009 को संशोधित किया है।

(vii) उस मामले में जहां किसी भर्ती एजेंट का शामिल होना रिपोर्ट किया जाता है, तो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, अडियल नियोक्ताओं को काली सूची में डालने की भी कार्रवाई की जाती है।

विवरण

निम्नलिखित देशों में उत्प्रवासी कामगारों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या

क्र. सं.	देश का नाम	2008	2009	2010	2011 (अक्तूबर, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	साऊदी अरब की सल्तनत (केएसए)	2398	5306	5250	2991
2.	कुवैत	4083	3584	4373	2553
3.	बहरीन	995	1180	1165	1142
4.	ओमान	5814	5072	2262	उपलब्ध नहीं
5.	संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)	2836	2316	1036	1588
6.	मालद्वीप	**प्रतिवर्ष 200 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई**			
7.	रोमानिया	18			
8.	रूस	01			
9.	तंजानिया	133			
10.	जमैका	07			
11.	चीन	02			
12.	जिम्बावे	शून्य			
13.	रूस	शून्य			
14.	यूएई	शून्य			
15.	पनामा	शून्य			
16.	डेनमार्क	शून्य			
17.	स्विटजरलैंड	शून्य			
18.	यूगोस्लाविया	शून्य			

1	2	3	4	5	6
19.	रोमानिया			शून्य	
20.	फ्रांस			शून्य	
21.	यूगान्डा			शून्य	
22.	तजाकिस्तान			शून्य	
23.	बुलगारिया			शून्य	
24.	ईरान			शून्य	
25.	स्लोवाकिया			शून्य	
26.	बंगला देश			शून्य	
27.	आस्ट्रेलिया			शून्य	
28.	अरमेनिया			शून्य	
29.	केन्या			शून्य	
30.	जाम्बिया			शून्य	
31.	यूनान			शून्य	
32.	ब्रुनई			शून्य	
33.	अफगानिस्तान			शून्य	
34.	अजरबेइजान			शून्य	
35.	कजाकिस्तान			शून्य	
36.	न्यूजीलैंड			शून्य	
37.	पेरू			शून्य	
38.	कोलम्बिया			शून्य	
39.	आस्ट्रिया			शून्य	
40.	नाइजीरिया			शून्य	
41.	अलजीरिया			शून्य	
42.	यूक्रेन			शून्य	

1	2	3	4	5	6
43.	नामिबिया			शून्य	
44.	स्लोवानिया			शून्य	
45.	इंडोनेशिया			शून्य	
46.	मोजाम्बीक			शून्य	
47.	क्रोआतिया			शून्य	
48.	म्यांमार			शून्य	
49.	ग्यूनिया एंड लाईबेरिया			शून्य	
50.	बैंकाक			शून्य	
51.	इटली			शून्य	
52.	स्पेन			शून्य	
53.	यूएई			शून्य	
54.	घाना			शून्य	
55.	दक्षिण अफ्रीका			शून्य	
56.	श्रीलंका			42	

[अनुवाद]

भारत-चीन विवाद

434. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने वियतनाम में तट पर दक्षिण-चीन सागर अपतट पर भारत की अन्वेषण परियोजनाओं का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या काण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को अनुमानत: कितनी हानि होगी;

(घ) क्या इस विवाद का निपटारा करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (च) दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों के ऊपर सम्प्रभुता मुद्दे पर इस क्षेत्र में पड़ने वाले कई देशों के बीच विवाद है। भारत इस विवाद का पक्षकार नहीं है। उभरती हुई ऊर्जा आवश्यकता वाले दो विकासशील देश, भारत और वियतनाम हमारी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए तेल एवं गैस उद्योग में सहयोग कर रहे हैं। चीन, जोकि दक्षिण चीन सागर विवाद का एक पक्षकार है, ने नियतनाम के अपतट पर दक्षिण चीन सागर में भारत की हाइड्रोकार्बन गवेषण एवं दोहन परियोजनाओं पर अपनी चिंता जताई है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि

भारतीय कंपनियों द्वारा इस प्रकार का क्रियाकलाप पूर्णः वाणिज्यिक स्वरूप का है और संप्रभुता मुद्दों का समाधान विवाद से जुड़े पक्षकार देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं क्रियाविधि के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।

शैक्षिक पदों के लिए रोस्टर पॉइन्ट

435. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शैक्षिक पदों में रोस्टर पॉइन्ट के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हैदराबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2004 में अधिसूचना जारी करते समय यूजीसी के दिशा-निर्देशों का पालन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ऐसे अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण नीति को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित, आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले सभी विश्वविद्यालयों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन आने वाली अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले को छोड़कर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक पदों के संदर्भ में सरकार की आरक्षण नीति को कार्यान्वित करें।

(घ) से (च) हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रोफेसर एवं रीडर ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की नीति को नवम्बर, 2006 से कार्यान्वित कर रहा है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार लेक्चरर के ग्रेड (अब सहायक प्रोफेसर) में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण जनवरी, 2007 से लागू है। तदनुसार, वर्ष 2004 में, लेक्चरर ग्रेड में भरे गए कुल 27 पदों में से 4 (चार) पद (i) अनुसूचित जाति वर्ग एवं 3 (तीन) पद अनुसूचित जनजाति वर्ग से भरे गए थे।

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित, आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को (i) सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करने और साथ ही (ii) शैक्षिक पदों में इन वर्गों की आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए अनुदेश जारी करता रहा है।

[हिन्दी]

विकास योजनाएं

436. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
श्री दिनेश चन्द यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश के विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी नई योजनाएं समेकित की गई हैं;

(ग) क्या इन सभी योजनाओं हेतु कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी कितनी योजनाएं हैं, जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने जा रही हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) बजट अनुमान के विवरण (एसबीई) के अनुसार, केन्द्र सराकार द्वारा देश के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के तहत वर्ष 2011-12 के दौरान 950 केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें और 147 केन्द्र प्रायोजित स्कीमें प्रचालन में है।

(ख) 11वीं योजना अवधि के दौरान शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की संख्या (एसबीई) के अनुसार, 70 है। ये स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्रक में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू की गई विकास स्कीमों के अतिरिक्त हैं।

(ग) से (ङ) विभिन्न स्कीमों के तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों हेतु समय-सीमा प्रत्येक योजना स्कीम के आरंभ में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रगति की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अलग-अलग स्कीमों के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्कीम के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। उद्देश्यों, समय-सीमा और भौतिक लक्ष्यों, जो प्रत्येक स्कीम के लिए बदलते रहते हैं, की विस्तृत सूचना संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक आउटकम और निष्पादन बजट में उपलब्ध है।

ई-गवर्नेंस

437. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ई-गवर्नेंस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जन नीतियों में सहायता हेतु इंटरनेट से संबंधित नीतियों के लिए एक समिति (सीआईआरपी) के गठन हेतु संयुक्त राष्ट्र को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) जी, नहीं। इंटरनेट से संबंधित नीतियों के लिए समिति (सीआईआरपी) गठित करने हेतु भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में कोई भी औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबों को कल्याण योजनाएं उपलब्ध कराने हेतु मानदंड

438. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने गरीबों को कल्याण योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराने हेतु नए मानदंड बनाने का निर्णय लिया है, जैसा कि मीडिया में समाचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में प्रस्तावित नए मानदंडों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (च) सरकार की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आयोग के गरीबी अनुमानों को एक सीमा के रूप में उपयोग करके पहचान किए जाने वाले गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की संख्या के मुद्दे पर हाल ही में बहस हुई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य द्वारा यह घोषित किया गया है कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों में शामिल किए जाने वाले परिवारों की संख्या पर किसी प्रकार की सीमा लगाने के लिए योजना आयोग की कार्यपद्धति पर आधारित वर्तमान राज्य-वार गरीबी अनुमानों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। विशिष्ट हकदारियों का पता लगाने के लिए, वर्तमान में जारी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के माध्यम से एकत्र किए जा रहे संकेतकों पर आधारित वंचनों के बहुविध आयामों को ध्यान में रखा जाएगा। एसईसीसी 2011 के पूरा होने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग राज्यों, विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी संगठनों से परामर्श करेंगे तथा विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत पात्रता और हकदारियों का निर्धारण करने की कार्यपद्धति पर सर्वसम्मति बनाएंगे।

आई.आई.एम. की बाह्य समीक्षा

439. **श्री सी. राजेन्द्रन :**
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईआईएम के कार्यकरण की बाह्य रूप से समीक्षा कराने हेतु सरकार के पास कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं जिससे कि आईआईएम राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों की प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करा सकें; और

(घ) शिक्षा के गुणवत्ता और उसके परिणाम में सुधार करने हेतु क्या अन्य उपाय किए गए हैं/जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) के संगम ज्ञापन और नियमों के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार किसी सोसायटी या संस्थान के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने या उसके कार्यों की जांच करने और उसके संबंध में उस रूप में जैसाकि केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है, रिपोर्ट करने हेतु किसी भी समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है।

(ग) और (घ) सभी भारतीय प्रबंध संस्थानों के शासी बोर्ड राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किए जाने वाले छात्रों की सहायता के लिए अपनी पाठ्यचर्या तैयार करने/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु संस्थान विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए डॉक्टोरल कार्यक्रम और अन्य अल्पकालिक संकाय विकास कार्यक्रम भी संचालित करता है।

मातृभाषा में शिक्षा

440. **श्री जगदीश सिंह राणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में छह से चौदह वर्ष के आयुवर्ग के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आरटीई अधिनियम एक अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। आरटीई की धारा 29(2)(च) में यह प्रावधान है कि शिक्षा का माध्यम, जहां तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में होगा।

राजस्व आबंटन अप्रवास

441. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :**
श्री जे.एम. आरुन रशीद :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999 में बनाए गए निर्धारित लाइसेंस से राजस्व आबंटन माडल अप्रवास पैकेज के कारण 43,523 करोड़ के राजकोष की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन का पुनरीक्षण करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अप्रवास पैकेज माडल की समीक्षा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) और बुनियादी सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एन.टी.पी.)–1999 द्वारा प्रस्तावित स्थानांतरण पैकेज के कारण लाइसेंस शुल्क संग्रहण पर पड़ने वाले का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) यह स्थानांतरण पैकेज, लाइसेंसधारकों को एनटीपी–1999 में स्थानांतरित करने के लिए एक-मुश्त उपाय के रूप

में था। इसके उपरांत लाइसेंस की एक नई श्रेणी अर्थात् यू.ए.एस. लाइसेंस शुरू की गई और भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को छोड़कर अधिकांश बुनियादी और सी.एम.टी.एस. लाइसेंसधारक यू.ए.एस. लाइसेंस में स्थानांतरित हो गए।

विवरण

सी.एम.टी.एस. और बुनियादी सेवा प्रदाताओं के लिए एन.टी.पी.-99 द्वारा प्रस्तावित स्थानांतरण पैकेज के कारण लाइसेंस शुल्क संग्रहण पर पड़ने वाला प्रभाव

लाइसेंस	लाइसेंस अवधि के लिए नियत लाइसेंस शुल्क	इन कंपनियों द्वारा लाइसेंस अवधि हेतु वास्तव में भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क (ख)	नियत तथा वास्तव में भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क में अंतर (ग) =(क-ख)
सीएमटीएस (10 वर्षों की लाइसेंस अवधि के लिए)	30492.12 (#)	11234.90	19257.22
बुनियादी (15 वर्ष की लाइसेंस अवधि के लिए)	27862.50	3595.80 (*)	224266.70
कुल	58354.62	14830.70	43523.92

टिप्पणियां :

1. पैरा सं. 14.4 (vii) के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी के अनुसार, लाइसेंस की प्रभावी तारीख में छह माह की काल्पनिक वृद्धि के कारण छूट की राशि 1187.50 करोड़ रुपए (सी.एम.टी.एस (सकिलो) के लिए 841.24 करोड़ रुपए) और बुनियादी सेवाओं के लिए 346.21 करोड़ रुपए) है।

2. #(i) मेट्रो लाइसेंसधारकों द्वारा चौथे वर्ष के बाद से प्रति उपभोक्ता 6023 रुपए की दर से उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या के आधार पर अदा करने के लिए प्रतिबद्ध लाइसेंस शुल्क शामिल है (10348.77 करोड़ रुपए की राशि लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख, नवंबर, 1995 के आधार पर आंकी गई है)।

   (ii) उपभोक्ता संबंधी आंकड़े ट्राई से लिए गए हैं जिन्होंने यह इंगित किया है कि सितंबर, 2001 तक की अवधि के आंकड़ों का स्रोत सीओएआई है।

3. (i) बुनियादी सेवा लाइसेंसों के लिए प्रतिबद्ध लाइसेंस शुल्क वर्ष 2011-12 तक (15 वर्ष की लाइसेंस अवधि के लिए) लिया गया है जबकि लाइसेंस शुल्क का भुगतान वर्ष 2009-10 तक किया गया है।

   (ii) वर्ष 2003 में छह बुनियादी सेवा लाइसेंसधारकों द्वारा यू.ए.एस.एल. में स्थानांतरण के लिए अदा किया गया प्रवेश शुल्क (493.46 करोड़ रु.) शामिल है।

पायलटों को प्रलोभन देकर अपनी सेवा में लेना

442. **श्री प्रदीप मांझी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राइवेट एयरलाइनों द्वारा राष्ट्रीय एयरलाइनों के पायलटों को प्रलोभन देकर अपनी सेवा में लेने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और एयरलाइन-वार ऐसे पायलटों की संख्या कितनी है जिन्होंने प्राइवेट एयरलाइनों में सेवा ग्रहण की;

(ग) क्या सरकार ने पायलटों को इस प्रकार प्रलोभन देकर अपनी सेवा में लेने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) प्रशिक्षित कमांडरों की कमी तथा एयरलाइनों द्वारा उच्च पारिश्रमिक की पेशकश किया जाना प्रलोभन के कतिपय कारण हैं।

(घ) नागन विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर 2009 की नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) खंड 7, श्रृंखला 10, भाग 2, अंक 2 जारी किया गया। सी.ए.आर. के तहत कार्रवाई पर पुनः बल दिया गया है।

नई व्यावसायिक नीति

443. श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई व्यावसायिक नीति प्रवेश पाने और बाहर निकलने की प्रक्रिया को आसान बनाती है और विद्यार्थी काम करते हुए स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय ही शुल्क संरचना तय करेगा और प्रशिक्षण मुहैया कराने वालों की ज्ञान सुपुर्दगी तथा मूल्यांकन प्रविधियों की निगरानी करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम से बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों सहित तकरीबन 200 मिलियन ऐसे विद्यार्थियों को बल मिलेगा जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों अथवा डिप्लोमा नियमित तकनीकी तथा अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्री/डिप्लोमा के समकक्ष हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा शुरू किए गए प्रस्तावित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा कार्यढांचे में यह व्यवस्था शामिल है कि किसी छात्र को स्नातक स्तर तक पहुंचने के लिए व्यावसायिक विषय अथवा परम्परागत विषय चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव है कि छात्रों को विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक विषय से मौजूदा औपचारिक उच्चतर शिक्षा विषय अथवा औपचारिक उच्चतर शिक्षा विषय से व्यावसायिक शिक्षा विषय में जाने की स्वतंत्रता होगी।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्य क्षेत्र के तहत इस योजना के कार्यान्वयन हेतु इसकी कार्यनीतियों को तैयार किया जा रहा है।

(ङ) और (च) प्रस्तावित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता कार्यढांचे (एनवीईक्यूएफ) का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को शिक्षा के मुख्य विषयों के साथ एकीकृत करके गुणवत्ता और उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप कुशल और उत्पादनकारी कार्यबल सृजित करना है।

(छ) और (ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यक्षेत्र के तहत इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इसकी कार्यनीतियों को तैयार किया जा रहा है।

सी.आई.सी. में लंबित मामले

444. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सूचना आयुक्त के पास लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए

गए हैं कि मामले लंबे समय तक लंबित न रहें और सूचना के अधिकार के अंतर्गत आए आवेदन शीध्रता से निपटाए जाएं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सूचना आयोग में लंबित अपीलों और शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अवधि	मामलों की सख्या
01.04.2008 तक की स्थिति के अनुसार	6820
01.04.2009 तक की स्थिति के अनुसार	8924
01.04.2010 तक की स्थिति के अनुसार	12242
01.08.2011 तक की स्थिति के अनुसार	17046

केन्द्रीय लोक प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए आर.टी.आई. आवेदनों की संख्या में कई गुना वृद्धि होने और इसके फलस्वरूप आयोग में दायर अपीलों/शिकायतों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोत्तरी के कारण आयोग में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय सूचना प्राधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जारी करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं जिससे वे सूचनाएं उपलब्ध करा सकें/प्रथम अपीलों को कारगर ढंग से निपटा सकें। इससे आयोग के पास अपीलों की संख्या में कमी आएगी तथा आयोग आदि के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जा सकेंगे। आयोग ने अपीलों/शिकायतों से संबंधित मामलों को दूर करने के लिए अपनी ओर से विषय अभियान की शुरूआत की है।

[हिन्दी]

आरक्षण नीति

445. श्री अशोक कुमार रावत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरक्षण नीति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों से शासित होती है तथा प्रणाली लक्षित वर्गों के लिए प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) संविधान की नौंवी अनुसूची में आरक्षण नीति के अप्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक उपबंध संबंधी कानूनों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी संगठनों, सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति को कार्यकारी अनुदेशों द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके के प्रशासित किया जा रहा है।

सरकार की आरक्षण नीति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले पदों और सेवाओं के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 1.1.2008 तक की स्थिति के अनुसार (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) क्रमश: 16.56%, 6.84% और 7.00% तक बढ़ गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के कम होने का कारण यह है कि इनके लिए आरक्षण 1993 में शुरू हुआ था और पदोन्नति में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) इस विषय पर कोई विधान नहीं है, जिसे नौंवी अनुसूची में शामिल किया जा सके।

(घ) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार की किसी प्रकार से आरक्षण नीति का जानबूझकर अनुपालन न करना अनुशासनात्मक कार्रवाई के योग्य बना देता है।

फोन टेपिंग

446. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दूरसंचार सेवाएं मुहैया करा रहे निजी दूरसंचार आपरेटरों की सर्किलवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कंपनियों को सरकार की अनुमति के बिना टेलीफोन वार्ता टेप करने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो दूरसंचार ऑपरेटर्स द्वारा गैर-कानूनी रूप से फोन टेपिंग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) देश में बेसिक/सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा/एकीकृत अभिगम सेवा प्रदान करने वाले निजी प्रचालको की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा देश में कुल 25 राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) के निजी प्रचालक भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परियात का संवहन करते हुए प्रचालन संबंधी कार्य कर रहे हैं। इन प्रचालकों को देशभर में प्रचालन कार्य की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फोन-कॉलों की गैर-कानूनी टेपिंग भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 26 के तहत एक दंडनीय कृत्य है जिसके अंतर्गत तीन वर्ष तक की अवधि तक कारावास की सजा अथवा जुर्माना लगाए जाने अथवा दोनों का प्रावधान है।

विवरण

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	लाइसेंसधारकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	असम	12
3.	बिहार	14
4.	दिल्ली	13
5.	गुजरात	12
6.	हरियाणा	13
7.	हिमाचल प्रदेश	13
8.	जम्मू और कश्मीर	12
9.	कर्नाटक	13
10.	केरल	12
11.	कोलकाता	12
12.	मध्य प्रदेश	13
13.	महाराष्ट्र	13
14.	मुंबई	12
15.	पूर्वोत्तर	12
16.	उड़ीसा	13
17.	पंजाब	13
18.	राजस्थान	12
19.	सेवा क्षेत्र	12
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	12
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	12
22.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	275

सेवानिवृत्ति के बाद कार्रवाई

447. श्री महेश जोशी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई सरकारी संगठनों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियमों के विद्यमान न होने के कारण सेवानिवृत्ति उपरांत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क)

से (ग) सीसीएस (पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 9 में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के कर्मचारियों के विनियमन हेतु उनके अपने आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम हैं। सीपीएसईएस हेतु माडल सीडीए नियमों के संबंध में सरकार के अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पश्चात् जारी रहेगी।

सीआईएल के चिकित्सा महाविद्यालय

448. **श्री एल. राजगोपाल : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का विचार देश के खनन क्षेत्रों में चिकित्सा और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन से स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सीआईएल द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों में से कोई महाविद्यालय आंध्र प्रदेश के खनन क्षेत्रों में खोले जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, हां। कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों के खनन क्षेत्रों में 5 मेडिकल कालेजों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। किसी इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस संबंध में पहचान किए गए स्थानों में तलचर, रांची, धनबाद और मनेन्द्रगढ़ शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) आंध्र प्रदेश में कोल इंडिया लि. अथवा इसकी सहायक कंपनियों की कोई खनन परियोजनाएं नहीं है।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

449. **डॉ. कृपारानी किल्ली : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक स्थापित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में इस प्रकार के पार्कों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि कोई कमी रही है तो इसके कारण क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त स्थान भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने संपूर्ण देश में 52 एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए हैं। एसटीपीआई केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नए एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना की नीति के अनुसार एसटीपीआई संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रस्ताव की निर्यात क्षमता और व्यावसायिक औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करता है। चूंकि एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना की पहल राज्य सरकार को करनी होती है, एसटीपीआई के लिए दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान नए एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपीआई) की सूची

क्र.सं.	राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरुपति

1	2	3
3.		विजयवाड़ा
4.		वाइजैग
5.		वारंगल
6.		काकीनाड़ा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
12		जम्मू
13.	झारखंड	रांची
14.	कर्नाटक	बंगलौर
15.		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मणिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरुवनंतपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
22.		नागपुर
23.		नासिक
24.		नवी मुम्बई
25.		कोल्हापुर
26.		पुणे
27.	मणिपुर	इम्फाल
28.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
29.		राउरकेला
30.		बारहमपुर
31.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
32.	पंजाब	मोहाली
33.	राजस्थान	जयपुर
34.		जोधपुर
35.	सिक्किम	गंगटोक
36.	तमिलनाडु	चेन्नै
37.		कोयम्बटूर
38.		मदुरै
39.		तिरुनावेली
40.		त्रिची
41.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
42.		लखनऊ
43.		नोएडा
44.		इलाहाबाद
45.	उत्तरांचल	देहरादून
46.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
47.		दुर्गापुर
48.		खड़कपुर

1	2	3
49.		सिलीगुड़ी
50.		हल्दिया
51.	बिहार	पटना
52.	मेघालय	शिलांग

विदेशी जेलों में भारतीय कामगार

450. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों की जेलों में कैद प्रवासी भारतीय कामगारों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशन ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मिशनों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को उनके मुकदमें प्रभावशाली ढंग से लड़ने के लिए विधिक सहायता भी दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ख) से (ङ) संबंधित देशों में मिशन/पोस्ट, उनके प्रत्यायन के देश के संबंधित प्राधिकरणों के साथ मामले को उठाने के अलावा, मदद व सहायता, अर्थात, उत्प्रवासी और उसके नियोक्ता से संपर्क करना और उत्प्रवासी के हितों का ध्यान रखने के लिए कार्रवाई करना और जहां कहीं आवश्यकता हो, देश-प्रत्यावर्तन के लिए व्यवस्था करना, परिवार के सदस्यों/संबंधियों से संपर्क करना और आवश्यक यात्रा दस्तावेज जारी करना आदि, भी प्रदान करते हैं।

भारतीय मिशनों के अधिकारी और राजनयिक, उनके प्रत्यायन के देश की जेलों में नियमित रूप से जाते है और भारतीय कैदियों से मिलते हैं। जहां कभी आवश्यक हो, कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती हैं।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने सभी देशों के भारतीय मिशनों में, जांचे परखे आधार पर कल्याण सेवाएं, जिसमें विपद्ग्रस्त प्रवासी भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता भी शामिल हैं, प्रदान करने के लिए, आकस्मिक खर्च पूरा करने हेतु, 'भारतीय समुदाय कल्याण कोष' (आईसीडब्ल्यूएफ) स्थापित किए है।

विवरण

विदेशी जेलों में बंद भारतीय कामगारों की संख्या

क्र.सं.	देश का नाम	मामलों की संख्या
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	1
2.	अलबानिया	शून्य
3.	अलजीरिया	शून्य
4.	अरमेनिया एंड जार्जिया	24
5.	आस्ट्रेलिया	उपलब्ध नहीं
6.	अजरबाइजान	शून्य
7.	बंगलादेश	शून्य
8.	बेल्जियम	शून्य
9.	बेलग्रेड	शून्य
10.	बेनिन	शून्य
11.	भूटान	63
12.	बोलिविया	शून्य
13.	बोसनिया	शून्य
14.	ब्राजील	शून्य
15.	ब्रुनई	5
16.	बुलगारिया	शून्य
17.	बुरून्डी	शून्य

1	2	3
18.	केमरून	शून्य
19.	सेन्ट्रल अफ्रीकन रि.	शून्य
20.	चीन	9
21.	क्रोएसिया	शून्य
22.	साइप्रस	शून्य
23.	चेक रिपब्लिक	शून्य
24.	कांगो का लोकतान्त्रिक गणराज्य	शून्य
25.	डेनमार्क	शून्य
26.	डेनमार्क	शून्य
27.	मिस्त्र	2
28.	इक्वेटोरियल गुनिया	शून्य
29.	फ्रांस	40
30.	गेबन	शून्य
31.	जर्मनी	उपलब्ध नहीं
32.	यूनान	शून्य
33.	हरजेगोबिना	शून्य
34.	इंडोनेशिया	शून्य
35.	ईरान	25
36.	इजराइल	10
37.	इस्तानबुल	शून्य
38.	इटली	127
39.	जमैका	1

1	2	3
40.	काबुल	शून्य
41.	कजाकिस्तान	शून्य
42.	के.एस.ए.	1400
43.	लेबनान	8
44.	लीथुआना	शून्य
45.	लग्जमबर्ग	शून्य
46.	मेसिडोनिया	शून्य
47.	मालावी	शून्य
48.	मालद्वीवस	18
49.	मालद्वीवस	शून्य
50.	मंगोलिया	शून्य
51.	मोजाम्बीक	शून्य
52.	नेर्राबी	शून्य
53.	नेपाल	शून्य
54.	न्यूजीलैंड	शून्य
55.	नाइजीरिया	शून्य
56.	पाकिस्तान	शून्य
57.	पनामा	शून्य
58.	पेरू	शून्य
59.	पौलैंड	शून्य
60.	प्रिन्साइप	शून्य
61.	रोगानिया	शून्य
62.	रवान्डा	शून्य

1	2	3
63.	सेन्ट डेनिस	शून्य
64.	साओ टोम	शून्य
65.	स्काटलैंड	शून्य
66.	सेशल्स	शून्य
67.	स्लोवाकिया	शून्य
68.	श्रीलंका	शून्य
69.	सूडान	शून्य
70.	स्वाजीलैंड	शून्य
71.	स्विट्जरलैंड	शून्य
72.	सीरिया	शून्य
73.	तजाकिस्तान	शून्य
74.	ट्यूनेसिया	शून्य
75.	तुर्की	शून्य
76.	उगान्डा	शून्य
77.	यूक्रेन	शून्य
78.	य.एस.ए.	शून्य
79.	उजबेकिस्तान	शून्य
80.	वियतनाम	शून्य
81.	विन्डहोक	शून्य
82.	जाम्बिया	शून्य
83.	जिम्बावे	शून्य

दिल्ली-उदयपुर-राजकोट उड़ान

451. श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-उदयपुर-राजकोट के बीच एयर इंडिया की दैनिक उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उड़ान प्रारंभ करने के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय होने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

झारखंड विकास समिति

452. श्री निशिकांत दुबे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने झारखंड के विकास के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार झारखंड के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) योजना आयोग ने झारखंड के विकास के लिए ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) और चयनित जनजातीय और पिछड़ा जिला हेतु एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जैसी स्कीमों को विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने और पहचान किए जिलों में विकास प्रवाह में वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन मुहैया कराने के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

संसद सदस्यों के पत्रों की पावती

453. श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि वे सर्वप्रथम संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती दें और उसके बाद उन्हें विशेषकर उनके निर्वाचन क्षेत्र संबंधी मामलों के अंतिम उत्तर दें;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष इस प्रकार के कितने पत्र प्राप्त हुए और उत्तर भेजे गए; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मंत्रालय/विभागों तथा संघ शासित राज्य प्रशासनों में लंबित इस प्रकार के पत्रों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा सं. 63, 66 और 127 संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती देने और उनका तत्परता से प्रत्युत्तर देने के विषय से संबंधित है। संगत उद्धरणों की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा संसद सदस्यों से प्राप्त किए गए पत्रों के किसी आंकड़े/सूचना का केन्द्रीय तौर पर रख-रखाव नहीं करता है।

(ग) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग समय-समय पर मंत्रालयों/विभागों को उन्हें केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में उल्लिखित कार्यविधि विशेषकर संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती देने और उनका तत्परता से उत्तर देने संबंधी कार्यविधि का अनुपालन करने की आवश्यकता के संबंध में सुग्राही बनाने के लिए पत्र लिखता रहता है।

विवरण

63. संसद सदस्यों के साथ पत्र-व्यवहार:

1. संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. यदि पत्र किसी मंत्री के नाम भेजा गया हो तो उसका उत्तर यथासंभव स्वयं मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए। अन्य मामलों में पत्रों का उत्तर केवल सचिव स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जाना चाहिए।

3. लेकिन यदि पत्र किसी संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष मंत्रालय/विभागों/संगठनों में प्रभारी शाखा के नाम से भेजा गया हो तो उसका उत्तर प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं दिया जाना चाहिए। ऐसे नेमी मामलों में वह स्वयं ही उचित उत्तर भेज सकता है जिसमें नीति संबंधी प्रश्न शामिल न हों। ऐसे मामलों में जिनमें नीति संबंधी प्रश्न शामिल हो, अधिकारी को उत्तर भेजने से पहले उच्चतर प्राधिकारियों से परामर्श कर लेना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संसद सदस्यों को ऐसे उत्तर कम से कम अवर सचिव के स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षरों से और केवल पत्र के रूप में ही भेजा जाए।

4. संसद सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना सामान्यत: दे देनी चाहिए बशर्ते कि मांगी गई सूचना की प्रकृति ऐसी न हो कि उसे संसद के सदनों में मांगे जाने पर भी मना कर दिया जाए।

5. जहां तक संभव हो संसद सदस्यों के साथ पत्र-व्यवहार करते समय पूर्व मुद्रित अथवा साइक्लोस्टाइल किए गए उत्तरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

6. यदि किसी पूर्व संसद सदस्य से मंत्री अथवा सचिव को संबोधित संदर्भ प्रप्त होता है तो ऐसे संदर्भ का जवाब मंत्रालय/विभाग के सचिव का अनुमोदन प्राप्त करके संबंधित प्रभागाध्यक्ष द्वारा भेजा जाए। यदि संदर्भ किसी निचले स्तर के अधिकारी को संबोधित हो, तो ऐसे संदर्भ का जवाब गैर नीतिगत मामलों में उस अधिकारी द्वारा स्वयं अपने स्तर से तथा नीतिगत मामलों में उच्च प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करके भेजा जाए। तथापि, किसी भी संदर्भ का जवाब कम से कम अवर सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा दिया जाए और वह भी केवल पत्र के रूप में भेजा जाना चाहिए।

66. प्राप्त पत्रों का शीघ्रातिशीघ्र उत्तर:

1. किसी संसद सदस्य, जनता, मान्यता प्राप्त संघ अथवा

सरकारी निकाय से प्राप्त पत्रादि की पावती 15 दिन के भीतर दी जाएगी और उसके बाद अगले 15 दिन दिन के भीतर पत्रादि का उत्तर दे दिया जाएगा।

2. जिन मामलों में (i) अंतिम उत्तर भेजने में विलम्ब होने की संभावना हो, अथवा (ii) अन्य मंत्रालय अथवा अन्य कार्यालय से सूचना प्राप्त की जानी हो, उनके बारे में अंतरिम उत्तर एक महिने (पत्र प्राप्ति की तारीख से) के अंदर भेज दिया जाएगा जिनमें अंतिम उत्तर भेजने की संभावित तारीख का उल्लेख हो।

3. यदि कोई पत्रादि किसी संबंधित विभाग को गलती से भेज दिया गया हो तो उस उपयुक्त विभाग को शीघ्रातिशीघ्र (एक सप्ताह के अंदर) हस्तांतरित कर दिया जाए और उसकी सूचना संबद्ध पक्ष को दे दी जाए।

4. यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति के आवेदन को किसी कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे अनुरोध को स्वीकार न करने के कारण बताए जाने चाहिए।

5. जहां तक संभव हो जनता के अनुरोधों को प्रयोक्ता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए न कि उस दृष्टिकोण से जो प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए सुविधाजनक हो।

127. संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निपटान पर निगरानी:

1. प्रत्येक संयुक्त सचिव/निदेशक (यदि निदेशक सीधे ही सचिव/अपर सचिव को मामले प्रस्तुत करता है) का वैयक्तिक अनुभाग संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाले पत्रों के संबंध में परिशिष्ट-45 में दिए गए फार्म में एक अलग रजिस्टर रखेगा। इस रजिस्टर में जिस क्रम संख्या पर कोई पत्र दर्ज किया जाएगा वह क्रम संख्या और साथ ही दर्ज करने की तारीख पत्र पर स्पष्ट रूप से अंतिम की जाएगी:-

125/जेएस/(पी) एमपी

20-3-2009

2. संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के शीघ्र निपटान पर विशेष निगरानी रखने के लिए प्रत्येक अनुभाग:

(क) परिशिष्ट-46 में दिए गए फार्म में एक रजिस्टर बनाएगा; और

(ख) अंतिम रूप से निपटाए गए पत्रों के संबंध में रजिस्टर की क्रम संख्याओं को लाल स्याही से स्पष्ट रूप से गोलाकार करेगा।

3. यदि संसद सदस्य का कोई पत्र संयुक्त सचिव/निदेशक के वैयक्तिक अनुभाग में दर्ज हुए बिना ही किसी कारणवश किसी अनुभाग से प्राप्त हो जाता है तो उसे वह दर्ज कराने के संबंध में तत्काल कार्रवाई कराएगा।

4. प्रत्येक महीने की पहली तारीख को प्रत्येक अनुभाग परिशिष्ट-47 पर दिए गए फार्म में रिपोर्ट सहित रतिस्टर को अवर सचिव/उप सचिव को प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट अवर सचिव/उप सचिव की अभ्युक्तियों के साथ निदेशक/संयुक्त सचिव के पास प्रस्तुत की जाएगी और रजिस्टर अनुभाग में वापस लौटाया जाएगा।

5. संयुक्त सचिव/निदेशक का निजी अनुभाग इस बात की जांच करेगा कि क्या उसके रजिस्टर में दर्ज सभी पत्र अनुभागों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों में शामिल हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसका समाधान किया जाए। उसके बाद रिपोर्ट संवीक्षा के लिए तथा अन्य ऐसी कार्रवाई के लिए, जो भी वह उचित समझे, संयुक्त सचिव/निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी।

6. मंत्रालय, विभागीय अनुदेशों के माध्यम से परिशिष्ट-45, 46 और 47 में दिए गए फार्मों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त कालम जोड़ सकते हैं।

एसएमएस सीमित करना

454. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी ग्राहकों के लिए अनुमेय एसएमएस की संख्या प्रतिदिन 100 तक सीमित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर विभिन्न स्टेकधारकों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(ट्राई) ने अवांछित वाणिज्यिक संचार रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से 1 दिसंबर, 2010 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता अधिमानता विनियम, 2010" जारी किया। इस विनियम के अनुसार अभिगम प्रदाताओं को अधिदेश दिया गया है कि वे पंजीकृत टेली विपणनकर्ताओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को ट्राई के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट "ब्लैकआऊट दिवसों" और अतिरिक्त दिवसों को छोड़कर प्रति सिम प्रतिदिन एक सौसे अधिक एसएमएस भेजने की अनुमति देते हुए विशेष रिचार्ज वाउचर, स्टूडेन्ट पैक, सीजनल पैक आदि जैसे किसी भी रूप में कोई टैरिफ प्लान या एसएमएस पैकेज प्रदान नहीं करें।

यह प्रतिबंध अपंजीकृत टेली विपणनकर्ताओं को बड़ी संख्या में एसएमएस भेजने से रोकने के लिए लगाया गया है।

(ग) और (घ) ट्राई को कुछ सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि प्रति सिम प्रतिदिन एक सौ एसएमएस की सीमा में वृद्धि की जाए। तदनुसार ट्राई ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया और 1 नवंबर, 2011 से प्रतिदिन प्रति सिम एक सौ एसएमएस की सीमा को बढ़ाकर दो सौ एसएमएस कर दिया है।

विमानचालकों द्वारा सामूहिक अवकाश

455. श्री के. सुगुमार :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया के विमान चालकों ने हाल ही में सामूहिक अवकाश लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कारण से कई उड़ाने रद्द हुई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार उनकी शिकायतों का समाधान करने और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठा रही है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी, हां। 25 अक्तूबर, से 12 नवंबर, 2011 तक 12 कमांडरों तथा 17 सह-पायलटों, जो कि एअर इंडिया से एअर इंडिया एक्सप्रेस में प्रतिनियुक्ति पर थे, द्वारा बीमार होने की रिपोर्ट मिली थी।

(ग) और (घ) एअर इंडिया एक्सप्रेस की सभी 29 उड़ाने निरस्त कर दी गई थीं।

(ङ) एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा पायलटों को सलाह दी गई कि वे ऐसे कदम न उठाएं जिनके कारण एयरलाइन को वित्तीय हानि और विमान यात्रियों को असुविधा हो।

[हिन्दी]

कॉल डिटेल मुहैया करना

456. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों विशेषकर बीएसएनएल को केवल विहित सीमित समय की ही कॉल डिटेल मुहैया कराने के अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) लाइसेंस शर्त के अंतर्गत उस न्यूनतम अवधि की व्यवस्था की गई है जिनके लिए नेटवर्क पर आदान-प्रदान किए गए संचार से संबंधित कॉल डिटेल रिकार्डस (सीडीआर) अथवा वाणिज्यिक रिकार्ड को रखना होता है। केवल किसी विशिष्ट अवधि के लिए कॉल के ब्यौरे प्रदान करने हेतु बीएसएनएल को कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिकायत समाधान तंत्र

457. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नागरिक/उपभोक्ता चार्टर तथा शिकायत समाधान तंत्र के क्रियान्वयन पर कोई कार्यशाला आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यशालाओं में जिन विषयों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके क्या परिणाम निकले?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा **प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) :** (क) जी, हां।

(ख) **वर्ष 2010-11 में**, भारत सरकार में 62 मंत्रालयों/विभागों के लिए अगस्त-सितम्बर 2010 में सेवोत्तम अनुपालनकर्ता नागरिक/ग्राहक चार्टरों और सेवोत्तम अनुपालनकर्ता शिकायत निवारण तंत्र पर दो-दो दिन की चार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

वर्ष 2011-12 में, सेवोत्तम के क्षमता निर्माण पर दो-दो दिन की चार कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। सेवोत्तम ढांचे में नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण तंत्र और संगठन के लिए क्षमता निर्माण के तीन मॉड्यूल शामिल हैं। इन चार कार्यशालाओं में से दो कार्यशालाएं भारत सरकार के 82 मंत्रालयों/विभागों के लिए हैं ये 22-23 सितम्बर, 2011 और 18-19 अक्तूबर, 2011 को आयोजित कर ली गई हैं। दो कार्यशालाएं राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों के लिए हैं। ये 24-25 नवम्बर, 2011 और 29-30 नवम्बर, 2011 के लिए सूचीबद्ध हैं।

(ग) **2010-11 में 4 कार्यशालाओं में विचार-विमर्शित विषयों का ब्यौरा :** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मंत्रिमंडल सचिवालय के निष्पादन प्रबंध प्रभाग और भारतीय वाणिज्यक एवं उद्योग मंडल संघ (फिक्की) गुणवत्ता फोरम के सहयोग से एक परामर्शी सहभागी के रूप में 30 अगस्त, 2010 से 22 सितम्बर, 2010 तक "केन्द्र सरकार में सेवोत्तम अनुपालनकर्ता नागरिक/ग्राहक चार्टर" पर दो-दो दिन की चार कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया था। 62 मंत्रालयों/विभागों के 149 भागीदार चार कार्यशालाओं में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़, सेंटर फार गुड गवर्नेंस, हैदराबाद, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद जैसे चुनिंदा प्रशिक्षण संस्थानों के कुछ प्रतिनिधियों ने भी यह तय करने के उद्देश्य से कि वे यदि अपने संस्थानों में इस विषय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को शुरू कर सके, इनमें भाग लिया। कार्यसूची में प्रसिद्ध मुख्य अतिथि वक्ताओं की उद्घाटन वार्ताएं और "सेवोत्तम अनुपालनकर्ता नागरिक/ग्राहक चार्टर, सेवोत्तम अनुपालनकर्ता शिकायत निवारण तंत्र, सेवोत्तम, नीति और परिणाम प्रारूप दस्तावेज तथा एक प्रारूप सेवोत्तम अनुपालनकर्ता नागरिक/ग्राहक चार्टर तथा शिकायत निवारण तंत्र तैयार करने पर एक समूह कार्य" पर सत्र शामिल थे।

सितम्बर-अक्तूबर 2011 में आयोजित 2 कार्यशालाओं में विचार-विमर्शित विषयों का ब्यौरा : इन कार्यशालाओं का फोकस मूल विषय अध्ययन में शामिल मूल तत्वों और सोपानों को समझते हुए सेवोत्तम का तीसरा माड्यूल अर्थात सेवा प्रदायगी के लिए क्षमता निर्माण', दस्तावेजों की उपलब्धता, सेवा गुणवत्ता मानीटरिंग तंत्र, प्रौद्योगिकी का उपयोग, शीर्ष प्रबंध फोकस, रोजमर्रा की सेवाओं की सुचारु रूप से प्रदायगी और प्रणालियों हेतु निरन्तर सुधारों के लिए प्रणालियों की स्थापना करने सहित मानक निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ एक अंतराल विश्लेषण संचालित करने पर था। 'सेवोत्तम को कार्यान्वित करने संबंधी दिशा निर्देश-सितम्बर, 2011' नामक एक नया दस्तावेज प्रकाशित किया गया और इन कार्यशालाओं के दौरान उसका प्रचार-प्रसार किया गया।

(घ) **2010-11 में आयोजित कार्यशालाओं से प्राप्त परिणाम :** तीन परिणामों को सूचीबद्ध किया जा सकता है:

(i) इन चार कार्यशालाओं में भाग लेने वाले सभी 62 मंत्रालयों/विभागों ने अपने सेवोत्तम अनुपालनकर्ता नागरिक/ग्राहक चार्टर बना लिए हैं जिनमें सेवा प्रदायगी के लिए समय सीमा शामिल है और समय सीमा के अनुसार सेवा की प्रदायगी न करने की स्थिति में शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली है। इन सभी चार्टरों को मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है।

(ii) सभी 62 मंत्रालयों/विभागों ने उनके बेवपेज पर उनके आनलाइन शिकायत निवारण तंत्र से लिंक करने की व्यवस्था की है।

(iii) इन 62 मंत्रालयों/विभागों ने उनके अधीनस्थ कार्यालयों और क्षेत्रीय संगठनों के लिए केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं मानीटरिंग पद्धति (सीपीजीआरएमएस) संस्करण 4.0 के लिए लिंक भी खोले हैं। इसके परिणामस्वरूप, सीपीजीआरएमएस पर सक्रिय कार्यालयों की संख्या बढ़कर लगभग 6000 तक हो गई है। इन कार्यशालाओं से पहले,

सीपीजीआरएमएस पर केवल लगभग 1500 क्षेत्रीय संगठन सक्रिय थे।

2011-12 में आयोजित कार्यशालाओं से प्राप्त परिणाम :

(i) सितम्बर-अक्तूबर, 2011 में आयोजित की गई दो कार्यशालाओं के माध्यम से 82 मंत्रालयों/विभागों के लगभग 200 भागीदारों को नागरिक एवं ग्राहक दोनों के लिए सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए क्षमता निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं के बारे में सुग्राही बना दिया गया है, (ii) सेवोत्तम के कार्यान्वयन में क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सितम्बर, 2011 में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इनका भागीदारों में प्रचार-प्रसार कर दिया गया है।

[अनुवाद]

अध्यापकों की सेवानिवृत्ति

458. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष है।

(ख) और (ग) भाग (क) उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

गैर-महानगरीय विमानपत्तन

459. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का विचार गैर-महानगरीय विमानपत्तनों को बढ़ावा देने के लिए रियायत और प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो मार्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अपने कुछ चुनिंदा हवाईअड्डों से नई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ाने प्रचालित करने वाली एयरलाइनों को छूट ऑफर करने की योजना बनाई है। इन हवाईअड्डों के नाम हैं - अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बतूर, गया, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, मंगलौर, पटना, रांची, श्रीनगर, सूरत, त्रिची, त्रिवेंद्रम और वाराणसी। ये प्रोत्साहन लैंडिंग और पार्किंग प्रभारों में छूट और नि:शुलक रात्रि पार्किंग के रूप में हैं।

विमान चालक लाइसेंस देने में अनियमितताएं

460. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जाली लाइसेंस धारक विमानचालकों की गिरफ्तारी के बाद इस प्रकार की जालसाजी को रोकने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) विमान चालकों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) सरकार ने पायलटों की लाइसेंसिंग और जांच की वर्तमान व्यवस्था को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर पद्धतियों की तर्ज पर सुरक्षित, विश्वसनीय व दक्ष बनाने के लिए सिफारिशें करने को कहा था। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और उसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

(घ) समिति की सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कहा गया है।

(च) नागर विमानन महानिदेशालय के लाइसेंसिंग निदेशालय में वर्तमान क्रियाविधियों को कड़ाई से लागू कर दिया गया है। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए डीजीसीए की परीक्षाओं के परिणामों को, लाइसेंसिंग निदेशालय के पास उपलब्ध, केंद्रीय परीक्षा संगठन के पास मास्टर परीक्षा परिणाम पत्रक से पुन: सत्यापन किया जाता है तथा परिणाम पत्रक की अनुपलब्धता, कागजातों को पुष्टि किए जाने के लिए केन्द्रीय परीक्षा संगठन को भेजा जाना अपेक्षित है। विदेशी लाइसेंसों को भारतीय लाइसेंसों में बदलने से पहले, विदेशी लाइसेंस जारी करने वाले देश की संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पुष्टि करवानी होती हैं।

विवरण

सिफारिशों की सूची

परीक्षण प्रणाली हेतु:

सिफारिश सं.	सिफारिश
1	2
1.	समिति यह विचार करती है कि सी.ई.ओ. द्वारा ली जानी वाली परीक्षा लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा है तथा कुछ प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो कि लाइसेंस निदेशालय द्वारा आरंभ किया गया है। कंप्यूटर निर्गत करते समय मूल अर्हता का सत्यापन सी.ई.ओ. द्वारा प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए जिससे कि उम्मिदवार के लाइसेंस निर्गत होने तक यह संपन्न हो जाए।
2(i)	नगर विमानन महानिदेशालय को परीक्षा से संबंधित सारे कार्य क्लापों को कंप्यूटरीकृत कर देना चाहिए जैसे कि परीक्षा का आन लाईन पंजीकरण, रौल नं. का आवंटन, परीक्षा तिथि की सारणी, कंप्यूटर आधारित आनलाइन परीक्षा संचालित करना, परीक्षाफल घोषित करना।
2(ii)	नागर विमानन महानिदेशालय ने क्रम सं.1 पर वर्णित पहल की है, ए.टी.पी.एल. से प्रारंभ करते हुए परीक्षा चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जा सकता है।

1	2
2(iii)	परीक्षा के दौरान प्रतिरूपण की घटना को रोकने के लिए उम्मिदवार के सत्यापन के लिए बाबयोमेट्रिक का सुझाव दिया गया है।
3(i)	आदर्श स्थिति में सबसे अच्छा विकल्प ईंड-टू-ईंड समाधान ही होगा जहां कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संचालन के लिए साफ्टवेयर तथा आधारभूत संरचना एक एजेंसी द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है।
3(ii)	वर्तमान में एन.आई.सी. साफ्टवेयर अप्लीकेशन की तैयारी में काफी प्रगति कर चुकी है, नागर विमानन महानिदेशालय एन.आई.सी. द्वारा तैयार किए गए साफ्टवेयर अप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए एक एजेंसी का आधारभूत संरचना को किराऐ पर लेना चाहिए।
3.(iii)	भविष्य में नागर विमानन महानिदेशालय को पूरी परीक्षा प्रणाली को सारे सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए आउटसोर्स कर देना चाहिए। इस संबंध में महानिदेशालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विनियामक संस्थाओं द्वारा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।
4.	ढाई वर्ष या पांच वर्ष तक की वैधता को पर्याप्त माना जा रहा था। यद्यपि, समिति का यह विचार था कि उम्मिदवारों को परीक्षा देने के लिए अपनी इच्छानुसार तिथि तय करने का विकल्प अन्य देशों के समान दिया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए वर्तमान में कागज आधारित परीक्षा को समाप्त किया जाना चाहिए तथा आन-लाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जानी चाहिए। महानिदेशालय को पायलट की परीक्षा में शामिल होने की बारी को सीमित करने पर विचार करना चाहिए।
5.	नागर विमानन महानिदेशालय को विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री की सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
6(i)	समिति यह सिफारिश करती है कि प्रश्न बैंक को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

1	2
6.(ii)	प्रश्नों को तय करते समय नागर विमानन महानिदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सिलेब्स के अनुसार ही हों।
6.(iii)	नागर विमानन महानिदेशालय को एक प्रश्न बैंक बनाना चाहिए जिसमें बड़ी संख्या में प्रश्न हों। 1:10 का आदर्श अनुपात की सलाह दी जाती है।
6.(iv)	प्रश्नों को सही तरीके से पुनरीक्षित किया जाना चाहिए जिससे की परीक्षार्थियों द्वारा बाद में कोई आपत्ति न की जाए।
लाइसेंस प्रणाली के लिए	
7.	समिति यह सिफारिश करती है कि सी.ई.ओ. में प्रोसस किया गया रिजल्ट डी.टी.एल. रिकार्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिकली विलय कर दिया जाना चाहिए।
8.	प्रक्रिया को तेजी से करने के लिए, समिति परीक्षा सी.ई.ओ. होने के कारण लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा है, यह सिफारिश करती है कि कंप्यूटर सं. आवंटन के समय इस प्रकार का सत्यापन की पहल की जाए।
9.	समिति यह विचार करते हुए कि वैसे ही व्यक्ति जिनके पास उड़ान की योग्यता है, ही इस व्यवसाय में आएं, परीक्षा से पूर्व एक प्रवेश परीक्षा लेती है। तथा, समिति यह सिफारिश करती है कि इस प्रकार की परीक्षा में एक कौशल तथा साइकोमेट्रिक टेस्ट की परीक्षा भी होनी चाहिए। इन टेस्टों का संचालन एक प्रस्तावित एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए जो भविष्य में नागर विमानन महानिदेशालय की तरफ से परीक्षा लेगी जब तक कि इस प्रकार की एजेंसी तथा स्थायी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त कर ले।
10.	समिति उपरोक्त सीमाओं को विचार में रखते हुए यह सिफारिश करती है कि सीधे उड़ान संस्थाओं से प्राप्त उड़ान के अनुभवों को प्राप्त करने के प्रावधान पर विचार करेगी। महानिदेशालय, को विभिन्न फ्लाईंग क्लबों में प्रशिक्षण के लिए रखे गए विमानों के परिचालन को आन लाइन लाने की संभावना को ढूंढना चाहिए। इस तरह की मानीटरिंग लॉग बुक की हेर-फेर को कम करने में सहायक होगी।
11.	समिति ने यह भी देखा कि पायलटों द्वारा कदाचार अपनाने की वजह उनका लिखित परीक्षाओं में फेल होना था। समिति ने यह महसूस किया कि देश में पायलटों एवं विमान अनुरक्षण इंजिनियर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता हैं
लाइसेंस के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित करना	
12.	समिति यह सिफारिश करती है कि कार्मिकों (पायलट, ए.एम.ई. तथा ए.टी.सी.ओ.) के लाइसेंस के लिए एक एकीकृत डाटा बेस को विकसित किया जाना चाहिए। व्यापक लाइसेंस प्रणाली में निम्नलिखित होना चाहिए:- न्यूनतम मानव इंटरफेस; परीक्षा तथा मेडिकल इंटरफेस; विभिन्न एजेंसियों तथा फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथा एयरलाइंस के साथ इंटरफेस जिससे कि विमान के प्रचालन, अनुरक्षण, वास्तविक उड़ान समय तथा दूसरे संबंधित डाटा की जानकारी प्राप्त हो सके; डिजीटाइल पायलट लाग बुक का इस्तेमाल, बायो-मेट्रिक आईडेंटिफिकेशन प्रणाली; स्मार्ट कार्ड लाइसेंस जिसमें की माइक्रोचिप जिसमें की लाइसेंस धारकों की सारी जानकारी हो की शुरूआत।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मयाह्न 12 बजे पुन समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत पासपार्ट (संशोधन) नियम, 2011 जो अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 22 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 655(अ) जो 1 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5283/15/11]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदय, मैं परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व नियम, 2011 जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 804(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 5284/15/11]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5285/15/11]

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5286/15/11]

(4) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

(5) उपर्युक्त मद संख्या (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5287/15/11]

(6) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त मद संख्या (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5288/15/11]

(8) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त मद संख्या (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5289/15/11]

(10) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त मद संख्या (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5290/15/11]

(12) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 5291/15/11]

(13) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त मद संख्या (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 5292/15/11]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0½बजे

इस समय श्री रमेश राठौड़, श्री के. चन्द्र शेखर राव, और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0¾ बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं 2 अगस्त, 2011 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के आठवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 8 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

1. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2011;

2. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2011;

3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011;

4. सीमा-शुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011;

5. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011;

6. संविधान (छियानवेवां संशोधन) विधेयक, 2011;

7. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011;

8. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011;

महोदय, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 03 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:-

1. सिक्का-निर्माण विधेयक, 2011

2. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011

3. मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2011

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए संख्या एल.टी. 5293/15/11*]

मध्याह्न 12.01 बजे

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री कमलनाथ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन्हें आज नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, इस संबंध में अपनी पर्ची व्यक्तिगत रूप से शीघ्र ही सभा पटल पर सौंप दें। केवल उन्ही मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनकी पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हुई हैं।

...*(व्यवधान)*

(एक) देश में, विशेष रूप से पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए एक प्रभावकारी रोजगार योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरूदासपुर) : पंजाब जो एक समय में बहुत ही प्रगतिशील और समृद्ध राज्य था, आज शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार जैसी ही व्याधियों से परेशान है। विश्वस्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में 9.58 लाख से अधिक व्यक्ति बेरोजगार हैं।

केवल मेरे जिले गुरूदासपुर में ही 1.57 लाख युवक बेरोजगार हैं। स्थिति और खराब हुई है क्योंकि भारी संख्या में शिक्षित युवक बेरोजगार हैं। योजना आयोग द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार पंजाब में अनुमानत: 61.6 प्रतिशत बेरोजगार मैट्रिक हैं और उनमें से अनुमानत: एक चौथाई तकनीकी या व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हैं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.11.11 में प्रकाशित।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री प्रताप सिंह बाजवा]

यह राष्ट्र के मानव संसाधनों और निर्गमों की घोर बर्बादी है और इससे समाज पर गंभीर सामाजिक-आर्थिक बोझ पड़ता है। बेरोजगार युवक जो बहुतही अवसाद और हताशा में हैं, नशा खोरी और मद्यपान की ओर बढ़ रहे हैं।

इस गंभीर बेरोजगारी से विदेशों में रोजगार तलाशने की गंभीर कोशिश शुरू हुई है। अनेक युवक विदेशों में कार्य करने के लिए कोई मौका नहीं गवाते है और कभी-कभी वे संदिग्ध चरित्र वाले ट्रैवल एजेंटों और प्लेसमेंट कंसलटैंट की गिरफ्त में आ जाते हैं जो बहुत अधिक शुल्क लेते हैं और शायद ही वादा की गयी सेवाएं देते है। इसके परिणामस्वरूप विदेशों की कारागारों में मुश्किल जीवन गुजार रहे पंजाबी युवकों की कई कहानियां हैं।

यदि इस स्थिति को शुरूआती दौर में पूरी तरह नहीं निपटाया गया तो इससे जन संसाधनों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए प्रभावी रोजगार रणनीति तैयार करने हेतु केन्द्र को शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। पंजाब के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी रणनीति को रोजगार के साथ-साथ उद्यम अवसरों का भी सृजन करना चाहिए।

(दो) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत और अधिक निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : भारत सरकार के मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत देश के सभी मुस्लिम बाहुल्य जिलों में बजट का आवंटन किया गया था, जिसमें मेरा लोक सभा क्षेत्र बारांबकी भी आता है। जनपद के विभिन्न कार्यों के लिए 5170.00 लाख का परिव्यय आरक्षित किया गया था और यह पूरी धनराशि व्यय हो चुकी है। इस प्रकार बारांबकी जनपद के लिए भारत सरकार द्वारा मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत स्वीकृत कुल बजट समाप्त हो गया है। जिले की स्थिति देखते हुए और अधिक बजट देने की आवश्यकता है।

अत: मेरा निवेदन है कि जनपद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्व के भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार किन्तुर, सुबेहा, हसनपुर टांडा, जालपुर करोता, गणेशपुर हैदरगढ़, बांसा, भयारा के लिए बालिका इंटर कालेज खोलने जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया जाए, ताकि बारांबकी जैसे पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में समुचित विकास कार्य किया जा सके, जो अन्य जनपदों के मुकाबले अधिकांश विकास मानकों में बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। संतुलित विकास तथा इस जनपद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता के रूप में अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया जाए।

(तीन) केरल में सबरीमाला श्री धर्मसंस्था मंदिर के निकट एक अस्पताल स्थापित करने तथा इस मंदिर को एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी) : सबरीमाला धर्म संस्था मंदिर भगवान के अपने घर केरल में सहयाद्री पर्वत श्रृंखला का गौरव तथा अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बहुसंख्य दर्शनार्थियों वाला तीर्थ स्थल है। सभी धर्मों के लोगों को अनुमति प्रदान कर इस मंदिर ने आज विश्व में सौहार्द का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है जहां धर्म के नाम पर आतंक फैल रहा है। सबरीमाला का मानना है कि प्रत्येक आदमी के भीतर वह परमात्मा है जिसका वह श्रद्धालु है न कि हिन्दुत्व इस्लाम अथवा ईसाईयत। यह मंदिर सभी आयु वर्ग के पुरुषों लिए खुला है तथा उन महिलाओं के लिए खुला है जो अंडाणु बनने की उम्र पार कर चुकी है और अभी किशोरावस्था प्राप्त नहीं की है। नवंबर से जनवरी महीने के दौरान प्रत्येक वर्ष लाखों लाख की संख्या में लोग सबरीमाला पहुंचते हैं।

इस वर्ष भी भारत के सभी हिस्सों से मकारा बिलक्कु देखने के लिए भारी संख्या में लोग आए। भारी भीड़ के कारण सौ से अधिक श्रद्धालु पिछले वर्ष भगदड़ में मारे गए। आस-पास के क्षेत्र में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं नहीं होने के कारण अधिक लोग मारे गए। इसलिए सरकार सभी चिकित्सा सुविधाओं के साथ आस पास एक अस्पताल स्थापित करने तथा और अधिक तीर्थाटन केन्द्र खोलने के लिए विचार करे।

हर वर्ष श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर विचार करते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र के विकास हेतु कुछ वन भूमि जारी करे। मैं विनम्रता से यह भी अनुरोध करता हूं कि सबरीमाला तीर्थाटन केन्द्र की इसके राष्ट्रीय महत्व पर विचार करते हुए एक राष्ट्रीय तीर्थाटन केन्द्र घोषित किया जाए।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से इस क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु सबरीमाला के लिए एक विशेष पैकेज स्वीकृत करे।

(चार) केरल सरकार को राज्य में गरीबों के लिए दवाइयों की बिक्री हेतु उचित दर की दुकानें खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा देश में जीवनरक्षक दवाइयों के अधिक मूल्यों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा) : यह चिंता की बात है कि कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियों के उपचार हेतु अनिवार्य जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में तेजी में वृद्धि हुई है जिससे लोगों विशेषकर देश के गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह बात सामने आई है कि कैंसर, गुर्दा रोग, मूत्र रोग और हृदय रोग के उपचार हेतु दवाएं अपने बाजार मूल्य से 15 गुना अधिक कीमतों पर बेची जा रही हैं। यह प्रवृति मेरे राज्य केरल में देखी गई है। केरल राज्य सरकार अनिवार्य जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए पहले ही कदम उठा चुकी है और इन औषधियों को सरकार ने गरीबों जिन्हें इन औषधियों की सख्त जरूरत है को राहत देने के लिए सरकारी बिक्री केन्द्रों से बेचने का निर्णय लिया है। लेकिन इस प्रयोजनार्थ केरल सरकार को इस स्कीम को व्यवहार्य बनाने हेतु वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह गरीबों के लाभ हेतु अनिवार्य जीवन रक्षक औषधियों की बढ़ती कीमतों पर अकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जिन्हे इन जीवन रक्षक औषधियों की आवश्यकता है तथा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए केरल सरकार को वित्तीय सहायता भी प्रदान करे।

(पांच) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा की जाने वाली क्षति से फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : नियम 377 के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में बड़ी मात्रा में नील गाय, बन्दरों एवं सुअरों द्वारा गरीब किसानों की करोड़ों रुपये की फसल को किए गए नुकसान की तरफ दिलाना चाहती हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बहुत ही पिछड़ा है जहां के लोगों का एकमात्र मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी ही है और इस क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। इस संबंध में पूर्व में सदन में अपनी बात रखी थी जिसके बाद जिला अधिकारी को नील गाय को मारने के आदेश दिए जाने का अधिकार दे दिया गया, परंतु इस संबंध में किसी जिला अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण गरीब किसानों की खड़ी फसल इन नील गायों, बन्दरों एवं सुअरों ने नष्ट हो रही है, सुअर तो आलू की पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देता है जिसकी वजह से किसानों ने खेती बाड़ी छोड़कर शहरों में जाने का मन बना लिया है। तैयार फसल के नुकसान होने से खाद्य सुरक्षा को खतरा एवं देश में खाद्यान्न का उत्पादन घट रहा है।

सरकार ने अनुरोध है कि नील गाय, बन्दरों और सुअरों से मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में गरीब किसानों की खड़ी फसल को बचाने के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाए जाएं एवं जिन किसानों को इससे नुकसान हुआ है उनको समुचित मुआवजा दिया जाए।

(छह) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में तेल के उत्पादन के लिए शेल टेक्नालॉजी का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर) : भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन सन् 2009 में 1.43 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रहा और खपत 1.87 ट्रिलियन क्यूबिक फीट रही है। 24 प्रतिशत प्राकृतिक गैस का निर्यात करना पड़ा।

भारत में प्राकृतिक गैस का भंडार 37.9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है एवं तकनीकी समाकरण करने पर शेल गैस का भंडार 63 ट्रिलियन फीट है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का दावा है कि भारत में सन् 2015 तक गैस की मांग लगभग दुगनी होनी तय है।

शेल गैस का उत्पादन अमेरिका एवं विश्व के अन्य देशों में हो रहा है। शेल गैस के माध्यम से हम देश के ऊर्जा भंडारण में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि शैल गैस नीति जल्दी लाए और लागू करे जिससे देश में शेल गैस के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा मेरे संसदीय क्षेत्र बाडमेर-जैसलमेर भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सके।

(सात) हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली नदियों में अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद) : मैं एक गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्पित करना चाहता हूं। कुछ कंपनियों

[श्री अवतार सिंह भडाना]

द्वारा बड़ी मशीनों से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली नदियों में सुप्रीम कोर्ट की पाबन्दी के बावजूद अवैध खनन जारी है। इससे क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि तबाह हुई है और उन्हें भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। यह अवैध खनन का धंधा बड़ी मशीनों पर पाबन्दी के बावजूद निर्विवाद चल रहा है। किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और यह अवैध कार्य जोरों पर चल रहा है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन कंपनियों द्वारा जारी अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए तथा नदियों में आने वाली बाढ़ से किसानों की कृषि भूमि के बचाव हेतु उचित कार्यवाही की जाए। सरकार से आग्रह है कि इस प्रकरण पर की गई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा भी देने की कृपा करें।

(आठ) महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) : मैं मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र राज्य के विशेषत: विदर्भ के किसानों द्वारा किए जा रहे आत्महत्या और उनको मिल रहे मुआवजे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले से सांसद हूं। मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र राज्य में किसानों की जो स्थिति है वह भयावह होती नजर आ रही है। दिनोंदिन किसानों द्वारा आत्महत्या का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए भी सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों से विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के किसानों को कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर भी नहीं दिया गया है। इस कारण राज्य में विभिन्न स्थानों पर रास्ता रोको आंदोलन किए जा रहे हैं और आज भी आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है जिसे रोकना जरूरी होगा अन्यथा भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार कपास के न्यूनतम मूल्यों में जल्द से जल्द बढ़ोत्तरी करें जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके। यदि किसान ही नहीं रहेगा तो देश का क्या हाल होगा। किसान कपास की बुआई करने में हो या कोई और उत्पादन करने में हो, उनको उसका भी मुआवजा ठीक से नहीं मिल पा रहा है।

अत:, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार तुरंत कपास का भाव कम से कम 6000 रुपये प्रति क्विंटल और 3000 रुपये प्रति क्विंटन का न्यूनतम मूल्य देने की घोषणा किसानों को करें जिससे कम से कम महाराष्ट्र राज्य में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या पर लगाम लगाया जा सके।

(नौ) देश में आदिवासियों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : भारत सरकार ने जनजाति विशेषकर जंगलों में रहने वाली आदिवासियों के कल्याण एवं उनकी सुविधाएं दिलाए जाने के लिए कई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चला रखी हैं परंतु उन तक इन योजनाओं का 15 प्रतिशत का भाग भी नहीं पहुंच रहा है। इस तरह से अनुसूचित जनजाति की योजनाओं में आवंटित धन का दुरुपयोग हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों एवं दी जा रही धनराशि का उपयोग समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। यदि जनजाति मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा की जाए तो तथ्य उजागर हो पाएंगे। कई सांसद जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों से इस सदन में आते हैं उन्होंने अनुसूचित जनजाति के कल्याण योजनाओं में आवंटित धन एवं उनके उपयोग के बारे में जानकारी मांगी है, परंतु उनको नियमानुसार जानकारी उपलब्ध नहीं की जाती है। इस संबंध में, मैं केन्द्रीय मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूं एवं इसे अनुसूचित जनजाति की बैठक में उठा चुका हूं। इसके बाद इस दिशा में कार्य कार्यवाही नहीं की गई है।

यह अनुरोध है कि उपरोक्त योजनाओं में आवंटित धन एवं उसके उपयोग की सूचना उन सभी सांसदों को दी जाए जिन्होंने इसकी मांग की है और इन कार्यों की समीक्षा भी करवाई जाए एवं समीक्षा के बाद जो अधिकारी जिम्मेदार पाए जाएं उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जाए।

(दस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : एक तरफ व्यावसायिक खेती ने किसानों का आर्थिक जीवन दिशा बदल दी है। उनका शहरों की तरफ अन्य व्यवसाय में पलायन/स्थानांतरण हो रहा है तो दूसरी तरफ मनरेगा योजना ने कृषि विकास पर विपरीत असर करना शुरू कर दिया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत खेत मजदूरों को रुपये 120/- मजदूरी मिलती है जो गांवों में दी जाने वाली दिहाड़ी से ज्यादा है। योजनान्तर्गत लोगों को गांवों में ही रोजगार मिल जाता है। फलस्वरूप वह दूसरी जगह काम करने नहीं जाते। परिणामस्वरूप गांवों के खेती काम के लिए खेत मजदूरों की कमी हो रही है। गुजरात और देश के सभी राज्यों में यह विशेष रूप से नजर आ रहा है। खेत मजदूरों

की कमी की समस्या ने कुछ किसानों को खेती व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय की ओर पलायन करने को बाध्य कर दिया है। मुख्य मंत्रीजी ने भी खेती विकास दर की कमी पर चिंता व्यक्त की है। तदुपरांत नव नियुक्त ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने खेती के मौसम में 3 माह तक मनरेगा योजना को स्थगित करने का सुझाव किया है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मनरेगा से उत्पन्न होने वाली खेत मजदूरों की कमी को मद्देनजर रखते हुए उसके स्वरूप एवं अमलीकरण पर पुनर्विचार करें एवं खेती के काम को मनरेगा योजना के तहत शामिल किये जाने का मेरा निवेदन है।

(ग्यारह) गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोारखपुर) : गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक और शिक्षा का केन्द्र भी है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर की आबादी के बीच एकमात्र विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1956-57 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश अपितु बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति का एकमात्र केन्द्र है। राज्य सरकार के संसाधन सीमित होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और संपूर्ण क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में विश्वविद्यालय की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वह अत्यंत ही सीमित रह गई है।

कृपया गोरखपुर के धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश में मुगलसराय रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए सीधी रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन से देश के अन्य महानगरों के लिए कोई भी रेलगाड़ी प्रारंभ नहीं होती है! जबकि मुगलसराय रेलवे स्टेशन से देश के कोने-कोने से अन्य स्थानों को जाने के लिए सैंकड़ों गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती हैं, लेकिन इन सभी गाड़ियों में मुगलसराय स्टेशन से आरक्षण कोटा शून्य की तरह है। वाराणसी के आस पास आने वाले पर्यटकों के लिए मुगलसराय ही मुख्य स्टेशन है जहां से देश के किसी भी मुख्य महानगरों को जाने के लिए पर्यटक यहां से ही आना-जाना करते हैं। लेकिन आम जनता तथा पर्यटकों के लिए आरक्षित टिकट नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्टेशन तथा रेलवे का एशिया में सबसे बड़ा यार्ड होने के बावजूद भी यहां से कोई भी गाड़ी प्रारंभ नहीं की गई है जो किसी अन्य मुख्य शहर से सीधा संपर्क करती हो।

अत: भारत सरकार से मेरी मांग है कि पूर्व मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन मुगलसराय से देश के प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा (कोलकाता) के लिए अलग-अलग गाड़ियां चलाई जाये जिसका प्रारंभ तथा अंतिम स्टेशन मुगलसराय हो साथ ही मुगलसराय से अन्य सभी मेल/एक्सप्रेस तथा राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस में मुगलसराय में आरक्षण कोटा/बर्थ की संख्या बढ़ायी जाये।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ से होने वाले विनाश से गांवों की रक्षा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख) : उत्तर प्रदेश राज्य के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां-विलग्राम विधान सभा क्षेत्र गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहां पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर ग्रामीणों की न केवल फसल बरबाद हो जाती है, बल्कि उनके मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से वे आवासविहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उपज बरबाद होने पर जहां उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है, वहीं वे बे घर भी हो जाते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित ग्रामों का उच्चीकरण कराने, आवासहीन ग्रामीणों को आवास की व्यवस्था कराए जाने तथा प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाए जाने हेतु एक बांध केंद्रीय आवंटन से बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए और बाढ़ के कारण प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य तत्काल आरंभ करें।

(चौदह) बिहार के बाल्मिकी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरि पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर) : रेलवे ने सड़क उपयोगकर्ताओं की असुविधा को कम करने के लिए समपारों के स्थान पर तीन ऊपरी सड़क पुलों (आर.ओ.बी.) अर्थात बगहा के निकट कि. मी. 288/2-3 पर समपार सं. 50 रामनगर, नरकटियागंज पर समपार सं. 31 और नरकटियागंज पर समपार सं. 22 स्पेशल स्वीकृत किया

[श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो]

है। रेलवे समपार सं. 50 के मामले में राष्ट्रीय राजर्माग पर सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की लागत में भागीदारी संबंधी सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। जबकि समपार सं. 31 एवं 22 स्पेशल पर निर्माण के मामले में राज्य सरकार ने नवंबर 2010 में उसे अनुमोदित कर दिया है। उपर्युक्त कारणों की वजह से ऊपरी पुलों के निर्माण कार्य में देरी हुई है। फिलहाल यह कार्य भू-तकनीकी जांच योजना और डिजाईन अनुमोदन के स्तर पर है। इस कार्य के मार्च 2013 में पूरा होने की संभावना है।

बिहार के बाल्मीकी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 28वीं, रामनगर और नरकटियागंज रेलवे समपार पर बगहा 2 पर रेल ओवरब्रिज बनाने से एक नई क्रांति आयेगी लेकिन इसका कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। जिससे इस प्रोजेक्ट को संभावित मार्च 2013 में पूर्ण नहीं हो पायेगा इसलिए इसके काम में तेजी लाये जाने की जरूरत है।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि रेलवे ओवरब्रिज के काम में तेजी लायी जाये। यह एक व्यापक जनहित के मामले हैं। आशा है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

(पंद्रह) आंध्र प्रदेश में सूखा प्रभावित किसानों के कल्याण के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट) : मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान सूखे की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय और चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश में किसानों पर इसके प्रभाव के बारे में आकृष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के 18 जिलों में से 750 मंडल में सूखा व्याप्त है। लेकिन सरकार ने आंध्र प्रदेश के 15 जिलों में केवल 456 मंडलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। यह अक्तूबर में रवी मौसम के शुरूआत के बावजूद बहुत बेतुकी बात है। सभा इस बात से अवगत है कि आंध्र प्रदेश के किसानों विशेषकर गोदावरी क्षेत्र में 'क्राप होलिडे' मनाया है लेकिन न तो केन्द्र सरकार और न ही आंध्र प्रदेश सरकार ने मोहन कांडा समिति की टीम को अध्ययन करने तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भेजने के अलावा अभी तक राष्ट्रीय मुद्दे को सुलझाने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मोहन कांडा समिति की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए लाभप्रद नहीं है। वर्ष 2011 के खरीफ मौसम में 28 अक्तूबर, 2011 तक सूखे की स्थिति अर्थात धान 3.64 लाख एकड़, कपास 10.08 लाख एकड़, मूंगफली 18.42 लाख एकड़, मकई 2.27 लाख एकड़, पीला मसूर/तुड़ दाल 1.86 लाख एकड़, अमुधाय तेल 3.53 लाख एकड़ है। सूखे की इस स्थिति से 40.46 लाख एकड़ भूमि प्रभावित है और इस स्थिति ने आंध्र प्रदेश के किसानों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस स्थिति के कारण 48.6% किसान भारी कर्ज में हैं और इन आकड़ों में से 82 प्रतिशत किसान आंध्र प्रदेश के हैं अक्तूबर में ही 25 से अधिक किसानों ने आत्म हत्या की है। कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्त आंध्र प्रदेश में नहीं हो रही है और ऐसी स्थिति से किसानों की स्थिति और बिगड़ रही है और इस प्रकार की स्थिति विश्वविद्यालयों में प्रयोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति को और गंभीर बना रही है। बैंक अधिकारी किसानों को ऋण देने में अनदेखी कर रहे हैं और केवल 25 प्रतिशत किसान फसल ऋण प्राप्त कर रहे हैं बैंकों में पंजिका समायोजन ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उर्वरकों की दर चालू वर्ष में 12 बार बढ़ाई गई। एक ओर किसान सूखे का सामना कर रहे हैं और दूसरी ओर बाढ़ का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए 58 वर्ष की उम्र पार कर चुके प्रत्येक किसान और बटाईदार किसान को पेंशन प्रदान किया जाना चाहिए। सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए फसल बीमा कुल मात्रा का 50 प्रतिशत वहन करते हुए प्रदान करना चाहिए।

अत: मैं अध्यक्ष पीठ के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए किसानों की सहायता करें।

(सोलह) निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण देने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा) : अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को निजी क्षेत्र में आरक्षण, खाली पदों पर भर्ती, विशेष भर्ती आरक्षण के संबंध में सरकार ने अभी तक अपेक्षित कदम नहीं उठाये हैं। आरक्षण कानून आदि के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों द्वारा जंतर-मंतर नई दिल्ली पर धरना दिया गया। अब तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवं तमिलनाडु सहित तमाम अन्य प्रदेशों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों की ओर से बारी-बारी से धरना दिया जा चुका है और आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड,

आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं झारखंड की ओर से धरना दिया जायेगा।

यूपीए सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में आरक्षण कानून बनाने के लिए संसद में बिल पेश किया था, जो पास न हो सका और उसे वापिस ले लिया। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने के लिए मंत्रियों की एक समिति बनी थी और देश के बड़े कारोबारियों के संगठन जैसे कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज एवं फिक्की आदि ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कुछ भागीदारी देने के लिए कदम उठाए थे किन्तु अभी तक अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आये हैं। यूपीए का अब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किए जाने के कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं।

अत: आग्रह है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने के लिए बिल पेश किया जाये एवं विशेष अभियान चलाकर खाली पदों को भरा जाये। जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति में व्याप्त असंतोष एवं आक्रोश को शांत किया जा सके एवं उनका कल्याण हो सके।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 24 नवम्बर, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 24 नवम्बर, 2011/3 अग्रहायण, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	डॉ. भोला सिंह श्री के.डी. देशमुख	21
2.	श्री धर्मेन्द्र यादव श्री अधलराव पाटील शिवाजी	22
3.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	23
4.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी श्री जगदीश शर्मा	24
5.	श्री पी. विश्वनाथन श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	25
6.	श्रीमती जयाप्रदा श्री नीरज शेखर	26
7.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर श्री उदय सिंह	2 7
8.	श्रीमती भावना पाटील गवली श्री महेश जोशी	28
9.	श्री एस. पक्कीरप्पा श्री पी. कुमार	29
10.	डॉ. बलीराम	30
11.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री अनंत कमार हेगडे	31
12.	श्री एस.एस. रामासुब्बू श्री विलास मुत्तेमवार	32
13.	श्री मनोहर तिरकी श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	33
14.	श्री एस. अलागिरी श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	34
15.	योगी आदित्यनाथ डॉ. के.एस. राव	35
16.	श्री के.पी. धनपालन श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	36
17.	श्री रूद्रमाधव राय श्री किसनभाई वी. पटेल	37
18.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	38
19.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर श्री शिवकुमार उदासी	39
20.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	280, 339, 403
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	272, 333, 342, 437
3.	श्री आनंदराव अडसुल	333, 342, 391, 437
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	401
5.	श्री हंसराज गं. अहीर	269, 342, 351, 431, 455
6.	श्री अनंत कुमार हेगडे	314, 436
7.	श्री अशोक अर्गल	251, 367, 417
8.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	297, 342
9.	श्री गजानन ध. बाबर	335, 342, 391

1	2	3
10.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	315
11.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	241, 339, 340, 360, 414
12.	डॉ. बलीराम	396
13.	श्री संजय भोई	272, 281, 282, 340, 405
14.	श्री हेमानंद बिसवाल	306, 338
15.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	317, 339, 435
16.	श्री हरीश चौधरी	287, 411
17.	डा. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	304, 428
18.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	271, 272, 386
19.	श्री भूदेव चौधरी	310, 340, 348, 430
20.	श्रीमती श्रुति चौधरी	253, 289, 370
21.	श्री अधीर चौधरी	277
22.	श्री गुरुदास दासगुप्त	339, 345, 399, 402
23.	श्री के.डी. देशमुख	338, 342, 388
24.	श्रीमती रमा देवी	286, 294, 302, 419
25.	श्री के.पी. धनपालन	378, 422
26.	श्री निशिकांत दुबे	309, 334, 452
27.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	392
28.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	293
29.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	272, 281, 282, 340, 405
30.	श्री ए. गणेशमूर्ति	309, 339
31.	श्री एल. राजागोपाल	234, 448

1	2	3
32.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	339, 343, 346, 399, 418
33.	श्री महेश्वर हजारी	298, 421
34.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	382
35.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	275, 286
36.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	302, 425
37.	श्री बद्रीराम जाखड़	266, 380
38.	श्रीमती जयाप्रदा	337, 342, 347, 394
39.	श्री महेश जोशी	344, 447
40.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	397
41.	श्री प्रहलाद जोशी	306, 328, 338, 434
42.	डा. ज्योति मिर्धा	303, 426
43.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	275, 343, 395, 425
44.	श्री काद्टी रमेश विश्वनाथ	390, 422
45.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	327, 392, 449
46.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	330, 402
47.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	301, 373
48.	श्री विश्व मोहन कुमार	338
49.	श्री पी. कुमार	339
50.	श्री शैलेन्द्र कुमार	289, 413
51.	श्री यशवंत लागुरी	275, 417
52.	श्री पी. लिंगम	339, 345, 402
53.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	311, 344, 383
54.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	265, 387

1	2	3
55.	श्री नरहरि महतो	237, 341, 420
56.	श्री प्रदीप माझी	250, 338, 350, 390, 442
57.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	309, 336, 398
58.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	272, 281, 282, 340, 405
59.	श्री हरि मांझी	342, 431
60.	श्री दत्ता मेघे	326, 339, 446
61.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	275, 359, 456
62.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	348, 402
63.	श्री विलास मुत्तेमवार	342, 391, 406, 407
64.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	320, 438
65.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	319
66.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	281, 313, 343, 404, 434
67.	श्री नारनभाई कछाड़िया	247, 320, 451
68.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	267, 339, 342, 346, 385
69.	श्री पी.आर. नटराजन	264
70.	श्री वैजयंत पांडा	323, 329, 433
71.	श्री प्रबोध पांडा	399
72.	श्री जयराम पांगी	259, 377
73.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	281, 282, 340, 405
74.	श्री आर.के. सिंह पटेल	343
75.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	344
76.	श्री बाल कुमार पटेल	276, 427
77.	श्री किसनभाई वी. पटेल	338, 390, 442
78.	श्री हरिन पाठक	325, 344
79.	श्री संजय दिना पाटील	281, 343, 404
80.	श्री ए.टी. नाना पाटील	275, 389
81.	श्री सी.आर. पाटिल	231, 316, 343, 352
82.	श्रीमती कमला देवी पटले	239, 358
83.	श्री पोन्नम प्रभाकर	248, 342, 346, 364, 459
84.	श्री नित्यानंद प्रधान	323, 443
85.	श्री पन्ना लाल पुनिया	256, 374, 402
86.	श्री अब्दुल रहमान	295, 418
87.	श्री प्रेम दास राय	300, 425
88.	श्री सी. राजेन्द्रन	321, 439
89.	श्री एम.बी. राजेश	349, 403, 439
90.	श्री पूर्णमासी राम	274, 423
91.	श्री रामकिशुन	285, 410
92.	श्री जगदीश सिंह राणा	243, 392, 401, 440
93.	श्री निलेश नारायण राणे	260, 339
94.	श्री रायापति सांबासिवा राव	245, 252, 272, 292, 369
95.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	332, 387, 402, 441
96.	श्री रामसिंह राठवा	255, 372, 416, 453
97.	श्री अशोक कुमार रावत	263, 278, 429, 445

1	2	3
98.	श्री अर्जुन राय	290
99.	श्री रुद्र माधव राय	338, 349, 350, 353
100.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	254, 338, 371, 406
101.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	339, 346, 347
102.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	245, 363, 402, 425, 458
103.	श्री एम. वेणुगापाल रेड्डी	261, 429, 450
104.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	237, 341, 420
105.	श्री एस. अलागिरी	399
106.	श्री एस. सेम्मलई	291, 415
107.	श्री एस. पक्कीरप्पा	384
108.	श्री एस.आर. जेयदुरई	324, 339, 444
109.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	344, 346, 368, 460
110.	श्री ए. सम्पत	246, 309, 429
111.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	283, 406
112.	श्रीमती सुशीला सरोज	270, 298, 421
113.	श्री हमदुल्लाह सईद	232, 308, 354, 453
114.	श्री अर्जुन चरण सेठी	305
115.	श्रीमती जे. शांता	257, 375
116.	श्री जगदीश शर्मा	414
117.	श्री नीरज शेखर	337, 342, 347, 348
118.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	233, 342, 346, 355, 454
119.	श्री एंटो एंटोनी	339, 350, 406, 422
120.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	346, 381
121.	डा. भोला सिंह	289, 390
122.	श्री भूपेन्द्र सिंह	262, 379
123.	श्री दुष्यंत सिंह	390
124.	श्री गणेश सिंह	343, 348, 402
125.	श्री जगदानंद सिंह	312, 338, 351, 433
126.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	240, 258, 376
127.	श्रीमती मीना सिंह	299, 340, 424
128.	श्री राधा मोहन सिंह	351, 418
129.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	284, 351, 409
130.	श्री रवनीत सिंह	336
131.	श्री उदय सिंह	366
132.	श्री यशवीर सिंह	337, 342, 347, 348, 394
133.	चौ. लाल सिंह	322
134.	श्री धनंजय सिंह	347
135.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	314
136.	राजकुमारी रत्ना सिंह	296, 419
137.	श्री विजय बहादुर सिंह	307
138.	डॉ. संजय सिंह	296, 308, 411, 425
139.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	268, 346, 406
140.	डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	316, 428
141.	श्री ई.जी. सुगावनम	244, 342, 346, 362

1	2	3
142.	श्री के. सुगुमार	235, 339, 345, 356, 455
143.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	273, 295, 346, 418, 422
144.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	242, 361, 457
145.	श्री मानिक टैगोर	288, 339, 412
146.	श्री बिभू प्रसाद तराई	236
147.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	249, 347, 365
148.	श्री मनीष तिवारी	311, 432
149.	श्री जगदीश ठाकोर	240
150.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	275, 343, 395, 425
151.	श्री आर. थामराई सेलवन	238, 339, 357, 390
152.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	275, 320, 339, 350
153.	श्री पी.टी. थॉमस	331, 425, 433
154.	श्री मनोहर तिरकी	309, 336, 398

1	2	3
155.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	336, 393
156.	श्री शिवकुमार उदासी	408
157.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	298, 421
158.	श्री हर्ष वर्धन	290
159.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	308, 399
160.	श्रीमती ऊषा वर्मा	270, 298, 421
161.	श्री वीरेन्द्र कुमार	279, 402
162.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	278, 344, 408, 441
163.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	287, 294, 417
164.	श्री धर्मेन्द्र यादव	335, 342, 391
165.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	397, 436
166.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	318
167.	योगी आदित्यनाथ	400

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	40
नागर विमानन	:	27, 37
कोयला	:	21, 30, 39
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	23, 29, 36
विदेश	:	31, 32
मानव संसाधन विकास	:	22, 24, 25, 34, 35
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	26, 28, 33
योजना	:	38.
अंतरिक्ष	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	237, 250, 300, 327, 339, 340, 361, 390, 431, 432
नागर विमानन	:	239, 243, 253, 259, 260, 265, 271, 279, 280, 282, 283, 309, 330, 332, 345, 347, 349, 350, 357, 362, 366, 367, 375, 384, 400, 407, 410, 414, 442, 451, 455, 459, 460
कोयला	:	246, 255, 257, 262, 293, 299, 302, 306, 338, 355, 359, 364, 396, 412, 448
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	245, 254, 264, 266, 268, 272, 275, 277, 286, 291, 304, 311, 320, 333, 335, 337, 342, 348, 356, 360, 371, 373, 379, 387, 399, 403, 404, 425, 437, 441, 446, 449, 454, 546
विदेश	:	233, 235, 247, 284, 288, 303, 307, 315, 317, 193, 328, 344, 346, 369, 372, 385, 389, 394, 395, 406, 408, 424, 429, 430, 433, 434

मानव संसाधन विकास	:	236, 238, 240, 242, 244, 249, 252, 256, 258, 263, 270, 287, 289, 294, 295, 296, 297, 305, 312, 313, 316, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 351, 353, 354, 363, 368, 370, 374, 376, 378, 381, 382, 391, 392, 393, 402, 405, 411, 415, 418, 426, 428, 435, 439, 440, 443, 458
प्रवासी भारतीय कार्य	:	331, 334, 419, 450
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	231, 232, 241, 251, 267, 269, 273, 274, 276, 290, 292, 301, 308, 310, 318, 341, 380, 386, 388, 397, 398, 417, 423, 427, 444, 445, 447, 453, 457

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः **11.00** बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

G 9 D

पी.एल.एस.–48/20/1/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।